खण्ड-361, अंक-3
मंगलवार, 17 फाल्गुन, शक संवत् 1904
(8 मार्च, 1983 ई0)

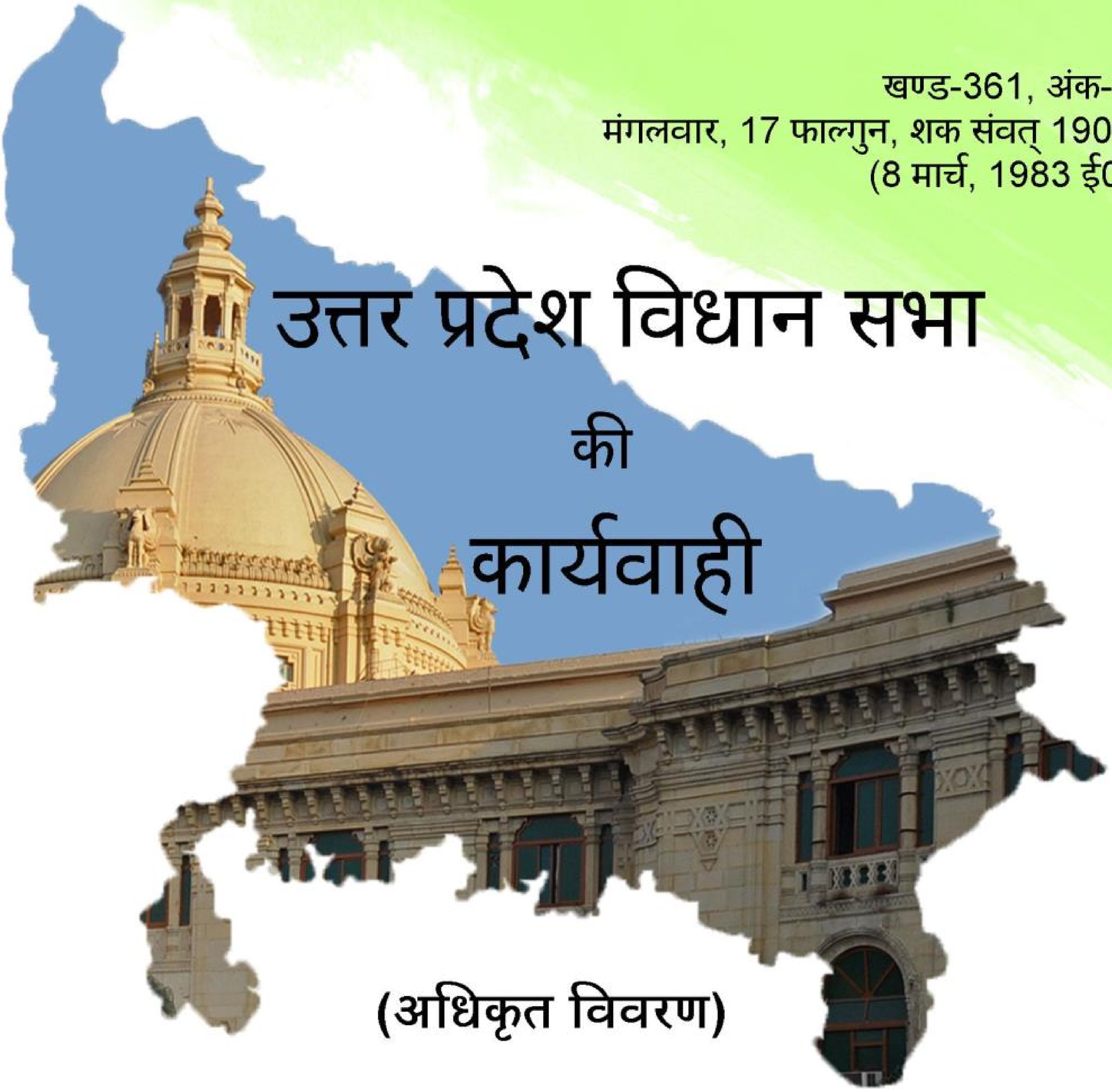

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 361 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	...	329—333
प्रश्नोत्तर	...	335—405
ग्राम कुतरैया तहसील आँवला (बरेली) में हुए अग्निकाण्ड से जन-धन की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	405—406
किला मौहल्ला मधई टोला (शाहजहांपुर) मुसलमानों की बस्ती में राइस मिल के लगने से साम्प्रदायिक दंगे के भड़कने की सम्भावना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	406
बलरामपुर चीनी मिल (गोंडा) द्वारा किसानों के 5 लाख रुपये के बाण्ड को रद्द कर देने से किसानों का गन्ना सूखने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	407
नगरमहापालिका गोरखपुर के मौहल्लों के बीच से होकर बहने वाले गन्दे नाले से संक्रामक रोग फैलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	407
मुजफ्फरनगर जनपद में बिजली की आपूर्ति न होने से फसल की क्षति एवं छात्रों के समक्ष अध्ययन की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	407—408
प्रश्नों के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	....	408—409
हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1978-79.....(सदन के पटल पर रखी गयी)	....	409
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की वार्षिक लेखा रिपोर्ट वर्ष 1976-77 लेखा एवं वर्ष 1978-79 .....(सदन के पटल पर रखी गयी)	....	409
हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट 1980-81.....(सदन के पटल पर रखी गयी)	....	409
यू०पी० स्टेट लेदर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन 1979-80 एवं वर्ष 1980-81.....(सदन के पटल पर रखा गया)	...	410
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० कानपुर का उन्नीसवाँ एवं बीसवाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 .....(सदन के पटल पर रखा गया)	...	410
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1975-76 एवं 1976-77.....(सदन के पटल पर रखी गयी)	...	410
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1975-76.....(सदनके पटल पर रखी गयी)	....	410

उत्तर प्रदेश के वित्तीय निगम के वर्ष 1980-81 के लेखा पर, महालेखाकार उत्तर प्रदेश द्वारा परीक्षा प्रतिवेदन ..... (सदन के पटल पर रखा गया) ... 410

उत्तर प्रदेश सीमेंन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, चुर्क, मिर्जापुर का अष्टम वार्षिक प्रतिवेदन 1979-80 .... (सदन के पटल पर रखा गया ... 411

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1983 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) 411

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1983 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) 411

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा पुलिस की सहायता से नई बस्ती (लखनऊ) स्थित मस्जिद को कथित क्षति पहुँचाये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य .... 411—415

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें .... 415—419

कार्य स्थगन की सूचनाओं पर बहस किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न .... 419—422

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें (क्रमागत) .... 422—424

1983-84 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये माँगों पर मतदान अनुदान संख्या 66-सहकारिता विभाग (स्वीकृत) नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें .... 424—472

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) .... 472—474

नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क में बसने वाले ग्रामीणों के समक्ष तेजी के संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत वक्तव्य .... 474—477

बुलन्दशहर स्थित पुरानी और नई फैक्ट्री इकाइयों में सरकार की कोयला आवंटन सम्बन्धी नीति में कथित भेदभाव किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ... 477—482

लखनऊ विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करने वाले छात्रों को प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य .... 482—486

कानपुर स्थित फजलगंज तथा पनकी की बैंक आफ बड़ौदा की शाखाओं पर डाकुओं द्वारा हमला करके ढाई लाख रुपये लूटने के सम्बन्ध में 1 मार्च, 1983 के तारांकित प्रश्न 9 के विषय में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा .... 486—490

नत्थियां .... 491—496

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 8 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्मसिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--356

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथसिंह,श्री(उर्फ अनिल सिंह)(फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री(फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खीरी) (उर्फ सुत्तन भैय्या)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित) आंग्ल भारतीय
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुवेर भन्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर, सिंह श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)

चन्द्रबली बह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारू चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल श्री, (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री(मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेजबहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन बन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूँ)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)

बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ब्रज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झाँसी)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मगरूर जाफरी, श्री (उर्फ शवरोज) (गोंडा)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूँ)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोतीलाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूँ)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रूखाबाद)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झाँसी)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रूखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रूखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन सिंह एडवोकेट, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नरायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)

राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, (इलाहाबाद)
(उर्फ मणि जी)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)

सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंस राज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिबंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरी किशन श्री वास्तव, श्री (कानपुर)
हरिशंकर, श्री (हरदोई)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 8 मार्च, 1983 ई०

तारांकित प्रश्न

पुलिस विभाग की नई भर्तियों में पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों की आयु सीमा में छूट की समाप्ति

*1—**श्री राम आसरे वर्मा**—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस विभाग की नई भर्तियों में पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों की आयु में प्रदान की जाने वाली 5 वर्ष की छूट समाप्त कर दी गयी है ? यदि हां तो इसका औचित्य क्या है और क्या शासन इस पर पुनर्विचार करने की व्यवस्था करेगी ?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्री गुलाब सेहरा)—

पुलिस विभाग की नई भर्तियों में मात्र कान्सटेबुलों की भर्ती में पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों की आयु में प्रदान की जाने वाली 5 वर्ष की छूट समाप्त कर दी गई है क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकरण पर पुनः विचार की भी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि कान्सटेबिलों की भर्ती में पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिये आयु में 5 साल की छूट कब दी गई थी और उस समय इसका जो प्राविधान किया गया था उसके क्या कारण रहे थे ? दूसरा जब इस आयु सीमा की छूट को समाप्त किया गया था उसके पीछे क्या कारण रहे थे और इसको कब समाप्त किया गया ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, यह दिनाँक 6/11/1977 को शासनादेश संख्या 2003 के अन्तर्गत दिया गया था। आरक्षण करने के बाद भी जब जनरल तरीके से ही 5950 अभ्यर्थियों में से 1104 अभ्यर्थी इस वर्ग से वैसे ही सेलेक्ट हो गये तो 5 वर्ष की छूट की आवश्यकता नहीं हुई।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, जब कोई निर्णय लिया जाता है तो उसके पीछे कुछ कारण बने होते हैं। मैंने माननीय मन्त्री जी से यह पूछा है कि जब यह निर्णय लिया गया था कि पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों की आयु में 5 साल की छूट दी जायेगी तो उस समय उसके पीछे कुछ कारण रहे थे, तो वे क्या कारण थे ? दूसरी बात जिस समय इसे समाप्त किया तो उस समय भी इसके कुछ कारण रहे होंगे, उन कारणों को माननीय मन्त्री जी बता दें ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, छूट इसलिये दी जाती है कि अभ्यर्थी आसानी से प्राप्त हो जाय और जब अभ्यर्थी वैसे ही प्राप्त हो रहे हैं तो छूट की आवश्यकता नहीं है।

श्री चेतराम गंगवार —

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि सरकारी सेवाओं में पहले से ही बहुत डिपार्टमेंटस में पिछड़ी जातियों के लिये जो रिजर्वेशन है उसे समाप्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त उनके प्रमोशन का जो रिजर्वेशन था उसे भी समाप्त कर दिया है और अब जो आयु में छूट मिली थी उसे भी समाप्त कर दिया गया है। इस बात को देखते हुए कि शैक्षिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से कुछ जातियाँ पिछड़ी हुई हैं और देहातों में रहती हैं और किसी कक्षा को पास करने में जैसे हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट और ग्रेज्युएशन, काफी समय लग जाता है तो माननीय मंत्री जी इस बात पर पुनः विचार करेंगे कि उनके लिये 5 साल की आयु में छूट को यथावत रखने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, कान्सटेबिलों की भरती में किया गया क्योंकि अभी तक जितने भी परिणाम समक्ष आये हैं उसमें कोटे से अधिक अभ्यर्थी आसानी से मिल जाते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने उत्तर में बताया कि 5950 अभ्यर्थियों में से पिछड़ी जाति के 1104 अभ्यर्थी सलेक्ट हो गये थे लेकिन यह नहीं बताया कि किस सन् का यह है ? दूसरा में चाहूँगा कि 1982 में कितने व्यक्ति भर्ती किये गये थे और इनका कोटा कितना था ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, मैंने प्रारम्भ में ही बता दिया कि 1982 में 5950 अभ्यर्थियों में 1104 अभ्यर्थी पिछड़ी जाति के थे।

विधायकों की सुरक्षा हेतु रिवाल्वर उपलब्ध कराने पर विचार

***2—श्री सन्त बक्स रावत—**

क्या मुख्य मन्त्री विधायकों की सुरक्षा हेतु 30 कारबाइन के लाइसेन्स शासन द्वारा न दिए जाने के कारण 30 कारबाइन की ही कीमत पर रिवाल्वर उपलब्ध कराने हेतु विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी नहीं। इसके लिये समुचित औचित्य उपलब्ध नहीं है।

श्री सन्त बक्स रावत —

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि विधायकगणों की सुरक्षा का भार शासन पर निरन्तर बढ़ता जा रहा है और हर समय उनका जीवन खतरे में रहता है और कोई भी माननीय विधायक ऐसा नहीं है कि वह 10 हजार या 15 हजार की रिवाल्वर खरीद सके ··· पहले 30-कार्बाइन 3 हजार रु० की मिल जाती थी, मैं मा० मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि रिवाल्वर जो प्रदेश में आते हैं, ढाई हजार रु० की कीमत के होते हैं, कानपुर आर्डीनेन्स फैक्ट्री के बने रिवाल्वरों को विधायकों को उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

मा० सदस्य को मैं बता दूं, रिवाल्वर हिन्दुस्तान में नहीं बनता है और बाहर बनता है, जिसकी कीमत 15-16 हजार रु० होती है ।

श्री सन्त बक्स रावत—

मान्यवर, मा० मन्त्री जी ने कहा कि प्रदेश में रिवाल्वर नहीं बनता है, वैसे मेरी निश्चित जानकारी है कि कानपुर आर्डीनेन्स फैक्टी में बनते हैं । वैसे एच.टी.सी. जो है वह प्रति वर्ष रिवाल्वरों की खरीद करता है और प्रत्येक प्रदेश को भेजता है, उनकी कीमत 2500/- रु० है । मैं जानना चाहता हूं कि जो प्रदेश का कोटा है, एच.टी.सी. की सप्लाई में से, उनके कोटे के रिवाल्वर मा. विधायकों को देने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जनप्रतिनिधि अर्थात् आम जनता जिनको सुरक्षा दे, वे सुरक्षा की मांग कर रहे हैं । यह प्रजातंत्र अहिंसा के आधार पर ही आया है, आप रिवाल्वर की मांग कर रहे हैं ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मा. मन्त्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं पूछना चाहता हूँ कि मा. विधायक ने कहा कि 30-कार्बाइन की जगह पर उसी की कीमत का रिवाल्वर दिलायेंगे ? मन्त्री जी ने कहा "नहीं", जबकि उत्तर प्रदेश में ही कानपुर की ही आर्डीनेन्स फैक्ट्री ने रिवाल्वर तैयार किया है, बाजार में आ गया । अभी मा. मन्त्री ने मुस्करा कर कहा कि जो जन-प्रतिनिधि हैं, उनको सुरक्षा की क्या जरूरत है ? सुरक्षा के नाम पर आपने उनके पीछे बिस्तर बाँधने वाला शैडो लगा रखा है । मैं मा. मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या मा. मन्त्री जी अपने प्रभाव का प्रयोग करके एक रिवाल्वर या उसी कीमती की एक राइफिल कम्पनी रेट पर मा. विधायकों को दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

इसका प्रश्न इसलिये नहीं उठता कि आज विधायक मांगेंगे, कल जुडिशियरी के लोग मांगेंगे, परसों आई.ए.एस. मांगेंगे ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह —

मा. मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि विधायकों को जनता का समर्थन प्राप्त है, उनको सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है । मैं मा. मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जनता से डर नहीं है लेकिन उनके दल में जो नये बन्दूकधारी आ रहे हैं, क्या उनसे सुरक्षा के लिये हथियार दिलायेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

अपने दल की तरफ नहीं देख रहे हैं, आप ।

श्री मारकण्डेय चन्द्र—

मैं मा. मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह बात तो निर्विवाद सत्य इसलिये है कि शासन ने तमाम मा. विधायकों को शैडो दिया है, कोई संकट है तभी दिया है । मा. सदस्य ने जो प्रश्न किया है कारबाइन के लिये, तो जब आप खतरा समझते हैं तभी शैडो

दिया है, इसको सही मानकर क्या कारबाइन देने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो कारबाइन जिनको दी है, उनका लाइसेंस निरस्त करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

जो कार्बाइन है, यह एक्चुअली आत्म रक्षा के लिये नहीं बल्कि मारक है, इसलिये गम्भीरता से विचार कर रहे हैं कि कार्बाइन सिविलियन्स को न दी जाय । आर्म्स ऐक्ट में संस्तुति की है केन्द्र सरकार से कि कार्बाइन जैसा हथियार, जिसका दुरुपयोग हो रहा है और विशेष रूप से जातिगत आधार पर राजनीतिक आधार पर उसकी बांटा है, उसकी संस्तुति की गयी है कि कैन्सिल किया जाय । जैसे ही आ जायगा, कैन्सिल कर देंगे ।

श्री हुकम सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मा. सदस्य ने प्रश्न किया कि अपनी सुरक्षा के लिए एक-एक 30 कारबाईन उचित रेट पर दिलाने की कृपा करें जिस पर मा. मंत्री जी ने कहा कि प्रतिनिधि को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं तो क्या मा. मंत्रीगण के यहाँ जो शैडो एवं सुरक्षा गार्ड की एक पलटन रहती है, तो क्या वह किसी बगैर असुरक्षा के, भय के रहती है ? तो तो जब इन्हें असुरक्षा का भय है तो मा० विधायकों की सुरक्षा के लिए एक-एक कारबाइन उचित भाव पर दिलवाने की कृपा करें । यदि कोई कठिनाई विशेषतौर पर मा. मंत्री जी को न हो, और यदि कोई प्रशासनिक कठिनाई हो तो उससे अवगत करा दें ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन् विधायक स्वयं इतना प्रभावशाली है, कि वह स्वयं इसके लाइसेंस प्राप्त कर लेगा ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से मा. मंत्री जी का ध्यान एक ऐसे तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि काबाईन 30 के लाइसेंस पर शासन ने तब रोक लगाई थी कि जब दो तीन प्रांतों के स्तर पर यह तय हुआ था कि यह आक्रमक हथियार है, अतः शासन ने इस हथियार के लाइसेंस पर रोक लगा दी थी, परन्तु अब अन्य प्रदेश भी इसके लाइसेंस में कोई रोक नहीं लगाते हैं इसलिए क्या अब आप भी इस पर लाइसेंस पाबन्दी को हटाने पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया अपने प्रश्न को देखें, मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

श्री भोखा लाल—

जैसाकि मा. मन्त्री जी ने अभी कहा कि विधायक जनता के प्रतिनिधि हैं, अतः उनकी रक्षा जनता स्वयं करती है, जबकि आज यह चीज कहीं पर भी लागू नहीं होती, फिर भी हम मा. मंत्री जी की बात को मानते हुए यह प्रश्न करना चाहते हैं कि जब मा. मंत्री जी स्वयं पूरे प्रदेश के मंत्री हैं तो फिर इनकी कोठियों पर और जब यह दौरे पर जाते हैं तो फिर क्यों एक शैडो एवं तमाम सुरक्षा गार्ड पुलिस अपनी सुरक्षा के लिए क्यों लगवा रक्खी है इसके मायने यह हुए कि वह अपनी सरकार में भी असुरक्षा महसूस करते हैं ?

श्री गुलाब सेहरा—

असुरक्षा महसूस नहीं करते, यदि हम सुरक्षागार्ड व शैडो न भी लेना चाहें तो भी हमें यह प्रोटोकाल के अन्तर्गत स्वयं मिल जायेगी ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मा० मंत्री जी विधायकों की सुरक्षा की नीति के संबंध में कोई स्पष्ट रूप से घोषणा करेंगे ? जब विधायकों को अन्य बन्दूकों यानी रिवाल्वर/पिस्टल आदि की सुविधा दी गयी तो एक सुविधा 30 कारबाइन की और जोड़ने में क्या कठिनाई महसूस कर रहे हैं या जब किसी प्रकार की सुरक्षा की किसी मा० विधायक को आवश्यकता नहीं है तो फिर अन्य आर्म्स के जो लाइसेंस दे रखे हैं उन्हें वापस ले लें, अन्यथा इस व्यवस्था को और जोड़ने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, जहां पर कोई असुरक्षा की बात होती है और विधायकगण इस बात को जब महसूस करके शैडो की मांग करते हैं, तो उन्हें दे दिया जाता है। इस तरह 129 विधायकों को शैडो दिये गये हैं परन्तु जहाँ तक 30 कार्बाइन का प्रश्न है, इसे शासन अक्रामक हथियार मानता है, इसलिए हमने स्वयं इसकी संस्तुति की है कि यह हथियार किसी को न दिया जाए और जिनको इसके लाइसेंस दिये जा चुके हैं, उनसे वापस लिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, 30 कार्बाइन हथियार को अक्रामक हथियार मान लिया है इस शासन ने, परन्तु अन्य प्रदेशों ने भी पहले इसे अक्रामक हथियार माना था, परन्तु वह अब इस हथियार के लाइसेंस अपने यहाँ के लोगों को दे रहे हैं, तो क्या आप भी अन्य प्रदेशों की भाँति अपने यहाँ इसके लाइसेंस दिये जाने के बारे में विचार करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, इस संबंध में मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है।

श्री अध्यक्ष—

जैसी कि और प्रदेशों में नीति अपनायी गयी है, उसी प्रकार से यहाँ पर शासन उस पर विचार करेगा या नहीं करेगा ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि कार्बाइन के जो लाईसेंस दिये गये हैं उनको वापस करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है, तो ऐसे में देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

थाना इब्राहिमपुर, जनपद फैजाबाद के सब-इन्सपेक्टर एवं पुलिस कांस्टेबिल द्वारा श्री ओम प्रकाश, ग्राम नरायनपुर तथा ग्रामवासियों को परेशान किये जाने के सम्बन्ध में पत्र

***3—गोपीनाथ वर्मा—**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना इब्राहिमपुर जनपद फैजाबाद के सब इन्सपेक्टर, श्री जगन्नाथ एवं पुलिस कांस्टेबिल श्री जगदम्बा सिंह द्वारा श्री ओम प्रकाश, ग्राम नारायनपुर थाना इब्राहिमपुर टाण्डा, फैजाबाद से बल पूर्वक 400 रु० लेने तथा ग्रामवासियों को परेशान किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता द्वारा 16-3-82 को कोई

शिकायती-पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या उक्त सम्बन्ध में जांच की गयी, जांच के दौरान श्री ओम प्रकाश तथा ग्रामवासियों से पूछताछ की गयी ? सम्पूर्ण जाँच का विवरण क्या है तथा जांच के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि मेरा यह प्रश्न पहले 16-3-82 का था । मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि इस मामले की जांच सी०आई०डी० को दी गयी थी और उसने अपनी जाँच की रिपोर्ट दे दी है । टाण्डा के तहसीलदार की भी जांच की रिपोर्ट इस बारे में आ चुकी है । तो सारे मामले की जाँच हो गयी है परन्तु माननीय मन्त्री जी पता नहीं किस कारण से उसे बताना नहीं चाहते हैं और कह रहे हैं कि सूचना एकत्रित की जा रही है । या तो ये यह कह दें कि सी०आई०डी० की रिपोर्ट नहीं आयी और तहसीलदार की रिपोर्ट नहीं आयी है । यदि उनकी जाँच की रिपोर्ट आ गयी है तो फिर प्रश्न का उत्तर न देने का क्या कारण है ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, इसी की तो सूचना एकत्रित की जा रही है ।

4—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

मंत्रियों द्वारा चुनाव कार्य हेतु हेलीकाप्टर का इस्तेमाल तथा किराये की वसूली की कार्यवाही

***5—राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 6ठे मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिन मंत्रियों द्वारा चुनाव कार्य के लिए हेलीकाप्टर का इस्तेमाल किया गया उनसे उसका किराया प्राप्त हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)—

जी नहीं । किराये की वसूली की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैंने इस संबंध में एक प्रश्न पहले भी दिया था जो कि अतारांकित कर दिया गया था । मान्यवर, इस बात को ध्यान में रखते हुए उस समय शासन ने स्वीकार किया था कि इस मंत्रिमण्डल के बहुत से मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपने निजी कार्य हेतु हेलीकाप्टर का उपयोग किया था परन्तु अभी तक उनसे उसका किराया वसूल नहीं किया गया । तो मैं आपके माध्यम से शासन से जानना चाहता हूँ कि वह कौन-कौन से मन्त्री हैं और उनके ऊपर कितना- कितना रुपया बकाया है और उसकी रिकवरी के लिये उनको नोटिस कब दी गयी ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, चुनाव के समय में हेलीकाप्टर और वायुयान शासन ने लिया था और इसके भुगतान के संबंध में बिल कांग्रेस पार्टी को दे दिये गये हैं और वह वसूली करने की कार्यवाही को कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मैंने पूछा था कि वे कौन कौन से सुनामधन्य मन्त्रीगण हैं जिन्होंने अपने निजी कार्य हेतु वायुयान या हेलीकाप्टर का प्रयोग किया और अभी तक उसके बिल का भुगतान नहीं किया है और अब उसकी रिकवरी के लिये किन-किन मन्त्रियों से किराया लिया जा चुका है और किन-किन से नहीं ? और जिन मंत्रियों पर किराये का बकाया है उनको भुगतान करने लिये किन तिथियों में नोटिस दी गयी हैं ?

श्री सुनील शास्त्री—

किसी मन्त्री विशेष को बिल नहीं दिया गया है। बिल पी०सी०सी० को दिया गया है 28-1-83 को।

श्री सोमांश प्रकाश—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जब जनता पार्टी का शासन था और उस समय जब उन्होंने इस तरीके से खर्चा किया था तो क्या उस समय शासन ने उनसे रिकवरी की कार्यवाही की थी ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री मोहन सिंह—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि कुल कितने का बिल है। दूसरे मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस तरह का आपके पास प्राविधान है कि सरकार हेलीकोप्टर या वायुयान का प्रयोग किसी राजनीतिक पार्टी के चुनाव प्रचार के लिये किया जा सकता है ? यदि हां, तो पी० सी० सी० को ही क्यों दिया गया दूसरी राजनीतिक पार्टी को क्यों नहीं दिया गया ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, जो बिल है वह 9,55,500 रुपये का है और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा मैं बताना चाहता हूं कि केवल इसी चुनाव में नहीं बल्कि 1975 के चुनाव में भी हेलीकोप्टर की सुविधा पार्टियों को उपलब्ध करायी गई थी। 4 फरवरी 1978 से 4 दिसम्बर 1978 के बीच में जनता पार्टी के लोगों ने भी····(व्यवधान) इस वायुयान का प्रयोग किया था जिस पर 3,85,547.89 पैसे खर्च हुआ था जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने किसी भी अनुपूरक प्रश्न का सटीक उत्तर नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूं कि हेलीकोप्टर किसी राजनीतिक पार्टी को दिये जाने का

अनुबंध कब हुआ ? कांग्रेस पार्टी ने इसके लिये कब एप्लाई किया और किस शर्त पर उनको हेलीकोप्टर दिया गया ? मेरी निश्चित जानकारी है कि माननीय मन्त्रियों ने इस हेलीकोप्टर को अपने निजी दौरे के लिये इस्तेमाल किया है और कांग्रेस पार्टी का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। कांग्रेस पार्टी को मेनुपुलेट किया जा रहा है। क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि काँग्रेस पार्टी ने हेलीकोप्टर के लिये कब ऐप्लाई किया और उनकी क्या शर्तें थीं ?

श्री सुनील शास्त्री—

मन्त्री ने यदि उसका प्रयोग चुनाव प्रचार में किया है तो उसका उपयोग पार्टी के लिये किया गया है और उसका भुगतान भी इस तरह से पार्टी ही करेगी न कि कोई मन्त्री। मन्त्री भी पार्टी का एक सदस्य होता है।···(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह बड़ा ही जनहित का सवाल है और इसमें सार्वजनिक पैसा इन्वोल्व है। मैं इसको दूसरे रूप में रखना चाहता हूं। जैसा कि माननीय ओझा जी ने कहा किस व्यक्ति ने किस संस्था ने हेलीकाप्टर के लिये ऐप्लाई किया ? रिक्विजिशन किसने किया था। मैंने पूछा था कि इस तिथि से लेकर इस तिथि तक शासकीय हेलीकोप्टर किस-किस काम के लिये किस-किस मन्त्री ने किया ? मान्यवर, मैं साफ पूछना चाहता हूं कि मन्त्री ने रिक्विजिशन किया होगा और मन्त्री जी ने उसका बिल भी दिया होगा। क्या आपके पास किसी मन्त्री का ऐसा पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह कहा गया हो कि यह बिल उन्हें नहीं देना है पी० सी० सी० देगी अथवा पी० सी० सी० का यह डाइरेक्शन हो कि सम्बन्धित उसी मन्त्री को देना है उसे नहीं देना है ? साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह जो हेलीकोप्टर का बिल है इसके लिये कोई तिथि निर्धारित थी कि उस तारीख तक रुपया आ जायेगा। कृपया यह भी बतायें जिसमें यह कहा गया हो कि किस तारीख तक पी० सी० सी० को निर्देशित किया गया हो कि आप पैसा जमा कर दें ? यदि ऐसा कोई पत्र हो तो उसे आप पढ़ दें।

श्री सुनील शास्त्री—

बिल किसी मन्त्री को नहीं भेजा गया। चुनाव के दौरान माननीय मुख्य मंत्री, वित्त मन्त्री, सहकारिता मन्त्री, गृह मन्त्री तथा पर्वतीय विकास मन्त्री ने इस हेलीकोप्टर का इस्तेमाल किया और जो बिल आया उसके सम्बन्ध में कांग्रेस पार्टी ने 2 लाख रुपये का चेक शासन को भेज दिया और उसके बाद कहा कि जो भी अतिरिक्त बिल हो उसके बारे में अवगत कराया जाय।

2 फरवरी, 1977 से दिनांक 19 मार्च 77 के बीच हेलीकाप्टर वगैरह का इस्तेमाल किया गया था और उसका 7 लाख 1 हजार 24 रु० 85 पैसे का बिल था (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आर्डर आर्डर, जबाब देने दें।

श्री सुनील शास्त्री—

जो धनराशि थी उसका कांग्रेस कमेटी ने भुगतान कर दिया और इसको 7,11,024.85 रु० ट्रैजरी में जमा कर दिया है। इसके अलावा बिना बिल भेजे ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दो लाख का चैक शासन को भेज दिया है तो वह बिल 9,55,5000 का 28 फरवरी, 83 को कांग्रेस पार्टी के स्थायी सचिव को भेजा है उसकी वसूली की जा रही है और वह धनराशि जल्दी उपलब्ध हो जायेगी।

श्री पंचानन राय—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित मैं जानना चाहूंगा कि 1977 से आज तक हैलीकाप्टर का कुल कितना बकाया है और किस किस पार्टी पर कितना कितना बकाया है ?

श्री अध्यक्ष—

वह बता दिया गया है। मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री रियासत हुसैन—

मेरा स्पष्ट प्रश्न यह है कि जो इस बीच हैलीकाप्टर का प्रयोग हुआ वह किस मिनिस्टर या व्यक्ति के सिगनेचर से रिक्वीजिशन किया गया और जो उसके चार्जेज थे किस मन्त्री की तरफ से या व्यक्ति की तरफ से पी० सी० सी० को डायवर्ट किये गये, या पी० सी० सी० ने स्वयं लिखा होगा कि इन इन व्यक्तियों के जरिये जो हैलीकाप्टर का रिक्यूजिशन हुआ उसका पेमेंट हम करेंगे तथा उसकी रिकवरी के लिए क्या क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री—

मैंने स्पष्ट कर दिया कि जिस मन्त्री ने चुनाव के लिए हैलीकाप्टर का प्रयोग किया था जब बिल आया तो वह पी०सी०सी० को चला गया पी० सी० सी० भी उसको मानती है कि यह चुनाव के लिए इस्तेमाल किया गया उसका बिल 9,55,500 का चला गया है इतना ही नहीं बिना बिल के पी० सी० सी० ने एडवांस रूप में दो लाख रु० का चैक भेज दिया ?

श्री प्रियदर्शी जैतली—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे सन् 77 से आज तक जितना भी इस किस्म का बकाया जिन जिन पार्टियों पर है उसकी वसूली तुरन्त कराने के आदेश जारी करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जहां तक सरकारी भुगतान का सवाल है उसके प्रयोग में जो हैलीकाप्टर वगैरह प्रयोग किये जाते हैं उसका भुगतान शासन के द्वारा होता है। लेकिन जो चुनाव वगैरह के लिए 4 फरवरी, 78 से 4 दिसम्बर, 78 तक प्रयोग हुआ जिसमें तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री राम नरेश यादव ने आदेश दिये वह जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र, आंध्र और कर्नाटक के विधान सभा चुनाओं में हुआ उसके बाद जार्ज फर्नांडिस तत्कालीन उद्योग मन्त्री भारत सरकार ने आजमगढ़ के लोक सभा चुनाव के लिए तथा तत्कालीन स्वास्थ मन्त्री राजनारायन जी ने भूपाल जाने के लिए इस्तेमाल किया इसका 3,85,547.89 पैसा का बिल था। इसके सम्बन्ध में हमने अध्यक्ष जनता पार्टी को कई बार पत्र लिखा यह केवल कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ही नहीं बल्कि तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री रामनरेश यादव ने 4.1.79 और 27.2.79 और उसके बाद तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री बनारसी दास जी ने 12.4.79, 7.12.79 और 2.2.80 को जनता पार्टी के अध्यक्ष को पत्र लिखा संयुक्त सचिव और उप सचिव ने जनता पार्टी के अध्यक्ष को पत्र लिखे कि इसका भुगतान किया जाय। मान्यवर, यही नहीं महामन्त्री जनता पार्टी को भी कई पत्र इस संबंध में भेजे गये लेकिन आजतक उसका भुगतान नही किया गया और यहां तक कि यह मामला महामहिम

राज्यपाल के समक्ष रखा गया और उन्होंने भी इस सम्बन्ध में प्रधानमन्त्री को अवगत कराया और वहां से जनता पार्टी से निवेदन किया गया कि 3 लाख से ऊपर की जो धन-राशि है उसका भुगतान करें लेकिन अभी तक वह धनराशि प्रदेश शासन को प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि गढ़वाल उप संसदीय चुनाव में राजकीय हेलीकाप्टर का कितनी बार इस्तेमाल हुआ और कितना किराया कांग्रेस पार्टी पर बकाया है ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, पहले ही बताया कि किन किन मन्त्रियों ने हेलीकाप्टर का प्रयोग किया है । लेकिन 1981-82 चुनाव के लिये दो बार अलग-अलग इस्तेमाल के लिये मैं बताना चाहता हूं कि 1981 में जो चुनाव में हेलीकाप्टर प्रयोग किया गया उसका 6,82,833.33 रुपया का बिल था और 6-5-82-से 18-5-82 तक जो प्रयोग किया तो उसका 2,72,666 67 रुपये का बिल था जो कुल 9,55,500 रुपये होता है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष -

आप लोग बैठ जांय मैं किसी को इजाजत नहीं देता हूँ ।

मीरा बाई मार्ग स्थित आफिसर्स होस्टल में अध्यासियों पर अवशेष किराया तथा वसूली की कार्यवाही

*6 --**श्री श्याम लाल बाजपेयी—**

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मीराबाई मार्ग स्थित आफिसर्स होस्टल में कितने विधायक तथा कितने अधिकारी, कितने पत्रकार एवं कितने बाहरी लोग रहते हैं ? क्या शासन के पास सूचना है कि कुछ लोग बगैर किराए के रह रहे हैं ? यदि हां, तो किराया वसूली के लिए कोई कदम उठाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)—

मीराबाई मार्ग स्थित आफिसर्स होस्टल/विधायक निवास नम्बर–5 में इस समय 19 माननीय विधायक, 16 सरकारी सेवक, 15 पत्रकार तथा 9 अन्य व्यक्ति रहते हैं । कोई व्यक्ति वहाँ बिना किराये के नहीं रहते हैं और जिनकी ओर से किराया अवशेष है उनसे किराया वसूली की कार्यवाही समय-समय पर की जाती है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आफिसर्स होस्टल में जो 16 अधिकारी रहते हैं उनके नाम क्या हैं और उनका स्तर क्या है, 15 पत्रकार जो रहते हैं उनके नाम क्या हैं । तीसरे जो 9 अन्य व्यक्ति रहते हैं वह कौन कौन हैं । इसके अलावा समय-समय पर किराये की वसूली के जून, 1980 से मार्च, 1883 तक क्या प्रयास किये गये हैं, क्या नोटिसेज दी गयी हैं तो कब कब दी गयी हैं ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

श्रीमन्, इसमें सरकारी कर्मचारियों के नाम इस प्रकार हैं:—और उनके सामने बकाया धनराशि दर्शाई जा रही है :—

1	श्री बी०डी० राम, अतिरिक्त जिलाधिकारी	कुछ बकाया नहीं
2	श्री प्रेम नारायण द्विवेदी, अपर सिटी मजिस्ट्रेट	434.00
3	श्री बी०के० बंसल, इन्कमटैक्स आफिसर	कुछ बकाया नहीं
4	श्री गोपीचन्द्र, दूर दर्शन केन्द्र	479.00
5	श्री पी०एन० झिंगरन, न्यूज प्रोड्यूसर दूरदर्शन	1233.40
6	श्री एस०एम० सिंह, व्यवस्था अधिकारी,	कुछ बकाया नहीं
7	श्री सी० सिन्हा, अवर अभियन्ता, सा०नि०वि०	कुछ बकाया नहीं
8	श्री क्यू०ए० नकवी, सहायक आयुक्त, विक्रीकर	679.00
9	श्री महेन्द्र महर्षि, न्यूज प्रोड्यूसर, दूरदर्शन	कुछ बकाया नहीं
10	श्री उमाशंकर, सलाहकार, उ०प्र० चलचित्र	कुछ बकाया नहीं
11	श्री ओ०आर० किदवई	कुछ बकाया नहीं
12	श्री राकेश शर्मा, लोक सेवा अधिकरण	228.00
13	श्री के०एन० प्रसाद, उपसचिव	कुछ बकाया नहीं
14	श्री के०एस० प्रसाद, सेन्ट्रल इन्टीलीजेंस अफसर	कुछ बकाया नहीं
15	श्रीमती लता सिंह, सचिव, स्वास्थ्य	900.00 मय गैरेज
16	डा० मती कामिनी खन्ना	कुछ बकाया नहीं तथा
	दी कार्यालय व्यवस्था अधिकारी	कुछ बकाया नहीं

अब पत्रकारों के नाम और बकाया उनके ऊपर इस प्रकार हैं :—

		दिसम्बर, 82 तक का बकाया
1	श्री सुभाष दुबे	756.00
2	श्री सी०एस० वर्मा	3352.78
3	श्री एच०सी० चौधरी	4232.94
4	श्री इकबाल सिद्दीकी	1391.34
5	श्री रामदत्त त्रिपाठी	766.00
6	श्री ओ०पी० पालीवाल	कुछ बकाया नहीं
7	श्री जे०पी० शुक्ला	कुछ बकाया नहीं
8	श्री के०के० किदवई	5946.76
9	श्री आर०आर० श्रीवास्तव	3902.93
10	श्री पी०एस० सेठी	3229.65
11	श्री सरोजेश गाजीपुरी	9104.11
12	श्री एन०के० पाण्डेय	कुछ बकाया नहीं
13	श्री आर०एन० द्विवेदी	2441.06
14	श्री सन्तोष भारती	1850.76
15	श्री विनोद घिल्डियाल	कुछ बकाया नहीं

अन्य नौ के नाम और बकाया इस प्रकार हैं :—

1	श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा, संसद सदस्य	कुछ बकाया नहीं
2	श्री मथुरा प्रसाद सिन्हा, यह पहले सलाहकार थे और फिर उनको हटा दिया गया	कुछ बकाया नहीं
3	स्व० श्री सी०एस० करुणेश का परिवार	1830.00
4	श्री एम०एम० अग्रवाल	कुछ बकाया नहीं
5	श्री कुंवर सचीन्द्र प्रसाद नारायण सिंह, यह इलाहाबाद के एक राजनीतिक नेता थे और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इनको ठहराया था।	2142.00

6	श्री उमाचरण घिल्डियाल, भूतपूर्व सलाहकार	1038.86
7	श्री आर०पी० भाटिया, यह भी नेता हैं, इन्टर नेशनल कम्पूयूटर इन्डियन मैन्युफैक्चरिंग लि० द्वारा जीवन बीमा निगम, डिवीजनल आफिस, लखनऊ ।	कुछ बकाया नहीं
8	स्व० श्री शिवहर्ष उपाध्याय का परिवार	1065.00
9	श्री रजनीकान्त वर्मा, सोशलिस्ट नेता हैं	कुछ बकाया नहीं

श्री श्यामलाल बाजयेयी—

सूची बताई, इसके लिए आभारी हूँ, अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कुछ प्रश्न और हैं, क्या आफिसर्स होस्टल को विधायक निवास घोषित किया गया है, क्योंकि मान्यवर, वहाँ पर आपके विधायक निवास का एक्सचेंज काम करता है, तो वह आफिसर्स होस्टल नहीं रहा ? यदि वह विधायक निवास है, तो वहाँ पर नियमत: सरकारी अफसर काम नहीं कर सकता है ? क्योंकि नियम यह है कि विधायक का पुत्र भी यदि सरकारी अफसर हो तो वह उसमें नहीं रहेगा ? नम्बर दो, जिनके नाम बताए, क्या वह अधिकारी सचिवालय में प्रशासनिक स्तर पर नियुक्त हैं और उन्होंने शासन से मकान बनवाने या खरीदने के लिए अग्रिम धन लिया था ? और क्या अब वह अपने मकान को ऊंचे किराये पर उठाकर मुफ्त में रह रहे हैं ? इसका सबका उत्तर आप देने की कृपा करें ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

श्रीमन्, विधायक निवास में आवास की कमी थी, इसलिए यह भी विधायक निवास नं० 5 करके घोषणा कर दी गयी थी ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

वहाँ आफीसर्स क्यों रहते हैं ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

आफीसर्स श्रीमन्, पहले से रह रहे हैं । अभी वहाँ पर ट्रांजिट होस्टल है, जब तक इनको घर नहीं मिलता है, तब तक उनको वहाँ पर रहने की सुविधा दी गयी है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न किया, उसका उत्तर नहीं दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूँ । आप बैठिये ।

श्री ख्वाजा हलीम—

मान्यवर, व्यवस्था अधिकारी श्री पाडेय्य जो थे, जो नैनीताल से गबन करने के इलजाम में यहाँ से भेजे गये थे, जिनके खिलाफ गबन के चार्जेज थे, जिनको दुबारा नये मुख्य मंत्री जी ने नैनीताल भेज दिया । ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने यहाँ पर भी कुछ गबन किया हो ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, मैंने आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जो प्रश्न किया था, माननीय मंत्री जी ने उसका थोड़ा सा उत्तर दिया, बाकी हजम कर गये। मान्यवर, मैंने उनसे पूछा था कि जो अधिकारी वहाँ पर रहते हैं, क्या वह सचिवालय के प्रशासकीय पदों पर तैनात हैं ? क्या उन अधिकारियों ने राज्य शासन से घर बनाने के लिए रुपया लिया है ? यदि हां, तो क्या उन अधिकारियो ने अपने बनवाये हुए मकानों को ऊंचे किराये पर उठाये हुए हैं और स्वयं मुफ्त में रह रहे हैं। मान्यवर, यह आपका कार्य-क्षेत्र है। मान्यवर, इसका उत्तर दिलवा दें।

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

मान्यवर, यह जो प्रश्न किया कि जिन अधिकारियों के पास अपना घर है, वे लोग यहां पर रह रहे हैं, मान्यवर, इसकी हमारे पास सूचना नहीं है, मैं एकत्र करके बतला दूँगा।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, ऐसे सदस्य, जो एम० एल० सी० रहे हैं, अब एम० एल० सी० नहीं हैं और ऐसे लोग जो एम० एल० सी० थे अब राज्य सभा के मैम्बर हो गये हैं, उन्होंने यहां पर भी भवन ले लिया है और दिल्ली में भी यू० पी० भवन में कमरे इसलिए ले रखे हैं कि देहली में कोई मकान उनको नहीं दिया गया है। इस तरह दो जगहों पर लखनऊ और देहली में जो मकानात लिये गये हैं, उनके लखनऊ के मकान कैंसिल करने की कृपा करेंगे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

श्रीमन्, इसमें उनसे किराया वसूल किया जा रहा है। उनको पत्र भी लिखा जा रहा है कि वह आवास छोड़ दें।

(व्यवधान)

(तारांकित प्रश्न संख्या–8 पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह —

मान्यवर, मैं कई बार खड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे आज्ञा नहीं दी गयी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। अब मैंने प्रश्न संख्या 8 ले लिया है। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह —

मान्यवर, काम की बात मुझे पूछने नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने प्रश्न संख्या 8 ले लिया है। आप बैठें। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

***7—श्रीमती गौरी देवी—**

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

पुलिस उपाधीक्षक, श्री के० पी० सिंह की दस्यु मुठभेड़ में मृत्यु तथा परिवार को प्राप्त सहायता

*8—श्री मोहन सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि अप्रैल, 1982 में गोण्डा के पुलिस उपअधीक्षक श्री के० पी० सिंह दस्यु मुठभेड़ में मारे गये थे और उस घटना की जांच के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने केन्द्रीय जांच आयोग (सी० बी० आई०) से अनुरोध किया था ? यदि हाँ, तो अभी तक दिवंगत के० पी० सिंह के आश्रितों एवं परिवार को शासन ने कौन-कौन सी सुविधाएं प्रदान की हैं ?

श्री गुलाब मेहरा—

पुलिस उपाधीक्षक, श्री के० पी० सिंह अप्रैल, 1982 में नहीं बल्कि 13 मार्च, 1982 को दस्यु मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए थे ।

घटना की जाँच केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो (सी० बी० आई०) द्वारा कराये जाने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया था परन्तु वे इसके लिए सहमत नहीं हुए ।

स्व० श्री के० पी० सिंह के परिवार में उनकी विधवा श्रीमती विभा सिंह के पक्ष में निम्नलिखित सहायता एवं सुविधायें प्रदान करने हेतु आदेश पारित किये गये हैं :—

1—उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (एक्स्ट्रा आर्डिनरी) पेन्शन (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1981 के अनुसार तात्कालिक आनुतोष	रु० 3,000.00
2—उत्तर प्रदेश पुलिस वेनिफिट फण्ड से	रु० 3,000.00
3—सामूहिक जीवन बीमा का लाभ	रु० 50,856.20
4—26 दिवस अर्जित अवकाश का नकदीकरण	रु० 1,095.40
5—असाधारण पेंशन (प्रतिमाह)	रु० 1,139.50
6—ग्रेच्युटी	रु० 40,000.00

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि स्वर्गीय के० पी० सिंह की हत्या हुई । उनकी हत्या के बारे में यह आशंका हुई कि जिस मुठभेड़ में उनकी हत्या हुई, उस में उन्हीं के साथी पुलिस के ही लोगों ने उनको गोली मार दी । यह जब आशंक हुई तो सी० बी० आई० से जाँच के लिए लिखा गया । सी० बी० आई० उसकी जाँच से सहमत नहीं हुई, तो क्या आपने इस घटना की जाँच अपने सी० आई० डी० से कराया है, यदि कराया है तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा—

माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी जाँच सी० बी० आई० से कराने के लिए लिखा गया । उन्होंने सारे तथ्यों को देखकर यह कहा कि इस में कोई फाउल प्ले होता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया । तब हमने 30 मार्च को सी० आई० डी० से कहा कि इसकी जाँच की जाय । सी० आई० डी० ने 31-8-1982 को हमें सूचित किया कि पुलिस के द्वारा जो विवेचना हो रही है, उसमें कोई कमी नहीं है और वह ठीक ढंग से चल रही है ।

श्री मोहन सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि श्री के० पी० सिंह के परिवार को 50 हजार रुपये का विशेष पुरुस्कार और गैलेन्टरी एवार्ड देने की घोषणा तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने किया था। यदि हाँ, तो क्या उक्त दोनों एवार्ड उनके परिवार वालों को दे दिये गये हैं और यदि नहीं दिये गये हैं तो न देने का क्या कारण है ?

श्री गुलाब सेहरा —

जो उनको दिया गया, उसका पूरा ब्यौरा मैंने अभी पढ़कर सुनाया।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने इन दो चीजों की विशेष रूप से घोषणा की थी और समाचार पत्रों ने भी इस बात को छापा था। तत्कालीन राज्य गृह मंत्री भी वहाँ पर गये थे। यह सारी चीजें समाचार पत्रों में आयी हैं और कल माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने भी यह प्रश्न उठाया था कि पुलिस के लोग वीरता दिखाते हुए मर जाते हैं परन्तु उनके परिवार वालों को कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है। डी० एस० पी० रैंक का आदमी था, परन्तु उसको कोई भी एवार्ड नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष —

यह तो वक्तव्य के लिए स्वीकार है।

श्री मोहन सिंह—

यह मान्यवर, वक्तव्य से अलग है।

श्री गुलाब सेहरा—

50 हजार रुपये की घोषणा कर तो दी गयी थी, परन्तु क्लास वन से नीचे के अधिकारी को 40 हजार है।

श्री मोहन सिंह—

उसको तो वह भी नहीं दिया गया है।

श्री मारकण्डेय चन्द—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उसकी विधवा पत्नी ने एक आवेदन पत्र दिया जिसमें उसने यह आरोप लगाये कि पुलिस के ही लोगों ने उसकी हत्या कर दी है। यदि इस प्रकार का आवेदन पत्र आया है तो उसके क्या आरोप हैं ?

श्री गुलाब सेहरा—

इस प्रकार का पत्र तो नहीं है, लेकिन सी० बी० आई० को इसी आशय का पत्र दिया गया था, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि कोई फाउल प्ले नहीं है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, मंत्री जी ने बताया कि 40 हजार रुपये की धनराशि आपने श्री के० पी० सिंह की विधवा को दिया है। यह रुपया

किस मद का है ? उनको जो पुरस्कार देने की घोषणा की गयी थी वह है या ग्रेच्युटी का पैसा है ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, नियमानुसार दिया गया। सिविल सर्विसेज (एक्सट्रा आर्डिनरी) एक्ट के अन्तर्गत दिया गया है। 50 हजार की घोषणा अवश्य हुयी थी लेकिन वह क्लास–1 आफिसर नहीं थे इसलिये 40 हजार दिया गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरे सवाल का उत्तर नहीं आया। आपने 40 हजार दिया है यह ग्रेच्युटी का पैसा था जो पुरस्कार देने की घोषणा की गयी थी उसका पैसा है। इस बात को ध्यान में रखते हुये इन सब बातों को आप फिर से देख लें अगर 40 हजार रुपया जो दिया गया है वह पुरस्कार का है तो ठीक है अगर ग्रैच्युटी का है तो जो पुरस्कार देने की घोषणा हुयी थी उसको दिलवाने की कृपा करेंगे ?

वित्त एवं नियोजन मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

इस सम्बन्ध में पूरी बात हम देखेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री ने क्या घोषणा की थी और यह किस मद से पेमेंट किया गया है। मुख्य मंत्री की घोषणा का पूरा आदर किया जायगा और उसको कार्यान्वित किया जायगा।

डा० शमीम अहमद सदर मुस्लिम लीग, मुरादाबाद के क्लीनिक में आग लग जाने की दर्ज रिपोर्ट

***9—श्री रियासत हुसैन—**

क्या मुख्य मंत्री को विदित है कि दिनांक 1-1-82 को लगभग सुबह 3 बजे डा० शमीम अहमद खाँ, सदर मुस्लिम लीग मुरादाबाद के क्लीनिक में आग लगा दी गयी जिसकी एफ० आई० आर० थाना मुगलपुरा में दिनाँक 1-1-82 को क्राइम नं० 2-482 लिखाई गयी है ? यदि हाँ, तो घटना क्या है और उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गुलाब सेहरा—

दिनाँक 1-1-82 की रात्रि में 3 बजे डा० शमीम अहमद की क्लीनिक, जो मोहल्ला रफतपुरा में स्थिति है, में आग लगने की स्वयं डा० अहमद की प्रथम लिखित सूचना पर दरयाफ्तहाल जारी किया गया। बाद में आग लगाने का संदेह व्यक्त करने पर थाना मुगलपुरा में अपराध संख्या 2 धारा, 436 भा० द० वि० पंजीकृत होकर विवेचना क्षेत्राधिकारी, नगर (द्वितीय) द्वारा की गई। विवेचना से आग बिजली के शाट लगने से मालूम हुई और अपराधियों का कोई सूत्र नहीं मिला। अतः विवेचना दिनाँक 30-6-82 को अंतिम रिपोर्ट प्रेषित कर समाप्त कर दी गई।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, डाक्टर शमीम अहमद ने जो रिपोर्ट लिखायी थी उसमें लिखाया था कि उनके क्लीनिक के शटर का ताला टूटा हुआ पाया गया, और जो मुरादाबाद इन्क्वायरी कमीशन से संबंधित रिकार्डस थे उन सबका जलाया जाना भी लिखाया गया था ? यदि हाँ, तो इन दो बिन्दुओं पर क्या इन्क्वायरी की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, जो डाक्टर शमीम अहमद ने एफ०आई०आर० लिखाई उसकी क्षेत्राधिकारी ने विवेचना की, उन्होंने प्रतिवादी का नाम लिखाया नहीं था। उन्होंने अज्ञात लिखा था।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मैं स्पष्ट रूप से यह पूछ रहा हूँ कि डाक्टर शमीम अहमद ने जो रिपोर्ट लिखायी उसमें लिखाया कि उनके क्लीनिक के शटर का ताला टूटा पाया जाना तथा मुरादाबाद कमीशन से संबंधित सारे रिकार्डस का जलाया जाना दिखाया है। सुबह को वह दिल्ली जा रहे थे। तो इन दो बिन्दुओं पर क्या इन्क्वायरी की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, माननीय सदस्य को ज्ञात है कि जो एफ०आई०आर० में है उसकी विवेचना की गयी, उन सबकी विवेचना की जाती है।

थाना गोसाईगंज, जिला लखनऊ की पुलिस द्वारा शंकर पासी का कथित इन्काउन्टर

*10—**डा० शिवानन्द नौटियाल तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय—**

सरकार को जानकारी है कि माह मई, 1982 में थाना गोसाईगंज, जिला लखनऊ की पुलिस द्वारा शंकर, जाति पासी निवासी पस्त्राएं जिला लखनऊ का इन्काउन्टर किया गया है ? यदि हां तो, उसके खिलाफ क्या-क्या आरोप थे ? क्या मुख्य मंत्री सी० आई० डी० द्वारा इसकी जांच कराकर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी नहीं। प्राप्त सूचनानुसार थाना गोसाईगंज जिला लखनऊ की पुलिस द्वारा किसी शंकर जाति पासी निवासी पस्तरा जिला लखनऊ से कोई मुठभेड़ नहीं हुयी है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी वैसे तो एक्सपर्ट हैं जवाब देने के और सब सूचना को हजम कर जाने में। इसमें उन्होंने इंकार किया है कि कोई घटना नहीं हुयी है। मेरी सुनिश्चित जानकारी को ध्यान में रखते हुये कि मई, 82 में गोसाई गंज थाने की पुलिस और लोनी कटरा थाने, जिला बाराबंकी की पुलिस एक बारात मंडप में घुस कर शंकर पासी को तो गयी और उसकी हत्या कर दी। तो, क्या मामले की सी० आई० डी० जांच कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, माननीय सदस्य लिखकर दे दें, जांच करा लेंगे।

मुख्य मंत्री के जाली हस्ताक्षर युक्त पुलिस विभाग से संबधित आदेश के मामलों की जांच

*11—**श्री मित्रसेन**—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि नवम्बर व दिसम्बर 1981 में (गृह विभाग से सम्बन्धित) उनके फर्जी हस्ताक्षरों में किये गये आदेशों के कुछ मामले प्रकाश में आये हैं ? यदि हां, तो इस संदर्भ में अब तक किन तथ्यों का पता लग सका है ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हाँ

प्रश्नगत अवधि में मुख्य मंत्री के जाली हस्ताक्षरयुक्त पुलिस विभाग से संबंधित पांच मामले प्रकाश में आये हैं। तीन मामलों से संबंधित उमाशंकर राठौर को दंडित किया जा चुका है। चौथा व पांचवा मामला विवेचनाधीन है।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ माननीय मुख्य मंत्री जी के जाली हस्ताक्षर से जो आदेश किये गये, वह किसी पत्रावली के माध्यम से हुए हैं या किसी की दरख्वास्त पर हुए हैं ? दूसरे, यह राठौर व्यक्ति कौन हैं, जिनको दंडित किया गया है ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, इसमें सांसद और विधायकों के पत्रों पर यह आदेश किये गये। जिसमें पहले में इन्हें 10 महीने की सजा हुई है। इसमें इन्होंने श्री मथुराप्रसाद पाण्डेय, एम० एल० ए० की तरफ से एक जाली पत्र बनाया था, जो थानाध्यक्ष, संडीला के ट्रांसफर से सम्बन्धित था।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैंने यह भी पूछा था कि उमाशंकर राठौर, जिनको दंडित किया गया है, उनका पेशा क्या है, ये कौन हैं ? इसके अतिरिक्त जैसा कि बताया गया कि दो मामले विवेचनाधीन हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूँ कि वे दो मामले कौन से हैं, किन विषयों से सम्बन्धित हैं, जिन पर मुख्य मंत्री जी के जाली हस्ताक्षर बनाकर और मुहर लगाकर आदेश किये गये हैं ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, यह उमाशंकर राठौर, पुत्र श्री लालमणि सिंह, ग्राम छिबरामऊ जनपद फर्रुखाबाद के निवासी हैं तथा टुड़ियागंज, लखनऊ स्थित आयुर्वेदिक कालेज में कुछ वर्ष तक छात्र रहे हैं। यह सड़क के नेता हैं।

विभिन्न उद्योगों के लिये गठित द्विपक्षीय समितियों में श्रमिकों के प्रतिनिधियों का चयन

*12—**श्री प्रियदर्शी जेतली**—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न उद्योगों के लिए द्विपक्षीय समितियों में सम्मिलित श्रमिकों व मालिकों के प्रतिनिधियों को किस आधार पर

चुना गया है ? क्या उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट 1947 की धारा तीन की उपधारा 'सी' का क्रियान्वयन हो रहा है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

श्री सुनील शास्त्री—

विभिन्न उद्योगों के लिए शासन द्वारा गठित द्विपक्षीय समितियों में (श्रमिकों के प्रतिनिधियों का चयन विभिन्न) श्रमिक महासंघों की संख्या व सदस्यता को देखते हुए इस प्रकार किया जाता है जिससे व्यापक रूप से यथासंम्भव सभी संघों को प्रतिनिधित्व मिल सके। सेवायोजकों के प्रतिनिधियों का चयन मुख्यतया उनके संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर किया जाता है।

जी हाँ।

यू० पी० इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, 1947 की धारा 3 की उपधारा "सी" में यह प्राविधान है कि श्रमिकों व सेवायोजक पक्षों में सद्भाव बनाये रखने, विवादों को समझौतों द्वारा निपटाने तथा उत्पादन, संगठन, कल्याण एवं कार्यक्षमता सम्बन्धी विषयों पर विचार-विमर्श व सुझाव के लिये समितियों का गठन किया जाय। शासन द्वारा विभिन्न उद्योगों में समय-समय पर द्विपक्षीय समितियों का गठन उक्त धारा 3 की उपधारा 'सी' में निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। सर्वप्रथम माननीय मंत्री जी जहाँ तक एक्ट का सवाल है, उसमें पक्ष नहीं हैं, प्रतिनिधि हैं। माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि जहाँ पर दो दल होते हैं, वहां पर आप प्रतिनिधियों के चयन का आधार क्या बनाते हैं ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, मेरे उत्तर में स्पष्ट है कि प्रतिनिधियों का चयन विभिन्न श्रमिक महासंघों की संख्या व सदस्यता को देखते हुए किया जाता है, और उसके आधार पर हम लोगों के प्रतिनिधि रखते हैं। दो दलों के प्रतिनिधियों के चयन करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता समिति गठित की जाती है, जो इसको करती है।

जिला देवरिया के थाना लार क्षेत्र में कथित लाश

*13—**श्री हरिवंश सहाय—**

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया थाना लार क्षेत्र में जून, 1982 में दफनाई गई किसी युवक की लाश को निकाल कर पोस्ट मार्टम कराया गया था ? यदि हां, तो घटना का पूरा विवरण क्या है ?

मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 12 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

पुलिस कर्मचारियों को हरियाणा प्रदेश की तरह वेतन दिलाने का कथित निर्णय

***14—श्री चेतराम गंगवार—**

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 28-9-82 का सरकार द्वारा कोई ऐसा निर्णय लिया गया है कि पुलिस कर्मचारियों को हरियाणा प्रदेश की तरह उत्तर प्रदेश में 12 माह के, वेतन की जगह पर एक वर्ष में 13 महीने का वेतन देने और प्रति माह सिपाही को जो वेतन दिया जा रहा है उसको बढ़ाकर 650 रुपया कर दिया जाय ? यदि हां, तो इसका कार्यान्वयन कब तक हो जायेगा ? इसमें विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

दिनांक 28-9-82 को शासन द्वारा प्रश्नगत विषय का कोई निर्णय नहीं लिया गया था अतः कार्यान्वयन का प्रश्न नही उठता ।

मंत्रियों की बाराबंकी जाने का प्रयोजन तथा दौरे पर हुआ व्यय

***15—श्री प्रदीप कुमार यादव—**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उनके मंत्रि परिषद् के लगभग एक दर्जन सदस्य एक साथ 3 अगस्त, 1982 को बाराबंकी में विद्यमान थे ? यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उनके एक साथ बाराबंकी जाने का प्रयोजन क्या था तथा मंत्रियों के प्रश्नगत दौरे पर सरकारी खजाने की कितनी धनराशि खर्च हुई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ, दिनांक 3-8-82 को मंत्रि मण्डल के 11 सदस्य, जिनके नाम नीचे दिये गये हैं, बाराबंकी गये थे :—

1—श्री बलराम सिंह यादव, ग्राम्य विकास मंत्री ।
2—श्री अब्दुल रहमान खाँ नश्तर- जेल मंत्री ।
3—श्री राम सिंह खन्ना, नगर विकास मंत्री ।
4—श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी, शिक्षा मंत्री ।
5—श्री हरिसिंह बाल्मीकी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री ।
6—श्री रणजीत सिंह जूदेव, राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग ।
7—श्री बच्चा पाठक, सहकारिता राज्य मंत्री ।
8—श्री गुलाब सेहरा, हरिजन एवं समाज कल्याण, राज्य मंत्री ।
9—श्री राम रतन सिंह, कृषि राज्य मंत्री ।
10—श्री गोपाल राम दास, सिंचाई राज्य मंत्री ।

9 मंत्रियों का बाराबंकी जाने का प्रयोजन जनहित में था तथा इन दौरों पर कुल 2,440,05 रुपये व्यय हुए । दो मंत्री निजी कार्य से बाराबंकी गये थे जिन पर शासन का कोई व्ययभार नहीं हुआ ।

जिला गोंडा में माधवपुर काण्ड की आयुक्त, फैजाबाद द्वारा जांच

***16—श्री मसरूर जाफरी**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोंडा में माधवपुर काण्ड की जो जांच आयुक्त फैजाबाद द्वारा व सी० आई० डी० द्वारा करायी गयी थी उससे

सम्बन्धित जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या सरकार उसे सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जाँच आयुक्त फैजाबाद मण्डल द्वारा करायी गयी । सी० आई० डी० द्वारा जांच नहीं अपितु चैकअप कराया गया । आयुक्त फैजाबाद मण्डल द्वारा की गई जाँच में पुष्टि हुयी कि 13-3-82 को हुई घटना वास्तविक है । मारे गये 11 व्यक्तियों का अपराधिक इतिहास है । ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि पुलिस ने घरों में से इन्हें निकाल कर मारा हो । यह असत्य पाया गया कि गांव में पुलिस ने आग लगायी और लूटमार की । सी. आई. डी. ने चैकअप करने पर कुछ बिन्दुओं पर गहराई से जांच स्थानीय पुलिस द्वारा करने की संस्तुति की है ।

पूर्वी अल्मोड़ा वन प्रभाग के पालड़ी कम्पार्टमेन्ट में प्लान्टेशन दर्शाकर राष्ट्रीय धन का कथित दुरुपयोग

*17—**श्री केदार नाथ सिंह—**

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि पूर्वी अल्मोड़ा वन प्रभाग के पालड़ी 18 में वर्ष 1977-78 में प्लान्टेशन दर्शाकर राष्ट्रीय धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन एवं पशुधन राज्य मंत्री (श्री संजय सिंह)—

जी नहीं । पूर्वी अल्मोड़ा वन प्रभाग के बागेश्वर राजि के अन्तर्गत पालड़ी कम्पार्टमेन्ट नं० 18 में वर्ष 1977-78 में प्लान्टेशन दर्शाकर राष्ट्रीय धन का कोई दुरुपयोग नहीं किया गया । वास्तव में वहाँ वर्ष 1977-78 में 20 हजार पौधे रोपित किये गये जिनमें 7,750 जीवित रहे । इसके अतिरिक्त दो हैक्टेयर क्षेत्र में अकेशिया का बीज बोया गया जो असफल रहा । इस समस्त पौधारोपण पर कुल रुपया 26,726 का व्यय हुआ । पौधारोपण की सफलता का प्रतिशत 38.8 रहा है । यद्यपि इसे पूर्ण रूप से संतोषजनक नहीं कहा जा सकता परन्तु इसके लिये किसी अधिकारी को दोषी नहीं कहा जा सकता है ।

मुहम्मदाबाद विद्युत उपकेन्द्र की स्थापित क्षमता तथा नया विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने पर विचार

*18—**श्री रामनरायन एडवोकेट—**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर के मुहम्मदाबाद विद्युत उपकेन्द्र की निर्धारित क्षमता कितनी है और इस क्षेत्र में विद्युत की मांग को देखते हुए, इस उपकेन्द्र को 1,32,000 के. बी. ए. केन्द्र बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार एक सर्वेक्षण दल भेजकर सम्बन्धित योजना को तैयार कर इस पिछड़े क्षेत्र को राहत देने की कृपा करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

मुहम्मदाबाद 33 के. बी. विद्युत उपकेन्द्र की स्थापित क्षमता 6,000 के. बी. ए. है । जी नहीं । मुहम्मदाबाद क्षेत्र में 132 के. बी. विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने पर यथा आवश्यक उचित समय पर विचार किया जायेगा ।

थाना शिवली, जनपद कानपुर देहात में श्री हनुमानगढ़ी हायर सेकेण्डरी स्कूल को आग से जलाकर नष्ट करने तथा भूमि पर कब्जा कर लेने के सम्बन्ध में दर्ज रिपोर्ट

*19 - **श्री हरीकिशन श्रीवास्तव** —

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम शोभन थाना शिवली, जनपद कानपुर देहात से 18-3-82 को श्री हनुमानगढ़ी हायर सेकेन्डरी स्कूल को आग से जलाकर नष्ट किया गया एवं 12-7-82 को पुन: उसी स्कूल के बचे हुए कमरों को गिरा दिया गया एवं भूमि पर कब्जा कर लिया गया ? यदि हां, तो दोनों घटना के सम्बन्ध में थाना शिवली में कितनी रिपोर्ट दिनांक 18-3-82 से 5-10-82 तक दर्ज करायी गयी और इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र -

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित अवधि में दिनांक 18-3-82 को घटित घटना के सम्बन्ध में दो रिपोर्टें तथा दिनांक 12-7-82 को नहीं वरन् दिनांक 11-7-82 को घटित घटना के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट थाना शिवली कानपुर देहात में अंकित करायी गई ।

दिनांक 18-3-82 की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत कराये गये अपराधों में विवेचनोपरान्त एक अपराध में आरोप पत्र तथा दूसरे में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई । दिनांक 11-7-82 की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत कराये गये अपराध की विवेचना प्रचलित है । शान्ति व्यवस्था की दृष्टि से दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 107/116 जा. फौ. की कार्यवाही की गई है ।

अधीक्षण अभियन्ता, 40वां वृत्त का मुख्यालय गोण्डा स्थानान्तरित किये जाने के आदेश

*20—**श्री अकबाल हुसेन** —

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षक अभियन्ता चालीसवां वृत्त का कार्यालय तथा निवास फैजाबाद में है ? जबकि उनका कार्यक्षेत्र बाढ़-ग्रस्त जनपद गोंडा तथा बहराइच में है ? यदि हाँ, तो मितव्ययता के दृष्टि से उपरोक्त कार्यालय गोंडा जनपद में स्थानान्तरित करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

जी हाँ, वर्तमान समय में अधीक्षण अभियन्ता 40वां वृत्त का कार्यालय व निवास फैजाबाद में ही है । कार्यों की द्रुतगति देने की दृष्टि से अक्तूबर 1982 में वृत्तों तथा खण्डों के किये गये पुनर्गठन में इस वृत्त का कार्यालय फैजाबाद से गोण्डा स्थानान्तरित करने के आदेश हुए हैं परन्तु यह आदेश मध्य सत्र के कारण 31 मार्च, 1983 तक स्थगित रखे गये हैं । अप्रैल, 1983 में इन आदेशों के लागू हो जाने पर अधीक्षण अभियन्ता, 40वां वृत्त का मुख्यालय गोण्डा स्थानान्तरित हो जाने की आशा है ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रधानमन्त्री का प्रदेश के प्रशासन में चुस्ती लाने के सम्बन्ध में पत्र

1—श्री बदन सिंह**—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 15 फरवरी, 1983 के बाद प्रधानमन्त्री

(श्रीमती इन्दिरा गांधी) का कोई पत्र प्रशासन में चुस्ती लाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या शासन ने इसके लिए कोई कदम उठाए हैं ? यदि हाँ, तो वे क्या हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हाँ, प्रधान मन्त्री का एक पत्र जो विभिन्न प्रान्तों के मुख्य मंत्रियों को सम्बोधित था प्राप्त हुआ था। इस सम्बन्ध में विस्तृत आदेश शासन के अधिकारियों को जारी किये जा रहे हैं।

श्री बदन सिंह—

मैंने प्रश्न किया था कि जो पत्र श्रीमती इन्दिरा गांधी ने लिखा है उसके बारे में क्या ठोस कदम उठाया गया। इसका उत्तर नहीं आया। माननीय मुख्य मन्त्री जी कह रहे हैं कि आदेश किये जा रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मान्यवर, प्रधानमंत्री के पत्र पर भी यह सरकार चुस्त क्यों नहीं है और कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, 17-2-83 को यह पत्र प्राप्त हुआ। उस पत्र पर कार्यवाही की गई विभागाध्यक्षों और सचिवों को आदेश जारी किये जा रहे हैं। माननीय प्रधान मन्त्री ने जो पत्र लिखा है इन मुद्दों पर विभागाध्यक्षों और सचिवों के द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर के बारे में आदरणीय प्रधान मंत्री जी का जो पत्र मिला। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जो आदरणीय प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा उस पत्र की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं उस पत्र को माननीय सदन में पढने की कृपा करेंगे।

श्री अम्मार रिजवी—

मैं उसको पढ़ देता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

संक्षेप में आप बता दें।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

यह पत्र बहुत महत्वपूर्ण है यह दस्तावेज है। मान्यवर, आपका संरक्षण चाहता हूँ। आप मुख्य-2 बातें जरूर पढ़वाने की कृपा करें।

श्री अम्मार रिजवी—

"वी मस्ट इन्ट्रोड्यूस ग्रेटर पंक्चुअलिटी एण्ड प्रोम्प्टनेस इन डीलिंग विद आफीसियल वर्क एण्ड नान आफीसियल क्वेरीज।'

जो भी आफिशियल और नानआफिशियल जानकारी मांगी जाय उसमें जल्दी करनी चाहिये।

"वी ओन्ट नाट एण्ड डू नाट कन्डोन करप्सन आफ एनी काइंड वी मस्ट रिलेन्टलेसली पनिस एनी वन हू इज प्रूब्ड टू बी करप्ट."

किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। जो व्यक्ति भ्रष्टाचारी है उसको सजा मिलनी चाहिये। वगैर किसी रहम के सजा देनी चाहिए। लेकिन हर आदमी को भ्रष्ट कहने से काम नहीं चलेगा।

"वी हैव टू इन्क्रीज अवर डिफेंस प्रीपेयर्डनेस, व्हिच मीन्स इक्स्ट्रा एक्सपेन्डीचर टू दैट इक्सटेन्ट, देयरफोर लेस मनी विल वी एविलेविल टू स्पेण्ड आन सेलरीज गुड्स एण्ड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज वी मस्ट आल्सो मेनटेन दि टेम्पो आफ अवर डेवलपमेन्ट प्लान"

हमें अपने डिफेंस रक्षा के ऊपर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा तो इसका खर्च का असर दूसरी मदों पर पड़ेगा। जो हमारे डेबलपमेंट प्लान है उनको पूरी तरह से तेजी से क्रियान्वयन किया जाय।

श्री मोहन सिंह—

पढ़ा हुआ मान लीजिये।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

पूरा पढ़वा दीजिये ताकि सबको मालुम हो जाय कि प्रधान मंत्री सुधारने के लिये क्या कर रही हैं।

श्री अम्मार रिजवी—

"वी मस्ट इम्प्लेमेंट अवर प्लान्स कम्पलीट प्रोजक्ट्स आन टाइम. वी मस्ट आल्सो इम्लीमेन्ट दि प्रोग्रेम्स दैट इमिडिएटली बेनिफिट दि पुअर स्पेशली दि स्माल एण्ड मार्जिनल फार्मर्स, दि रूरल पुअर एण्ड दि अर्बन अनइम्प्लाएड."

हमारी जो योजनायें हैं उनका समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिये और जो पैदावार की शक्ति है उसको बढ़ाना चाहिये, जो गरीब आदमी हैं उसकी भलाई के लिये जो कार्यक्रम है उनपर तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिये। खासकर जो छोटे-छोटे किसान हैं जो गांव में गरीब रहता है और शहरों में जो अनइम्पलायड है उनके लिये जो योजनायें हैं तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिये।

"वी मस्ट ट्राई टू इन्क्रीज दि फैसिलिटीज फार दि मिडिल क्लास इन्सपेन्ड इम्पलाय-मेन्ट एपार्टिनिटीज फार देम एण्ड मेनटेन प्राइस स्टेविलिटी फार एसेन्शियल कन्जूमर आइटम्स.

आस्टेरिटी इज नाट ऐन इजी च्वाइस. बट इट हैज टू बी एक्सेप्टेड टू कान्सालिडेट अवर गेन्स टू बी प्रीपेयर्ड टू मीट दि चैलेन्जेज आफ टुडे एण्ड टुमारो. वी मस्ट डेडीकेट अवर सेल्व्स टू दिस टास्क एन्ड रिमेन विजिलेन्ट एगेन्स्ट आल फोर्सेस दैट ट्राई टू वीकेन और डिफीट अस."

जो मिडिल वर्ग के लोग हैं उनको अधिक से अधिक सुविधायें मिलनी चाहिए और उनको रोजगार के मौके दिये जाने चाहिये, कीमतों को बढ़ने से—रोका जाना चाहिये। मित्व्ययिता और सादगी से रहना कोई आसान चीज नहीं है। जो आज और कल की चुनौतियाँ हैं उनको स्वीकार करना चाहिये और उसके लिये हमें तैयार रहना चाहिए। हमें इस प्रकार का आचरण बनाना चाहिए कि हम उनका मुकाबला कर सकें। हमें पूरी तरह से इसकी तैयारी करनी चाहिये और जो शक्तियां हमें कमजोर करना चाहती हैं उनको शिकस्त देनी चाहिये और उनका मुकाबला करना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जब कोई प्रश्न स्वीकार किया गया है तो उसका उत्तर आने दीजिये ।

श्री अम्मार रिजवी—

"आई स्ट्रेट दिस प्वाइन्ट विकाज फार सम टाइम वी मे हैव टू पोस्टपोन अन प्राडक्टिव प्रोग्रेम्स विकाज आफ उत्तर लेक आफ रिसोर्सेज. दि कास्ट आफ इनर्जी हैज गान अप एण्ड इट्स कन्ज्यूप्सन मस्ट बी चेक्ड. वी मस्ट आल्सो फाइण्ड आल्टरनेटिव नान इक्जस्टिव सोर्सिज आफ इनर्जी."

(व्यवधान)

बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जो अनप्रोटक्टिव हैं····

(व्यवधान)

एक सदस्य—

इस तरह से जो सारा समय···

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, मेरा सवाल है···

श्री अध्यक्ष—

अभी समय है इसमें ।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है···

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं होती ।

श्री बदन सिंह—

मंत्री जी ने तो बहुत लम्बा-चौड़ा पत्र पढ़कर सुनाया तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जो आदेश दिये हैं, यह सभी विभाग के अधिकारियों को दिये हैं । तो यह बतायें कि अभी तक जो शासन चल रहा था, उसमें ऐसा न करने का क्या कारण था ?

श्री अम्मार रिजवी—

जब एक पत्र प्रधान मंत्री जी का आया और उन्होंने शासन को इसमें एडवाइस दी कि इस तरह से काम करना चाहिये, इसका यह तात्पर्य नहीं है कि अभी तक कोई काम ही नहीं चल रहा था । जो पालिसी, जो सुझाव दिये, उन पर पहले से ही कार्यवाही की जा रही थी लेकिन उस पर उन्होंने कहा कि और जोर दिया जाय । जैसा कि बदन सिंह जी ने कहा कि इस पत्र के आने के पहले किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो रही थी, ऐसी बात नहीं है, अच्छी तरह से कार्यवाही की जा रही है ।

श्री मीखा लाल—

श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रधान मंत्री जी ने यह महसूस किया कि उत्तर प्रदेश का शासन चुस्त नहीं है तभी यह पत्र लिखा। तो यह पत्र हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार की चरित्र पंजिका में एक प्रतिकूल प्रविष्टि है। मंत्री जी ने बताया कि हमने सब विभागाध्यक्षों को आदेश दे दिये हैं, मेरा ऐसा मत है कि अगर हमारा राजनीतिक नेतृत्व जो अगली कतारों में बैठे हैं, चुस्त नहीं हो तो लाबी में बैठे हुए हमारे अधिकारी भी चुस्त नहीं होंगे जिसे हम रोज प्रश्नोत्तरों के सम्बन्ध में देखते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी ने क्या कदम उठाया है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि यह पत्र प्रधान मन्त्री जी का देश के प्रत्येक मुख्य मन्त्री को, यहाँ तक कि विरोध पक्ष के मुख्य मंत्रियों को भी भेजा गया है। जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, यह तो अपनी-अपनी समझ की बात है। अगर प्रतिकूल प्रविष्टि है तो जिसके लिये है उसकी चिन्ता होनी चाहिये, दूसरे को चिन्ता होने की क्या आवश्यकता है।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में साफ कहा कि माननीया प्रधान मंत्री जी के इस पत्र के आने से पहले ही विभागाध्यक्षों को इस सम्बन्ध में लिखा गया था। पहले से कार्यवाही कर रहे थे। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि कौन-कौन से विभाग के अधिकारी थे जिनके बारे में आपको पता था कि अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। आपके पत्र लिखने के बाद उन्होंने क्या सुधार किया ?

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, माननीया प्रधान मन्त्री जी ने जरूरी समझकर ही सारे मुख्य मन्त्रियों को पत्र लिखा होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने कोई इवैलुयेशन कमेटी इस बात की बनाई है कि जो प्रधान मन्त्री जी ने पत्र लिखा है उसके अनुसार कितने काम हुये हैं कितने नहीं ?

श्री अम्मार रिजवी—

इस पर कोई कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं है। कमेटी तब बनाई जाती है जब गुण या अवगुण देखना हो। जब यह तय करना हो कि यह बात की जाय या न की जाय। यहाँ तो साफ है कि शासन प्रधान मंत्री के निर्देशों पर चल रहा है और उनको कार्यान्वित करेगा।

श्री दलगंजन सिंह—

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

(व्यवधान)

श्री दलगंजन सिंह —

पत्र इंदिरा गांधी की ओर से लिखा गया। मेरी बात सुन लें, मान्यवर। फिर आप एलाउ करें या न करें।

(व्यवधान)

मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री के पत्र लिखने के बाद क्या माननीय मुख्य मंत्री जी एक भी उदाहरण इस सदन में प्रस्तुत करेंगे जिसमें किसी भी अधिकारी को भ्रष्टाचार के अन्तर्गत सजा दी गयी हो या पदच्युत किया गया हो या मंत्रि मंडल में जो भ्रष्ट मंत्री हैं उनको निकाला गया हो ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

(व्यवधान)

श्री दलगंजन सिंह—

यह सवाल मान्यवर, सच्चाई बयान करता है।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको आज्ञा नहीं देता, आप बैठे दलगंजन सिंह जी।

श्री मोतीलाल देहलवी—

देश की प्रधान मंत्री जी ने हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा। मेरा अपना ख्याल है कि अगर उस पत्र का सही मायनों में कार्यान्वयन होता तो इस प्रदेश को काफी लाभ पहुंचता।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आपने उसके क्रियान्वयन की तरफ कतई ध्यान नहीं दिया। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उन्होंने विभागाध्यक्षों को लिखा कि भ्रष्टाचार रोकथाम के लिये कार्यवाही हो। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने विभागाध्यक्षों से इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त की है, अगर नहीं, तो क्या यह प्रधान मंत्री जी के पत्र की अवहेलना नहीं है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री मोतीलाल देहलवी जी बहुत पुराने और सक्रिय और तेज सदस्य हैं, मगर उनके मुकाबले में मैं तेजी कैसे कर सकता हूँ। 17 फरवरी को यह पत्र प्राप्त हुआ है। अब यह कल्पना करना कि उस पत्र पर यदि कार्यान्वयन होता तो स्थिति में सुधार हुआ होता, यह वे ही सोच सकते हैं। यह आटोमिक युग जरूर है, मगर जो आटोमिक तरीके से वे काम चाहते हैं वह सम्भव नहीं है। उस पत्र पर अभी कोई रिपोर्ट मंगाने का प्रश्न कहां पैदा होता है। अभी तो उस पत्र के आधार पर हमें इन्सट्रक्शन्स देने हैं, वह हम दे रहे हैं, सारी चीजों को उसके अनुसार स्टडी

करना है, कुछ समय बीत जाने पर ही यह सम्भव होगा कि रिपोर्ट मांगी जाय। अभी उसका सवाल कहां पैदा होता है ? हमें यह आशा है कि इससे और अच्छाई आयेगी।

प्रदेश में आई०ए० एस० और आई०पी०एस० अधिकारियों की सेवा निवृत्ति की आयु में विस्तार न किये जाने संबंधी कथित पत्र

****2—श्री मोहन सिंह—**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 83 में केन्द्रीय सरकार का कोई इस तरह का निर्देश मिला है कि 58 साल के बाद किसी स्तर पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को सेवा में विस्तार न दिया जाय ? यदि हां, तो पूरे प्रदेश में इस समय किन-किन आई.पी.एस. और आई.ए.एस. अधिकारियों को सेवा निवृत्ति की आयु समाप्त होने के बाद सेवा में विस्तार दिया गया है ? उनके सेवा विस्तार को कब तक समाप्त किया जा रहा है ?

श्री अम्मार रिजवी—

अभी यहाँ इस प्रकार का कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री मोहन सिंह—

मैं यह जानना चाहता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री या केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई ऐसा पत्र उत्तर प्रदेश की सरकार को प्राप्त हुआ है जिसमें यह कहा गया हो कि उत्तर प्रदेश में जो आई. ए. एस. तथा आई. पी. एस. अधिकारी हैं, उनको 58 वर्ष के बाद उनकी सेवा का विस्तार न किया जाय न ही कोई अन्य ऐसा लाभ दिया जाय जिसके अनुसार उनको सब मिलाकर वही वेतन और सुविधायें प्राप्त होने लगें जो उनको सेवा के समय प्राप्त थीं ? यदि हां, तो उस कसौटी पर कितने ऐसे अधिकारी हैं जिनकी सेवा में विस्तार किया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी—

अभी तक इस प्रकार का कोई पत्र, जैसा माननीय मोहनसिंह जी कहते हैं, प्रदेश सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

अभी कुछ दिन पहले एक इन्सट्रमैंट फैक्टरी के प्रबन्धक के संबंध में इसी सदन में एक प्रश्न आया था और उस समय माननीय उद्योग मंत्री जी ने इसको स्वीकार किया था कि केन्द्रीय सरकार ने इस प्रकार के निर्देश दिये हैं कि एक्सटेन्शन किसी को न दिया जाय, पर यह एक्सटेंशन इसके पहले दिया जा चुका है। तो उस समय एक प्रश्न के उत्तर में माननीय उद्योग मंत्री का वह उत्तर देना और आज जो उत्तर दिया जा रहा है दोनों में विरोधाभास है, अन्तर है। तो वास्तविकता क्या है, यह परस्पर विरोधी बयान क्यों आ रहे हैं ? इसे माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया स्पष्ट करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

उस पत्र के बाद किसी प्रकार का कोई एक्सटेन्शन नहीं हुआ है····

(शोर-व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा –

यह परस्पर विरोधी वक्तव्य है····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष —

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, कृपया बैठें।

श्री मुहम्मद आजम खां—

सरकार की यह नीति है कि इतनी उम्र में रिटायर कर दिया जायेगा, यह सही है और वह उम्र होने पर रिटायर कर देना चाहिये।····

(व्यवधान)

ऐसे जितने भी रिटायर्ड होते हैं उनको खुश करने के लिये या सरकार के करीब होने की वजह से जैसे सुन्नी बक्फ बोर्ड का सेक्रेटरी हमेशा रिटायर्ड आई०ए०एस० होता है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी सुन नहीं पाये थे, इसलिये दुबारा कह रहा हूँ। यह सही है कि किसी एक खास उम्र के बाद उसे रिटायर कर दिया जाता है क्योंकि उसके बाद उसमें उतनी सलाहियत नहीं रहती है। लेकिन फिर भी इनको किसी ऐसे आरगानाइजेशन या इसी सुन्नी वक्फ बोर्ड में अधिकारी बना दिया जाता है, इसे माननीय मंत्री जी रोकने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

सुन्नी वक्फ बोर्ड के बारे में प्रश्न नहीं हो सकता है।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, लगता है कि माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। मूल प्रश्न के उत्तर में उन्होंने उत्तर दिया कि कुछ नहीं मिला और जब अनुपूरक प्रश्न पूछा गया तो उन्होने कहा कि पत्र मिलने के बाद किसी की सेवा में विस्तार नहीं किया गया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जिस पत्र मिलने के बाद आपने सेवा में विस्तार नहीं किया वह पत्र कौन सा है ? मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि पत्र मिलने के बाद कितने लोगों को जिनकी पहले से ही सेवा में विस्तार कर दिया गया था रिटायरमेंट होने के बाद भी और उनकी संख्या क्या है और उस पत्र में जिस चीज का उल्लेख किया गया है वह किस संदर्भ में है और उसकी रोशनी में कितने लोगों का सेवा में विस्तार किया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जो बात मैंने कही शायद मैं माननीय सदस्य को समझा नहीं पाया। माननीय श्री ओझा जी ने हवाला दिया तो मैंने उनसे कहा कि इस पत्र के बाद कहीं भी इस तरह का एक्सटेन्शन नहीं हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार को कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय श्री ओझा जी ने जिस पत्र का हवाला दिया उस पत्र का मैंने उत्तर दिया था। मैं पूरी जिम्मेदारी से इसका उत्तर दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का अभी तक यह पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

अतारांकित प्रश्न

साकेत दुग्धशाला फैजाबाद द्वारा दुग्ध का क्रय, कुल आय व लाभ-हानि का विवरण

1—**श्री रामआसरे वर्मा**—

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि साकेत दुग्धशाला फैजाबाद द्वारा दिसम्बर, 1978 से अप्रैल, 1979 तक दूध खरीद में कितने रुपये खर्च किए गये और उनसे कितने रुपये की कुल आमदनी की गयी तथा लाभ और हानि का विवरण क्या है ? क्या यह सही है कि तत्कालीन प्रबन्धक (श्री हरिराम बावेजा) की नीतियों के कारण दुग्धशाला को काफी धक्का पहुँचा है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री संजय सिंह—

साकेत दुग्धशाला फैजाबाद द्वारा दिसम्बर, 1978 से अप्रैल, 1979 तक कुल रुपये 2,83,152.77 का दूध खरीदा गया जिसकी बिक्री से कुल रुपये 3,55,375.53 की आय हुई। प्रश्नगत अवधि का लाभ हानि का विवरण देना सम्भव नहीं है क्योंकि लाभ हानि का वार्षिक विवरण तैयार किया जाता है जिसके अनुसार वर्ष 1978-79 में साकेत डेरी फैजाबाद को कुल रुपये 10,76,572.52 की हानि हुई थी। प्रश्न में श्री हरीराम बावेजा, तत्कालीन प्रबन्धक की नीतियों का कोई निश्चित उल्लेख नहीं है अतः प्रश्न के इस अंश का उत्तर नहीं दिया जा सकता।

प्रश्न नहीं उठता।

गाजियाबाद जनपद में तस्करों के सरगना धर्मपाल और उसके गिरोह द्वारा श्री राम आसरे गुप्ता के साथ दुर्व्यवहार किये जाने की घटना

2—**श्री राम आसरे वर्मा**—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद जनपद में तस्करों के सरगना धर्मपाल और उसके गिरोह ने दिनांक 6-8-82 को श्री राम आसरे गुप्ता के साथ दुर्व्यवहार किया जिसकी लिखित सूचना जिलाधिकारी, गाजियाबाद को दी गयी ? यदि हाँ, तो शासन ने अपराध कर्मियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं; तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

दोनों पक्षों में दिनाँक 6-8-82 को नहीं, अपितु दिनांक 6-7-82 को एक विवाद हुआ था। पक्षों में पारस्परिक समझौता हो चुका है।

3—**श्री राम आसरे वर्मा**—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

4—**श्री राम आसरे वर्मा**—

[दिनाँक 8-2-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 75 द्वारा उत्तरित]

5—**श्री राम आसरे वर्मा**—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

नोट:—अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

जनपद हरदोई में हरपालपुर अखल मार्ग के निर्माण हेतु अर्जित की गई भूमि तथा प्रतिकर का भुगतान

6—**श्री हरी शंकर**—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 7वें मंगलवार को उत्तरित अता० प्रश्न संख्या 84 के उत्तर के वर्णित 79 कृषकों के नाम पते अर्जित क्षेत्रफल, प्रतिकर की धनराशि व भुगतान की तिथि क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 7वें मंगलवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 84 में वर्णित 79 कृषकों की कुल 18 बीघा 5 बिसवा 11 बिस्वांसी स्थाई भूमि तथा 21 बीघा 1 बिस्वा 13 बिस्वांसी अस्थाई भूमि जनपद हरदोई में हरपालपुर अरवल मार्ग के निर्माण हेतु रूरल डेवलपमेंट ऐक्ट के अन्तर्गत अर्जित की गई थी तथा उसकी प्रतिकर की धनराशि रु० 73,110-00 तथा रु० 10,541-25 का भुगतान तहसीलदार, बिलग्राम द्वारा दिनाँक 15 अप्रैल 1980 से 26 अगस्त, 1981 के बीच चैक द्वारा कर दिया गया था। कृषकों की सूची जिसमें उनका नाम पता, अर्जित क्षेत्रफल व प्रतिकर की धनराशि और भुगतान की तिथि अंकित है, माननीय सदस्य सार्वजनिक निर्माण मंत्री के कक्ष में देख सकते हैं।

थाना बिलग्राम, जिला हरदोई में पुलिस व अपराधियों के बीच कथित मुठभेड़ तथा सी०आई०डी० द्वारा जाँच

7—**श्री हरी शंकर**—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 10-11 फरवरी, 1981 का थाना बिलग्राम, जिला हरदोई में ग्राम नूरपुर हथौड़ा में चार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की हत्या कथित मुठभेड़ में होने के सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच की गयी ? यदि हां, तो उसकी जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ। परगना मजिस्ट्रेट, बिलग्राम, हरदोई जाँच अधिकारी इस घटना की मजिस्टीरियल जाँच से इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि पुलिस व अपराधियों के बीच मुठभेड़ पुलिस द्वारा गढ़ी हुई कपोल कल्पित कहानी है और निर्दोष व्यक्तियों को पुलिस मुठभेड़ में मारा जाना दिखाया गया है। यह पुलिस मुठभेड़ नहीं थी और न किसी मुखबिर ने डकैती पड़ने की थानाध्यक्ष को सूचना दी थी। घटना का उत्तरदायित्व थानाध्यक्ष तथा श्री मुमताज हुसेन, प्रधान निवासी तकिया इमामनगर तथा पुलिस पार्टी के कर्मचारियों व अधिकारियों पर पाया गया।

चूंकि श्री फौजदार जो मृतकों को मजदूरी के लिए बुलाकर लाया था, ने अपने शपथ पत्र को अस्वीकार किया है और अपने बयान में मृतकों को लाने की बात से इन्कार किया है इसलिये न्याय की दृष्टि से इस घटना की जाँच सी०आई०डी० से भी करवाये जाने की संस्तुति पर शासन द्वारा मामले की जाँच सी०आई०डी० से करवाई जा रही है, जो प्रचलित है।

मेरठ नगर में दंगा ग्रस्त क्षेत्रों के थानों के अन्तर्गत बम विस्फोट, चाकूबाजी, आगजनी के पंजीकृत अभियोग

8—**श्री मन्जूर अहमद**—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 29-9-82 व 30-9-82 की रात्रि में मेरठ के दंगाग्रस्त क्षेत्रों के थानों के अन्तर्गत कितने बम विस्फोट हुए, चाकूजनी और आगजनी के कितने केस रजिस्टर किए गये हैं ? कितने आदमी मरे हैं ? कितने जख्मी हुए हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 29-9-82 व 30-9-82 की रात्रि में मेठर नगर के दंगाग्रस्त क्षेत्रों के थानों के अन्तर्गत केवल एक बम विस्फोट की घटना हुई। चाकूबाजी की कोई घटना नहीं हुई। आगजनी की केवल एक घटना हुई। इस संबंध में दो अभियोग पंजीकृत किये गये।

उक्त घटनाओं में कोई व्यक्ति नहीं मरा। सात व्यक्ति घायल हुये थे।

थाना मुसकरा, हमीरपुर के निवासी श्री कुंज बिहारी की हत्या तथा नामजद अभियुक्तों द्वारा न्यायालय में आत्म समर्पण

9—**श्री भीखालाल**—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गहरौली थाना मुसकरा, जिला हमीरपुर के निवासी कुंज बिहारी की हत्या दिनांक 13-1-83 को कर दी गयी ? यदि हाँ, तो हत्या के मामले में कौन से अभियुक्त नामजद हैं और उनकी गिरफ्तारी अब तक हुई अथवा नहीं और चार्जशीट अदालत में भेजी गयी अथवा नहीं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ।

इस संबंध में थाना मुसकरा, हमीरपुर में उसी दिन मु.अ.स. 9/1982 के अन्तर्गत धारा 302 भा.दं.वि. पंजीकृत हुआ है। जिसके नामजद अभियुक्त (1) मूल चन्द्र पुत्र गया प्रसाद पाण्डेय (2) मिथलेश उर्फ बच्चन पुत्र राम सहाय दुबे (3) मिथलेश उर्फ राजेन्द्र कुमार पुत्र गया प्रसाद गुरुदेव व (4) अरुण कुमार उर्फ गुल्लू पुत्र रामेश्वर गुरुदेव हैं।

चारों अभियुक्तों ने दिनांक 25-1-82 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया।

विवेचना के उपरान्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 27-3-82 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में सीनियर नोटर ड्रफ्टर के रिक्त पद

10—**श्री भीखालाल**—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में सीनियर नोटर ड्राफ्टर के पद रिक्त होते हुए भी विभाग द्वारा अनाधिकृत रूप से सुपर-सीड किए गए वरिष्ठ नोटर ड्राफ्टरों की पदोन्नति नहीं की जा रही है ? यदि हाँ, तो

क्यों ? क्या यह भी सही है कि प्रमुख अभियन्ता के अधीनस्थ भारत जनसंख्या परियोजना एस. एन. डी. एवं जे. एन. डी. के पदों पर प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के कर्मचारियों की पदोन्नति न करके वृत्तीय कार्यालय के कर्मचारियों को अनाधिकृत रूप से सम्बद्ध किया गया है। यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं। प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में सीनियर नोटर ड्राफ्टर का कोई पद रिक्त नहीं है। अतः पदोन्नति न किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रमुख अभियन्ता के अधीन भारत जनसंख्या परियोजना वर्ग में प्रमुख अभियन्ता संवर्ग में कोई वृत्तीय एस.एन.डी. एवं जे.एन.डी. कार्यरत नहीं हैं।

श्रीमती सुदामा देवी की पुत्री के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा बलात्कार किये जाने संबंधी प्रार्थना पत्र

11-12—**श्री भीखा लाल**—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सुदामा देवी पत्नी श्री दया राम, निवासी ग्राम भगवन्त नगर बरदाही, थाना बिहार जिला उन्नाव ने दिनांक 26-10-81 को पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की निर्मला को पुलिस चौकी भगवन्त नगर के सिपाही राम नरेश सिंह तथा अन्य पाँच व्यक्ति जबरदस्ती घर से उठा ले गए और पुलिस चौकी भगवन्त नगर में सामूहिक बलात्कार किया और उसके बाद लड़की को जान से मार डालने की नियत से पानी की टंकी में डाल दिया ?

क्या इस वाकए की रिपोर्ट थाना बिहार में उसके अनुरोध के बावजूद धारा 363/366 के अधीन केवल राम चन्द्र आपरेटर के खिलाफ लिखी गयी ? यदि हाँ, तो क्या इसकी जाँच कराई गयी और पुलिस सिपाही समेत सभी व्यक्तियों पर मुकदमा कायम कराया गया, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री श्रीपत राम, भूतपूर्व सिपाही, राजकीय रेलवे पुलिस की भविष्य निधि का भुगतान

13—**श्री भीखा लाल**—

क्या मुख्य मंत्री जी श्री जयराम सिंह भूतपूर्व विधायक को मुख्य मन्त्री द्वारा लिखे गए अर्धशासकीय पत्र संख्या एम/7348/सी०एम०/77 दिनाँक 24 दिसम्बर, 1977 तथा एम०/369/सी०एम०/78 दिनाँक 30 जनवरी, 1978 के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्रीपतराम, भूतपूर्व सिपाही राजकीय रेलवे पुलिस की भविष्य निधि का पैसा अब तक अदा कर दिया गया अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र —

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री श्रीपत राम के जी०पी०एफ० खाते में कोई धनराशि भुगतान हेतु शेष नहीं है।

विद्युत वितरण खण्ड, उन्नाव में श्री हरी ओम श्रीवास्तव तथा श्री राज बहादुर को नियमित कर दिये जाने के आदेश

14—**श्री भीखा लाल**—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत वितरण खण्ड उन्नाव में श्री हरी ओम श्रीवास्तव तथा श्री राज बहादुर पिछले 12 वर्षों से वर्कचार्ज में काम कर रहे हैं लेकिन उनको अभी तक परिषद् के पत्रांक 345-के/एस०ई०वी०/(वी) 65ए/66, दिनाँक 12-10-71 में दिये गये आदेशों के अनुसार स्थायी नहीं किया गया है ? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

श्री हरीओम श्रीवास्तव को दिनाँक 26 दिसम्बर, 1972 से ड्राफ्टसमैन के पद पर नियमित कर दिया गया है। श्री राज बहादुर को रिक्त पद पर समायोजित करने का मामला राज्य विद्युत परिषद् के विचाराधीन है।

श्री दर्लसिगार धोबी, थाना कप्तानगंज, जिला बस्ती द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिये गये शिकायती पत्रों की जांच

15—**श्री भीखा लाल**—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दर्लसिगार धोबी निवासी ग्राम हरिवंशपुर, थाना कप्तानगंज जिला बस्ती ने दिनाँक 20-11-81 को पुलिस अधीक्षक, बस्ती तथा 24-11-81 को पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश को प्रार्थना-पत्र देकर यह शिकायत की थी कि कप्तानगंज थाने के इन्चार्ज श्री शम्भू नाथ ने उससे 600 रुपया रिश्वत ली और दिनाँक 5-2-82 को पुनः पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना-पत्र देकर शिकायत की कि उक्त थानेदार तथा थाने के सिपाही उसको धमकी दे रहे हैं कि यह अपना शिकायती-पत्र वापस ले लें वरना उसे झूठे मुकदमों में फंसा कर बरबाद कर दिया जायगा ? यदि हां, तो उक्त शिकायती-पत्रों पर जांच कराकर कोई कार्यवाही की गयी अथवा नहीं और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ। जाँच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए। प्रश्न के शेष अंश का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अक्षयवर राम के प्रार्थना पत्र पर विद्युत परिषद द्वारा आवश्यक जांच

16—**श्री भीखालाल**—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अक्षयवर राम ग्राम व पोस्ट पसेवा, जिला जौनपुर के प्रार्थना-पत्र 21-11-78 के संदर्भ में अनुसूचित, विद्युत (3) अनुभाग के पत्र संख्या 6891 पी-3/78-23-1106/78, दिनाँक 17 जनवरी, 1979 जो अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, लखनऊ को भेजा गया था उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी और यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ श्री अक्षयवर राम के प्रार्थना-पत्र दिनाँक 21-11-78 के संदर्भ में विद्युत

परिषद् द्वारा आवश्यक जाँच की गयी जिसमें यह पाया गया कि उपभोक्ता का कथन सही नहीं है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में विद्युत वोल्टेज नहीं मिलते रहे. क्योंकि जिस ट्राँसफार्मर से उन्हें विद्युत सप्लाई दी जा रही थी उसी से अन्य उपभोक्ताओं को भी विद्युत आपूर्ति की जा रही थी, जिनके नलकूल उनसे भी अधिक दूरी पर स्थित हैं। उन्हें किसी प्रकार की वोल्टेज की शिकायत नहीं थी, जहाँ तक ट्राँसफार्मर के खराब होने की बात है, खराब होने पर विभाग द्वारा उचित समय के अन्तर्गत उसको बदल दिया गया था। इसलिये इनके विद्युत बिल को माफ करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री जितेन्द्र शर्मा द्वारा गंगा नहर हस्तिनापुर में निर्माणाधीन पुल का एक भाग ध्वस्त होने से क्षति के संबंध में पत्र

17—**श्री भीखालाल**—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जितेन्द्र शर्मा, निवासी भूड़ भारतनगर गली, आर्य समाज गाजियाबाद, ने अपने पत्र दिनाँक 7-8-82 द्वारा जिलाधीश, मेरठ को तथा उसकी प्रतिलिपि उन्हें पृष्ठांकित करके सूचना दी है कि सेतु निगम द्वारा मध्य गंगा नहर हस्तिनापुर में निर्माणाधीन पुल का एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया जिससे लगभग एक लाख रुपए का नुकसान हुआ ? यदि हां, तो इस आर्थिक नुकसान के लिए कौन दोषी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

रैलीज इण्डिया, कैमिकल्स मगरवारा, जिला उन्नाव में गोली काण्ड में मृत व्यक्तियों की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट

18—**श्री भीखालाल**—

क्या मुख्य मन्त्री 3 जनवरी, 1982 को रेलीज इण्डिया, कैमिकल्स मगरवारा, जिला उन्नाव में गोली काण्ड में मारे गये श्री राम नरेश वर्मा व राम नरेश त्रिपाठी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

वांछित पोस्ट मार्टम रिपोर्ट का हिन्दी रूपान्तर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

ग्राम मलौली गोसाई, थाना छावनी, जिला बस्ती में डकैती तथा हत्या

19—**श्री भीखा लाल**—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 23 जून, 1982 को रात को ग्राम मलौली गोसाई, थाना छावनी, जिला बस्ती में सर्वश्री जानकी प्रसाद, छोटे लाल, श्री राम झिकन, राम सुमेर, रामेश्वर, बछर आदि के घरों में डकैतों ने लूटा और तीन व्यक्तियों की हत्या कर दी ? यदि हाँ, तो क्या डकैतों का पता लगाकर उनका चालान किया गया है और लूट का कोई सामान बरामद हुआ है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम मलौली गोसाई थाना छावनी जिला बस्ती में दिनांक 23/24-6-82 की रात्रि में करीब एक बजे 10-12 डकैत असलहों व लाठी से लैस होकर

सर्व श्री जानकी प्रसाद, छोटे लाल, रामकेवल, झिनकन, रामसुमेर, रामेश्वर व बदर के घरों में डकैती डाले एवं सर्वश्री बददर व घनश्याम सिंह घटनास्थल पर ही डकैतों द्वारा जान से मार डाल गये। डकैतों की मार से घायल श्री सुमेर की मृत्यु सदर अस्पताल फैजाबाद में हुई। इस घटना से संबंधित थाना छावनी पर पंजीकृत अभियोग की विवेचना से कुल 10 डकैत प्रकाश में आये जिनमें से छः डकैतों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया एवं तीन डकैतों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। एक डकैत जयराम यादव अब भी फरार है। लूटी गई सम्पति बरामद नहीं हो पाई। आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है।

अध्यक्ष बुद्ध बिहार संचालक समिति, नौरंगाबाद छावनी, जिला अलीगढ़ द्वारा दिये गये शिकायती पत्र की जांच

20 **श्री भीखा लाल**

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष बुद्ध बिहार संचालक समिति, नौरंगाबाद छावनी, जिला अलीगढ़ ने दिनांक 16-7-82 को जिलाधीश, अलीगढ़ को शिकायती प्रार्थना-पत्र दिया है कि 10 जुलाई, 1982 की रात को नौरंगाबाद चौकी की पुलिस ने बुद्ध बिहार पर छापा मारकर बुद्ध भिक्षुकों को पीटा, गाली-गलौज करके बेइज्जत किया ? यदि हां, तो क्या इसकी जाँच कराई गयी और दोषी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ। सम्पूर्ण मामले की जाँच एस०आई०एस० द्वारा कराई जा रही है। विवेचना प्रचलित है।

ठाकुर भवानी सिंह बुन्देला, प्रधान ग्राम सभा कठवर, जिला ललितपुर द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र में शिकायतों की जांच

21—**श्री भीखा लाल—**

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ठाकुर भवानी सिंह बुन्देला प्रधान ग्राम सभा कठवर, थाना बार, जिला ललितपुर ने गृह सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को प्रार्थना-पत्र दिनाँक 12-7-82 देकर शिकायत की है कि दिनांक 1-5-82 को जिस समय प्रधानों के चुनाव की मत गणना विकास खण्ड कार्यालय बार पर चल रही थी थाना अध्यक्ष, बार ने उसको पकड़ कर मार-पीट की और बन्द कर दिया रुपया छीना तथा घर की लूट की और फर्जी मुठभेड़ दिखा कर मार डालने की धमकी दी ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच कराई गयी और जाँच का क्या परिणाम निकला ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां।

मामले की जाँच भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा प्रगति में है।

पशुधन एवं कृषि फार्म नीलगांव, जिला सीतापुर में मुर्रा भैंसों की मृत्यु की जांच

22—**श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री श्याम नारायन तिवारी—**

क्या पशुधन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पशुधन एवं कृषि फार्म नीलगाँव, जिला सीतापुर पर सम्बन्धित फार्म सुपरिटेंडेंट (एफ० एस०) की लापरवाही से गत माह

सितम्बर, 1982 में 6 मुर्रा भैंसों की मृत्यु हो गयी ? यदि हाँ, तो इसके कारणों की जाँच कराकर उनके विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री संजय सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ स्थित विधायक निवासों राज्य अतिथि गृहों तथा अधिकारी विश्राम गृहों में आवास कक्षों की संख्या, स्टाफ का विवरण

23—**श्री राम आसरे वर्मा—**

क्या राज्य सम्पत्ति मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित समस्त विधायक निवासों में अलग-अलग कितने कक्ष हैं और उनकी देखभाल के लिए क्रमशः कितना-कितना स्टाफ है ? राज्य अतिथि गृहों एवं अधिकारी विश्राम गृहों में आवास कक्षों एवं अलग-अलग स्टाफ की स्थिति क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन लखनऊ स्थित विधायक निवासों, राज्य अतिथि गृहों तथा अधिकारी विश्राम गृहों में आवास कक्षों की संख्या तथा उनकी देखभाल के लिये उपलब्ध स्टाफ का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्रम सं०	यूनिट का नाम	आवासीय कक्षों की संख्या	तैनात स्टाफ की संख्या
1	2	3	4
1	विधायक निवास–1 (दारूल शफा ए. तथा सी. ब्लाक)	211	113
2	विधायक निवास–2 (दारूल शफा बी. ब्लाक)	101	78
3	विधायक निवास–2(नया ब्लाक)	60	
4	विधायक निवास–3 (पुराना विधायक निवास)	18	121
5	विधायक निवास–4 (रायल होटल)	133	
6	(क) विधायक निवास–5	28	40
	(ख) आफिसर्स होस्टल मीराबाई मार्ग	44	
7	विधायक निवास–6 (पार्क रोड)	42	23
8	राज्य अतिथि गृह मीराबाई मार्ग	38	49
9	विशिष्ट अतिथि गृह 4 ए., कालीदास मार्ग	5	3
10	अधिकारी विश्राम गृह गौतम पल्ली	7	12

श्रेणी–4 के 2 कर्मचारी सर्वेन्ट क्वाटर्स की सफाई के लिये कार्यरत हैं ।

सब इन्सपेक्टर, पुलिस को मोटर साइकिल खरीदने के लिए दिये गये पैसे में वृद्धि की माँग

24—**श्री रेवती रमण सिंह**—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सब इन्सपेक्टर पुलिस को 3000 रुपया मोटर साइकिल खरीदने के लिए दिया जाता है ? क्या उस पैसे में वृद्धि करेंगे जिससे कि वे मोटर साइकिल खरीद सकें ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सब-इन्पेक्टर पुलिस को मोटर साइकिल खरीदने के लिये मोटर साइकिल के मूल्य का 40% या रु० 2,500 जो भी कम हो, राज सहायता के रूप में देने की व्यवस्था है। राज सहायता की उक्त दर में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

25—**श्री रेवती रमण सिंह**—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

वाराणसी जिले की चकिया तहसील में वन भूमि में बाँस का रोपण तथा व्यय

26—**श्री ऊदल**—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील चकिया, जिला वाराणसी में बांस की रोपावनी 57 से 75 तक बड़े पैमाने पर की गयी थी ? जिसमें लाखों रुपया खर्च किया गया है ? यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है कि कहीं भी बाँस के जंगल दो चार फीसदी से ज्यादा नहीं हैं ? क्या इसकी जाँच की जायगी ?

श्री संजय सिंह—

जी हां। वाराणसी जिले के चकिया तहसील में 1966 से 1975 तक (न कि सन् 57 से 75 तक) 18,879 हेक्टर वन भूमि में बाँस का रोपण किया गया, जिस पर कुल रुपया 39,13,100 व्यय हुआ। यह कहना उचित न होगा कि कहीं भी यह बांस रोपण दो चार फीसदी से अधिक सफल नहीं रहा। वास्तविक स्थिति यह है कि इन बांस रोपावनियों का मूल्याँकन पहले ही जून, 1978 में वन संरक्षक, दक्षिणी वृत द्वारा कराया गया था जिसके परिणामस्वरूप रोपित क्षेत्र को सफलता के आधार पर निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया गया :—

1—वर्ग "क"—50 प्रतिशत से अधिक सफलता का क्षेत्र	—4968 हे०
2—वर्ग "ख"—15 प्रतिशत से अधिक व 50 प्रतिशत से कम सफलता का क्षेत्र	—4439 हे०
3—वर्ग "ग"—15 प्रतिशत से कम सफलता का क्षेत्र	—9432 हे०
योग :—	18,879 हे०

वाराणसी वन प्रभाग के नौगढ़ क्षेत्र में वन भूमि पर नाजायज तरीके से भू-स्वामियों द्वारा कथित कब्जा

27—**श्री ऊदल**—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील चकिया, जिला वाराणसी के नौगढ़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वन भूमि को नाजायज तरीके से बड़े-बड़े भू-स्वामियों ने कब्जा कर

लिया है ? क्या इसकी कोई जाँच पहले 57 के बाद से की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री संजय सिंह—

वाराणसी वन प्रभाग के तहसील चकिया जिला वाराणसी के नौगढ़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वन भूमि पर नाजायज तरीके से बड़े-बड़े भू-स्वामियों द्वारा कब्जा करने की बात सत्य नहीं है।

अतिक्रमणों से सम्बन्धित शासनादेश दिनाँक 1-11-1975 के द्वारा की गयी व्यवस्था तथा दिये गये निर्देशों के अनुसार चकिया तहसील के रक्षित वन क्षेत्रों के मौके की पैमाइश कराई गई थी और सबूतों के आधार पर नियमितीकरण की कार्यवाही की गई।

मन्दिर व थाना फूलपुर, जिला वाराणसी के ऊपर विद्युत बिल के बकाया की वसूली

28—**श्री ऊदल —**

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना फूलपुर जिला वाराणसी के ऊपर कई वर्षों से मन्दिर व थाने के ऊपर हजारों रुपये का बिजली का बिल बकाया होने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र माननीय मुख्य मंत्री को 19 अगस्त, 1982 को लिखा था ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

माननीय विधायक का पत्र दिनाँक 19-8-82 जो माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा गया था वह प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है।

जहाँ तक मन्दिर व थाना फूलपुर जिला वाराणसी के ऊपर बिजली के बिल के बकाये का प्रश्न है इस थाने में तीन कनेक्शन हैं, जिसमें एक शिव मन्दिर का भी है। इनमें से कनेक्शन संख्या–36 एल० ए० जो श्री त्रिलोकी सिंह, भूतपूर्व थानेदार के नाम है, के विरुद्ध रु० 952-81 बकाया है एवं कनेक्शन संख्या–37 एल० ए० जो कि शिव मन्दिर का कनेक्शन है, इस पर रु० 838-54 बकाया है और इसका विद्युत विच्छेदन कर दिया गया है तथा कनेक्शन संख्या–51 एल० ए० जो पुलिस स्टेशन कार्यालय का है, उस पर रु० 3139-66 बकाया है।

शिव मन्दिर के बकाये की वसूली हेतु उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) अधिनियम-1958 की धारा 5 के अन्तर्गत नोटिस जिलाधिकारी वाराणसी, को भेजी जा चुकी है तथा पुलिस विभाग से संबंधित बकाये की धनराशि के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को भी शीघ्र भुगतान कराने हेतु लिखा गया है।

कनोडिया केमिकल्स, रेणुकूट को बिजली देने के संबंध में पत्र पर कृत कार्यवाही

29—**श्री ऊदल—**

दिनाँक 24-8-82 के अतारांकित प्रश्न संख्या 167 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कनोडिया केमिकल्स, रेणुकूट को 19-8-82 को पूरी बिजली देने का आदेश दिया गया है न कि 17-4-82 को जिस दिन पावर कट उठाने का आदेश हुआ था क्या 19-8-82 से ज्वाइंट इंस्पेक्शन तथा दूसरी आवश्यकताएं पूरी कर ली गयी और पावर दिया जा रहा है ? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र भी मा० मुख्य मंत्री

को 24 अगस्त, 82 को लिखा था उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

हजरतगंज थाना, लखनऊ में फर्जी शैक्षिक डिग्री प्राप्त किये खाण्डसारी निरीक्षक के विरुद्ध कृत कार्यवाही

30—**श्री दामोदर शर्मा—**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन चीनी आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने अपने पत्रांक 5298/स्था० दिनाँक 16-11-78 के द्वारा पंजीकृत डाक संख्या 2226 दिनाँक 18-11-78 द्वारा थाना हजरतगंज में लखनऊ फर्जी शैक्षिक एम० ए० की डिग्री प्राप्त किये किसी खाण्डसारी निरीक्षक के विरुद्ध एफ० आई० आर० दर्ज कराई है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना हजरतगंज लखनऊ में दिनाँक 16-11-78 के किसी पत्र द्वारा कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रश्नगत अधिकारी द्वारा फर्जी शैक्षिक एम० ए० की डिग्री प्राप्त किये किसी खण्डसारी निरीक्षक के विरुद्ध दर्ज होना नहीं पाई गई और न ही कथित पंजीकृत डाक थाने पर प्राप्त हुई है ।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की मांग

31—**श्री जयदीप सिंह बरार—**

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के देहात क्षेत्र में पिछले 7 वर्ष से शाम के 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक प्रायः बिजली नहीं दी गयी है ? क्या यह सही है कि वहां के रोशनी के लिए बिजली के उपभोक्ताओं से बिल का पैसा बाकायदा लिया जाता है ? क्या सरकार शाम के 6 बजे से रात्रि के 9 बजे तक देहाती क्षेत्र को, रोस्टरिंग के अनुसार रोशनी के लिए बिजली देने की कृपा करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ऐसे आदेश पारित कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों के रोशनी के उन उपभोक्ताओं को जिन्हें ग्रामीण फीडर की निर्धारित अवधि में ही विद्युत आपूर्ति की जाती है एवं पीक आवर्स में विद्युत आपूर्ति नहीं की जाती है, ऐसे उपभोक्ताओं से वर्तमान में न्यूनतम देयक नहीं लिया जाता है बल्कि उपभोगित यूनिट का ही चार्ज लिया जाता है ।

विद्युत उपलब्धता एवं उसके उपभोग की आवश्यकता को देखते हुये अभी राज्य विद्युत परिषद् के लिये समस्त ग्रामीण क्षेत्रों को सायंकाल 6 से 9 बजे (पीक आवर्स) में विद्युत आपूर्ति करना सम्भव नहीं है क्योंकि इन घन्टों में विद्युत उपलब्धता और माँग में भारी अन्तर रहता है ।

यू० पी० स्टेट ब्रिज कारपोरेशन इम्पलाइज यूनियन द्वारा सामूहिक अवकाश सम्बन्धी पत्र में दी गयी मांगें तथा कर्मचारियों का नियमितीकरण

32—**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—**

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० स्टेट ब्रिज कार-

पोरेशन इम्पलाइज यूनियन ने सेतु निगम के प्रबन्धकों तथा उत्तर प्रदेश सरकार की भेदभावपूर्ण एवं उपेक्षापूर्ण नीति के विरोध में दिनाँक 16-8-82 से 18-8-82 तक के तीन दिनों के लिए सामूहिक अवकाश सम्बन्धी पत्र दिया था ? यदि हाँ, तो इस पत्र में मुख्य-मुख्य क्या माँगें थीं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

33—**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री —**

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह भी बतायेंगे कि दैनिक वेतन/कार्य प्रभारित/एडहाक/संहत वेतन पर कार्य करने वाले वर्ष 1978 से 1979 के बीच नियुक्त कितने कर्मचारी हैं जिन्हें तीन वर्ष पूरे करने पर भी नियमित नहीं किया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ए० डी० एम० सिटी एवं एस० पी० (सिटी) का मेरठ जनपद से स्थानान्तरण

34 **श्री मंजूर अहमद—**

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 17-8-82 को प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है, जिसमें नगर मेरठ के ए० डी० एम० सिटी एवं सिटी मजिस्ट्रेट आदि के मेरठ से बाहर स्थानान्तरण करने की माँग की गयी थी ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र —

जी हाँ । प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनाँक 17 अगस्त, 1982 जाँच हेतु जिलाधिकारी, मेरठ को भेज दिया गया था । जाँच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है । तत्कालीन ए० डी० एम० (सिटी) तथा एस० पी० (सिटी) का मेरठ जनपद से स्थानान्तरण हो चुका है ।

देहली गेट कबाड़ी बाजार, मेरठ नगर में स्थित इलाहाबाद बैंक को लूटने के सम्बन्ध में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही

35—**श्री मंजूर अहमद —**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनाँक 7-8-82 का जो देहली गेट कबाड़ी बाजार, मेरठ नगर में स्थित इलाहाबाद बैंक को योजनाबद्ध तरीके से लूटने के सम्बन्ध में था उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो मुल्जिमान कौन-कौन थे और उनके खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ ।

प्रश्नकर्त्ता घटना के सम्बन्ध में थाना देहली गेट पर धारा 395/397 भा० दं० वि० के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत किया गया। विवेचना से निम्न अभियुक्त प्रकाश में आये :—

(1) राजेन्द्र कुमार

(2) प्रमोद कुमार

(3) जगत

दिनाँक 29-9-82 थाना बहेड़ी, जनपद बरेली में अभियुक्त प्रमोद कुमार धारा 60 आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार हुआ। उसने प्रश्नगत डकैती का इकबाल किया और अपने साथ निम्न साथी बताये :—

(1) स्वयं प्रमोद कुमार (2) राजेन्द्र कुमार (3) जगत (4) राजू उर्फ राजेन्द्र कुमार (5) सुभाष सुनार (6) राजेश (7) भेली उर्फ सुरेश चन्द्र

अभियुक्त प्रमोद कुमार का वारन्ट बनवाकर उसे स्थानान्तरित कराने हेतु बरेली जेल भेजा गया है। अभियुक्त राजेन्द्रकुमार न्यायालय हाजिर होकर जेल गया। अभियुक्तगण सुरेश चन्द्र उर्फ भेली तथा राजू उर्फ राजेन्द्र कुमार गिरफ्तार करके जेल भेजे गये। अभियुक्तगण प्रमोद कुमार व राजेन्द्र कुमार का चालान आरोप-पत्र द्वारा न्यायालय किया गया। अभियुक्त सुरेश चन्द्र उर्फ-भेली धारा 169 दं.प्र.सं. में रिहा हुआ। अभियुक्त राजू उर्फ राजेन्द्र कुमार की कार्यवाही गिनाख्त तथा अभियुक्तगण जगत, सुभाष सुनार व राजेश की गिरफ्तारी शेष है।

36 —**श्री ऊदल**—

[8 वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जी०टी० रोड़, वाराणसी में पड़ाव राजघाट से पूरब व चौका घाट से रेलवे स्टेशन तक क्षतिग्रस्त मार्गों पर मरम्मत का कार्य

37 —**श्री ऊदल**—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जी.टी. रोड, वाराणसी में पड़ाव राजघाट से पूरब 1 कि.मी. व चौका घाट शहर वाराणसी में चौकाघाट से रेलवे स्टेशन के पास तक एक किलोमीटर सड़क 1982 की बाढ़ में बैठ गयी है ? यदि हां, तो इसको ऊंचा उठाकर पक्का कब तक कर दिया जायगा ? क्या इसके लिए भारत सरकार से भी धन प्राप्त हुआ है ?

श्री अम्मार रिज़वी—

जी हाँ, वाराणसी जनपद में जी.टी. रोड पर पड़ाव राजघाट से पूरब लगभग 1 कि.मी. लम्बाई में मार्ग और चौकाघाट से रेलवे स्टेशन की ओर जी.टी. रोड (वाराणसी का शहरी भाग) 82 की बाढ़ में डूब गये थे और क्षतिग्रस्त हो गये थे। उक्त दोनों क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत करा दी गई है। ऊंचा उठाने का प्रस्ताव इस समय नहीं है। इस कार्य के लिए भारत सरकार से कोई धन प्राप्त नहीं हुआ।

सुनोली-हडौली गांवों की भारतीय वन अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहीत की गई निजी वन भूमि कथित मुआवजा, लीसे की धनराशि का जिलाधिकारी अल्मोड़ा को भुगतान

38—**श्री भगवती सिंह विशारद**—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अल्मोड़ा जनपद के वन खण्ड (पश्चिमी) में गांव सुनौली हजौली इत्यादि पट्टी, मल्ला, स्यूनरा में माफीदारों की करीब 3600 एकड़ निजी वन (प्राइवेट माफी फारेस्ट विज्ञप्ति संख्या 19(4)/1-अ/68, दिनांक 3/9/68 द्वारा अधिग्रहण की गयी थी ? यदि हां, तो सरकार ने अभी तक उस का मुआवजा माफीदारों को क्यों नहीं दिया ?

श्री संजय सिंह—

शासकीय विज्ञप्ति सं. 18(4)/16-ख-68, दिनांक 3/9/68 के अन्तर्गत सुनोली-हडौली गांवों की 1520 एकड़ भूमि का भारतीय वन अधिनियम 38 एच की उपधारा-1 के अन्तर्गत अधिग्रहण किया गया है। शासन द्वारा केवल 15 वर्ष की अवधि के लिए सुनोली हडोली निजी वनों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया है। भारतीय वन अधिनियम की उपरोक्त धारा के अधीन केवल प्रबन्ध के लिए किसी निजी वन को अधिकार में लेने पर कोई मुआवजा देय नहीं होता। अतः माफीदारों को नियमानुसार मुआवजा भुगतान करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

39—**श्री भगवती सिंह विशारद**—

क्या यह सत्य है कि उक्त निजी वन से सन् 1968 से लीसा निकाला जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त लीसे की रायल्टी का भुगतान किसे हो रहा है ? क्या उक्त वन के लीसे की रायल्टी की कुछ धनराशि अल्मोड़ा खजाने में जमा है ? यदि हां, तो उसका भुगतान अभी तक माफीदारों का क्यों नहीं किया गया ?

श्री संजय सिंह—

उपरोक्त निजी वनों में वर्ष 1970 एवं 1971 में ही लीसा निकाला गया था। इससे पूर्ववर्ती तथा परवर्ती वर्षों में कोई लीसा नहीं निकाला गया। जुलाई, 1968 से सुनोली हडोली माफी गांव समाप्त हो जाने के कारण रायल्टी की हकदार ग्रामसभा अथवा राज्य सरकार है। अतः मुआफीदारों को लीसे की रायल्टी के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता है। वर्ष 1970 से इसे सिविल वन मान करके लीसे की रायल्टी का भुगतान जिलाधिकारी अल्मोड़ा को कर दिया गया है एवं वर्ष 1971 के लीसे की रायल्टी का भुगतान, जिलाधिकारी अल्मोड़ा, को करने की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद गाजीपुर, पुलिस चौकी जंगीपुर के चौकी इन्चार्ज श्री शिव आज्ञा यादव के विरुद्ध आरोपों की जांच

40—**श्री सत्यपाल सिंह यादव**—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जून 1982 में अथवा इसके आस पास जनपद गाजीपुर पुलिस चौकी जंगीपुर के चौकी इन्चार्ज श्री शिव आज्ञा यादव के विरुद्ध ग्यारह गम्भीर आरोपों की जांच हेतु कोई शिकायती पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन एवं डी.आई.जी. वाराणसी व पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को प्राप्त हुये थे ? यदि हां तो उस शिकायती पत्र पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ ।

शिकायती पत्र की जाँच कराई गई । आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

श्री शाहिद हुसैन वारिसी, जनरेटर अटेन्डेन्ड, राज्य कताई मिल बाराबंकी के शिकायती पत्र पर जांच

41—**श्री प्रियदर्शी जेतली तथा**

श्री जियाराम शुक्ल विकल साकेती—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अप्रैल 1982 में साहिद हुसैन वारिसी (जनरेटर अटेन्डेन्ट) उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल नं० 1, बाराबंकी के शिकायती प्रार्थना पत्र के साथ प्रश्नकर्त्ता विधायकों का पत्र डी.एल.सी. लखनऊ से सम्पूर्ण जांच कराने हेतु प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई और जाँच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हाँ । श्री शाहिद हुसैन वारिसी जनरेटर अटेन्डेन्ट, राज्य कताई मिल, बाराबंकी का शिकायती पत्र दिनांक 6 अप्रैल, 1982 श्री प्रियदर्शी जेतली, विधायक के पत्र दिनांक 19 अप्रैल, 1982 के साथ प्राप्त हुआ था जिसमें उनकी शिकायत की जांच उप श्रमायुक्त, लखनऊ से कराने का अनुरोध किया गया था । उप श्रमायुक्त, लखनऊ द्वारा जाँच की गई जिसमें श्री वारिसी का यह आरोप कि उनसे धोखे से त्यागपत्र लिखाकर उन्हें सेवा मुक्त किया गया है सिद्ध नहीं हुआ । श्री वारिसी को यह परामर्श दे दिया गया है कि यदि वे चाहें तो अपनी सेवा समाप्ति का विवाद संराधन समिति के समक्ष प्रस्तुत करें ।

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा विभिन्न विधायक निवासों, अतिथि ग्रहों में विभिन्न पदों पर कर्मचारियों का समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर चयन

42—**श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री पुरुषोत्तम—**

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह सितम्बर, 1982 में उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा विभिन्न विधायक निवासों, अतिथि गृहों में विभिन्न पदों पर अनियमित रूप से की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में किसी विधायक का कोई पत्र प्राप्त हुआ था ? क्या उक्त सेवायोजन कार्यालय से नाम मांग कर अथवा विज्ञापन देकर उक्त नियुक्तियां की गई हैं ? यदि हाँ, तो कब-कब सेवायोजना कार्यालय को लिखा गया तथा विज्ञापन समाचार पत्रों में कब-कब दिया गया ? नियुक्ति में क्या निर्धारित अनुसूचित जाति का कोटा पूरा किया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्नकर्ता विधायक महोदय का पत्र इस संदर्भ में प्राप्त हुआ था ।

जी हाँ ।

श्रेणी 2 तथा 3 के पदों हेतु सितम्बर, 1981 में समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर चयन किया गया था । श्रेणी-4 के पदों हेतु विभाग के दैनिक वेतन कर्मचारियों में से जो

सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत थे अक्टूबर, 1980 में चयन किया गया तथा कुछ के पदों के लिये सेवायोजन कार्यालय से नवम्बर, 1981 में नाम माँगे गये थे।

श्रेणी 4 के पदों में सफाई कर्मचारियों को मिलाकर अनुसूचित जाति के आरक्षण का कोटा पूरा है। श्रेणी-2 व 3 में अनुसूचित जाति के आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है। अनुसूचित जाति के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया जा सका।

हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना कासिमपुर, जनपद अलीगढ़ में नियमित अधिष्ठान में पदनामों के अनुसार अराजपत्रित पद तथा कार्यरत मस्टर रोल श्रमिकों की संख्या

43—श्री नन्दराम—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना कासिमपुर जनपद अलीगढ़ में नियमित अधिष्ठान में पदनामों के अनुसार कितने अराजपत्रित पद 15 अक्तूबर, 1982 को रिक्त पड़े हैं, तथा पद नामों के अनुसार कार्यरत मस्टर रोल श्रमिकों की संख्या क्या हैं ? क्या मस्टर रोल श्रमिकों की सेवाओं को नियमित करने को शासन की कोई नीति है ? यदि हाँ, तो नियमितीकरण की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्नगत परियोजना में नियमित अधिष्ठान में पदनामों के अनुसार दिनाक 15 अक्टूबर, 1982 को 217 अराजपत्रित पद रिक्त थे तथा पदनामों के अनुसार कार्यरत मस्टर रोल श्रमिकों की संख्या 539 थी। जहाँ तक मस्टर रोल श्रमिकों की सेवाओं को नियमित किये जाने की नीति का सम्बन्ध है, हरदुआगंज परियोजना पर कार्यरत मस्टर रोल श्रमिकों को राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अन्य नई परियोजनाओं के लिये स्वीकृत पदों पर समायोजित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रदेश में द्विपक्षीय समितियां एवं श्रमिकों व मालिकों के प्रतिनिधियों का चयन

44—श्री प्रियवर्शी जेतली तथा श्री जियाराम शुक्ल विकल साकेती—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न उद्योगों के लिए कितनी द्विपक्षीय समितियाँ काम कर रही हैं? उन द्विपक्षीय समितियों में सम्मिलित श्रमिकों व मालिकों के प्रतिनिधियों को किस आधार पर चुना गया है ?

श्री सुनील शास्त्री—

वर्तमान समय में प्रदेश में निम्नलिखित तीन द्विपक्षीय समितियाँ कार्य कर रही हैं :—

1—स्थायी द्विपक्षीय समिति कानपुर सूती वस्त्र उद्योग।
2—स्थायी द्विपक्षीय समिति-भारी रसायन एवं उर्वरक उद्योग।
3—स्थायी द्विपक्षीय समित चमड़ा उद्योग।

द्विपक्षीय समितियों में श्रमिक पक्ष के प्रतिनिधियों का चयन संबंधित श्रमिक महासंघों से सम्बद्ध श्रमिक संघों की संख्या व सदस्यता को देखते हुये इस प्रकार किया जाता है जिससे अधिक से अधिक महासंघों को व्यापक रुप से यथासंभव प्रतिनिधित्व मिल सके।

सेवायोजकों के प्रतिनिधियों का चयन मुख्यतया उनके संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर किया जाता है। इन द्विपक्षीय समितियों में इसी आधार पर प्रतिनिधियों का चयन किया गया है।

45—**श्री जसवंत सिंह विष्ट—**

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

जनपद इलाहाबाद, तहसील करछना में कौवा, धुधुआँ घाट पर नाले का निर्माण

46—**श्री रेवती रमण सिंह—**

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद में तहसील करछना में कौवा धुधुआं घाट पर नाले का निर्माण होना है ? यदि हाँ, तो कार्य कब से शुरू हो जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

नाले के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रयाग चित्रकूट कृषि एवं गोधन विकास निगम के अन्तर्गत लिए गये ब्लाक लक्ष्य के विरुद्ध पूर्ति का औसत

47—**श्री रेवती रमण सिंह तथा श्री मुख्तार अनीस—**

क्या पशुधन मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि चित्रकूट गोधन निगम के अन्तर्गत जो ब्लाक लिये गये हैं उसमें लक्ष की पूर्ति कितने प्रतिशत हुई है ? क्या करछना, मेजा, ब्लाक को भी उसमें शामिल करेंगे ?

श्री संजय सिंह—

प्रश्न स्पष्ट नहीं है फिर भी प्रयाग चित्रकूट कृषि एवं गोधन विकास निगम के अन्तर्गत जो ब्लाक लिये गये हैं उसमें लक्ष्य के विरुद्ध पूर्ति का औसत वर्ष 1981-82 में जनपद बाँदा में 47.56 प्रतिशत एवं इलाहाबाद में 74.2 प्रतिशत है।

प्रसंगत योजना इलाहाबाद में मेजा ब्लाक में स्थित जानकीगंज केन्द्र के माध्यम से चलाई जा रही है। करछना ब्लाक में अभी कोई योजना नहीं है।

करछना तहसील में पीड़ी न्याय पंचायत में विद्युतीकरण

48—**श्री रेवती रमण सिंह—**

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद के अन्तर्गत करछना तहसील में पीड़ी न्याय पंचायत में बहुत अर्से से विद्युतीकरण होना है ? यदि हां, तो कब से कार्य प्रारम्भ करायेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्र की जा रही है।

देहुली साढ़पुर हत्याकाण्ड में मुलजिमों के खिलाफ चार्जशीट

49—**श्री रेवती रमण सिंह**—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि देहुली-साढूपुर के हत्याकाण्ड में मुलजिमों के खिलाफ चार्ज़शीट कोर्ट में भेज दी गयी है, यदि हाँ, तो कितने लोगों के खिलाफ और उनके नाम क्या हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

देहुली हत्याकांड में 8 नामांकित तथा विवेचना से प्रकाश में आये 16 अन्य अभियुक्तों में से 4 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में मारे गये, 2 अभियुक्त फरार हैं जिनके विरुद्ध धारा 82/83 जा. फौ. की कार्यवाही की जा चुकी है। शेष 18 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है। जिन 18 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है उनके नाम संलग्न सूची में अंकित हैं।

2—साढूपुर हत्याकांड से संबंधित अभियोग की विवेचना से तीन अभियुक्त प्रकाश में आये। उक्त अभियुक्तों में से अनार सिंह व जयपाल पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। शेष एक अभियुक्त गंगादयाल के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में भेजा जा चुका है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ पर।)

प्रदेश में अनुसूचित जाति के जिलाधिकारी एवं पुलिस कप्तान

50—**श्री रेवती रमण सिंह** —

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस समय प्रदेश में कितने जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान हरिजन हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

इस समय प्रदेश में अनुसूचित जाति के 9 जिलाधिकारी तथा जिलों में 5 पुलिस अधीक्षक तैनात हैं।

बिजली थर्मल प्लान्ट लगाने के लिए दिया गया कथित आफर

51—**श्री रेवती रमण सिंह तथा श्री मुख्तार अनीस**—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 500 मेगावाट बिजली थर्मल के प्लान्ट लगाने के लिये किन-किन लोगों ने आफर किया है और वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रदेश में 500 मेगावाट बिजली थर्मल प्लांट लगने के लिए किसी भी कम्पनी अथा व्यक्ति विशेष ने कोई आफर नहीं किया है।

मुख्य मंत्री एवं अन्य मंत्रियों द्वारा विमान एवं हैलिकाप्टर पर व्यय

52—**श्री रेवती रमण सिंह तथा मुख्तार अनीस**—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जून, सन् 1980 से जुलाई, 1982 के बीच में मुख्य मंत्री एवं मंत्रियों ने प्रदेश सरकार के विमान एवं हेलीकाप्टर का कितनी बार इस्तेमाल

किया, उस पर कितना खर्चा आया ? मंत्रियों एवं मुख्य मंत्री पर अलग-अलग खर्चे का ब्यौरा क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जून, सन् 1980 से जुलाई, 1982 के बीच मुख्य मंत्री एवं अन्य मंत्रीगण ने उ. प्र. सरकार के विमान एवं हेलीकाप्टर का 413 बार प्रयोग किया तथा विमान एवं हेलीकाप्टर के ईंधन पर रु. 10,14,826 38 का व्यय आया। मंत्रीवार व्यय के विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठपर)

विद्युत दरों का पुनरीक्षण

53—**श्री रेवती रमण सिंह तथा श्री मुख्तार अनीस—**

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि चार पाँच माह पूर्व जो बिजली के रेट सहसा बढ़ा दिये गये थे और पुन: वापस कर लिये गये उसके लिये विभागीय मंत्री और मंत्रिमंडल की स्वीकृति ली गयी थी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट 1948 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य विद्युत परिषद् विद्युत दरों के पुनरीक्षण के लिये पूर्ण रूप से सक्षम है। विद्युत दरों के पुनरीक्षण हेतु विद्युत मंत्री तथा मंत्रिमंडल की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। तथापि दिनांक 1 जुलाई 1982 से किये गये विद्युत दरों के पुनरीक्षण (जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया था) पर तत्कालीन ऊर्जा राज्य मंत्री की स्वीकृति प्राप्त की गयी थी।

भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नाम से एलाट भवन की मरम्मत, रख-रखाव तथा साज-सज्जा पर व्यय

54—**श्री रेवती रमण सिंह तथा श्री मुख्तार अनीस—**

क्या सरकार बतायेगी कि 9 माल एवेन्यू लखनऊ जो कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) के नाम से ऐलाट है उस पर मरम्मत एवं रख-रखाव, साज-सज्जा पर कितना व्यय उनके कार्यकाल में हुआ।

श्री श्रीपति मिश्र—

कुल व्यय रु० 2,93,532-00 हुआ।

गौरी बाजार से रुद्रपुर तथा गौरी बाजार से हाटा मार्ग पर निर्माण कार्य

55—**श्री प्रदीप कुमार यादव—**

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद देवरिया के अन्तर्गत गौरीबाजार से रुद्रपुर तथा गौरी बाजार से हाटा मार्ग को बनाये जाने की स्वीकृति शासन द्वारा सन् 1970 में दी गयी थी ? यदि हाँ, तो उक्त मार्ग के निर्माण का कार्य कब प्रारम्भ किया गया और इस समय तक कितना कार्य हो चुका है और शेष कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा।

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बाराबंकी की पुलिस द्वारा कतिपय थानान्तर्गत लाइसेन्सधारियों के लाइसेन्स व बन्दूक की चेकिंग

56--**श्री प्रदीप कुमार यादव--**

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत पुलिस थाना रामनगर, टिकैतनगर, रामसनेही घाट पटरंगा तथा रुदौली के बन्दूक लाइसेन्सधारकों को बन्दूकों एवं लाइसेन्सों की जांच चालू वर्ष में हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप कतिपय लाइसेन्स धारकों की बन्दूकें जमा करवा कर उन पर धारा 25 (आर. ए.) के मुकदमे कायम कर दिये गये थे ? यदि हां, तो जमा बन्दूकों की थानावार कुल संख्या क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद बाराबंकी की पुलिस द्वारा वर्ष 1982 में प्रश्न में उल्लिखित थाना अन्तर्गत लाईसेन्सधारियों के लाइसेंस व बन्दूक की चेकिंग कराई गई परन्तु उक्त वर्ष में उक्त जांच में न तो किसी लाइसेंसधारी की बन्दूक जमा कराई गई और न ही किसी के विरुद्ध 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत कोई मुकदमा पंजीकृत किया गया ।

बरेली मथुरा मार्ग पर स्थित राम गंगा पुल की पथकर से मुक्ति की मांग

57--**श्री फखरे आलम--**

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि रामगंगा का पुल जो बरेली से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है जिसे बने हुए 20 साल से अधिक हो चुके हैं उसका महसूल और टोल टैक्स कब समाप्त किया जायेगा ।

श्री अम्मार रिजवी--

यदि कोई विशेष परिस्थिति भविष्य में उत्पन्न न हुई तो जनपद बरेली में बरेली मथुरा मार्ग पर स्थित रामगंगा पुल को वर्ष 1984 में पथकर से मुक्त किया जाना सम्भावित है ।

जनपद हरदोई सिंधोली मार्ग में भटपुर घाट पर पुल निर्माण की कथित योजना

58--**श्री रामलाल वर्मा--**

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद हरदोई में संडीला से अतरौली होते हुए सिधौली मार्ग में भटपुर घाट पर पुल निर्माण की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो इस पुल पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है तथा कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

छाँगू राम बनाम अदर्स मुकदमे में उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय

59—**श्री राम आसरे वर्मा**—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्च न्यायालय ने रिट पिटीशन नम्बर 166 सन् 1979 छांगू राम बनाम अदर्स को दिनांक 10-8-82 से पिटीशनर के पक्ष में आदेश जारी कर दिया है, के अनुसार 1:3 के अनुपात में ज्येष्ठता के आधार पर राजलिपिकों वृक्षारोपण लिपिकों की उप वनराजिक के पद पर प्रोन्नति की गई है ? अगर नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

रिट पिटीशन नम्बर 166 सन् 1979 छांगू राम बनाम अदर्स में उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10-8-82 को दिये गये निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री कृष्ण दत्त दीक्षित, तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद के विरुद्ध कथित शिकायती पत्र

60—**श्री मित्रसेन**—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक 18-19 नवम्बर, 1981 को गृह सचिव, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित (श्री कृष्ण दत्त दीक्षित) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद के विरुद्ध शिकायतों से सम्बधित था संयुक्त सचिव गृह उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

श्री कृष्ण दत्त दीक्षित, तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद के विरुद्ध शिकायतों से संबंधित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 18/19 नवम्बर, 1981 प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम चमरुपुर, फैजाबाद के अवैध लाइसेन्स के निरस्तीकरण के संबंध में पत्र

61—**श्री मित्रसेन**—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता को कोई पत्र श्री सुरेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम चमरुपुर, थाना खण्डासा, फैजाबाद के अवैध लाइसेंस के निरस्तीकरण के संबंध में दिनांक 20-4-82 को जिलाधिकारी फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्न में उल्लिखित पत्र जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद को प्राप्त हुआ था। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आयुध अधिनियम तथा नियमों के अन्तर्गत विचार करने के उपरान्त श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्री उदयराजसिंह की पिस्टल संख्या 55101 तथा श्री भवानी सहाय, पुत्र श्री जगमोहन की एकनाली बन्दूक के लाइसेंस निलम्बित किये गये। इन आदेशों के विरुद्ध अपील हुई, जिसमें आयुक्त फैजाबाद मण्डल ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों को

निरस्त करते हुए नियमानुसार पुनर्विचार के निर्देश दिये और तदनुसार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है ।

मिल्कीपुर अमानीगंज, अमानीगंज खण्डासा, कुमारगंज फैजाबाद मार्ग की जांच

61—**श्री मित्रसेन यादव**—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र मिल्कीपुर अमानीगंज, अमानीगंज खण्डासा, कुमारगंज फैजाबाद मार्ग की जाँच के संबंध में दिनाँक 4-10-81 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो विभागीय जाँच रिपोर्ट क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत मार्गों की जाँच के संबंध में माननीय सदस्य का दिनांक 4-10-81 का नहीं वरन दिनाँक 4-11-81 का एक पत्र प्राप्त हुआ था । इसकी जांच प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ से कराई गई । जाँच आख्या की मुख्य बातें निम्नवत हैं :—

1—मिल्कीपुर-अमानीगंज मार्ग के निर्माण में प्राकलन से अधिक व्यय किया गया है । तथा किमी० 13 से 17 का सुदृढ़ीकरण किया जाय ।

2—इस मार्ग के किमी० 8-9-10 तथा 12 में क्रस्ट की मोटाई में ब्रिक बैलास्ट की कमी पाई गई ।

3—अमानीगंज खण्डासा मार्ग का सुदृढ़ीकरण किया जाय ।

4—कुमारगंज–खण्डासा मार्ग का सुदृढ़ीकरण किया जाय ।

जनपद फैजाबाद में मार्गों एवं पुलों के निर्माण के विषय में कथित पत्र

63—**श्री मित्रसेन**—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र जो जनपद फैजाबाद में मार्गों एवं पुलों के निर्माण के विषय में था, श्री जे०एस० माथुर संयुक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिनाँक 8 जनवरी, 1982 को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इसमें क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी—

पत्र आया हुआ प्रतीत नहीं होता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उप पुलिस अधीक्षक, लखमीपुर खीरी द्वारा नैपाल की सीमा पर अवैध सामान लाते हुए पकड़े जाने के विरुद्ध कार्यवाही

64—**श्री मित्रसेन**—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप पुलिस अधीक्षक, लखमीपुर खीरी नैपाल की सीमा पर अवैध सामान लाते हुए माह मई 1982 में पकड़े गये हैं ? यदि हां, तो इस घटना का पूर्ण विवरण क्या है और अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

यह सही नहीं है कि पुलिस उप अधीक्षक, लखमीपुर खीरी, नेपाल की सीमा पर अवैध सामान लाते हुए माह मई 1982 में पकड़े गये।

जनपद फैजाबाद के वर्तमान जिलाधिकारी श्री आर० के० सिंह द्वारा स्वीकृत शस्त्रआयुध सम्बन्धी लाइसेन्स

65—**श्री मित्रसेन—**

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के वर्तमान जिलाधिकारी श्री आर. के. सिंह ने अप्रैल वर्ष 1981 से अब तक कितने व्यक्तियों के शस्त्रआयुध संबंधी लाइसेन्स प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किये हैं ? उनमें से हरिजनों की संख्या क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित जिलाधिकारी द्वारा अपने नियुक्ति काल 22-4-81 से 28-6-82 तक में 272 आयुध लाइसेंस के प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये। आर्म्स ऐक्ट एवं रूल्स के अन्तर्गत लाइसेंसियों का जाति/वर्ग के आधार पर विवरण रखने की व्यवस्था न होने के कारण हरिजनो को स्वीकृत लाइसेंसों की निश्चित संख्या देना सम्भव नहीं है।

थाना इनायत नगर, फैजाबाद में तैनात पुलिस कान्सटेबिल श्री शिव प्रसाद पाण्डेय की हत्या

66—**श्री मित्रसेन—**

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना इनामतनगर, फैजाबाद में तैनात किसी पुलिस कर्मी की हत्या दिनांक 17-3-82 को करके लाश कुएं में डाल दी थी जो दिनांक 19-3-82 को बरामद की गई है ? यदि हां, तो हत्या का रहस्य क्या है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है ? हत्या में कौन लोग दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना इनायतनगर फैजाबाद का एक कान्सटेबिल श्री शिवप्रसाद पाण्डेय दिनांक 17-3-82 की रात्रि को सम्भवतः शौच करने निकला था। सुबह तक लौटकर न आने पर उनके पुत्र ने दिनांक 18-3-82 को इसकी सूचना थाने पर दी जिस पर उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई तथा उसकी खोजबीन आरम्भ हुई। दिनांक 19-3-82 को श्री शिवप्रसाद पाण्डेय की लाश एक कुयें से बरामद हुई। मृतक की शव परीक्षण रिपोर्ट से मामला हत्या का नहीं पाया गया। कान्स्टेबिल की मृत्यु में कोई दोषी नहीं पाया गया, अतः मामला जो दरियाफ्त हाल में चल रहा था अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया।

सुल्तानपुर कुड़वार हालियापुर निर्माणाधीन मार्ग मथा गोमती नदी पर पुल निर्माण की स्वीकृति

67—**श्री मित्रसेन तथा श्री ऊदल—**

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सुलतानपुर कुड़वार-हालियापुर निर्माणाधीन मार्ग बन कर तैयार हो गया है किन्तु कुड़वार गोमती नदी का पुल न बनने के

कारण जनहित में परिवहन सेवा नहीं हो पा रही है जिससे सरकार को आर्थिक क्षति और जनता को कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो प्रस्तावित पुल के निर्माण की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हाँ ।

प्रश्नगत पुल की स्वीकृति जुलाई 1982 को प्रदान कर दी गई और निर्माण कार्य 7-12-1982 से प्रगति में हैं । प्रश्न नहीं उठता ।

तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री कृपाल सिंह सिसोदिया, थाना कासिमपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र

68—**श्री कल्लूराम—**

क्या सरकार बतायेगी कि तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री कृपाल सिंह सिसोदिया थाना कासिमपुर जनपद हरदोई के विरुद्ध श्री कुबेर भण्डारी विधायक का कोई शिकायती पत्र ग्राम प्रधान श्री इकराम अली ग्राम मलैया थाना उपरोक्त के संलग्न प्रार्थना पत्र के साथ माह/जुलाई अगस्त 1982 में सचिव, सतर्कता विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर प्रस्तरवार क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री श्याम सुन्दर त्रिपाठी, एस. आई., थाना अचलगंज उन्नाव के कार्यकाल में चोरी डकैती कत्ल, राहजनी की घटनायें

69—**श्री सुरेन्द्र कपिल—**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री श्याम सुन्दर त्रिपाठी एस. आई. थाना अचलगंज जनपद उन्नाव के उक्त थाने में योगदान की तिथि से अब तक उनके क्षेत्र में कितनी चोरी, डकैती, कत्ल, राहजनी एवं अपहरण की घटनायें हुईं ? उनमें से कितने मामलों में चार्जशीट, कितने में फाइनल रिपोर्ट लगायी गई तथा कितने मामले अनिस्तारित हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार उपनिरीक्षक की योगदान दिनांक 27-4-81 से दिनांक 4-12-82 तक की अवधि में इनके क्षेत्र में चोरी की 8 घटनायें, कत्ल की 2 घटनायें, राहजनी की 2 घटनायें घटित हुई । अपहरण तथा डकैती की कोई घटना घटित नहीं हुई ।

उक्त उपनिरीक्षक 5-12-82 से 4-2-83 तक थाना अचलगंज के हल्का नं. एक में नियुक्त रहे । इस अवधि में इस हल्के में चोरी, डकैती, कत्ल, राहजनी एवं अपहरण की कोई घटना नहीं हुई ।

चोरी की आठ घटनाओं में से 7 मामलों की विवेचना द्वारा अंतिम रिपोर्ट समाप्त की गई तथा एक मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है जो विचाराधीन न्यायालय है ।

कत्ल की दो घटनाओं में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है जो न्यायालय में विचाराधीन है । राहजनी की दोनों घटनाओं में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

प्रदेश के समस्त ग्रामों में विद्युतीकरण की योजना

70—**श्री रेवती रमण सिंह**—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामों में किस सन् तक पूर्ण विद्युतीकरण हो जायेगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

उत्तर प्रदेश समस्त ग्रामों को विद्युतीकरण 31 मार्च, 1995 तक कर दिये जाने की सम्भावना है ।

प्रदेश में निर्मित सड़कें

71—**श्री रेवती रमण सिंह**—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में 80-81 में कितने किलो मीटर सड़क का निर्माण हुआ और 81-82 में कितना प्रस्तावित है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1980-81 में 2907 कि.मी. तक 81-82 में 2112 किलोमीटर पक्की सड़कें निर्मित की गई हैं ।

मुण्डा खाई मार्ग का निर्माण तथा प्रगति

72—**श्री रेवती रमण सिंह**—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद में करछना तहसील में खाई मुन्डा मार्ग में काफी दिनों से कार्य बन्द है ? यदि हां, तो क्यों ? यह मार्ग कब तक बनकर तैयार होगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

खाई मुदडा मार्ग का नाम मुण्डा खाई है । यह मार्ग विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 5.5 किलोमीटर की लम्बाई से स्वीकृत है जिसके अनुसार प्रथम 4 किलोमीटर में कार्य विभिन्न स्तरों पर प्रगति पर है । शेष 1.5 किलोमीटर खाई गाँव के समीप भूमि उपलब्ध न होने के कारण कोई कार्य नहीं हुआ है ।

मार्ग का पूरा होना भूमि एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

श्री लक्ष्मी नारायण मंत्री, टाइगर ग्रुप आफ इण्डस्ट्रीज कर्मचारी संघ, अलीगढ़ के पत्र पर कृत कार्यवाही

73—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 6 अगस्त, 1982 जिसमें श्री लक्ष्मी नारायण, मंत्री टाइगर ग्रुप आफ इण्डस्ट्रीज कर्मचारी संघ, अलीगढ़ के पत्र पर श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश कानपुर को तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के निदेश भी दिये गये हैं के बारे में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री—

माननीय विधायक के पत्र दिनाँक 6/8/82 के साथ प्राप्त श्री लक्ष्मी नारायण, मंत्री टाइगर ग्रुप आफ इण्डस्ट्रीज कर्मचारी संघ, अलीगढ़ का पत्र दिनाँक 17/7/82 विवाद संख्या 1/80 मेसर्स टाइगर लाक्स लि०, अलीगढ़ एवं उनके श्रमिकों के मध्य तथा 3/80 मेसर्स टाइगर हार्डवेयर एण्ड टूल्स लि., अलीगढ़ एवं उनके श्रमिकों के मध्य उत्पन्न विवादों से संबंधित है। विवाद संख्या 1/80 में उल्लिखित एक माँग को तथा विवाद संख्या 3/80 में उल्लिखित दो माँगों को औद्योगिक न्यायाधिकरण (3), कानपुर को अभिनिर्णय हेतु संदर्भित कर दिया गया है।

स्व० श्री बाबूराम, मोहल्ला नायक सराय, जिला बिजनौर की हत्या की अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच

74—श्री थम्मन सिंह गहलौत—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबूराम पुत्र विशम्भर निवासी मोहल्ला नायक सराय स्थान शेरकोट जिला बिजनौर की हत्या की जाँच के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का दिनाँक 28/9/82 का कोई पत्र उन्हें मिला था ? यदि हां तो, उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं तो, क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ।

स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचना की गयी। इस विवेचना का चेक अप अपराध अनुसन्धान विभाग से कराया जा रहा है।

जवाहर इण्टर कालेज, बुकलाना, बुलन्दशहर के छात्रों से भरी बस में दुर्घटना की सूचना

75—श्री छत्तर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 29/9/81 को चौकी बृजघाट थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद गाजियाबाद के पास, जवाहर इण्डर कालेज बुकलाना, जनपद बुलन्दशहर के छात्रों से भरी एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु मोके पर हुई तथा 10-12 अध्यापकों को गम्भीर चोटें आयीं ? क्या यह सही है कि दुर्घटना के समय अंधेरा होने के कारण पुलिस के सिपाहियों ने छात्रों का सामान तलासी लेकर हड़प लिया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भ्रष्ट पुलिस जनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

दिनांक 29/30/9.81 की राश्रि में जवाहर इण्टर कालेज, बुकलाना, बुलन्दशहर के एक छात्र ने स्याना चौपले से 1 किलोमीटर दूर छात्रों, अध्यापकों एवं विद्यालय के मैनेजर को पन्तनगर ले जाती हुयी एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने, मैनेजर एवं एक छात्र के घटनास्थल पर ही मर जाने तथा कतिपय अन्य के घायल हो जाने की सूचना पुलिस चौकी ब्रजघाट थाना गढ़मुक्तेश्वर पर दी थी। सूचना पर मु०अ० सं० 46 धारा 279/337 भा. दं.वि. चौकी पर कायम किया गया। इस मामले की विवेचना की जा रही है।

अब तक की विवेचना एवं जाँच से पुलिस द्वारा छात्रों का सामान हड़पने आदि के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं उपलब्ध हुआ है।

सूचना विभाग के अन्तर्गत सिनेमा प्रबन्धक के पद पर नियुक्ति

76—**श्री विजय सिंह राना**—

क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनाक 5/7/78 को सूचना विभाग के अन्तर्गत सिनेमा प्रबन्धक के पद पर कुछ ऐसी भी नियुक्तियाँ हुई हैं जो न्यूनतम शैक्षिणिक योग्यता भी धारण नहीं करते ? यदि हां, तो क्या शासन इन्हें सेवा मुक्त कर उपयुक्त व्यक्तियों का चयन करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हाँ ।

एक भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी का चयन, उसे न्यूनतम शैक्षिक योग्यता से छूट देते हुए, किया गया था । किन्तु उसका कार्यकाल केवल 10 माह का रहा, और, इस बीच, उसके स्थान पर उपयुक्त चयन हो चुका है ।

जनपद हरदोई के थाना बिलग्राम में दर्ज किये गये तफतीशी एवं गैर तफतीशी मुकदमों का अनुपात

77—**श्री राम आसरे वर्मा**—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जुलाई, 1981 से सितम्बर 1982 तक हरदोई जनपद के थाना बिलग्राम में दर्ज किये गये मुकदमों में तफतीशी एवं गैर तफतीशी मुकदमों का अनुपात क्या रहा, तफतीशी मुकदमों में कितनों में आरोप पत्र दाखिल किये गये और कितनों में अन्तिम रिपोर्ट ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार जुलाई, 1981 से सितम्बर 1982 तक थाना बिलग्राम, जनपद हरदोई में कुल 269 तफतीशी अपराध दर्ज हुये जिनमें 26 झूठे पाये जाने पर खारिज हुये । शेष 243 तफतीशी अपराधों में से 131 मुकदमों में आरोप पत्र प्रेषित किया गया तथा 112 में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई । उक्त 269 तफतीशी अपराधों के अतिरिक्त कोई गैर तफतीशी अपराध दर्ज नहीं हुआ । अतः गैर तफतीशी अपराधों के अनुपात का प्रश्न नहीं उठता ।

78—**श्री राम आसरे वर्मा**—

[पुनरावृति के आधार पर निरस्त ।]

गोरखपुर में रोहिन नदी पर बने त्रिमोहिनी सेक पर पथकर की वसूली

79—**श्रीमती गौरी देवी**—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर में रोहिन नदी पर बने तिनमोहानी पुल पर पथकर (टोलटैक्स) की वसूली की जाती है ? क्या यह सच है कि ठेकेदारों द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक टैक्स न वसूलने के लिए वर्ष 81 व 82 में 3 बार अधिशासी अभियन्ता अस्थायी खण्ड द्वारा निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि 1 लाख 50 हजार रुपया उक्त पथकर का माफ कर देने की संस्तुति अधिशासी

अभियन्ता अस्थायी खण्ड गोरखपुर द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो इसका आधार क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

जी नहीं ।

अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग गोरखपुर की संस्तुति (दिनांक 5 मार्च 1982) की शासन में उपलब्ध प्रतिलिपि में छूट के लिये रुपये 1 लाख 50 हजार या किसी विशिष्ट धनराशि की संस्तुति नहीं है ।

फरेन्दा महाराज गंज मार्ग, जिस पर त्रिमोहनी सेतु स्थित है, वर्ष 1981 में बाढ़ के कारण मार्ग के कि०मी० 16 पर 3 स्थान पर मार्ग कट जाने, जल प्लावन के कारण आवागमन प्रभावित होने तथा बसमनिया पुल एवं भौरावारी पुल के पूर्ण हो जाने पर प्रश्नगत पुल पर यातायात कम हो जाने की आशंका के कारण अधिशासी अभियन्ता ने आयुक्त गोरखपुर मण्डल से ठेकेदार की पथकर की मासिक किश्तों में छूट दिये जाने की संस्तुति की थी ।

गीता प्रेस गोरखपुर के सेवायोजकों द्वारा तालाबन्दी की घोषणा, मासिक पत्रिका कल्याण का पंजीकरण, कर्मचारियों को पालिका एवार्ड दिये जाने की मांग

80—**श्रीमती गौरी देवी—**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर में स्थित गीता प्रेस में 19 अक्टूबर 1982 को सेवायोजकों द्वारा तालेबन्दी की घोषणा कर दी गई ? क्या उसकी सूचना जिला अधिकारी व पुलिस प्रशासन व श्रम-विभाग को दी थी ? उसमें तालाबन्दी किये जाने का कारण क्या दिया था ? क्या यह सही है कि गीता प्रेस, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में वर्णित औद्योगिक प्रतिष्ठान में नहीं आता ? यदि हाँ, तो तालाबन्दी का औचित्य क्या था ?

श्री सुनील शास्त्री—

गीता प्रेस, गोरखपुर के सेवायोजकों द्वारा दिनांक 19-10-82 को तालाबन्दी की घोषणा की गई थी जिसकी सूचना जिलाधिकारी पुलिस, प्रशासन तथा श्रम विभाग को भी दी गई थी । यह तालाबन्दी कर्मचारियों के बिना पूर्व सूचना के दिनांक 30-9-82 से हड़ताल कर व उत्पादन कार्य बन्द कर देने के कारण की गई थी । मैसर्स गीता प्रेस, गोरखपुर तथा उनके श्रमिकों के मध्य उठे विवाद संख्या 9/73 में न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संबंधित प्रतिष्ठान औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत उद्योग की परिभाषा में नहीं आता है । श्रमिकों द्वारा दिनाक 30-9-82 को प्रारम्भ की गई हड़ताल व नियोजकों द्वारा घोषित की गई तालाबन्दी के विवाद पर श्रम विभाग, गोरखपुर के प्रयास से दिनाँक 21-10-82 को एक समझौता सम्पन्न हो गया और दिनाँक 20-10-82 से उत्पादन कार्य भी प्रारम्भ हो गया ।

81—**श्रीमती गौरी देवी—**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर स्थित गीता प्रेस में प्रकाशित मासिक पत्रिका कल्याण समाचार पत्र पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है ? यदि हां, तो गीता प्रेस के कर्मचारियों व पत्रकारों को पालेकर एवार्ड की सुविधा न देने का कारण

क्या है ? क्या सरकार गीता प्रेस के पत्रकारों एवं कर्मचारियों को पालेकर एवार्ड दिलाने के लिए कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

यह सही है कि मैसर्स गीता प्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका कल्याण का पंजीकरण प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स एक्ट 1967 के अन्तर्गत कराया गया था। किन्तु पत्रिका के प्रकाशक/मुद्रक/सम्पादक की दिनांक 23-11-82 को हुई मृत्यु के उपरान्त उक्त अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत अभी तक घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसका प्रभाव यह है कि अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त पंजीकरण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। मेसर्स गीता प्रेस गोरखपुर के कर्मचारियों को पालेकर एवार्ड की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में प्रतिष्ठान में कार्यरत यूनियन की मांग है कि कर्मचारियों को पालेकर एवार्ड के अनुसार वेतन दिलाया जाय। इस सम्बन्ध में श्रम विभाग द्वारा परीक्षण किया जा रहा है।

82—**श्री छत्तर सिंह**—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

सहायक अभियन्ता श्री अमरसिंह, अस्थायी खण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग मथुरा का स्थानान्तरण तथा बंगला खाली कराये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

83—**श्री सरदार सिंह**—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक अभियन्ता श्री अमर सिंह अस्थायी खंड सा० नि० वि० मथुरा का मथुरा से कब स्थानान्तरण हुआ तथा अभी तक उससे सरकारी बंगले को खाली न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्री अमर सिंह सहायक अभियन्ता, अस्थायी खण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग मथुरा को इस खण्ड से दिनांक 13-7-81 को कार्यमुक्त कर दिया गया था।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग मथुरा द्वारा प्रयास करने के पश्चात् भी बंगला खाली न हो सका अतः सहायक अभियन्ता के विरुद्ध अतिरिक्त जिला अधिकारी मथुरा के कार्यालय में वाद संख्या 3/83 दिनांक 21-9-82 को दायर किया गया है।

घुघली थाना जनपद गोरखपुर के थानाध्यक्ष एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा नागरिकों की पिटाई की जांच

84—**श्री जनार्दन प्रसाद ओझा**—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 5 अप्रैल, 1982 को घुघली थाना जनपद गोरखपुर के थानाध्यक्ष एवं अन्य कर्मचारियों ने घुघली उपनगर के कई सभ्रांत नागरिकों की बर्बरता पूर्वक पिटाई की जिसकी जांच के लिए जिलाधिकारी गोरखपुर ने परगनाधिकारी, महाराजगंज को लिखा ? यदि हां, तो क्या परगनाधिकारी ने जांच की ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

85—**श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—**

[4थे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 56 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राज्य विद्युत परिषद के मुख्य लेखाधिकारी सहित अन्य अधिकारियो के विरुद्ध शिकायती पत्र

86—**श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—**

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के मुख्य लेखाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों के विरुद्ध भटहट (गोरखपुर) के एक सार्वजनिक कार्यकर्त्ता ने कोई शिकायती पत्र दिनांक 5-5-81, 31-7-81, 26-8-81 एवं 5-2-82 को उन्हें दिया है ? यदि हां, तो आरोप क्या हैं एवं क्या उन आरोपों की जाँच करायी गयी ? यदि हां, तो कब एवं किस अधिकारी द्वारा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ । दिनांक 26-8-81 के शिकायती पत्र को छोड़कर शेष पत्र प्राप्त हुए थे जो सर्व श्री जे. पी. एलहान्स, मुख्य लेखाधिकारी, एन. बी. सिंह, वरिष्ठ लेखाधिकारी, एवं मोहम्मद समी, सहायक लेखाधिकारी के विरुद्ध पद का दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार करने से संबंधित है । इन आरोपों की जांच परिषद् की सतर्कता इकाई से दिनांक 11-6-81 को कराई गयी ।

कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु विद्युत आपूर्ति

87—**श्री चेतराम गंगवार—**

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि माह मई, 1982 में शासन ने प्रदेश भर में किसानों को कृषि उत्पादन हेतु ग्रामीण अंचलों के लिए भी नगरों की भांति 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने का निर्णय लिया है ? यदि हाँ, तो देहाती क्षेत्र में 24 घंटे बराबर बिजली किस तिथि से मिलने लगेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

जिला बरेली के ब्लाक भटपुरा के ग्राम कयोलडिया में सड़क बनाने हेतु प्रस्ताव

88—**श्री चेतराम गंगवार—**

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 21-1-82 को प्रश्नकर्ता का एक प्रस्ताव जिला बरेली की तहसील नबाबगंज के ब्लाक भटपुरा में ब्लाक मुख्यालय ग्राम कयोलडिया से विजामित किशवापुर, परसरामपुर, माधोपुर होकर मौआ बाजार तक सड़क बनवाने हेतु प्राप्त हुआ था ? क्या यह भी सही है कि जिला विकास समिति ने भी इस सड़क को शीघ्र बनवाने की सिफारिश शासन को की है ? यदि हाँ, तो

इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? सड़क कब तक बन जायगी और इस पर कुल कितना पैसा व्यय होगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हाँ ।

जी हाँ । मार्ग की कुल 13.00 कि. मी. लम्बाई में से केवल 1.00 कि. मी. लम्बाई की संस्तुति की गई है ।

मार्ग के प्रस्ताव का पूर्ण विवरण मांगा गया है ।

मार्ग की स्वीकृति के पश्चात् ही निर्माण की अवधि बताना सम्भव हो सकेगा । मार्ग निर्माण पर लगभग 3.00 लाख रुपये व्यय होने की सम्भावना है ।

श्री रघुनाथ सिंह यादव, निवासी रघुनाथपुर, जनपद कानपुर की कथित पिटाई

89—**श्री मेंहदी असगर—**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 29-7-82 को श्री रघुनाथ सिंह यादव, निवासी रघुनाथपुर, थाना घाटमपुर जनपद कानपुर को श्री एस० आई० रावत, थाना घाटमपुर ने मारा-पीटा था ? क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में श्री रघुनाथ सिंह ने दिनाँक 2-8-82 को प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, कानपुर एवं अन्य अधिकारीगण, जनपद कानपुर को दिया था ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में उपरोक्त एस० आई० श्री रावत के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ? अगर नहीं हुई, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं ।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्र, कानपुर को संबोधित श्री रघुनाथ सिंह से प्राप्त प्रार्थना-पत्र दिनाँक 30-7-82 की जाँच कराई गई । जाँच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए । उप निरीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

90—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

[8 वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोरखपुर की तहसील महराजगंज कस्बे के निकट बलिया नाले के पुल की मरम्मत का कार्य

91—**श्री फिरंगी प्रसाद विशारद —**

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज कस्बे के निकट इस वर्ष बलिया नाले के पुल के अकस्मात टूट जाने से तहसील मुख्यालय पर आना एवं जाना नेपाल राज्य का आवागमन तथा सामान्य तौर पर बसों, टैक्सियों एवं ट्रकों का संचालन बन्द हो गया है ? यदि हां, तो पुल को कितनी लागत से कितने समय के अन्दर उपयोगी स्तर प्रदान कर दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हाँ, प्रश्नगत पुल रु० 1.05 लाख लागत से मरम्मत करके यातायात के लिये दिनाँक 28-9-1982 को खोल दिया गया है ।

जनपद जालौन में जगम्मनपुर से कन्जौसा व रामपुरा से मिनाबली स्वीकृत मार्ग का निर्माण कार्य

92—**श्री दलगंजन सिंह**—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जगम्मन पुर से कन्जौसा व रामपुरा से मिनाबली जनपद जालौन स्वीकृति मार्ग के निर्माण कार्य को शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं ? यह मार्ग कब तक बन कर पूरे हो जायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

जगम्मनपुर से कन्जौसा मार्ग स्वीकृति नहीं है। रामपुरा से मिनाबली मार्ग 3.7 कि० मी० लम्बा है जिसमें कि० मी० 0.00 से 3 तक स्वीकृति है। 2.4 कि० मी० मार्ग में मिट्टी का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 600 मीटर में वन विभाग द्वारा भूमि उपलब्ध न होने के कारण कार्य नहीं हो पाया है।

मार्ग का पूरा होना भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

आगरा जनपद में गांव धनोली नरीपुरा और सहारा के विद्युतीकरण के संबंध में की गई कार्यवाही

93—**श्री विजय सिंह राना**—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में हरिजन बहुल गांव धनौली नरीपुरा, और सहारा जहाँ करीब दस वर्ष से ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु बिजली के खंभे खड़े हुए हैं, वहाँ आज तक विद्युतीकरण सम्भव क्यों नहीं हुआ ? इस सम्बन्ध में तत्कालीन ऊर्जा राज्य मन्त्री श्री सुनील शास्त्री ने दिनाँक 12 जुलाई, 1982 को उक्त गाँव में विद्युतीकरण करके 10 दिन में अपनी आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे ? क्या इन आदेशों के संदर्भ में कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्र की जा रही है।

आगरा परिक्षेत्र के मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता (विद्युत) के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच कार्यवाही

94—**श्री विजय सिंह राना**—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता की शिकायत पर आगरा परिक्षेत्र के मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता (विद्युत) श्री पी० के० गोयल के विरुद्ध विभागीय सतर्कता अधिष्ठान के द्वारा जो जाँच कार्यवाही चल रही थी इसके सम्बन्ध में क्या कोई अन्तरिम आख्या प्राप्त हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों और यह जाँच कार्यवाही कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

पूर्ण जाँच आख्या फरवरी, 1983 में प्राप्त हो गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा केन्द्रीय पेन्शन के लिये प्रार्थना-पत्र पर जांच रिपोर्ट

95—**श्री छत्तर सिंह—**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 15 जनवरी, 79 के बाद केन्द्रीय पेंशन के वास्ते स्वतन्त्रता सेनानियों के प्रार्थना-पत्र बहुत बड़ी संख्या में जांच के लिए पड़े हुए हैं ? जिनकी जाँच रिपोर्ट सरकार अभी तक केन्द्र को नहीं भेज पाई है ऐसे कितते प्रार्थना पत्र हैं उनकी जाँच रिपोर्ट कब भेज दी जायेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र —

केन्द्रीय पेंशन स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त किये जाने की अन्तिम निर्धारित तिथि 31-3-82 तक प्रदेश के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों में से केवल 1815 मामलों में जिलाधिकारियों से सेनानियों की सजायावी के सत्यापन के सम्बन्ध में आख्या के अभाव में केन्द्र शासन को संस्तुति प्रेषित करना शेष है । जिलाधिकारियों से आख्या प्राप्त होते ही केन्द्रीय शासन को प्रत्येक मामले में संस्तुति भेजा जाना सम्भव होगा ।

सीतापुर जनपद के वन विभाग के प्रमुख अधिकारी द्वारा अपनी धर्मपत्नी अथवा रिस्तेदारों के नाम से भूमि का कथित क्रय

96—**श्री हरगोविन्द वर्मा—**

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद में वन विभाग के प्रमुख अधिकारी सीतापुर ने अपने नाम अपनी बीबी के नाम और और अपने रिस्तेदारों के नाम कितनी जमीन खरीदी है ? क्या सरकार इसकी जाँच करके आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

इस समय सीतापुर जनपद में वन विभाग के प्रमुख अधिकारी श्री शरद चन्द्र, प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग सीतापुर है, जिन्होंने अपने, अपनी धर्मपत्नी अथवा रिश्तेदारों के नाम कोई भी जमीन नहीं खरीदी है । अतः जाँच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

97—**श्री हरगोविन्द शर्मा—**

[6 वें बुधवार में अतारांकित प्र० सं० 77 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

स्थायी खण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग, मथुरा के भू० पू० सहायक अभियन्ता के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच रिपोर्ट

98—**श्री सरदार सिंह—**

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थायी खण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग, मथुरा के भू० पू० सहायक अभियन्ता श्री अमर सिंह के विरुद्ध कोई सतर्कता अधिष्ठान की जाँच चल रही है ? यदि हाँ, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हाँ ।

जाँच अभी जारी है ।

आई० टी० आई० इटावा के अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति न देने के विरुद्ध कार्यवाही

99—**श्री केदारनाथ सिंह**—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आई० टी० आई० इटावा के अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों को गत वर्ष 1981-82 में छत्रवृत्ति नहीं दिया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

हरदोई जनपद के सन्डीला-गौसगंज-मेंहदी घाट मार्ग की मरम्मत का कार्य

100—**श्री राम आसरे वर्मा**—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के अन्तर्गत सन्दीला-गौसगंज-मेंहदी घाट मार्ग की मरम्मत कितने वर्षों से नहीं कराई गई ? क्या उसकी जीर्णावस्था की जाँच कराकर जीर्णोद्धार हेतु व्यवस्था करने पर शासन विचार करेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत आवश्यकतानुसार प्रत्येक वर्ष कराई जाती है ।

वर्ष 1982 की वर्षा ऋतु में अत्यधिक वर्षा के कारण जो दाग उत्पन्न हुये थे उनकी मरम्मत प्रगति में है ।

सचिवालय कालोनी, महानगर के रिटायर कर्मचारियों द्वारा सरकारी क्वार्टस खाली कराये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

101—**श्री राम आसरे वर्मा**—

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री को इस बात की जानकारी है कि सचिवालय कालोनी, महानगर लखनऊ में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें रिटायर हुए 3 वर्ष से भी अधिक हो गया है और वे अभी भी सरकारी क्वार्टर्स में रह रहे हैं ? उनसे आवास खाली न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं । सचिवालय कालोनी महानगर, लखनऊ में ऐसा कोई कर्मचारी अध्यासित नहीं है जिसको सेवानिवृत्ति हुये तीन वर्ष से अधिक हो गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य विद्युत परिषद द्वारा मृतक गंगादीन के परिवार का क्षतिपूर्ति का भुगतान

102—**श्री भीखालाल**—

क्या ऊर्जा मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के तीसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 104 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि गंगादीन

मृतक की क्षति पूर्ति के मामले पर राज्य विद्युत परिषद ने विचारोपरान्त निर्णय ले लिया है और मृतक के आश्रितों को क्षति पूर्ति का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र —

जी हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ने विचारोपरान्त निर्णय लेने के उपरान्त रु० 5000/- की धनराशि मृतक श्री गंगादीन के परिवार को क्षतिपूर्ति के रूप में स्वीकृत किया है। अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, उन्नाव ने रु० 1000/- की धनराशि का भुगतान चेक संख्या 414938 दिनांक 2-2-82 द्वारा मृतक के आश्रितों को कर दिया था। अवशेष धनराशि रु० 4000/- को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ने जिलाधिकारी, उन्नाव के कार्यालय में दिनांक 17-1-83 को मृतक के आश्रितों को भुगतान हेतु जमा कर दिया है तथा जिलाधिकारी उन्नाव ने भी अपने पत्र संख्या 1598/ 80-81/ न्याय सहायक दिनांक 17-2-83 द्वारा श्रीमती चन्द्रावती पत्नी मृतक श्री गंगादीन को सूचित किया गया है कि वे रु० 4000/-की धनराशि उनके कार्यालय से प्राप्त कर लें।

राम अवध वर्मा की थाना पकड़ी जिला बलिया में की गई रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

103—**श्री भीखालाल—**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम अवध वर्मा, निवासी ग्राम रामपुर कटराई थाना सिकन्दरपुर जिला बलिया की रिपोर्ट पर थाना पकड़ी जिला बलिया में अपराध संख्या 18 धारा 420 आई. पी. सी. सम्बन्धित थाना जी. आर. पी. कैण्ट, वाराणसी में दिनांक 26-5-82 को कायम हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्रीपति मिश्र —

जी हाँ।

मामले में विवेचना की जा रही है।

श्री बृजेश कुमार पाण्डेय की उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में सेवायें तथा अनुमन्य कथित सुविधा

104—**श्री मोहन सिंह—**

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बृजेश कुमार पान्डे को प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा 20 दिसम्बर, 1978 को कार्यरत किया था तथा ये नियमित सेवा करते आ रहे हैं किन्तु उन्हें आज तक बोनस, चिकित्सा आवास एवं अवकाश की सुविधा नहीं दी गई है तथा बिना कारण सितम्बर, 1981 से वेतन भुगतान भी नहीं किया जा रहा है क्या इस संबंध में विधान परिषद नेता विरोधी दल ने विगत सितम्बर, 1982 में कोई पत्र लिखा है यदि हाँ, तो पत्र की मुख्य मांगे क्या हैं तथा शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं। न तो श्री पांडे निगम की नियमित सेवा में थे, न ही 20-12-1982 से कार्यरत थे और न ही उन्हें किसी नियमानुसार अनुमन्य सुविधा अथवा वेतन से वंचित

रखा गया । नेता विरोधी दल, श्री मुलायम सिंह यादव ने सितम्बर, 1982 में मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने मुख्य मंत्री जी को यह अवगत कराते हुये कि श्री बृजेश कुमार पांडे को श्रम कानून के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधायें बोनस, चिकित्सा, आवास एवं अवकाश की सुविधायें नहीं दी जा रही हैं, सितम्बर, 1981 से उनका वेतन बन्द कर दिया गया है, वेतन के केस पर श्रम उपायुक्त द्वारा श्री पांडे को तत्काल वेतन भुगतान करने का आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, मुख्य मंत्री जी से यह अनुरोध किया था कि वह इस संबंध में उचित आदेश प्रदान करके प्रार्थी को न्याय प्रदान करने की कृपा करें । इससे ऐसा आभास होता है कि उनकी मुख्य मांग श्री पांडे को वेतन दिए जाने के बिंदु पर श्रम उपायुक्त के आदेश का अनुपालन किये जाने की थी । उनके उक्त पत्र दिनांक 18-9-1982 में विशिष्टतः "मांग" के नाम से कोई बात नहीं कही गई थी । उस समय वेतन के बिंदु पर श्री पांडे की पहल पर राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों और उनके बीच चल रहा मुकदमा अपील की शक्ल में जिला जज, लखनऊ, न्यायालय में विचाराधीन था जिसका निर्णय 14-10-82 को न्यायालय ने श्री पांडे के विरुद्ध किया । उक्त पत्र पर किसी अन्य निर्णयात्मक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

श्री जानकी प्रसाद मिश्र निवासी ग्राम पड़री खुर्द, जनपद उन्नाव द्वारा गांव में गरीबों का शोषण एवं अराजकता फैलाने के विषय में शिकायती पत्र

105—**श्री मोहम्मद नबी**—

क्या सरकार बतायेगी कि श्री जानकी प्रसाद मिश्र निवासी ग्राम पड़री खुर्द, थाना अचलगंज, जनपद उन्नाव द्वारा गांव में गरीबों के शोषण एवं अराजकता फैलाने के विषय में श्री बलबीर सिंह, विधायक, फर्रुखाबाद का कोई पत्र माह अक्टूबर, 1982 में जिलाधिकारी, उन्नाव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर बिंदुवार अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

जाँच से पाया गया कि श्री जानकी प्रसाद एक चालाक किस्म के व्यक्ति हैं और इनके विरुद्ध 107/116 दं प्र. सं. की कार्यवाही दिनांक 10-9-82 को की जा चुकी है । श्री जानकी प्रसाद द्वारा सम्भ्रांत परिवार के लड़कों को गलत कार्य के लिये प्रेरित करने के आरोप प्रमाणित नहीं हुये । अब तक थानाध्यक्ष को इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं की गई है कि श्री जानकी प्रसाद पुलिस के नाम पर रुपया वसूल कर नाजायज धंधा करते हैं ।

श्री जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव, निवासी ग्राम पड़री खुर्द, जनपद उन्नाव द्वारा गांव में अराजकता फैलाने के सम्बन्ध में पत्र

106—**श्री मोहम्मद नबी**—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव निवासी ग्राम पड़री खुर्द, थाना अचलगंज जनपद, उन्नाव द्वारा गांव में अराजकता फैलाने के विषय में श्री बाबू राम, सदस्य, विधान सभा का कोई पत्र माह अक्टूबर, 1982 में पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर प्रस्तरवार अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

श्री जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव निवासी ग्राम पड़री खुर्द थाना अचलगंज उन्नाव द्वारा गाँव में अराजकता फैलाने के विषय में श्री बाबूराम सदस्य विधान सभा का कोई पत्र माह अक्टूबर 1982 में पुलिस अधीक्षक उन्नाव के कार्यालय में आना नहीं पाया गया है। फिर भी श्री जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव निवासी ग्राम पड़री खुर्द की गतिविधियों की छान-बीन की गई। जांच से पाया गया कि श्री जगदम्बा प्रसाद एक प्रतिष्ठित नागरिक हैं।

जनपद सीतापुर में अभिजनन हेतु वितरित किये गये सांड़ों की सूची

107—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

क्या पशुपालन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला सीतापुर में कितने सांड किस-किस को गर्भाधान के लिये विभाग द्वारा वर्ष 1971 से 81 तक सौंपे गये ? उनमें से कितने सांड अभी जिन्दा हैं ?

श्री संजय सिंह—

वर्ष 1971 से 1981 तक सीतापुर जनपद में 63 सांड़ नस्ल सुधार हेतु संलग्न सूची में उल्लिखित व्यक्तियों को दिये गये। उनमें से 42 सांड़ अभी जीवित हैं।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ पर।)

पशु चिकित्सालय, मीरनपुर कटरा, जनपद शाहजहाँपुर के भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

108—**श्री सत्यपाल सिंह यादव—**

क्या पशुपालन मंत्री कृपया बतायेंगे कि पशु चिकित्सालय मीराजपुर कटरा, जिला शाहजहांपुर में पशु चिकित्सालय व आवासीय भवनों के लिए कितना रुपया कब से स्वीकृत है ? इस निर्माण कार्य के प्रारम्भ न हो पाने में कौन अधिकारी दोषी है ? सरकार उपरोक्त चिकित्सालय व भवनों का निर्माण कब तक प्रारम्भ करा रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

पशु चिकित्सालय, मीरनपुर कटरा, जनपद शाहजहांपुर के भवनों के निर्माण हेतु रु० 1,50,000 की धनराशि जनवरी, 1983 में स्वीकृत की गयी है। निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो जायगा। अतः किसी के दोषी ठहराये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

109—**श्री मोहन सिंह—**

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया]

श्री सुरेन्द्र सिंह वर्मा, सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग का कार्यकाल तथा स्थानान्तरण

110—**श्री सरदार सिंह—**

क्या सा०नि० मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुरेन्द्र सिंह वर्मा, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, मथुरा अपनी कुल सेवा में मथुरा जनपद में कितने दिन रहे ? क्या शासन उनका स्थानान्तरण शीघ्र करने की कृपा करेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्री सुरेन्द्र सिंह वर्मा सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग अपने कुल 22 वर्ष के सेवा काल में लगभग 18 वर्ष 8 माह मथुरा में ही विभिन्न पदों पर एवं विभागों में तैनात रहे हैं।

आगामी सामान्य स्थानान्तरणों के समय इनका मथुरा से अन्यत्र स्थानान्तरण कर दिया जायगा।

विद्युत भण्डार संगठन उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत कार्यरत मस्टर रोल कर्मचारी तथा उनका नियमितीकरण

111—**श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—**

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत भंडार उत्तर प्रदेश में सूचीबद्ध कितने मस्टर रोल कर्मचारियों को काम नहीं दिया गया है ? उनमें से कितने कर्मचारियों के सेवाओं का नियमितीकरण किया गया है तथा सेवाओं के नियमितीकरण में क्या कठिनाई है एवं सभी मस्टररोल कर्मचारियों को कब तक काम पर लगा दिया जायगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

विद्युत भण्डार संगठन उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत विभिन्न खण्डों में इस समय 46 मस्टर रोल कर्मचारी कार्यरत हैं। उपरोक्त मस्टर रोल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए कोई रिक्त पद उपलब्ध नहीं है। विद्युत भण्डार संगठन में नियमित सेवाओं के लिए कर्मचारियों की जब भी आवश्यकता होगी, इन्हीं कर्मचारियों को प्राथमिकता देकर नियमित किया जायगा।

112—**श्री कुंवर सिंह नेगी—**

[6 ठे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 95 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वशीरतगंज, राजेन्द्र नगर लखनऊ में बनी कालोनी 'मध्य आय वर्ग' आवासीय योजना का सरकारी तथा गैर सरकारी लोगों को आबंटन तथा नियमों के विपरीत किराये बढ़ाये जाने के विरुद्ध दायर की गयी याचिका

113—**श्री श्यामलाल बाजपेयी—**

क्या राज्य सम्पत्ति मन्त्री को ज्ञात है कि वशीरतगंज राजेन्द्र नगर लखनऊ, में बनी कालोनी "मध्य आय वर्ग" आवासीय योजना के अन्तर्गत केन्द्र से प्राप्त धन तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त धन से निर्मित हुई थी ? क्या यह सत्य है कि उक्त योजना के अन्तर्गत बने नियमों के आधार पर कालोनी "नो प्राफिट नो लास" के तहद सरकारी तथा गैर सरकारी लोगों को आबंटित की गई थी ? क्या यह सत्य है कि कालोनी के नियमों के विपरीत जनवरी, 81 से कालोनी के आवासों का किराया तिगुना चौगुना बढ़ा दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ। वशीरतगंज राजेन्द्रनगर लखनऊ में कालोनी का निर्माण भारत सरकार की मध्यम वर्ग आवासीय योजना के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण लेकर कराया गया था।

प्रश्नगत बिन्दुओं पर वशीरतगंज राजेन्द्र नगर कालोनी के अध्यसियों ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका संख्या 1537/81 आर०डी० सोनकर आदि बनाम राज्य मरकार आदि दायर की है, जो अभी उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। उक्त रिट याचिका के अतिरिक्त इस कालोनी के अध्यासियों में सिविल बाद के० जी० सिन्हा आदि बनाम राज्य सरकार सिविल जज मोहन लाल गंज के न्यायालय में प्रस्तुत किया है। चूंकि मामला न्यायालयों के विचाराधीन है, अतएव प्रश्न में उठाये गये बिन्दुओं का उत्तर सदन के समक्ष दिया जाना जनहित में नहीं है।

114—**श्री श्यामलाल बाजपेयी**—

क्या यह सत्य है कि शासन ने कभी इन आवासों को किरायेदारों से हायर परचेज पर देने की पेशकश की थी ? यदि हाँ, तो क्या इसकी सूचना सभी किरायेदारों को दी गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन उक्त कालोनी में निम्नतम आय वाले लोगों को बढ़ाए गए किराए से मुक्त कराने की घोषणा करेगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

उपर्युक्त कारणों वश इस प्रश्न में उठाये गये बिन्दुओं का उत्तर भी सदन के समक्ष दिया जाना जनहित में नहीं है।

न्यायिक सेवा परीक्षा में उर्दू के प्रश्न-पत्र की उपयोगिता पर विचार

115—**श्री जसवन्त सिंह विष्ट**—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा हिन्दी है ? यदि हाँ, तो राज्य की न्यायिक सेवाओं में उर्दू भाषा का प्रश्न पत्र आवश्यक क्यों किया गया है ? क्या सरकार इसे समाप्त करने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिन्दी है।

उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) नियमावली, 1951 के प्राविधानों के अनुसार न्यायिक सेवा परीक्षा में उर्दू का प्रश्न-पत्र रखा जाता है।

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा में उर्दू के प्रश्न-पत्र की उपयोगिता के विषय पर विचार किया जा रहा है।

न्यायालय शुल्क समाप्ति के विषय में उपसमिति का गठन तथा विचार

116—**श्री हुकम सिंह**—

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्रीय विधि मंत्री की अध्यक्षता से गठित उप-समिति ने न्यायालय शुल्क समाप्त करने का कोई प्रस्ताव प्रदेश सरकार से किया है ? यदि हां, तो प्रस्ताव की रूप रेखा क्या है और क्या सरकार उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुपालनार्थ न्यायालय शुल्क समाप्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

केन्द्रीय विधि मंत्रालय से सम्बद्ध परामर्शदात्री समिति ने न्यायालय शुल्क समाप्ति के विषय में एक उपसमिति का गठन किया था जिसके अध्यक्ष श्री जगन्नाथ कौशल थे जो

इस समय केन्द्रीय विधि मंत्री हैं। इस उप समिति ने न्यायालय शुल्क समाप्त करने की संस्तुति की थी और इस संस्तुति का अनुमोदन परामर्शदात्री समिति ने जुलाई, 1981 में किया। उक्त उप समिति की संस्तुति तथा परामर्शदात्री समिति की कार्यवाही के उद्धरण केन्द्रीय विधि मंत्रालय द्वारा सभी राज्य सरकारों को विचारार्थ जनवरी, 1982 में भेजे गये थे।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इस मामले पर विचार किया जा रहा था। इसी बीच जून, 1982 में नई दिल्ली में अखिल भारतीय विधि मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें अन्य विषयों के साथ न्यायालय शुल्क के समाप्त करने के विषय पर भी विचार किया गया। इस सम्मेलन में न्यायालय शुल्क की समाप्ति का प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया और न्यायालय शुल्क के अभिनवीकरण (रेशनलाईजेशन) के प्रश्न पर विचार हेतु पाँच राज्यों के न्याय मंत्रियों की एक समिति गठित की गई। इस समिति द्वारा न्यायालय शुल्क के अभिनवीकरण के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा न्यायालय शुल्क समाप्ति के प्रश्न पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

सचिवालय की विभिन्न शाखाओं द्वारा अभ्यर्पित या स्थानान्तरित सहायकों को बाह्य प्रतीक्षा काल के वेतन भुगतान की व्यवस्था

117—**श्री सन्त बक्स रावत**—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय के तमाम प्रवर वर्ग सहायक, अवर वर्ग सहायक तथा टंकण तैनाती के अभाव में महीनों तक बाध्य प्रतीक्षा में रखे जाते हैं और उन्हें नियमित रूप से वेतन भी नहीं मिलता है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और वर्तमान स्थिति को देखते हुये क्या मुख्य मंत्री जी बाध्य प्रतीक्षा सेल की स्थापना करने पर विचार करेंगे जिससे बाध्य प्रतीक्षारत सहायकों को समय से वेतन मिल सके ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सचिवालय की विभिन्न शाखाओं द्वारा अभ्यर्पित या अन्यत्र स्थानांतरित सहायकों में से मात्र कुछ को ही कभी-कभी अल्पसमय के लिए तैनाती हेतु बाध्य प्रतीक्षा करनी होती है। नियमों के अनुसार बाध्य प्रतीक्षाकाल के वेतन भुगतान की व्यवस्था की जाती है। बाध्य प्रतीक्षा का कारण शाखाओं की आन्तरिक अपरिहार्य परिस्थितियां होती हैं। बाध्य प्रतीक्षा सेल की स्थापना किए जाने पर विचार करने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता।

राजकीय सेवाओं की श्रेणी 'ख' में भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण

118—**श्री जयदीप सिंह बरार**—

क्या सैनिक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की राजकीय सेवाओं की श्रेणी 'ख' में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण है और क्या इस श्रेणी 'ख' की सेवाओं में इस आरक्षण की पूर्ति कर ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

श्रेणी "ख" में 8% का आरक्षण है। उपरोक्त आरक्षण की पूर्ति नहीं हुई है।

इस सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग को स्मरित कराया जा रहा है।

जनपद बदायूं में टाउन एरिया कुंवर गांव, ग्राम बगरैन, में विद्युत सब स्टेशन के निर्माण की योजना

119—**श्री मोहम्मद अबरार अहमद**—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में टाउन एरिया कुंवर गाँव, ग्राम बगरैन, ब्लाक बजीरगंज एवं नगर बदायूं में विद्युत सब स्टेशन बनाने की योजना विद्युत विभाग द्वारा विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो उक्त विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कब तक किये जाने की सम्भावना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ। बदायूं नगर तथा ग्राम बगरैन ब्लाक वजीरगंज में विद्युत सब स्टेशन निर्माणाधीन है। टाउन एरिया कुंवर गाँव में विद्युत सब स्टेशन के निर्माण पर 1984-85 में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि तथा अन्य सब स्टेशनों के निर्माण की प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

लखनऊ पुलिस के कर्मचारियों को भविष्य निधि की रसीदें

120—**श्री राम आसरे वर्मा**—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ पुलिस के कर्मचारियों को उनकी भविष्य निधि (जी०पी०फण्ड०) की रसीदें वर्ष 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1981-82 को प्राप्त करायी जा चुकी है ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ ! लखनऊ पुलिस के हेड कान्स० व इससे उच्च स्तर के पुलिस कर्मियों को उनकी भविष्य निधि की लेखा पर्चियाँ वर्ष 1977-78 से लेकर वर्ष 1981-82 तक की प्राप्त कराई जा चुकी हैं।

कान्सटेबिल व चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों को लेखा पर्चियाँ देने का प्राविधान नहीं है बल्कि उक्त श्रेणी के कर्मियों की पास-बुकें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रक्खी जा रही हैं।

बुलन्दशहर विद्युत वितरण मण्डल में लाइनमैन तथा अवर अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमित नियुक्ति/प्रोन्नति के मामले

121—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बुलन्दशहर जिले के विद्युत वितरण मण्डल में कितने लाइनमैन तथा अवर अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमित नियुक्ति तथा नियम विरुद्ध प्रोन्नति की शिकायतें अधीक्षण अभियन्ता बुलन्दशहर को 1 जनवरी से 31 जुलाई, 82 के बीच मिलीं ? शिकायतों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ। शिकायती पत्र में एक लाइन मैन छः अवर अभियन्ता तथा दो अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध अनियमित नियुक्ति/प्रोन्नति, अवैध रूप से विद्युत कनेक्शन चलवाने,

स्थानान्तरण के फलस्वरूप कार्यमुक्त न होने, किसानों को परेशान करने, परिषदीय सम्पत्ति का गबन करने, गलत तरीके से मीटर लगाने, डुप्लीकेट प्लायर रखने, लाइन बनाने के कार्यों में गलत तरीके अपनाना तथा परिषद् के आदेशों की अवहेलना करने के आरोप लगाये गये हैं। चार अवर अभियंता तथा दो अधिशासी अभियंता के विरुद्ध जाँचोपरान्त आरोप निराधार पाये गये अतः इनके मामले को समाप्त कर दिया गया है। सर्वश्री परमानन्द शर्मा लाइन मैन, ए०एस० चौहान अवर अभियंता तथा आर०पी० अग्रवाल अवर अभियंता के विरुद्ध जांच हो रही है।

रामपुर-रुद्रपुर राजमार्ग पर पुलियों एवं पुलों को चौड़ा करने का प्रस्ताव

122—**श्री जयदीप सिंह बरार**—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर-रुद्रपुर राजमार्ग पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कौन कौन से पुलों एवं पुलियों को चौड़ा किया जा रहा है अथवा ऐसा करना प्रस्तावित है ? यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

123—**श्री खैरुल बशर**—

[स्पष्टीकरण हेतु निरस्त]

ग्राम कुतरैया तहसील आंवला (बरेली) में हुए अग्निकांड से जनधन की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(समय 12.30 बजे अपरान्ह)

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत मुझे 25 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिसमें श्री कन्हैया लाल जी की 200 शब्द से अधिक होने के कारण अस्वीकार कर दी गई है, माननीय श्री हरगोविन्द वर्मा जी की भी 200 शब्द से अधिक होने के कारण अस्वीकार कर दी गई है। माननीय श्री जटाशंकर सिंह जी की सूचना वक्तव्य के लिये निर्धारित है। माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी और श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री जी की सूचना पर चर्चा लगी है। माननीय श्री हरिवंश सहाय एवम् श्री नन्द किशोर सिंह जी की सूचना 200 शब्द से अधिक होने के कारण अस्वीकार की गई। माननीय श्री मोहन सिंह जी की सूचना भी 200 शब्द से अधिक होने के कारण अस्वीकार की गई है। माननीय श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ एवं श्री माता प्रसाद जी की सूचना 200 शब्द से अधिक होने के कारण अस्वीकार कर दी गई है। माननीय, सर्वश्री नन्दराम, सत्यपाल सिंह, मसरुर जाफरी, फिरंगीप्रसाद विशारद और श्री सोमांश प्रकाश जी की सूचनाओं को स्वीकार किया गया है और बाकी सभी सूचनाओं को अस्वीकृत कर दिया गया है।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, आप देखें मेरी सूचना 200 शब्द से अधिक नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसे बाद में देख लूँगा।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, जिन सूचनाओं में 200 शब्द से अधिक होते हैं उन्हें आप अस्वीकार कर देते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें मैंने माननीय श्री नन्द राम जी के लिये कह दिया है ।

***श्री नन्द राम—**

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूँ कि दिनाँक 27/2/83 को बरेली जिले की तहसील आंवला के ग्राम कुतरैया में भीषण अग्नि-काण्ड हो गया । 40 मकान बिलकुल भस्मसात हो गया । कई बच्चे तथा महिलाएँ और 4 पशु घायल हुए । परन्तु आपको, मान्यवर, जानकार आश्चर्य होगा कि अभी तक गाँव वालों को कोई भी सहायता नहीं दी गयी । सहायता तो दूर रही उल्टे जब वह सहायता की फरियाद करने तहसील केन्द्र पर गये तो उन्हें गालियां देकर भगा दिया गया । इससे जनता में भीषण असंतोष एवं उत्तेजना है ।

अतएव लोक महत्व के इस विषय पर ध्यान आकृष्ट करता हूँ कि जिनके घर जले हैं उन्हें गृह अनुदान एवं अहेतुक सहायता दी जाय और दुर्व्यवस्था करने वाले अधिकारी को दंडित किया जाय ।

किला मोहल्ला मघई टोला (शाहजहांपुर) मुसलमानों की बस्ती में राइस मिल के लगाने से साम्प्रदायिक दंगे के भड़कने की सम्भावना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री सत्यपाल सिंह—**

मा० अध्यक्ष जी, साम्प्रदायिक दंगा किसी भी क्षण जनपद शाहजहांपुर में भड़क जाने से पूर्व ही सरकार व सदन को अवगत करा देना चाहता हूँ कि यदि फौरी कदम न उठाये गये, यदि प्रशासनिक अधिकारियों ने तत्काल हस्तक्षेप न किया तो कभी भी मेरठ, मुरादाबाद की पुनरावृत्ति शाहजहाँपुर में हो सकती है ।

जनपद शाहजहाँपुर में मोहल्ला किला मघई टोला मुसलमानों की घनी बस्ती है उसी मोहल्ले में मनोहर राइस मिल के मालिक एक बड़े सेठ ने अपना एयर बायलर वाला राइस मिल खोलकर अल्प संख्यकों की जिन्दगी व इज्जत से खिलवाड़ शुरू कर दी है । मिल के सामने खड़ी मस्जिद भूसी से ढक जाती है । नमाजी नमाज नहीं पढ़ पाते हैं मिल के ऊपर काम करने वाले मजदूरों से मुस्लिम महिलाओं की बेपर्दगी होती है । बायलर व ड्रायर कभी भी बस्तियों में नहीं लगाया जाता है क्योंकि इसके फटने से सैकड़ों बच्चे और पुरुष काल के गाल में किसी भी क्षण समा सकते हैं । इस बड़े सेठ ने अपने तरीकों से अधिकारियों को मुंह बन्द कर रखा है । अल्पसंख्यकों में भीषण असन्तोष, रोष व तनाव व्याप्त है ।

अत: परिस्थिति की गम्भीरता में कुछ भी घटना होने से पहले सरकार से तत्काल कार्यवाही की माँग करता हूँ ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बलरामपुर चीनी मिल (गोण्डा) द्वारा किसानों के पांच लाख रुपये के बाण्ड को रद्द कर देने से किसानों का गन्ना सूखने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री मसरूर जाफरी—**

मा० अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक अत्यन्त लोक महत्व की सूचना आदरणीय सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ।

जनपद गोण्डा के उतरौला क्षेत्र में किसानों का 5 लाख रुपये का बाण्ड बलरामपुर चीनी मिल द्वारा रद्द कर दिये जाने से गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। परिणामस्वरुप गन्ना खेतों में सूख रहा है और सरकारी देयों के लिये किसान जोर जबरदस्ती का शिकार बनाया जा रहा है। सहयापुर नामक गन्ना क्रय केन्द्र को बन्द कर दिया गया है मिल मालिकों की उक्त हरकतों से व्यापक असन्तोष बढ़ता जा रहा है।

लोक महत्व की इस अविलम्बनीय सूचना से सदन को अवगत कराते हुए मांग करता हूँ कि तत्काल कार्यवाही की जाय ताकि किसानों का गन्ना निकासी की व्यवस्था हो सके।

नगर महापालिका गोरखपुर के मोहल्लों के बीच से होकर बहने वाले गन्दे नाले से संक्रामक रोग फैलने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मा. अध्यक्ष महोदय। मैं इस माननीय सदन व नगर विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान एक अविलम्बनीय महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ।

नगर महापालिका गोरखपुर के अन्दर रेती चौक, रायगंज, हिन्दी बाजार, बेतिया-हाता, दाऊदपुर एवं विलंदपुर होते हुए एक विशाल गन्दा नाला शहर के प्रमुख सरकारी संस्थानों से होकर बहता हुआ रामगढ़ ताल में गिरता है।

यह नाला अत्यन्त बदबूदार पानी लेकर बहता है। वायु प्रदूषण की स्थिति से काफी संक्रामक रोग होते रहते हैं। मच्छरों से अनेक रोग हो रहे हैं। रामगढ़ ताल पर्यटक स्थल के साथ सुन्दरीकरण हो रहा है, परन्तु बदबू के घेरे में इस नाले के इधर-उधर रहना अति कठिन हो गया है।

सम्बन्धित मुहल्लों के लोग जिला अधिकारी/प्रशासन, नगर महापालिका के समक्ष प्रदर्शन व धरना देने के लिए अब बाध्य हैं। इनकी मांग यह है कि नाले को राप्ती नदी में गिराया जाय या पक्का कराते हुए ऊपर से बन्द कर दिया जाय।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शीघ्र उचित कार्यवाही की माँग करता हूँ।

मुजफ्फरनगर जनपद में बिजली की आपूर्ति न होने से फसल की क्षति एवं फार्मर के समक्ष अध्ययन की समस्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*** श्री सोमांश प्रकाश—**

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से शासन को सूचित करना चाहता हूँ कि बिजली देहाती क्षेत्र में कठिनाई से 4-5 घण्टे ही चल रही है। इसमें भी ट्रिप्ट्स बहुत हो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सोमांश प्रकाश]—

जाते हैं। इस समय गेहूँ की फसल में पानी की नितांत आवश्यकता है। यदि इस समय पानी गेहूँ में न आया तो किसान को तो हानि होगी ही प्रदेश में गेहूँ के उत्पादन पर भी कुप्रभाव पड़ेगा जिससे प्रदेश में कृषकों के साथ साथ आम जनता भी प्रभावित होगी।

जनपद मुजफ्फरनगर में तो यह स्थिति अत्यन्त गंभीर हो रही है। विद्यार्थियों की परीक्षा 15 मार्च से होने वाली है। टाऊन फिडर्स पर भी बिजली रात में कट जाती है जिससे विद्यार्थियों में भी रोष व्याप्त है। उनकी साल भर की मेहनत का अन्तिम समय है।

मेरा शासन को सुझाव है कि यदि इस समय किन्हीं कारण से बिजली के उत्पादन में कमी हो गयी है तो चीनी मिलों को छोड़कर सभी उद्योगों पर विद्युत कटौती तुरन्त प्रभावी ढंग से लागू की जाए और ग्रामीण फीडर्स पर 10-12 घण्टे बिजली सुनिश्चित की जाए एवं रात्रि से टाऊन फीडर्स को भी विद्यार्थियों की परीक्षा समाप्त होने तक न काटा जाए।

प्रश्नों के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

एक औचित्य का प्रश्न माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का प्रश्नों के संबंध में प्राप्त हुआ है, जिसे मैंने देखा है, मालुम होता है कि इसमें कहीं न कहीं पर कोई गड़बड़ी जरूर हुयी है चाहे हमारे कार्यालय की हो या किसी अन्य जगह की। मैं इसके लिए अलग से व्यवस्था करने के प्रयास कर रहा हूँ और आशा है कि इसी सत्र में कर दिया जायेगा।

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

मान्यवर, मेरी एक छोटी सी बात सुन लें इसमें मान्यवर, न आपकी कोई गलती है और न ही आपके कार्यालय की कोई गलती है, इसमें तो मान्यवर, शासन की ओर से एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार को दबाने की चेष्टा की जा रही है। मान्यवर, शिकायत आपके कार्यालय से नहीं है। मान्यवर, इस सवाल से स्पष्ट हो जायेगा कि यह सरकार किस प्रकार एक भ्रष्टाचार को दबाना चाहती है? प्रश्न है कि "क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में कितने ऐसे आई०ए०एस० एवं पी०सी०एस० अधिकारी सेवा में कार्यरत हैं जिनके विरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचारों के आरोपों की जाँच हो रही है? क्या यह सच है कि 18 आई०ए०एस० और 35 पी०सी०एस० अधिकारियों पर गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिसकी जाँच लगभग पूरी कर ली गयी है? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उन पर कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं?"

और मान्यवर, यह प्रश्न आपके द्वारा स्वीकार किया गया है और दूसरी बात मान्यवर, यह शासन को 4 माह पहले भेज दिया गया था और शासन ने भी इसकी सूचना संबंधी निर्देश लगभग 4 माह पूर्व ही दे दिये थे, परन्तु आज पता नहीं किन कारणों से यह कह कर हटा दिया गया यह प्रश्न कि स्पष्टी करण माँगा गया है, तो मान्यवर, इसी से साफ स्पष्ट है इस मामले को सरकार दबाना चाहती है, नहीं तो क्या कारण है कि जब जवाब आ जाए तब प्रश्न हटा लिया जाय?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपको आश्वासन दिया है कि इसी सेशन में इसका उत्तर अवश्य आ जायेगा, तब आपको इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहिए ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मेरी भी एक बात सुन लें, मेरे प्रश्न की अब कोई लिखित सूचना की आवश्यकता नहीं है ।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मेरे भी आज कई अतारांकित प्रश्न थे और के भी, परन्तु न आज किसी का उत्तर आया और न ही कल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—

इसको दिखावा लूँगा और भी प्रश्नों से संबंधित जो सूचना किसी मा० सदस्य के पास हो वह इस वक्त न उठाएं, एकदम से किसी बात को उठाने पर मैं उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं कर सकता हूँ, यदि ऐसी कोई बात है तो पहले से लिखकर दे दूँ तो मैं देख लूँगा ।

हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1978-79†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1978-79 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619—ए उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूँ ।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की वार्षिक लेखा रिपोर्ट वर्ष 1976-77 लेखा एवं वर्ष 1978-79 †

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की वार्षिक लेखा रिपोर्ट वर्ष 1976-77 लेखा एवं वर्ष 1978-79 को कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता है ।

हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट 1980-81

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट 1980-81 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूँ ।

---

† छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

यू० पी० स्टेट लैदर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन 1979-80 एवं 1980-81 ††

सिंचाई तथा उद्योग मंत्री (श्री वीर बाहदुर सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से दि यू०पी० स्टेट लेदर डेवलपमेन्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1979-80 एवं वर्ष 1980-81 को कम्पनीज ऐक्ट 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूँ ?

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमि० कानपुर का उन्नीसवां एवं बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 ††

सिंचाई तथा उद्योग मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० कानपुर का 19वाँ (उन्नीसवां) एवं 20वां (बीसवां) वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 को कम्पनीज ऐक्ट, 1958 की धारा 619-ए उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूँ ।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1975-76 एवं 1976-77 †

नगर विकास मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1975-76 एवं 1976-77 को, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण, अधिनियम, 1974 की धारा 39 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूँ ।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमि० की वार्षिक लेखा रिपोर्ट वर्ष 1975-76

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की वार्षिक लेखा रिपोर्ट वर्ष 1975-76 को कम्पनीज ऐक्ट 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूँ ।

उत्तर प्रदेश के वित्तीय निगम के वर्ष 1980-81 के लेखा पर महालेखाकार उत्तर प्रदेश द्वारा परीक्षा प्रतिवेदन †

सिंचाई तथा उद्योग मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के वर्ष 1980-81 के लेखा पर, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा परीक्षा प्रतिवेदन को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 की धारा 37 की उपधारा(7) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूँ ।

---

† छापी नहीं गयी ।
†† छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, चुर्क, मिर्जापुर, का अष्टम वार्षिक प्रतिवेदन 1979-80

सिंचाई तथा उद्योग मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, चुर्क मिर्जापुर का अष्टम वार्षिक प्रतिवेदन 1979-80 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) [संशोधन] विधेयक 1983

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष की अनुमति से मैं घोषणा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1983 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनाँक 25 फरवरी, 1983 के उपवेशन में पारित किया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 2 मार्च, 1983 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 4 मार्च, 1983 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1983 का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1983

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष की अनुमति से मैं घोषणा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1983 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 15 फरवरी, 1983 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 23 फरवरी 1983 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 2 मार्च, 1983 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1983 का उत्तर प्रदेश दूसरा अधिनियम बन गया।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा पुलिस की सहायता से नई बस्ती (लखनऊ स्थित मस्जिद को कथित क्षति पहुँचाये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

***मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—**

आदरणीय सदन में यह प्रश्न दिनांक 24 फरवरी 1983, को उठाया गया था कि नबीउल्लाह रोड नई बस्ती में स्थित दो—मीनारा मस्जिद की लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों ने गिराया और जिस किसी ने प्रतिरोध अथवा आपत्ति की उसको बुरी तरह मारा पीटा गया। उस समय सदन में मैंने यह बात कही थी कि इस मामले की विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करके मैं आदरणीय सदन के सामने पूरी स्थिति रखूँगा। मामले की जाँच नगर मजिस्ट्रेट द्वारा करायी गयी तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण के अभिलेखों की भी छानबीन की गयी।

---

† छापा नहीं गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया गया।

[श्री श्रीपति मिश्र—]

2—नगर मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जाँच तथा विकास प्राधिकरण के अभिलेखों से प्राप्त सूचना के अनुसार यह बात सामने आयी कि संदर्भित निर्माण अनधिकृत था तथा विकास प्राधिकरण द्वारा इस अवैध निर्माण को गिराये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की गई थी। यह बात भी सामने आई कि संदर्भित भूखण्ड नजूल भूमि है जिसका पट्टा किसी भी व्यक्ति के नाम नहीं था।

3—जहाँ एक ओर उपरोक्त तथ्य सम्बन्धित अभिलेखों तथा जाँच आख्या से दृष्टिगत हुए वहीं दूसरी ओर सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा यह बात अब भी कही गई कि जो निर्माणाधीन दीवार आदि गिराई गयी थी वह एक मस्जिद का हिस्सा थी और इसका प्रयोग मस्जिद के रूप में हो रहा था। इस तरह से शासन के समक्ष दोनों पक्ष आये हैं जिससे स्थिति अभी स्थल के प्रयोग के बारे में अनिश्चित बनी हुई है।

4—मैंने 24 फरवरी 1983 को इस सदन को आश्वासन दिया था कि यदि किसी मस्जिद का कोई भी हिस्सा वास्तव में गिराया गया है तो शासन द्वारा जो भी क्षति हुई होगी उसकी पूर्ति की जायेगी। अब क्योंकि दो परस्पर विरोधी तथ्य शासन के समक्ष रखे गये हैं—एक तथ्य वह है जो कि शासन द्वारा करायी गयी जांच के फलस्वरूप आया है तथा दूसरा वह जो उन व्यक्तियों द्वारा कहा गया है जिनके निर्माण कराये गये थे—इस लिये मैं यह न्याय-संगत समझता हूँ कि इस बात की और गहराई से जाँच होनी चाहिये कि सम्बन्धित भूखण्ड पर स्वामित्व की विधिक स्थिति क्या थी। इसलिये, मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त तथा माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए, शासन ने यह निर्णय लिया है कि संदर्भित भू-स्थल के सम्बन्ध में विवाद की जाँच एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से कराई जाय। इस जाँच के फलस्वरूप जो भी निष्कर्ष शासन के समक्ष आयेंगे उस पर शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

*श्री रियासत हुसेन—

श्रीमन् मुझे बड़ा दुख और अफसोस है कि 24 फरवरी, का यह मामला है और आज 8 तारीख हो गयी है। 15 दिन हो गये हैं। लखनऊ का मामला है, फिर भी मा० मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि अभी स्थल के बारे में वह निश्चित नहीं हैं। मेरे पास उस मस्जिद का फोटो है और मैंने उसको देखा है। मस्जिद की दीवारें गिरायी गयीं। दोनों मीनारों के ऊपर काला झंडा लगा हुआ है। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी 15 मिनट के लिए मेरे साथ चले चलें या कोई मन्त्री या अधिकारी मेरे साथ चलें और उसको देख लें, वह मौजूद हैं या नहीं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

माननीय अध्यक्ष जी इस वक्त वहाँ जाकर कोई भी बात देखी जा सकती है, परन्तु प्रश्न यह कि 24 फरवरी को क्या स्थिति थी उसकी जानकारी करने के लिए जांच करायी गयी। मैं चलकर स्थिति को देख सकता हूँ और जो सदस्य चलना चाहें वह भी चल सकते हैं, लेकिन जाँच आज की स्थिति की नहीं हो रही है, वह तो 24 फरवरी की स्थिति की है।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, 24 तारीख को जो मस्जिद गिरायी गई यह उसी का फोटो है। इसको मैं आपके पास भेजे दे रहा हूँ। (फोटो मा० मुख्य मंत्री जी के पास भेजा)। इसको देखकर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप नतीजा निकाल लेंगे। मैंने इस ओर माननीन संसदीय कार्य मंत्री जी का भी ध्यान आकृष्ट कराया.....और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यह एक सेन्टीमेट्स से भरा मामला है। वहाँ पर मारपीट भी की गई है लेकिन वह एक अलग चीज है। ताज मोहम्मद लड़के को मारा गया है। आज 9 वजे की मेरे पास सूचना है कि कल रात्रि में वजीरगंज की पुलिस उस लड़के को उठाकर ले गई है और अब यह शक किया जा रहा है कि कहीं उस लड़के का इन्काउन्टर न किया जाय। तो हम चाहते हैं कि इस मामले का निराकरण आज की ही तारीख में हो जाय। मौके पर जाकर यह देख लिया जाय कि 24 तारीख को वह मस्जिद थी या नहीं, इसका फैसला आज ही हो जाय। मेरे पास उस लड़के पर लगी 10 चोटों का मैडीकल सर्टिफिकेट भी उस वक्त का है जो कि एस० एस० पी० को दी गई दरख्वास्त में कहा गया है वह भी साफ हो जाएगा। मैं माननीय मन्त्री जी से यह चाहता हूँ कि इसका निराकरण इसका अंतिम फैसला आज की तारीख में हो जाना चाहिए ताकि सारी बातें साफ हो जायें।

श्री श्रीपति मिश्र—

अध्यक्ष जी, दो बातें सामने आयी हैं, एक तो ताज मोहम्मद की गिरफ्तारी की बात और दूसरे आज ही निर्णय करने की बात। इस संबंध में मैं माननीय सदन को सूचना देना चाहता हूँ कि ताज मोहम्मद नामक व्यक्ति 20-3-83 को पुलिस थाना वजीरगंज द्वारा गिरफ्तार हुआ था और उसकी गिरफ्तारी के बाद 20-2 को ही वह छूट गया था उसके बाद 7-3-83 को उसकी गिरफ्तारी थाना चौक ने किसी दूसरे मुकदमें में की गई। उसकी इस गिरफ्तारी का यह दूसरा प्रकरण था किसी दूसरे मुकदमे में उसकी गिरफ्तारी का वारन्ट था। वे दूसरे क्रिमिनल केस में गिरफ्तार किये गये। 5 मुकदमे क्रिमिनल केस के पहले से ही उसके ऊपर चल रहे थे।

जहाँ तक दूसरा आसपैक्ट है मैंने आपसे निवेदन किया कि मैं सदन में यह बात खुले दिल से कहना चाहता हूँ कि मैं किसी तरह से भी मस्जिद को गिराये जाने की बात को नजरअन्दाज नहीं करना चाहता और न ही उसको छोड़ना चाहता हूँ। जो वादा हमने इसके लिये किया है उसे मैं पूरा करना चाहता हूँ और पूरा करूंगा। इस बात को अन्यथा न समझें, धार्मिक बात को सामने रखकर कोई व्यक्ति अनुचित लाभ न उठा पाये, केवल इस बात को देखते हुए, क्योंकि वह नजूल की भूमि है, उस पर केवल मस्जिद की बात नहीं है, उस पर हिन्दू या कोई दूसरे-तीसरे लोग भी कब्जा करना चाहते थे और इस तरह से जो वहाँ पर कार्यवाही चल रही थी, उसके लिए एक बात सामने आ गई उस पर मैं आपसे कहता हूँ कि चाहे वहां पर पहले मस्जिद न रही हो, लेकिन वहाँ नमाज पढ़ी जाती रही हो, और उसमें नमाज की बात सामने आ गई तो हम आपसे एक कदम और आगे जाकर कहना चाहते हैं चाहे वहाँ पर मस्जिद का रूप न भी हो और साल डेढ़ साल से वहाँ पर लोग नमाज पढ़ रहे हों और उसकी अगर कोई क्षति हुई हो तो उसकी हम अवश्य पूर्ति करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

अब इसे समाप्त करें।

श्री हुकम सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, जो मुख्य मन्त्री जी ने जानकारी दी है मैं उसके सन्दर्भ में जानकारी चाहता हूँ कि शासन ने जो जांच कराई है उसके दौराने क्या जानकारी उन्हें

[श्री हुकम सिंह—]

वहां मिली है ? जो निर्माण कराया गया वह क्या था और कितना पुराना वह बना हुआ था ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जो जांच शासन द्वारा करायी गई थी उससे यह पता चलता था कि यह नजूल की भूमि है और उसका किसी को पट्टा नहीं दिया गया है। और यह नजूल का भूखण्ड नवी-उल्ला रोड पर संख्या 39,42 है इस पर कई जगह पर दूसरे लोगों ने जैसे बाबू लाल, भाई लाल सुरेन्द्र राज आदि थे बहुत से लोगों ने अपने अपने घर बना लिये थे उसमें से एक कमरे में चारों तरफ से एक दीवाल जो पुरानी थी दो, तीन फुट ऊँची थी इधर कुछ दिनों से 6 फीट या उससे ज्यादा बन गयी, पहले कम ऊँची थी अब ज्यादा ऊँची कर दी थी जिसको गिराया गया, पुरानी और नयी को गिराया गया।

[व्यवधान]

श्री अध्यक्ष—

इसको समाप्त करें। आपस में बातचीत कर लें और उसके बाद निवारण करें।

***श्री मुहम्मद आजम खां—**

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो एलान किया है मैं उनके जबाब का एहतराम करते हुए उनको मालूमात देना चाहता हूँ जिस मस्जिद की आपको फोटो पेश की गयी। अतिरिक्त सचिव ने अखबार में बयान दिया कि मस्जिद नहीं थी तो उसका फोटो आपको दिया गया है लेकिन 21-7-82 को पुत्तन को एक नोटिस इश्यू हुआ जिसमें मस्जिद का नक्शा बनाया गया है। अतिरिक्त सचिव की तरफ से कहा गया है कि हम इसका निर्माण रोकना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा और वैलिड सबूत कोई हो नहीं सकता है। अगर आप चाहे तो मैं इसका मूल पत्र आपको दे सकता हूं। चूंकि यह ओरिजनल है इसे मुझे वापस कर दिया जाय।

श्री रियासत हुसैन—

मुझे इस बात का खेद है, यह लखनऊ का मामला है, किस तरह अधिकारियों द्वारा मिस-गाइड करने का प्रयास किया गया। मैं अब इस बात की घोषणा करना चाहता हूँ कि प्रशासन के जिस अधिकारी ने भी आपको यह रिपोर्ट दी है कि फलाँ था ढिमकाना था। अगर मस्जिद थी तो उसके साथ आपकी सिम्पैथी है। तो इस बात को साफ करने के लिए इसी वक्त किसी माननीय सदस्य को मेरे साथ भेज दें, आपको जाने की जरूरत नहीं है, चाहे बाजपेयी जी को भेज दें, जिस किसी पर आपको भरोसा हो मैं साथ चलता हूँ। यदि वहां मस्जिद मौजूद हो, पहले से रही हो तो उस प्रशासनिक अधिकारी को आप दंडित करने की घोषणा करें और अगर मस्जिद न हो या पिछले कई सालों से न रही हो तो मैं माननीय सदन में एलान कर रहा हूं कि मैं इस्तीफा दे दूँगा।

श्री श्रीपति मिश्र—

मैं माननीय रियासत हुसैन जी की भावना की कद्र करता हूँ इसीलिये मैंने न्यायाधीश के द्वारा जांच करने की प्रक्रिया को स्वीकार किया है, इसकी माँग भी नहीं हुई थी। लेकिन मुझको यह लगा कि एक तरफ से बराबर मस्जिद और नमाज पढ़ने की बात आ रही है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नहीं कुछ नहीं था। इसीलिये मैंने न्यायाधीश की बात की है।

दूसरा जो आपने कहा कि इस तरह से गिराई गई, माननीय रियासत जी मस्जिद थी और गिराई गई, अधिकारियों ने उसे गिराया तो आपके दृष्टिकोण में तो है ही मेरा भी दृष्टिकोण सामने है, उस पर कदम चल रहा है हम लोगों से पूछ कर, उनसे जान कर कार्यवाही करना चाहते हैं। अगर मस्जिद गिराई गई तो निश्चित रूप से आश्वस्त करता हूँ कि न्यायाधीश की रिपोर्ट के बाद यह बात स्पष्ट होगी कि गिराई गयी है तो सख्त से सख्त कार्यवाही हर कर्मचारी के खिलाफ की जायेगी जिसका उससे संबंध हो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब इसको समाप्त करें।

श्री रियासत हुसैन —

मान्यवर, 15 दिन से मामला पड़ा हुआ है आप 15 दिनों में यह नहीं सुनिश्चित कर सके कि वहां मस्जिद है कि नहीं और न्यायाधीश को यह मामला दे दिया, तो पता नहीं इसमें कितने दिन लगेंगे ? इसलिये आज ही मामले को समाप्त करने के लिये मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप किसी को चाहे श्री श्यामलाल बाजपेयी को या श्री वीरबहादुर सिंह या श्री अम्मार रिजवी को भेज दें और देखकर यह मामला समाप्त हो जाय और न्यायाधीश को नियुक्त करने की कोई जरूरत नहीं है। यही मेरी प्रार्थना है।

श्री श्रीपति मिश्र—

मान्यवर मैंने, एक बात कही है कि आज मैं मा० श्याम लाल बाजपेयी या श्री गुफरान जाहिदी को क्यों भेजूं और श्री रियासत हुसैन की बात मान लूं कि जैसा कह रहे हैं वैसा है लेकिन प्रश्न यहाँ है कि 24 फरवरी को जब घटना हुई थी, वैसा था कि नहीं, इसकी जाँच हो रही है, यह जाँच थोड़ी हो रही है कि आज क्या है ?

श्री रियासत हुसैन—

मुझे खेद है कि लखनऊ के अन्दर ऐसे मामले को कुछ असामाजिक तत्वों की पूर्ति के लिये बिना वजह तूल दिया जा रहा है। प्राधिकरण के अधिकारी मुल्जिम हैं इसलिये तूल देने के लिये तथ्यों को शासन छिपाने का प्रयास कर रहा है। चूंकि लखनऊ का मामला है इसलिये मेरे पास सूचनायें आ रही हैं और वहाँ के वातावरण को दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन शासन इसको गंभीरता से नहीं सोच रहा है, इसलिये जनता पार्टी सदन का त्याग कर रही है।

(श्री रियासत हुसैन अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत 13 सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

पहली सूचना श्री मोहन सिंह की, लखनऊ विश्वविद्यालय में विधि संकाय में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में है, जिस पर आज वक्तव्य है।

[श्री अध्यक्ष—]

दूसरी सूचना श्री कुंवर सिंह नेगी और श्री सरेन्द्र सिंह भंडारी की तिब्बती शरणार्थियों के ऊपर देहरादून में पुलिस लाठी चार्ज के संबंध में है।

तीसरी सूचना श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की, गोमती नदी, लखनऊ के पानी के विषाक्त होने से मछलियों के मरने के संबंध में है और यही सूचना श्री सत्यपाल सिंह की भी है।

चौथी सूचना श्री हरिवंश सहाय, श्री नंद किशोर सिंह, श्री हरगोविन्द वर्मा, श्री रुद्र प्रताप सिंह, श्री माता प्रसाद पांडेय, श्री रियासत हुसैन, श्री राम गोविन्द और श्री अकबर हुसैन की अप्रेंटिस डिप्लोमा इंजीनियर्स द्वारा आमरण अनशन करने के सम्बन्ध में है।

आगे श्री बलबीर सिंह की सूचना है कि रामपुर में बिजली की आपूर्ति नियमित रूप से न होने के संबंध में है।

उसके आगे श्री गोपीनाथ वर्मा की सूचना, प्रदेश के बुनकरों के समक्ष उत्पन्न भीषण संकट के संबंध में है।

उसके आगे श्री प्रदीप कुमार यादव की सूचना, अयोध्या के पंडों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या से उत्पन्न असंतोष के संबंध में।

उसके आगे श्री दलगंजन सिंह की सूचना, जालौन में प्राकृतिक प्रकोप के कारण फसलें खराब होने के एवं वितरण में धाँधली के संबंध में।

उसके आगे श्री मुख्तार अनीस की सूचना सीतापुर में नदी नालों की बाढ़ से कई एकड़ भूमि जलमग्न होने के सम्बन्ध में हैं।

श्री कुंवर सिंह नेगी और श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी की सूचना पर मुझे सुनना है। जहाँ तक श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की सूचना का संबंध है तो इसी प्रकार की सूचना नियम 51 में मिली है इसलिये मैं इस पर विचार कर रहा हूँ और शाम को इस पर निर्णय दूंगा।

श्री हरिवंश सहाय और अन्य मा० सदस्यों ने जो अप्रेंटिस डिप्लोमा इंजीनियर्स के सम्बन्ध में सूचना दिया है तो इसको मैं नियम 301 में स्वीकार कर चुका हूँ। जो बलबीर सिंह जी की सूचना है उसका विषय पहले ही चर्चा के लिये स्वीकार है। गोपीनाथ वर्मा जी की सूचना को मुझे सुनना है। प्रदीप कुमार यादव की सूचना को भी सुनना है दलगंजन सिंह की सूचना को मैं नियम 301 में स्वीकार कर चुका हूँ...

श्री दलगंजन सिंह—

मान्यवर, मैंने नियम 301 में नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष—

आपने नहीं दिया है तो और किसी सदस्य ने दिया होगा। मैं देखवा लूंगा। मुख्तार अनीस की सूचना जो सीतापुर के नदी नालों के बारे में है, एक मिनट में इसको भी सुनूंगा...

श्री रामगोविन्द—

डिप्लोमा इंजीनियरों के बारे में क्या हुआ, उसे मैंने दिया है ?

श्री रुद्रप्रताप सिंह—

मान्यवर, मेरी सूचना बड़ी महत्वपूर्ण है, उस पर मैं यह कहना चाहता हूँ···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये, आपको अभी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ—(व्यवधान)

श्री रुद्रप्रताप सिंह—

अध्यक्ष महोदय, [आपको सुनना पड़ेगा] (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इस पर मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। पहले मुझे कुंवर सिंह नेगी को सुनने दीजिये (व्यवधान) मैंने आपकी बात को सुन लिया है, यह कहना कि सुनना ही पड़ेगा, उचित नहीं है···(व्यवधान) आपकी बात को मैंने सुन लिया है, समझ लिया है, अब आप कृपा करके बैठें···(व्यवधान)

श्री रुद्रप्रताप सिंह—

जब आपने अस्वीकार कर दिया, तो विवश होकर मुझे खड़ा होना पड़ा। आप निर्णय दीजिये। इस पर मुख्य मंत्री जी से बात हो चुकी है, उस सम्बन्ध में कोई बात तो यहाँ पर आवे।

श्री अध्यक्ष—

आप नियमों का पालन करें (व्यवधान) मैं आपको कोई आश्वासन नहीं दे सकता हूँ, आप बैठें।

श्री रुद्रप्रताप सिंह—

मान्यवर, आप रोज बैठने को कहते हैं, लेकिन आज एक मिनट आप सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

आप समझने की कोशिश कीजिये कि मैंने क्या कहा है ?

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, देहरादून से लगभग 200 तिब्बती शरणार्थी दिल्ली निर्गुट सम्मेलन में अपना पक्ष प्रस्तुत करने जा रहे थे। उन तिब्बती शरणार्थियों में महिलाएं, बच्चे व वृद्ध सभी सम्मिलित थे। देहरादून रेलवे स्टेशन पर जब वह पहुँचे, तो पुलिस ने उनपर बिना किसी नोटिस के या सूचना के वहाँ पर रोक दिया···

श्री अध्यक्ष—

आप केवल ग्राह्यता पर और संक्षेप में बोलें।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, हमारे संविधान में, हमारे कानून में यह सबके लिए है कि कोई भी

[श्री कुंवर सिंह नेगी—]

आदमी, जो हिन्दुस्तान में रहता है, वह अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। उनको वहां पर रोका गया, इतना ही नहीं पुलिस ने बड़ी बर्बरतापूर्वक उन पर लाठी चार्ज करके उनको मारकर घायल कर दिया, जिससे कई बच्चे और महिलाएं उनमें से घायल हुई हैं। पुलिस का इस प्रकार का जो अत्याचार हुआ, वह वहाँ की सामान्य जनता के लिए भी एक बुरी बात थी····(व्यवधान) इस घटना की वजह से वहाँ पर बड़ी गम्भीर और विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई है, लोगों में भारी भय और आक्रोष व्याप्त हो गया है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस पर आप अवश्य चर्चा के लिए समय दें।

श्री दलगंजन सिंह—

प्रजातन्त्र में किसी की भी कोई अवहेलना नहीं हो सकती है। सबको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, इस सदन में भी और इस सदन के बाहर भी। मेरी सूचना 10 लाख आदमियों से सम्बन्धित है। इसको नियम 51 में भी मैंने दिया है। हमारे जनपदों में भुखमरी है और सस्ते गल्ले की जो दुकानें हैं···

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, आप अपने स्थान पर बैठें।

(व्यवधान के मध्य श्री दलगंजन सिंह खड़े होकर कुछ कहते रहे, जो सुनाई नहीं पड़ा।)

श्री अध्यक्ष—

यह कुछ नहीं लिखा जायगा। माननीय दलगंजन सिंह आप बैठिये।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, आपके माध्यम से प्रदेश में बुनकरों की समस्याओं के संबंध में कार्यस्थगन के माध्यम से एक सूचना मैंने दी है। यह सरकार जिस तरीके से कहती है कि बुनकरों के विकास के लिए हम सचेष्ट हैं, उनके उद्योग को चलाने के लिए, मान्यवर, बैंकों से, कारपोरेशनों से जो कुछ ऋण दिया गया, उस समय ऋण जब दिया, तो आपके शासन ने समय पर विद्युत सप्लाई नहीं किया तथा उनका माल जो तैयार था, वह सप्लाई नहीं हुआ। मौजूदा समय में सरकार बड़ी सख्ती से अपने निर्देशों के अनुसार पूरे बुनकरों से बकाये की वसूली कर रही है और जिन बुनकरों से बकाया की वसूली नहीं हो पा रही है, उनकी गिरफ्तारी की जा रही है, उनको पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। श्रीमन्, जो उनकी वसूली है, वह कई किश्तों में वसूल की जाय। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने घोषणा किया था कि बुनकरों के जो बकाये हैं, उसे अनुदान के रूप में माफ कर दिया जायगा, परन्तु ऐसा नहीं किया गया। तो मान्यवर, इस संबंध में वक्तव्य दिलवा दें।

सिंचाई एवं उद्योग मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, जहाँ तक बुनकरों का सवाल है, शासन इस पर ध्यान देता चला आ रहा है। जो भी बुनकरों की समस्यायें हैं, यह कोशिश की जा रही है कि उनको पर्याप्त मात्रा में सही दामों पर सूत मिले। जो कर्ज की बात उठाई गयी, उसके संबंध में आदेश कर दिया गया है कि कड़ाई न की जाय। उनकी बार-बार मांग आ रही है कि उनके सूद माफ कर दिये जायं तो मान्यवर, शासन इस पर विचार कर रहा है।

(व्यवधान)

श्री खैरुल बशर—

मान्यवर मैं एक सूचना चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ । आप बैठिये ।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, मेरी सूचना के बारे में आपने कुछ नहीं कहा ।

श्री अध्यक्ष—

इस पर बाद में निर्णय दूंगा ।

***श्री मुख्तार अनीस—**

मान्यवर, बिसवां, महमूदाबाद के अन्दर प्रत्येक वर्ष बाढ़ की समस्या रहती है । वहाँ पर एक शारदा, दूसरी घाघरा नदियां बहती हैं । ये दोनों ही नदियाँ सीतापुर के समीप मल्लापुर के पास मिलती हैं । लगभग 10 लाख की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष इससे प्रभावित होती है । इनसे निकलने वाले नालों एवं नदियों की सफाई करके उन्हें गहरा करके, जल निकास की व्यवस्था की जाय । मैंने मान्यवर अनेकों वार शासन को पत्र लिखा कि इन नालों की सफाई की जाय । इस समस्या के कारण वहाँ पर ऊसर बढ़ रहे हैं । यह तमाम समस्यायें हैं । लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारी इन तमाम समस्याओं को तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं । नाले को साफ किया जाय और उसे गहरा किया जाय । वहाँ पर आज भी खेतों में पानी नहीं सूखा है । सारे लोग गरीबी रेखा की सीमा के जो नीचे हैं, वे कंगाली के शिकार होते जा रहे हैं ।

मान्यवर, इसी सदन में घोषणा की गयी थी कि सीतापुर में बाढ़ नियंत्रण विभाग खोला गया है, किन्तु वह क्या कार्यवाही कर रहा है, इसके संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं हुई है । कृपया हमें बताया जाय कि वहां पर सीतापुर में कौन अधिकारी कार्य कर रहे हैं तथा इस दिशा में कौन सा कार्य किये हैं ? मान्यवर, सारे गांजरी क्षेत्र में हर साल बाढ़ आती है । इस समस्या से निपटने के लिये सदन में घोषणा की गयी कि सीतापुर में बाढ़ नियंत्रण के लिये कार्यालय खोल दिया है । लेकिन हमको अभी तक पता नहीं है कि वह कहाँ खोला गया है, हम पत्र लिखना चाहें तो किसे लिखें ? कहते हैं कि कार्यालय लखीमपुर खीरी में है । तो मैं जानना चाहता हूँ कि रामपुर, मथुरा, सकरन, बेहटा, रेउसा ब्लाकों में जो बाढ़ की समस्या है उनको देखने के लिये कौन सा अधिकारी नियुक्त किया गया है इसकी जानकारी हमें मिलनी चाहिये और शासन का इस सम्बन्ध में वक्तव्य आना चाहिये ।

कार्य स्थगन की सूचनाओं पर बहस किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

***श्री काशीनाथ मिश्र—**

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । क्या कोई ऐसा नियम बनाया गया है, विरोध पक्ष के नेता और माननीय सदस्य जो काम रोको प्रस्ताव लिखकर देते हैं, आप उन पर 2,3 को सुनते हैं । जो महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में आप विचार सुनते हैं और संबंधित मंत्री जवाब देते हैं । तो मैं व्यवस्था चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा नियम बन सकता है जो प्रक्रिया एवं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री काशीनाथ मिश्र—]

कार्य संचालन नियमावली के नियम 56 को सुपरसीड कर जाय। बिना नियमों के बदले हुये क्या इस तरह से बहस की जा सकती है जो प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के विपरीत हो।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आपने ध्यान आकर्षित किया है, समय समय पर इस सदन को चलाने के लिये जो कार्य मंत्रणा समिति होती है, उसमें आपस में विचार विमर्श के उपरान्त यह तय किया गया कि नियम 56 की महत्वपूर्ण सूचनाओं की ग्राह्यता पर कुछ सदस्यों को सुन लिया जाया करे जिसके आधार पर हमको कार्य करना पड़ता है। आप काशीनाथ जी बैठें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, क्या कार्य मंत्रणा समिति नियमों के विपरीत कोई निर्णय ले सकती है ?

श्री अध्यक्ष—

नहीं ले सकती है। मा० काशीनाथ जी आप बैठें।

श्री खैरुल बशर—

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हैंडलूम और पावर लूम उद्योग की दशा इतनी खराब है कि मऊ में आधे पावर लूम बिक गये हैं। लोग फाकाकशी कर रहे हैं। इस गंभीर प्रश्न को देखते हुए वक्तव्य दिलाने की कृपा करें। इस पर निर्णय देने से पूर्व मेरी बात पर विचार करें।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, मैंने जो विषय उठाया है वह बहुत गम्भीर है।

***श्री श्याम सूरत उपाध्याय—**

मान्यवर, काशीनाथ जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। सदन की कार्य वाही को चलाने के लिये नियम बने हुये हैं। कार्य मंत्रणा समिति में हम यह निर्णय ले सकते हैं कि हम किस दिन किस काम को करें, क्या क्या एजेंडा हो ? क्या हम कार्य मंत्रणा समिति में, जो हमारी प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली है उसके विपरीत कोई निर्णय ले सकते हैं ? नियम 56 में है कि हाउस में बहस नहीं होगी। क्या इस नियम के विपरीत कार्य मंत्रणा समिति निर्णय ले सकती है ? यह गम्भीर प्रश्न है, इस पर बहस होनी चाहिये और व्यवस्था होनी चाहिये।

***श्री मोहन सिंह—**

मान्यवर, हमारे दो विद्वान सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने व्यवस्था के प्रश्न के तहत यह जानना चाहा है कि क्या कार्य मंत्रणा समिति नियमावली में परिवर्तन कर सकती है ? बेशक इसका उत्तर है—नहीं। लेकिन कार्य मंत्रणा समिति समय समय पर कार्य संचालन किस तरह से किया जाय उसके संबंध में आपको सलाह दे सकती है और उसकी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सलाह पर कार्य विन्यास किस तरह से चलाया जाय, समय समय पर नियमों में परिवर्तन करने, नियमों को निलंबित करने, अपने विवेक से आप नियमों में ढील देते हैं। नियमानुसार आप कार्यवाही कर रहे हैं। मान्यवर कार्य स्थगन प्रस्ताव बहुत बड़ी संख्या में यहां आते थे, तो नियमों में कार्य स्थगन प्रस्ताव के बारे में, उसकी ग्राह्यता के बारे में, आपको सुनना ही है। तो, आपके और इस आदरणीय सदन के समय को बचाने के सवाल के तौर पर कार्य मंत्रणा समिति के सदस्यों ने आपसे कहा था कि सबको आप ग्राह्यता पर न सुने, 2-3 को ही ग्राह्यता पर सुने, तो इसमें माननीय सदस्यों को क्या आपत्ति है, सदन का समय बचाने के लिए यह एक उचित कार्यवाही हुई, और उस पर आपको अडिग रहना चाहिए।

श्री काशी नाथ मिश्र—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में कहना है....

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशी नाथ जी, आपकी बात को सुन लिया है, आप तो कह चुके हैं।

श्री काशी नाथ मिश्र—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मोहन सिंह जी ने ...

श्री अध्यक्ष—

माननीय मोहन सिंह जी ने आपका नाम नहीं लिया है, आप बैठें।

श्री काशी नाथ मिश्र—

एक प्रश्न मैंने उठाया, उसका जवाब तो दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें।

***संसदीय कार्य-मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)**—

मान्यवर, एक बड़ा मौलिक प्रश्न उठाया गया, माननीय काशी नाथ जी ने उठाया और माननीय मोहन सिंह जी ने भी उस पर बात कही। मान्यवर, कार्य मंत्रणा समिति में जो भी फैसला, जो भी निर्णय होते हैं, वह कार्य मंत्रणा समिति के ही नहीं, बल्कि उसका प्रस्ताव सदन द्वारा पास किया जाता है, यह सदन उसे सर्वसम्मति से पास करता है। यह सदन समक्ष है किसी भी बात में, किसी भी वक्त में, कोई भी फैसला ले सकता है। यह कार्य मंत्रणा समिति ने प्रस्ताव के रूप में सदन के सामने रखा और इस पक्ष के और उस पक्ष के द्वारा इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। कार्य मंत्रणा समिति ने इसका प्रस्ताव किया, सदन ने उसे सर्वसम्मति से पास किया, तो इसमें इसकी ज्यादा शक्ति हुई है, जो नियमावली के अन्दर नियम हैं, उनमें ज्यादा यह इनफोर्सबिल होगा।

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत मैं अपना निर्णय दे रहा हूं। यहां पर बहुत सूचनायें आती थीं, सदन आपका है. उसमें आपको बोलने का अधिकार है। सब चीजों के बारे में, अगर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष—]

नियम 56 के बारे में, ग्राह्यता के बारे में, चाहे इधर के बैठने वाले मा० सदस्य हों या उधर के बैठने वाले मा० सदस्य हों, अगर 2-2, 4-4, मिनट इसमें लगे, तो बहुत समय बरबाद होगा। इस पर निर्णय के लिए जो नियम हैं, उनके अनुसार हम हर चीज को देखते हैं और देखने के बाद मुझे स्वयं अधिकार है नियमों के अनुसार यह निर्णय करने का कि अपने चेम्बर में नियम 56 में किसको बोलाऊँ किसको न बोलाऊ किसको स्वीकार करूँ किसको न करूँ, किसकी कितनी महत्ता है, तो यह जो कार्यवाही हो रही है, वह नियमों के आधार पर हो रही है, नियमों का किसी प्रकार से कोई उल्लघंन नहीं है।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (क्रमागत)

***सिंचाई एवं उद्योग मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—**

मान्यवर, सीतापुर जिले में इससे एक समस्या है। इसलिए मान्यवर, मास्टर ड्रेनेज प्लान बनाया गया और यह टी०ए०सी० को भेज दिया गया है। टी०ए०सी० ने इस पर कुछ आपत्तियां की हैं, उनका शीघ्र निराकरण करके, उस पर काम शुरू किया जायेगा।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, मैं अपने····

श्री अध्यक्ष—

मा० मन्त्री जी खड़े हुए हैं, तो आपको बोलने का अधिकार नहीं।

श्री वीर बहादुर सिंह—

जहाँ तक रेत भरने का सवाल है, मान्यवर, यह रेत जो आती है, इसकी सफाई कराने का प्रयास किया जायेगा। लेकिन यह इसके लिए सर्वेक्षण करके कि कितनी रेत आती है, बराबर सफाई होती है, बहुत सी नदियाँ हैं, इतनी ज्यादा रेत लाती हैं, जिनकी हर साल सफाई करने में बहुत ज्यादा धन खर्च होता है। तो सर्वेक्षण करायेंगे कि क्या कार्यवाही की जा सकती है, उसके करने के बाद इस पर विचार किया जायेगा।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, मैंने एक सूचना दी। चार ब्लाकों का नाम लिया रामपुर मथुरा, सकरन, बेहटा, रेऊसा-इन चार ब्लाकों में इसके बारे में कोई सर्वेक्षण आज तक नहीं किया है। दूसरे, सीतापुर में जो सीवेज का पानी है, उसको किवानी नदी में बहाने का प्रस्ताव है। 600 क्यूसिक पानी है किवानी में अगर 400 क्यूसिक सीवेज का बहाया जायेगा तो वहाँ···

श्री अध्यक्ष—

मुझको निर्णय करने दें।

श्री मुख्तार अनीस—

बाढ़ की समस्या निरन्तर बनी रहेगी। इसलिए उस पानी को बहाने से पहले किवानी नदी को गहरा करने के सम्बन्ध में आप क्या प्रस्ताव करेंगे ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

इस प्रकार मैं आज्ञा नहीं देता। अगर इस प्रकार से चर्चा होने लगेगी और प्रश्न होने लगे तो मैं इसकी आज्ञा नहीं देता। क्या करेंगे बाद में मैं निर्णय दूँगा।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, गोमती नदी के बारे में····

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 में विचार कर रहा हूँ जितनी सूचनायें नियम 51 में आयीं उसको देखने के बाद मैं उन पर निर्णय दूँगा।

श्री दलगंजन सिंह—

मान्यवर, मैंने जो कार्यस्थगन दिया है उस पर केवल इतना चाहता हूँ कि सप्लाई मिनिस्टर से इतना आश्वासन दिलवा दें कि उसकी जांच लखनऊ से कोई अधिकारी भेज कर करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है।

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

मान्यवर, 98 लड़के डिप्लोमा प्राप्त करके बिजली विभाग में अपरेन्टिस करने के बाद बैठे हैं किसी को समायोजित नहीं किया गया। जबकि माननीय मुख्य मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि समायोजित कर लिये जायेंगे लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। वह मेनगेट पर अनशन पर बैठे हैं। मैं चाहता हूँ कि सरकार वक्तव्य दे कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद उनको सेवा में क्यों नहीं लिया गया ? इस पर चर्चा करा दें और नौकरी में रखवाने की कृपा करें।

श्री हरगोविन्द वर्मा—

मान्यवर, माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आर्डर दिया श्रीपति मिश्र ने आर्डर दिया और मंत्री ने भी आर्डर दिया। आज वह अनशन करके मर रहे हैं। मान्यवर, मंत्री जी बैठे हैं उनसे कोई व्यवस्था दिलवायें। दो मुख्यमंत्री के आश्वासन क बाद परिषद् के अध्यक्ष उनको कतई मानने के लिये तैयार नहीं हैं। इस पर चर्चा करवा दें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इस आदरणीय सदन के सभी माननीय सदस्यों को सुना। नियम 56 के अन्तर्गत 13 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं सब को अस्वीकार करता हूँ जहाँ तक कुँवर सिंह नेगी का सम्बन्ध है मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिये भेज रहा हूँ। श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री और श्री सत्यपाल सिंह की गोमती नदी में लखनऊ के पानी के विषाक्त होने से मछलियों के मरने के सम्बध में हैं। इस विषय पर नियम 51 में सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उन पर शाम को निर्णय दूँगा। श्री रुद्र प्रताप सिंह और हरगोविन्द वर्मा की अप्रेंटिस डिप्लोमा इंनजीनियर्स के सम्बन्ध में है मैं फिलहाल शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ आप बीच में पड़कर मामले का किस प्रकार समाधान होगा विचार कर लें ? जहां तक गोपीनाथ वर्मा, राम

[श्री अध्यक्ष—]

आसरे वर्मा, मसरार जाफरी, मित्रसेन और खैरुल बशर का है मैं इस वक्तव्य के लिये स्वीकार कर रहा हूँ। श्री मुख्तार अनीस का जो कई जिलों से सम्बन्धित है मैं इस वक्तव्य के लिये स्वीकार कर रहा हूँ।

जो दलंगजन सिंह जी ने कहा है मैं मंत्री जी को भेज रहा हूँ। वह उसके ऊपर जाँच की कार्यवाही करेंगे।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मान्यवर, आपने सुनने के लिये कहा था शायद स्लिप हो गया। हमें आदेश दें तो मैं शुरू करूँ।

श्री अध्यक्ष—

कल आप दे दीजियेगा अब मैंने निर्णय दे दिया है। कल विचार करेंगे। जो दो सूचनायें, संसदीय कार्य मंत्री जी, स्वीकृत की गयी हैं, कौन सी तिथि निर्धारित कर रहे हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

10 तारीख तक वक्तव्य लगे हुए हैं। 11 हो सकती है।

[1 बज कर 25 मिनट]

1983-84 के आय व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 66—सहकारिता विभाग

*** सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री बच्चा पाठक)—**

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 66—सहकारिता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,30,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, सहकारिता विभाग का जन्म इस देश में देश की गरीबी को मिटाने के लिए और इस देश में जो निर्बल वर्ग के लोग हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए हुआ है और आज भी हमारे देश में प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में तथा प्रदेश में मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में सहकारिता विभाग हरितक्रान्ति की तरफ, देश और प्रदेश को, ले जाने का काम कर रहा है। सहकारिता विभाग के बजट में, जो रिपोर्ट है माननीय सदस्यों को आंकड़े सहित दे दिये गये हैं, फिर भी हम कुछ ऐसे तथ्य, ऐसी बातें, जो सहकारिता विभाग ने की हैं, की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। देश में जो हरितक्रान्ति आयी है उसमें जितना योगदान इस सहकारिता विभाग का है, यह उसी का परिणाम है कि आज खाद्यान्न के मामले में देश और प्रदेश आत्मनिर्भर है। कुछ ऐसे लोग जिनका सहकारिता में विश्वास नहीं है, निहित स्वार्थ है, निजी बातें सहकारिता के माध्यम से जो दूरी नहीं होती हैं, आज सहकारिता विभाग की बदनामी की बात करते हैं।

(इस समय 1 बजकर 27 मिनट पर अधिष्ठाता श्री ख्वाजा गुफरान जाहिदी पीठासीन हुये।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सहकारिता विभाग ने सदैव चुनौतियों का सामना किया है और देश, प्रदेश की जनता को इसकी तरफ आकृष्ट किया है कि क्रान्ति लाने में सहकारिता विभाग का बहुत बड़ा स्थान है। इस विभाग ने पहली चुनौती उस समय स्वीकार किया जब कि देश में साहूकारों का राज था, गरीब ऋण की वजह से इन साहूकारों के बन्धन में पड़े रहते थे, जैसाकि हमने किताबों में पढ़ा, सुना है कि एक गरीब ऋण में पैदा होता है, ऋण में पलता है और ऋण में ही मर जाता है। सहकारिता ने इस बात को बिल्कुल साफ किया है और बताया है कि गावों में जो गरीब साहूकारों के बन्धन में रहते थे उनको बीज देकर, ऋण दे कर, खेती के विकास की चीजें द कर, देश में हरित क्रान्ति लाया।

सहकारिता विभाग की अन्य जो संस्थायें हैं, चाहे भूमि विकास बैंक हो, उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक हो, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता हो, सभी देश के विकास में लगी हुई हैं। जैसाकि मैंने कहा कि सहकारिता ने सदैव चुनौतियों का सामना किया है, पहली चुनौती का जिक्र मैंने किया।

(श्री कुबेर भंडारी द्वारा कुछ कहने पर)

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

यह बलिया नहीं उत्तर प्रदेश है, भंडारी जी, धीरज धरें।

श्री बच्चा पाठक—

जिस समय आप कहते हैं कि सारे अधिकारियों पर से अंकुश हट गया है, जहाँ पर मैं अधिकारियों पर अंकुश लगाता हूँ, वहाँ पर आप की तरफ से सवाल उठाये जाते हैं। मैं समझ नहीं पाता कि आप बलिया की बात क्यों कर रहे हैं? प्रदेश की बात कहने जा रहा हूँ, सुनिये।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

आज सहकारिता विभाग के बजट पर चर्चा हो रही है। गैलरी में इनके विभाग का कोई अधिकारी दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो हमारा आरोप है कि इनके विभाग के अधिकारी मंत्री जी के आदेश नहीं मानते वह प्रत्यक्ष साबित हो रहा है। केवल एक अधिकारी ही मौजूद है, बाकी सबने बाईकाट कर दिया।

श्री अधिष्ठाता—

मोहन सिंह जी यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री बच्चा पाठक—

दूसरी चुनौती सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहकारिता विभाग को मिली। मैंने देखा कि सहकारिता विभाग में काम करने वालों के अतिरिक्त कोई दूसरा स्टाफ इसके लिये नहीं दिया गया। फिर भी सहकारिता विभाग ने अपने कार्यों से अपनी क्षमता से पूरे प्रदेश में इस बात को साबित कर दिया कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली निजी दुकानदारों के हाथों में थी, उसे बिना अतिरिक्त स्टाफ के ही हमने सफल बनाया और कार्यान्वित किया। केवल यह बात नहीं है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मान्यता ही दी जाती है इसके

[श्री बच्चा पाठक—]

तथ्य भी आपके सामने रखूंगा। इसे 80-81 में सहकारिता के हाथों में दिया। मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में 20985 दुकाने हैं जिनमें 9079 ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 11906 नगरीय क्षेत्र में हैं।

ग्रामीण क्षेत्र की समस्त दुकानें सहकारिता के क्षेत्र में हैं। नगरीय क्षेत्र में अधिकांश दुकानें निजी लोगों के हाथ में हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सहकारिता विभाग पूरे प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर रहा है। अधिकारियों ने छापा मारे हैं, मैंने भी छापा मारा है, अगर कहीं भी गड़बड़ी की बातें मिली हैं और जो लोग लापरवाही करते हुये पाये गये हैं उनकी सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं, उनको मुअत्तल कर दिया गया है। तीसरी चुनौती आज हमारे सामने है 20 सूत्रीय कार्यक्रम की। हम सहकारिता विभाग के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को, विशेषकर निर्बल वर्ग और किसानों को जो गाँव के रहने वाले हैं, बीज, खाद की व्यवस्था कर रहे हैं। इससे 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में जो योगदान मिलना चाहिये वह ठीक प्रकार से मिल रहा है। आज हम देखते हैं कि पूरे प्रदेश में जनजातियों के लिये उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक, भूमि विकास बैंक ऋण देती है। साथ ही साथ निर्बल वर्ग के लोगों को उठाने के लिये, अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिये भी हमने योजनायें बनाई हैं।

(व्यवधान)

जो लोग बात करते हैं उनके जमाने में लोगों को ट्रैक्टर लेने के लिये प्रदेश स्तर पर दौड़ना पड़ता था। आज भूमि विकास बैंक के रीजनल मैनेजर को आदेश दिये गये हैं कि जो ट्रैक्टर लेना चाहें उनको प्रदेश स्तर पर न आना पड़े, वहीं पर सुविधा दी जाय। वहीं पर उनको सुविधायें दी जा रही हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। भूमि विकास बैंक के माध्यम से किसानों को खेती के काम आने वाले सामान आदि का भी वितरण किया जाता है। (व्यवधान) जो हरितक्रान्ति आज आयी है उसमें भूमि विकास बैंक का बहुत बड़ा हाथ है। (व्यवधान) इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के माध्यम से भी जगह-जगह काफी काम किये जा रहे हैं और उनके माध्यम से बीज गोदाम बनाये जा रहे हैं, अन्य निर्माण के काम किये जा रहे हैं और इस तरह से किसानों को सुविधायें पहुंचाने का काम किया जा रहा है। पहले अपना सामान लेने के लिये किसानों को जो बहुत दूर-दूर तक जाना पड़ता था उस समस्या को भी हल किया गया है, सारी सुविधायें अब उन्हें घर पर ही उपलब्ध हो रही हैं। (व्यवधान)

आलू की पैदावार हमारे प्रदेश में अधिक होती है। चाहे फर्रुखाबाद हो, चाहे बलिया हो। सभी जगह आलू अधिक होता है। किसान को उसकी कीमत सही मिल सके, इसलिये उसके लिये शीतगृह बनाये जा रहे हैं जहाँ हम उनका आलू रखेंगे और किसान को सही कीमत दिलायेंगे। पहले बड़े-बड़े व्यापारियों के हाथ में, निजी स्वार्थी के हाथ में, किसानों का जो शोषण हुआ करता था उसे हमने बन्द कर दिया है।

पी० सी० एफ० के माध्यम से पर्वतीय विकास की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। उसके लिये सहकारिता विभाग कृत संकल्प है। वहाँ के विकास के लिये ही हल्द्वानी में सोयाबीन और वनस्पित का कारखाना लगाया जा रहा है। इससे वहाँ का विकास होगा। सोयाबीन पैदा करने वालों के लिये इस कारखाने के लगने से बड़ा लाभ होगा। इसके माध्यम से पर्वतीय विकास के लिये यह विभाग बहुत बड़ा अंशदान कर रहा है। इस बात को हम पूरी दिलेरी के साथ कहना चाहते हैं कि आज हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री श्रीपति मिश्र के नेतृत्व में सहकारिता विभाग जो जो कार्य कर रहा है उससे इस प्रदेश का अवश्य विकास होगा। चाहे किसानों को ऋण वितरण का मामला हो, चाहे उनको बीज मिलने का मामला हो, चाहे अन्य चीजों के वितरण का मामला हो, यह

सहकारिता विभाग पूरी तरह से जुटा हुआ है और जनता की सेवा कर रहा है। (व्यवधान) इस प्रदेश में हरितक्रान्ति लाने में यह सहकारिता विभाग आगे बढ़ेगा और प्रदेश का विकास होगा।

(व्यवधान) (श्री विजय सिंह राना के कुछ कहने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय श्री राना जी आज जो भी बात कहेंगे अनुमति प्राप्त करने के बाद ही कहेंगे। आप बैठें।

श्री बच्चा पाठक—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहता हूँ कि यह जो विकास की गंगा बह रही है उस गंगा को चलाने के लिये अपनी छाती को मजबूत कीजिये।

(व्यवधान)

श्री कुबेर भण्डारी—

मान्यवर, मालूम हो रहा है कि माननीय मंत्री जी रामलीला कर रहे हैं।....

श्री अधिष्ठाता—

जब आप को बोलने का समय मिलेगा तभी आप बोलेंगे। आगे नोट नहीं किया जायेगा।

श्री मुख्तार अनीस—

अधिष्ठाता महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी को आप आदेश दें कि वह अपना भाषण संक्षिप्त में दे और जब उस पर चर्चा होगी तो तब वह अपना जवाब विस्तार से दे देंगे। जैसा कि उन्होंने कहाकि विकास की गंगा बह रही है यह इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनके अधिकारी कितने यहाँ पर हैं।

श्री अधिष्ठाता —

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री बच्चा पाठक—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि विकास की जड़ हमारे प्रदेश में है और हमारा जो सहकारिता विभाग है उसने बहुत ही प्रगति की है। अभी मान्यवर, उधर के एक माननीय सदस्य कह रहे थे। हम 1977 में इसी सदन में उस तरफ बैठते थे तो मैंने देखा है कि आपकी उस समय क्या विकास की योजनायें रही हैं। जो काँग्रेस ने विकास की योजनायें बनाई थी उनको भी आपने धराशाही कर दिया। मान्यवर, अन्त में मैं आपके माध्यम से सहकारिता विभाग के ऊपर इन सारी बातों को कहते हुए यह जो बजट है, उसे सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।

श्री मसरूर जाफरी—

मान्यवर, इस पी० सी० एफ० के कैलेन्डर में इनकी प्रगति के बारे में लिखा हुआ है जिसकी कीमत लगभग 15 रुपये हैं। मैं चाहता हूँ कि इस केलेन्डर के बारे में माननीय मंत्री जी अपना स्पष्टीकरण दे दें।

[श्री मसरूर जाफरी—]

श्री मसरूर जाफरी ने पी० सी० एफ० का कलेन्डर सदन के समक्ष खोलकर दिखाया)

श्री हरिवंश सहाय—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 66 सहकारिता विभाग के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, आपके समक्ष माननीय सहकारिता राज्य मंत्री जी ने सहकारिता विभाग के ऊपर काफी ढोल पीटा। मान्यवर, सहकारिता विभाग को जो पैसा दिया गया है उसे जिले के सहकारिता के अधिकारी तथा अन्य सारे लोग खा चुके हैं और आप तो जानते ही हैं अधिष्ठाता महोदय कि भारतवर्ष के सहकारिता विभाग के जनक-सर फैड्रिक निकल्सन हैं। सर फैड्रिक निकल्सन ने कहा था कि सहकारिता विभाग को चलाने के लिये ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो कर्तव्यनिष्ठ, कमठ एवम् ईमानदार कार्यकर्ता हो वही इस संगठन को चला सकता है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज रोज अखबारों में आप पढ़ते हैं कि करोड़ों रुपया इस विभाग के अधिकारी लूटते हैं। इसलिये आज वहां कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ हो। और जब से माननीय मंत्री जी ने इस पद का कार्यभार ग्रहण किया है तबसे अपने दल के बेइमान लोगों को हर सोसाइटी का प्रशासक नियुक्त कर दिया है। स्वर्गीय पंडित नेहरु जी ने अपनी किताबों में लिखा है कि राजनीति से सहकारिता विभाग को अलग रहना चाहिये। उन्होंने लिखा है कि इस संगठन में राजनीति का प्रवेश नहीं चाहते जिससे गरीब ग्रामीण उलझन में पड़ जायगा, अगर राजनीति का दखल होगा, तो गरीब जनता उलझन में पड़ जायगी, इसलिये इसे राजनीति से ऊपर रहना चाहिये। इन्हीं के दल के मन्त्री हैं मा० राव वीरेन्द्र सिंह जी, 10 फरवरी 83 को दिल्ली में रजिस्ट्रारों का सम्मेलन हो रहा था, उन्होंने यह कहा है कि जो नार्दन इण्डिया पत्रिका में छपा है कि—

एग्रीकल्चर मिनिस्टर राव वीरेन्द्र टूडे इक्स्प्रेस्ड हिज डिस्ट्रेस औवर दि विलफुल डिफाल्ट बाई सम कोआपरेटिव इन रिपेयिंग लोंस एण्ड सेड दी परसेंटेज आफ सच डिफाल्ट हैड इंक्रीज्ड फ्रोम 43% सन् 1975-76 टू० 46% इन 1980-81. ही आलसो एनाउन्स्ड दैट दि सेन्टर वाज प्रोपोसिंग टू-इंट्रोड्यूस ए बिल इन पार्लियामेंट सारटली टू रिक्टीफाई दि लेकोना इन दि कोआपरेटिव लेजिस्लेशन इन स्टेट"

श्री अधिष्ठाता—

इसका हिन्दी अनुवाद कर दें।

श्री हरिवंश सहाय—

इसका हिन्दी अनुवाद यह है कि मा० राव वीरेन्द्र सिंह का कहना है कि कोआपरेटिव विभाग में काफी लैक्यूना है जिसको सुधारने के लिये पार्लियामेंट में बिल प्रस्तुत करना चाहते हैं। उन्होंने कोआपरेटिव को डैमोक्रेटिक ढंग से चलाने के लिये भी सुझाव दिया है। इसके अलावा जो ओवरड्यूज हैं, उसमें भी भारी भ्रष्टाचार है।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया जो इनको कर्जा देता है, उसका कहना है कि किसी भी कोआपरेटिव बैंक की समिति को बिना रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की सहमति के और संस्तुति के उसको भंग नहीं कर सकते। भंग करने से जो ओवरड्यूज उसके ऊपर हैं, वे रह जायेंगे।

इसके अतिरिक्त बैंकिंग अथारिटी ने कहा है कि—

बैंकिंग एक्सपोर्ट हैव एक्सप्रेस्ड कन्सर्न ओवर दि इक्सप्रेसिव पालिटिकलाइजेशन आफ दि कोआपरेटिव सिस्टम. इसमें राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिये यह बैंकिंग अथारिटी ने भी कहा है।

भूतपूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी और पं० जवाहर लाल नेहरू ने भी यही कहा है लेकिन मा० मन्त्री जी जब से मन्त्री हुए हैं अपने बेईमान लोगों को सहकारिता विभाग में एप्वाइन्ट कर दिया है।

समिति को चलाने के लिये जो समिति का सबसे रीढ़ कर्मचारी है, वह है सचिव। 13 लाख तक लोनिंग साधन सहकारी समिति कर सकती है, लेकिन उसके सचिव को केवल 350/- रु० माहवार वेतन मिलता है, जिसके कारण वह भारी भ्रष्टाचार करता है। पूरे प्रदेश की सोसाइटीज को सचिव खा गये हैं। जब तक उनकी फाइनेंसियल पोजीशन, उनको परमानेन्ट वगैरह या उनकी वेतन बढ़ोत्तरी जैसा कानून नहीं बनायेंगे, यह बराबर बेईमानी करते रहेंगे। इनके प्रशासन हेतु जो प्रशासनिक कमेटी है, उसका बैंक का अध्यक्ष चेयरमैन हुआ करता था लेकिन मा० मन्त्री जी ने ऐसा किया कि केन्द्रीयकरण कर दिया है, सारा अधिकार ए०आर० को दे दिया है। सचिव तब गाँव में रहता था, कर्जा देता था, कर की वसूली करता था, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं था लेकिन जब से केन्द्रीयकरण कर दिया है तब से किसी भी ब्लाक में किसी भी समिति में आज भारी भ्रष्टाचार करता है। मा० अधिष्ठाता महोदय, मैं इस संबंध में दो तीन उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि देवरिया कसया में एक सचिव राम नरेश सिंह हैं, जिनके ऊपर 50 हजार रु० के गबन का मामला है, परन्तु इन्हें तत्काल ट्रांसफर कुबेरनाथ कर दिया गया है। इसी तरह से देवरिया सलेमपुर के एक सहकारी सचिव हैं, जिन पर 3 लाख रु० के गबन का मामला है, उन्हें भी किसी दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करके भेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त एक मामला देवरिया जनपद के बरौनी ब्लाक के सहकारी सचिव का है, इनका भी स्थानान्तरण यदि कर दिया जाए तो स्थिति वहां की कुछ सुधर सकती है।

केन्द्रीयकरण का जो प्रश्न इसमें अन्तर निहित है, उसे हटाकर वैसी ही व्यवस्था रहने दी जाए और सचिवों को पहले की भांति ही डायरेक्ट्र्स के अन्तर्गत रहने दिया जाए तो भ्रष्टाचार जो आज व्याप्त है, उसमें कमी आयेगी तथा 1976 की भाँति ही इनकी सेवाओं को बनाए रक्खा जाए तथा ए०आर० के द्वारा स्थानान्तरण सचिव के हो रहे हैं, उसमें काफी घूस ली जा रही है और वसूली में भी काफी अन्तर आया है अर्थात् 70 प्रतिशत से 40 प्रतिशत ही रह गयी है तथा गबन संबंधी भ्रष्टाचार इन दिनों खूब बढ़ा हुआ है।

साथ ही अब बैंक के सचिव की सेवा का भी केन्द्रीयकरण कर दिया गया है, तब से इस ओर भी भ्रष्टाचार पहले से काफी बढ़ा है और इस पद की भी नीलामी काफी बढ़ी है जो 10 हजार रु० तक पहुँच गयी है। साथ ही जो बैंक के वर्ग एक के अधिकारी से लेकर शाखा प्रबन्धक तक केन्द्रीयकरण किया जा रहा है, इसमें भी एक बहुत बड़ी चाल है भ्रष्टाचार को और अधिक पनपाने के लिए क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा समुदाय इनके हाथ में आ जायेगा, तब इनकी भी नीलामी 5 हजार और 10 हजार तक होगी।

[श्री हरिवंश सहाय—]

मैं चाहता हूँ इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए बजाए विभाग का केन्द्रीयकरण करने के सत्ता का विकेन्द्रीयकरण किया जाए, यदि ऐसा न किया गया तो समस्त उद्देश्य की समाप्ति हो जायगी इसलिए मैं चाहूँगा कि इनकी सेवाएं जिस तरह से पहले से चली आ रही हैं वैसे ही चलने दीजिए तो भ्रष्टाचार में अवश्य कमी आयेगी। दूसरे आज आप रिजर्व बैंक से साढ़े 6 परसेंट के हिसाब से लेते हैं और यू०पी० कोआपरेटिव्स बैंक को आप साढ़े 8 परसेंट पर देते हैं तथा जिला बैंक का साढ़े 9 प्रतिशत के हिसाब से जिला बैंक समितियों को ऋण देती हैं तथा समितियाँ किसानों को साढ़े 11 प्रतिशत के हिसाब से ऋण देती हैं यदि किसान समय से एक दिन बाद उस ऋण की अदायगी करता है तो उस पर आप 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्ज लगा देते हैं। इस कलेक्शन चार्ज के रूप में जो गरीब किसानों से वसूला जाता है सिर्फ देवरिया में प्रति वर्ष लगभग 5 लाख रु० वसूल होता है और इस रुपये के खर्च का कोई आडिट नहीं होता है, यह पैसा केवल ए०आर० को घूस देने के लिए व ऐशो-आराम के प्रयोग में आता है। जो किसानों को 20 प्रतिशत से ऊपर देना पड़ जाता है।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूँगा कि यह जो कलेक्शन चार्ज है, इसे हटाया जाए क्योंकि इससे प्रदेश की गरीब जनता, किसान एवं हरिजन पिसा जा रहा है। साथ ही मुझे यह भी जानकारी मिली है कि इन कोआपरेटिव सोसाइटी में हरिजनों को मेम्बर के रूप में रजिस्टर किया जा रहा है।

मान्यवर, यह भी एक बहुत बड़ी चाल है, क्योंकि इनके नाम पर भी करोड़ों रुपया वसूल करके भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा। दूसरे मान्यवर, किसानों को जो रुपया ऋण के रूप में पी. सी. एफ. के माध्यम से दिया जाता है, इसका सारा का सारा पैसा जो गरीब किसानों से वसूल किया हुआ होता है, वह सब लखनऊ आ रहा है और हम लोग जब लखनऊ स्टेशन से दारुलसफा की तरफ चलते हैं तो देखते हैं कि ऊंची ऊंची हवेलियाँ यू. पी. फेडरेशन की, यू.पी. कोआपरेटिव की खड़ी हुई हैं और इसके लिये सारे का सारा पैसा गांवों से यहाँ इसके लिये चला आ रहा है। आपका डी.सी.एफ. बिलकुल खाली हो चुका है और पी. सी. एफ. मालामाल होता चला जा रहा है। पी. सी. एफ. में कर्मचारियों की नियुक्तियों में घपला हो रहा है परन्तु उनकी जाँच माननीय मंत्री जी नहीं करा रहे हैं। इसके लिये बहुत पैम्फलेट छपे हैं। मैं चाहूँगा कि जब माननीय मंत्री जी इस पर जांच करावेंगे तो मैं यह सारे पैम्फलेट उनके पास भेज दूँगा।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी इन्होंने एक जनरल मैनेजर की नियुक्ति की है अनियमित ढंग से जबकि माननीय मंत्री जी को किसी मैनेजर की नियुक्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। मान्यवर, मैं उस जनरल मैनेजर का नाम भी बतला देना चाहता हूँ कि उसका नाम है बी० पी० मिश्रा जहाँ पर उसकी नियुक्ति की गयी है वहां पर कोई पद रिक्त भी नहीं था परन्तु इन्होंने वहां पर जनरल मैनेजर, बी. पी. मिश्रा को नियुक्त कर लिया। वहां पर 6 पद मैनेजर प्रबन्धक के 6 पद सीनियर मैनेजर के हैं लेकिन वहाँ पर 10 हैं। चार आदमियों को वहाँ पर वेतन गैर कानूनी ढंग से दिया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय केवल 20 मिनट है जिसमें इस समय आपके केवल 3 मिनट बाकी रह गये हैं।

श्री विजय सिंह राना—

मान्यवर, अभी कहा ही क्या गया है, इसमें इतना तो घपला है।

श्री अधिष्ठाता—

घपला चाहे जितना हो परन्तु समय तो सीमित है।

श्री हरिवंश सहाय—

अभी माननीय सदस्य ने जो कलेण्डर दिखाया था, यह 20 रुपये में छपा है और इस में 1 लाख 57 हजार रुपया खर्च हुआ है। (श्री मसरुर जाफरी द्वारा एक छपा हुआ कपड़े का कलेण्डर सदन में दिखाया गया।)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मसरुर साहेब, आप इसको ऐसे नहीं दिखा सकते हैं। आप इसको बन्द करके रखें। यह इस तरह से सदन में दिखाया नहीं जा सकता है।

श्री प्रमोद कुमार—

अभी तक इनकी नौटंकी करने की आदत गयी नहीं है।

श्री हरिवंश सहाय—

अभी माननीय मन्त्री जी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का बड़ा ढिंढोरा पीट रहे थे परन्तु इनके यहां सेल्समैन बिल्कुल गलत तरीके से नियुक्त किये गये हैं। आपके निबंधक ने इस संबंध में एक आदेश भेजा था कि सी०-93 के अनुसार एक सेल्समैन की क्या क्वालीफिकेशन होनी चाहिये, दो श्योरिटी दस हजार की होनी चाहिये और जमानत का दस हजार रुपया फाइडेल्टी बांड़ तथा एक हजार नकद जमा करना चाहिये। 21 हजार की जमानत की राशि शासन की ओर से है लेकिन इन नियमों का कहीं पालन नहीं किया गया है।

मेरे देवरिया जिले में ही एक समिति है भू०पू० सैनिक सहकारी समिति जिसके ए० डी० सी० ओ० प्रशासक हैं। वहां एक लाख 73 हजार की चीनी गोदाम से निकाली गयी थी और सारी की सारी चीनी चोर बाजारी से बेच दी गयी लेकिन उस ए० डी० सी० ओ० के विरुद्ध जो कि वहां के प्रशासक नियुक्त हैं, कोई कार्यवाही नहीं की गयी और न उनका निलम्बन ही हुआ। मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी आप इस पर ध्यान दें। आज मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी को बताना चाहता हूँ, कि सीतापुर के ए० आर० का स्थानान्तरण तीन बार किया गया। हर बार 20,000 रु० देकर उसने अपना स्थानान्तरण रुकवा लिया। वहाँ पर हर-गाँव ब्लाक में रिछिन में 50 बोरा चावल चोरबाजारी में बेचे जाते हुए पकड़ा गया परन्तु उस पर सरकार ने कोई भी कार्यवाही नहीं की। ब्लाक गोदलामऊ (गोरखपुर) में ढाई लाख रुपये का गबन सचिव द्वारा किया गया परन्तु उस पर भी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। एक बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि देवरिया जिले में कोआपरेटिव बैंक का मामला है जहां पर लगभग 25 करोड़ रुपया किसानों में वितरित किया हुआ दिखाया गया है लेकिन एक भी पैसे की वसूली नहीं हो पा रही है।

सेवरही ब्लाक में एक करोड़ रुपये का गबन पकड़ा गया जिसके जिम्मेदार शाखा प्रबन्धक हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है बल्कि जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं उनको उसमें इन्वाल्व किया गया है। इसीलिए देवरिया में कोआपरेटिव बैंक के पैसे की वसूली नहीं हो पा रही है। मैं मा० मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वहाँ के घपले को ठीक करने के लिए कानून में कोई संशोधन करें मा० अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से कहना चाहता हूँ कि केवल देवरिया जिले में 25 करोड़ रुपये का गबन है। इसकी जाँच जल्द से जल्द कराने की व्यवस्था की जाय।

[श्री हरिवंश सहाय—]

भूमि विकास बैंक है उसमें अगर कोई आदमी 10,000 रुपये का कर्ज लेता है और 9,000 रुपये वह वापस कर देता है लेकिन उस किसान से ब्याज 10,000 और बैंक से 9,000 दोनों पर लिया जाता है। 15 अगस्त, 1980 के नेशनल हेराल्ड में यह बात छपी थी कि 13 करोड़ रुपये की क्षति यू० पी० प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन में हुई है परन्तु आज तक उसकी कोई जाँच नहीं कराई गयी है। इस ओर भी मैं मा० मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। राष्ट्रीय खाद भण्डार, फैजाबाद, गोरखपुर मण्डल में 50 लाख रुपये का गबन है जिसमें 44 कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है लेकिन उस रुपये के गबन की जिम्मेदारी जिस अधिकारी पर थी उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी क्योंकि वह उस संस्था का बहुत बड़ा अधिकारी था। इस प्रकार से वहाँ पर बहुत बड़ा असंतोष फैला हुआ है।

पम्पिंग सेट खरीदने में भी इन सहकारी बैंकों में काफी घोटाला किया जाता है। मा० अधिष्ठता महोदय मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। श्रीमद् भागवत् गीता में लिखा हुआ है कि

यावद् भ्रियते जठरं तावत् स्तत्वं हि देहिनाम्।
तैधिको यो अभिमन्येत स स्तेनो पापमर्हति।

अर्थात व्यक्गित रूप में एक व्यक्ति का सम्पत्ति पर उस सीमा तक स्तत्वाधिकार होना चाहिए जो उसके जीवन-यापन के लिए परमावश्यक हो। इससे अधिक सम्पत्ति पर जो अपना अधिकार जमाता है, वह समाज का चोर है और पाप का भागी है। मान्यवर, भारतीय समाज में यह विचारधारा प्रारम्भ में ही प्रचलित रही है धीरे धीरे विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं द्वारा विकसित और पुष्ट होकर निरन्तर प्रगति करती चली आयी है।

मान्यवर, देवरिया में लाखों रुपये की डायरियां और कलेन्डर छपवाये गये और सारी डायरियां और कलेन्डर अपने नाते और रिश्तेदारों में बँटवा दिया। इसकी भी जांच सरकार ने नहीं की। क्या सहकारिता में वही काम करता है, जो चोर और पापी है। आप माननीय सदस्य समझें और विचार करें।

*श्री राम सिंह (सहारनपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे माननीय सहकारिता मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने के लिए अवसर प्रदान किया है। मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात की बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने सहकारिता विभाग एक ऐसे व्यक्ति को सौंपा है जिन्हें सहकारिता में अपना पूरे का पूरा जीवन में कार्य करने का अनुभव प्राप्त है। दे स्वयं भुक्त-भोगी हैं। क्योंकि उन्होंने सहकारिता को न केवल सहकारिता समझा है बल्कि उसे उन्होंने जीवन-दर्शन समझा है। सहकारिता एक क्रान्ति है और आज जो इस प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से हो रहा है उसे कोई भी झुठला नहीं सकता

सहकारिता एक बहुत बड़ी शक्ति है····(व्यवधान) सहकारिता के माध्यम से वीकर सेक्शन को उठाने का प्रयास किया गया है और उससे सारे प्रदेश और देश की स्थिति सुधरती जा रही है। जहाँ तक हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात है वह एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। इससे पहले मैंने अपने क्षेत्र में सर्वेक्षण करके देखा है कि 90 प्रतिशत चीनी जिलों में ब्लैक में बिक जाती थी। आज हम यह तो नहीं कहते कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शत-प्रतिशत हमारे निर्णय प्रभावी हो रहे हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि मुश्किल से 10 प्रतिशत का ही गोलमाल हो सकता है। मैं समझता हूँ कि काफी प्रगति और गतिशीलता हमारे इस निर्णय से आयी है। साथ ही हमारे साथी विधायक महोदय, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा, उन्होंने जवाहरलाल जी का नाम भी लिया।

मैं समझता हूँ कि हमारे सहकारी बैंक केवल बैंकिंग का काम ही नहीं करते बल्कि वे एक जन-जागरण और जीवन-दर्शन का कार्य भी हमारे वीकर सेक्शन में, ग्रामीण अंचलों में कर रहे हैं। इसलिये जो बात हमारे स्टेट बैंक और दूसरे नेशनलाइज्ड बैंकों पर लागू होती है वह हमारे कोआपरेटिव बैंक पर लागू नहीं होती हैं। आप महाराष्ट्र का कोआपरेटिव मूवमेंट देखें। वहां पर सहकारिता के अन्तर्गत जो कोआपरेटिव फैक्टरीज लगी हुई हैं, सहकारी गन्ने की मिलें लगी हुई हैं, उनके ऊपर सारा दायित्व है। वे मिलें किसानों का गन्ना उनके खेतों से ले जाते हैं और दो ढाई रुपया क्विंटल के हिसाब से देते हैं।

मेरे क्षेत्र सहारनपुर में जो सहकारी मिल लगी है सरसवां, उसकी जो कार्यक्षमता और भुगतान की फैसेसिटी है वह दूसरी फैक्ट्रियों से बहुत अधिक है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर आप इण्डस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं, औद्योगीकरण करना चाहते हैं तो पाँच साल में जितने भी ग्रामीण अंचल हैं उनमें हर गांव में कम से कम दो-दो उद्योग लगाए जा सकते हैं। यहाँ पर जो साधन सहकारी समितियाँ हैं जो एफ० एस० एस० हैं उनके लिए साल-साल भर के लिए कोटा निर्धारित कर दें कि एक गाँव में एक वर्ष में एक फैक्ट्री लगनी है तो मैं समझता हूँ कि 5 साल में पूरा का पूरा प्रदेश औद्योगीकृत हो सकता है। इसके अतिरिक्त इससे हमारी बेरोजगारी की समस्या भी हल हो सकती है। क्रांतिकारी परिवर्तन इसमें हो सकता है।

विश्व बैंक के माध्यम से जो योजना चलाई जा रही है जिसके अन्तर्गत बीज गोदामों का निर्माण हो रहा है वह एक बड़ी योजना है जो कि प्रगति की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छे-अच्छे बीज और खाद किसानों को उनके स्थलों पर एवेलेबुल हो सकेंगे। हरित क्रांति में भी इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकेगा। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो बीज गोदाम बनाये गये हैं, विश्व बैंक से रुपया लेकर और अच्छे और बड़े बीज गोदामों का निर्माण हो सकता है। मान्यवर, चूँकि समय कम है इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि जो मंत्री जी ने कोआपरेटिव का बजट रखा है उसको ड्रिस्ट्रिक्ट प्लान से स्टेट प्लान में ले लिया जाय।

डिस्ट्रिक्ट प्लान दिसम्बर में तैयार हो पाता है और जनवरी में यहाँ भेजा जाता है। उसके बाद एन० सी० डी० सी० और आर० बी० आई० से रुपया अप्रैल में मिल पाता है जिसके फलस्वरूप वह रुपया इस्तेमाल नहीं हो पाता और लगभग 1 करोड़ रुपया सरेन्डर करना पड़ता है। उसका यूटिलाइजेशन ठीक तरह से नहीं हो पाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप उसे स्टेट प्लान में रखें। साथ ही साथ महाराष्ट्र या दूसरे स्टेट्स में कोआपरेटिव में तहसील लेवल पर असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, जिला लेवल पर डिपुटी रजिस्ट्रार और मंडलीय लेबल पर ज्वाइंट रजिस्ट्रार को रखा है जिससे कोआपरेटिव मूवमेंट प्रभावी ढंग से चल रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसी प्रकार यहाँ भी इस विभाग को रिआर्गनाइज करें जिससे हमारे यहाँ भी कोआपरेटिव मूवमेंट प्रभावी ढंग से चल सके।

आपने एपैक्स बैंक रायबरेली और मैनपुरी में बनाये हैं जिसमें मैम्बरों को ऋण देने की व्यवस्था की गयी है। लेकिन कोआपरेटिव साधन समितियाँ इस काम को करती हैं उससे हमारी साधन समितियाँ प्रभावित होती हैं। इसलिये मेरी मान्यता है मुझे पता चला

[श्री रामसिंह—]

है कि और भी इस प्रकार के बैंक खोलने वाले हैं, तो इससे कोआपरेटिव मूवमेंट को लाभ नहीं होगा, हमारा यह मूवमेंट एडवरसली एफैक्ट हो सकता है।

इसके साथ ही एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों को मैदानी क्षेत्रों के साथ रखा गया है। आपको अनुभव है कि हमारे पहाड़ी क्षेत्र मैदानी क्षेत्रों से बहुत पिछड़े हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि वहां पर सही ढंग के संचालन के लिए पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग से विभाग बनाया जाय जैसे कि अन्य विभागों में किया गया है। उनके लिए अलग से एडीशनल रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाय।

माननीय मंत्री जी आपने अभी बहुत से माननीय सदस्यों को सुना, मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने जो किसानों के भुगतान के लिये चैक सिस्टम की व्यवस्था की है वह बहुत अच्छी है। इससे पहले यह होता था कि बीच में बहुत से घोटाले होते थे उनके इसके चार्जेज समाप्त हो गये हैं अब दूसरा आदमी पेमेंट नहीं ले सकता है। यह एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ आपने अपने विभाग में पिछले 1-1-81 से 15-2-83 तक लोगों को सेवा से निष्कासित किया है उनकी संख्या 164 जिनको निलम्बित किया गया है उनकी संख्या 117 है तथा जिनके खिलाफ विभागीय पुलिस द्वारा जांच चल रही है उनकी संख्या 314 है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री राम सिंह—

यह भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने क्रांतिकारी कदम उठाया है मैं आपकी इस बात के लिये सराहना करता हूँ। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

(श्री मुख्तार अनीस का नाम पुकारे जाने पर) मान्यवर हमें भी मौका मिलना चाहिये, फैजाबाद में भी बहुत घपला हुआ है।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें, बाद में मिलेगा आपको बोलने का समय।

***श्री मुख्तार अनीस—**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये धन्यवाद देता हूँ। माननीय मंत्री जी बलिया के रहने वाले हैं और बलिया के लोग बहुत शौकीन कुछ मानों में होते हैं (व्यवधान)

श्री हुक्म सिंह—

दोनों बराबर के हैं, मान्यवर।

श्री मुख्तार अनीस—

तो उसी हिसाब से आज इन्होंने तमाम चुनौतियों को स्वीकार किया है। उन्होंने खाद की चुनौती को स्वीकार किया है, 20 सूत्री प्रोग्राम में आने वाली चुनौतियों को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्वीकार किया है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाली कठिनाइयों की चुनौतियों को स्वीकार किया है। तो उस चुनौती को जिसके लिये बलिया मशहूर है उसको स्वीकार किया या नहीं किया। पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने जिनको स्वीकार किया है मैं उन सारी चुनौतियों को चुनौती देता हूं। आपके विभाग ने एक भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जो इस योग्य हो और जिसकी निन्दा न की जाय।

मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली से ही शुरू करता हूँ। सचिवों के बारे में आप भली-भाँति जानते हैं उनके साथ अब आपने अपनी पार्टी के प्रशासनिक लोगों को जोड़ दिया है। नतीजा क्या हो रहा है कि दोनों मिल बाँट कर जिसको पहले एक आदमी खाता था, दोनों खा रहे हैं। जनता रोज आकर शिकायत करती है। वह सचिवों को लिस्ट बना कर दे देते हैं कि इतनी खाद इसको दे दी जाय, इतनी चीनी इनको दे दी जाय या फलां सामान दे दिया जाय, नतीजा है कि आपका पूरा विभाग, भ्रष्टाचार में डूबता चला जा रहा है।

मान्यवर, आज तक बैंकों के चुनाव की आपने घोषणा नहीं किया जिसका नतीजा है कि सीतापुर में आप पता लगा लें कि वहां एक साहेब कोआपरेटिव विभाग की जीप लिये रोजाना दौड़ा करते हैं और हल्ला मचाते हैं कि सार्वजनिक निर्माण मंत्री और श्री राम रतन सिंह की मुझ पर कृपा है और मुझे बैंक का मैनेजर बनाया जा रहा है। कोआपरेटिव विभाग की जीप द्वारा यह भी प्रचार किया जा रहा है कि उन सचिवों को हटा दिया जायेगा जो पार्टी को चंदा नहीं देंगे। मुझसे कहा गया है कि 50 हजार रुपये पार्टी के लिये फंड इकट्ठा हो चुका है और एक लाख रुपया जब हो जायेगा तभी उनको सचिव रहने दिया जायेगा। यह पूरे जिले में प्रचार है जिसकी जानकारी आप मान्यवर, कर सकते हैं।

नतीजा है कि गुटबाजी का वहाँ बाजार गर्म है जिसकी मैं एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ कि कोआपरेटिव विभाग का गोदाम थानगांव में बनना चाहिये लेकिन गुटबाजी के कारण उसको गांव से 5 किलोमीटर दूर ले जाया गया है और ऐसी जगह बनाया जा रहा है। जहां आदमी नाम की कोई चीज नहीं है। यह क्यों वहां जा रहा है? मैंने इस संबंध में शासन को पत्र लिखा, बातचीत किया तो कलेक्टर साहब ने कहा कि ऊपर से सिफारिश आयी है, थानगांव में गोदाम रहेगा तो प्रशासक को खाने को नहीं मिलेगा इसलिये उसको दूसरी जगह बनाया जा रहा है। आपके रजिस्ट्रार कोआपरेटिव और डी० एम० ने कह दिया है कि थानगाँव में गोदाम नहीं बनाया जायेगा और जहाँ बन रहा है वहीं बनेगा। इसलिये इसमें मन्त्री जी विचार करने की जरूरत है और सचिवों के बारे में भी। आप देखें।

मान्यवर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी ठीक करने की आवश्यकता है जिससे गरीबों को राहत मिल सके। इस पर आप सोचें।

मान्यवर, तरह-तरह की योजनायें बनीं लेकिन आश्चर्य होता है कि कोआपरेटिव विभाग जो गरीब को राहत देने के लिये बनाया गया है, आपने स्वयं कहा कि जो सेठ हैं, जो ज्यादा ब्याज लेते हैं, उनसे गरीबों को मुक्ति दिलाने का आपने काम किया है लेकिन आश्चर्य है कि आप उनसे रिक्शा चलवाना चाहते हैं जिससे कि वह टी० बी० के मरीज हो जांय, इसलिये आप आटो रिक्शा की बात कहें तो ठीक है वरना रिक्शा के लिये लोनिंग करेंगे तो इस पर आपकी बुद्धि पर तरस आता है।

मान्यवर, खाद के बारे में आप देखें। गांव में जो खाद बंटती है उसकी स्थिति है कि कोई खाद को जाँचने और देखने वाला नहीं है क्योंकि खाद कम और बालू ज्यादा होती है। इसके अलावा उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा।

[श्री मुख्तार अनीस—]

मान्यवर, आई० आर० डी० स्कीम के तहत जो गाँवों में वितरण होता है उसमें बड़ी घपलेबाजी हो रही है जिसकी जाँच करें। सीतापुर में कोआपरेटिव विभाग जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है उनकी भी जाँच करें जिससे प्रशासक जो नियुक्त किये गये हैं वह जनता को राहत दिला सकें। धन्यवाद।

*श्री मारकण्डेय चन्द—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मान्यवर, सहकारिता मन्त्री ने अपने सारगर्भित भाषण द्वारा जो 18,30,66,000 रुपये का बजट प्रस्तुत किया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, विरोधी दल के श्री हरिवंश सहाय ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उससे ऐसा लगता है कि किसी ऐसे भ्रष्ट क्षुब्ध अधिकारी ने इनको बड़ी तैयारी से कराया था। जो वह क्षुब्ध अधिकारी थे, अपने सहकारिता मंत्री के द्वारा अपने भ्रष्ट कार्यों के लिये सजा पाये या प्रताड़ित थे, उसने तैयार करके कुछ ऐसे आंकड़े दिये। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस पर पुनः विचार करें। आप लोग कटौती का प्रस्ताव पेश करते हैं, लेकिन आप अपने कहे गये तथ्यों को सहकारिता की परिधि से इतनी दूर कर देते हैं कि जिससे उनका कोई संबंध नहीं है।

आज बड़ा अहम प्रश्न यह है, दुनियाँ में जो तीन दिशाएं हैं—उत्पादन, प्रगति और कार्य चलाने की—सार्वजनिक, व्यक्तिगत और सहकारी क्षेत्र की, इनके बारे में आज यह विचार करना होगा कि क्या सार्वजनिक और व्यक्तिगत क्षेत्र के बीच में सहकारी क्षेत्र जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, उसको समाप्त कर देना है या उसे जीवित रखना है। मैं मानता हूँ कि हर विभाग में, हर क्षेत्र में कुछ कमियाँ हैं और कमियाँ जिनमें हैं वह भी हमारे समाज का अंग हैं। मुझे दुःख होता है कि विरोध पक्ष द्वारा कमियाँ जो दर्शायी जाती हैं, तो क्या उससे यह निष्कर्ष निकाला जाए कि उसके आधार पर इस विभाग को समाप्त कर दिया जाय।

मैं सोचता हूँ कि कोई भी माननीय सदस्य इसके लिए तैयार नहीं होगा। तो अपेक्षा यह की जाती है कि जो खमियाँ हैं उनका सुधार कैसे किया जाय। जनता के करोड़ों करोड़ों लोगों की जो जीवन धारा.....(व्यवधान) आप इस महासागर में शून्य की तरह पड़े हुए हैं, जरा गम्भीरता से सुनें। मैं सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष दोनों से निवेदन करना चाहता हूँ, जो धारा है, जो करोड़ों करोड़ों लोगों के विकास का एकमात्र साधन है, उसने हर वर्ग के लोगों की सहायता की है। जिनका कोई सहारा नहीं, उनकी सहकारिता विभाग सहायता करता है, उसको किस रूप में हमें संवारना है? हम आपकी बहुत शिकायतों से सहमत हो सकते हैं, यदि उसमें तथ्य हों और कोई ठोस प्रमाण हों। लेकिन आपके कहने से ऐसा लगता है कि इस विभाग को समाप्त कर देना चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

आप जहाँ बैठकर उस तीन वर्षों पर विचार करें, जिस काल में इन्होंने इसको संभाला है कि उसमें क्या उपलब्धि हुई है। आपने जनतान्त्रिक प्रणाली से चुनाव कराया है और चुनाव कराने के बाद उसको दूसरा अच्छा स्वरूप देने का प्रयास किया है। लेकिन आप लोग क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि मंत्री जी ने उसे अपने लोगों में बांट दिया। आप क्या कहते हैं, आपके एक नेता ने, उत्तर प्रदेश कोआप्रेटिव बैंक का अध्यक्ष बनने के बाद, संचालकों को अपने घर में बन्द रखा था और दूसरे दिन उनसे वोट डलवाया था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसलिये आप उससे परे नहीं हैं। आप इस विषय में कुछ कह नहीं सकते हैं। मंत्री जी के विभाग में जो कमियां हैं, उनके बारे में मैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूँ, जो सुधार के लिये हैं, आप उनको लागू करने की कृपा करें। इस सहकारी क्षेत्र पर बहुत से गुरुत्तर भार हैं, जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का। वैसे इस विभाग ने जब कार्य आरम्भ किया, तो जो गरीब और निर्बल वर्ग के लोग थे, जो साहूकारों के चंगुल में बहुत जोरों से जकड़े हुये थे, जिनको कहीं से ऋण मिलने की कोई गुंजायश नहीं थी, उनको ऋण देकर उनकी इस विभाग ने महत्वपूर्ण सहायता की है।

पहले गरीब लोग व्यापारिक बैंकों की तरफ देखने का साहस भी नहीं करते थे, उस समय में सहकारी विभाग ने गरीब लोगों, निर्बल और गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की सहायता की है और उन्मुक्त कंठ से उनको ऋण प्रदान करके उन्हें बीज प्रदान किया है, खाद प्रदान किया है। तो इसकी महत्ता से किसी तरह से इंकार नहीं किया जा सकता है। यह विभाग अपने महत्वपूर्ण कार्य—सार्वजनिक प्रणाली को बड़े सुचारु रूप से आज कर रहा है।

(समय 2 बजकर 20 मिनट अपराह्न)

उसमें मैं कुछ संशोधन चाहता हूँ। वह संशोधन यह है कि जो सहकारी समितियों में आपके सचिव हैं, मैं वर्षों से कहता आ रहा हूं कि उन कुछ सचिवों के हाथ में चैक देने का काम और सामान देने का भी काम है तो यह तत्काल दो जगह होना चाहिए। चैक का और सामान देने का अलग-अलग व्यवस्था होना चाहिए। आज से 10-15 वर्ष पहले जब चैक सिस्टम नहीं था, तो वही एकाउण्टेण्ट घपला करते थे। आपने सर्वेक्षण करा कर उससे छुटकारा दिया है। दूसरी तरफ यह सहकारी सचिव अपनी मांग के लिए संघर्ष करता है, स्ट्राइक करता है।

आपने उत्तर प्रदेश के स्तर पर, स्टेट लेबिल पर सहकारी सचिवों का जो कैडर बनाया है, उसको मण्डल स्तर पर कर दें, ताकि उनका एक संगठन हो, ताकि जब रिकवरी का समय आवे, व लौनिंग का समय आवे, तो स्ट्राइक न कर सकें। आपके काम में सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि जो सहकारी विभाग बुनकरों को ऋण दे रहा है, वह रिजर्व बैंक की गारन्टी पर देता है।

रिजर्व बैंक गारन्टी लेता है और जिला सहकारी बैंक ऋण देता है। आप फिजिकल वैरीफिकेशन उन करघों का करावें, जो फर्जी समितियां बनाई हुई हैं और कर्जा लेती हैं। मान्यवर, कर्जा लेते हैं और कर्जे पर छूट लेते हैं, उत्पादन भी नहीं करते हैं। इस लाभ का मास्टर वीवर उठाता है, बुनकरों को कोई लाभ नहीं होता है। आप उसकी व्यवस्था करें।

मान्यवर, सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि इस शासन के समक्ष यह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन उसको अपने स्तर से केन्द्र सरकार से माँग करनी चाहिये कि राष्ट्रीय स्तर पर, एक राष्ट्रीय सहकारी बैंक हो, वर्ल्ड बैंक का पैसा 75 परसेंट पर इस देश को रिजर्व बैंक के माध्यम से मिलता है और रिजर्व बैंक साढ़े 3 परसेंट पर अपेक्स बैंक को देता है। अपेक्स बैंक केन्द्रीय बैंक को साढ़े 9 परसेंट पर देता है और केन्द्रीय बैंक समितियों को साढ़े 12 परसेंट पर देता है। यदि राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी बैंक हो जाय, तो किसानों को साढ़े 9 परसेंट ब्याज पर कर्जा मिल जायगा। मान्यवर, मैं यह निवेदन करूंगा कि हर पक्ष से यह बात कही जाती है कि आज इस सहकारिता को जो कुछ अज्ञात कारणों से सहकारिता का जो रूप दे दिया गया है, मैं नहीं कहना चाहता हूँ। यहाँ सहकारिता का जो रूप दिया गया है, उसका मात्र एक कारण यह है कि आपने जनतांत्रिक

[श्री मारकन्डेय चन्द—]

प्रणाली में, जनतांत्रिक स्वरूप देने का प्रयास नहीं किया। आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों पर विश्वास कीजिए और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों पर विश्वास करके उन्हें इसकी व्यवस्था सुपुर्द कीजिए।

पं० जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि जनता के प्रतिनिधियों को अधिकार सुपुर्द कीजिए, वह गलतियाँ करेंगे, तो गलतियों से सीखेंगे। तो हमने गलतियां किया है और उससे काफी सीख लिया है। सहकारिता विभाग ने देश के समक्ष इतनी उपलब्धि प्रस्तुत किया है। इसलिए अगर आप इसमें साहस नहीं करते हैं, तो उचित नहीं है। तत्काल चुनाव करके जनता के प्रतिनिधियों को इसमें रखें। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं माननीय सहकारिता मंत्री द्वारा प्रस्तुत गजट का समर्थन करता हूँ।

श्री केदारनाथ सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय,....

श्री रुद्रप्रताप सिंह—

मान्यवर, आपने मुझको बुलाया है।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें। आप इसके बाद बोलेंगे।

श्री मारकन्डेय चन्द्र—

[× × × × ×]

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें, यह नहीं लिखा जाय।

***श्री केदारनाथ सिंह—**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो मुझको बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, इस सदन में बार बार कुछ सहकारिता विभाग के संबंध में सुझाव आये, परन्तु बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मन्त्री जी को इन सुझावों से कुछ लेना देना नहीं है और उन्होंने इन पर विचार करना उचित नहीं समझा। मान्यवर, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से मन्त्री जी का ध्यान प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों की ओर दिलाना चाहता हूँ। मान्यवर, प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियां जो आप पूरे प्रदेश में काम कर रही हैं उनका सारा व्यवसाय छीन लिया गया है और उनका कार्य केवल ऋण देना रह गया है। सारी व्यवस्था का केन्द्रीयकरण कर दिया गया है।

लखनऊ में जो प्रदेश स्तर की सहकारी समिति है वह सारी व्यवस्था अपने हाथ में लेकर लाभ कमा रही है। इन प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों की आर्थिक स्थिति पर माननीय सहकारिता मन्त्री जी ने क्या कभी विचार किया है। सबसे पहले मैं मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। बल्कि एक ऐसे व्यवसाय को सहकारी कृषि ऋण समितियों के साथ जोड़ दिया गया है जिससे आमदनी के बजाय झंझट पैदा हो गया है।

---

*[× ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

***वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।**

मान्यवर, इस पर विचार करें आज० पी० सी० एफ० की आलीशान बिल्डिंग गांवों के अन्दर जो सहकारी समितियां हैं उनका पेट भरने वाली नहीं है। यह जो करोड़ों रुपयों का लाभ होता है उस लाभ को आप विकेन्द्रित करें और वह गांव की समितियों तक पहुँचे ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रह सके। मान्यवर, इतना ही नहीं, मैं आपका ध्यान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। स्टैंडिंग कमेटी में इस पर बराबर विचार किया गया लेकिन कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है।

मान्यवर, सहकारी समितियां निबंधक के अन्दर काम करती हैं और उनके निर्देशन में काम करती हैं। परन्तु बैंक वाले न तो निबंधक का निर्देश मानते हैं और न साधन सहकारी समितियों को महत्व देते हैं। इस ओर ध्यान देना चाहिये। मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है। हमारे गोरखपुर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक काम कर रहे हैं, शुरू शुरू में तो इतना ज्यादा ब्याज लिया कि कामर्शियल बैंक से जो व्यक्तिगत तौर पर कृषि पर जो ऋण लिया जाता है उससे 2 परसेंट ज्यादा लिया था। लेकिन इसमें बाद में सुधार हुआ है तो इस तरह से जो शोषण समितियों का हो रहा है उससे बचाया जाय। मैं दूसरी तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

भारतीय विश्व सहकारी अध्ययन दल ने अभी तक गतवर्ष दौरा किया है उसने कुछ महत्वपूर्ण मामले प्रकाश में लाये हैं। माननीय मन्त्री जी को संभवतः वह पत्र मिला होगा विश्व भ्रमण संगठन की तरफ से, सार्वजनिक रूप से वह पत्र वितरित किया गया है तो उसका आप अवलोकन करें। अन्य देशों में सहकारी समितियों की कार्य प्रणाली क्या है, किस तरह से वह अपने सदस्यों को ऋण देती हैं, सहायता पहुंचाती हैं और किसानों का स्तर ऊँचा उठाने का काम करती हैं उस पर भी विचार करें। मैं जापान का उदाहरण देना चाहता हूँ। जापान में दीर्घकालीन ऋण 9 परसेंट ब्याज पर कृषक सहकारी समितियों से लेते हैं। कृषि के विकास के लिये वहां पर 4 परसेंट सब्सिडी शासन देता है। तो केवल 5 परसेंट इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। यह सब बातें मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ।

आज जो सोसाइटियों की दयनीय स्थिति है, उसको आप देखें और गंभीरता से उस पर विचार करें। अगर आप गंभीरता से इस पर विचार नहीं करेंगे तो इन साधन समितियों की आर्थिक स्थिति दिन प्रति दिन बिगड़ती जायगी और साधन समितियां दिवालिया हो जायेंगी, मैं केवल इतना कहने के लिये खड़ा हुआ हूँ।

श्री रिजवानुर्रहमान किदवाई—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस बजट चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय सहकारिता मंत्री द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

मान्यवर, सहकारिता का आंदोलन बहुत ही पुराना है। इस सहकारिता के जरिये से गाँव-गाँव में छोटे-छोटे किसानों को, मजदूरों को, सामग्री पहुंचाने का, आवश्यक वस्तुएं पहुँचाने का जो कार्य किया जा रहा है, वह सराहनीय है। उत्तर प्रदेश में लगभग 21 हजार छोटी सोसाइटियां हैं, जो इस वितरण प्रणाली में लगी हुई हैं। जिसमें से लगभग, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण के दौरान बताया कि, 11 हजार के करीब शहरी क्षेत्र में हैं, और शेष ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बद्ध हैं।

मान्यवर, जैसी कि बार-बार यह बातें कही जा रही हैं, इधर के पक्ष से और उधर के पक्ष से, कि सहकारिता में बहुत ज्यादा गबन और भ्रष्टाचार है, मैं मानता हूँ कि यह

[श्री रिजवानुर्रहमान किदवाई—]

काफी हद तक सही है कि भ्रष्टाचार है, लेकिन हमको देखना यह है कि इससे पहले, जब यह सहकारी समितियां या वितरण प्रणाली नहीं थी, और हम सामान प्राइवेट लोगों से बंटवाते थे, तेल, शक्कर और सारी उपभोक्ताओं की चीजें, तो उसमें किसानों को, छोटे मजदूरों को और अन्य लोगों को भी कितना सामान मिलता था, कितनी परेशानी थी।

लेकिन अब पहले के मुकाबले में कितनी कम लोगों को उससे परेशानी है, वह आपके सामने है। दो साल पहले हम देखते थे कि मिट्टी के तेल के लिए, शक्कर के लिए लम्बी लाइनें लगी रहती थीं, लेकिन अब गाँव में, किसी भी गाँव की क्षेत्र समिति में किसानों को, मजदूरों को परेशानी नहीं है, सामान मुहैया है। पहले हम यह देखते थे कि त्योहारों के अवसर पर तेल, घी, शक्कर और भी बहुत सी इसी किस्म की चीजें लोगों को आसानी से नहीं मिलती थीं, लेकिन पिछली मर्तबा ईद और होली में ही ऐसा हुआ कि यह बात सुनने में नहीं आयी कि किसी को तेल नहीं मिला, शक्कर नहीं मिली। हम यह मानते हैं कि इसमें बहुत सी कमियां हैं और इतने दिनों के बाद भी हम वह सारी कमियां दूर नहीं कर पाये हैं, लेकिन जिस रास्ते पर हम बढ़ रहे हैं, वह एक जिन्दा मिसाल है। पहले जो हम प्राइवेट सेक्टर में या निजी लोगों को दुकानें देकर उन से वितरण करवाते थे, उसके मुकाबले में, वही चीजें, जो हम आजकल सहकारिता के माध्यम से वितरित करा रहे हैं, उसमें हम ज्यादा सफल हुए हैं और लोगों की परेशानी भी कम हुई है।

मान्यवर, जहाँ पर छोटी-छोटी सहकारी समितियाँ हैं, उनमें सचिव ही एक ऐसा माध्यम है, जिसके जरिये से हम वितरण कराते हैं, उपभोक्ताओं को चीजें दिलवाते हैं, ऋण वितरण कराते हैं और वसूली भी उसी के जरिये से कराते हैं। वितरण की जितनी भी चीजें हैं चाहे उसमें शक्कर हो, कपड़ा हो, घी हो या और भी कोई चीज हो, तो उसमें सोसाइटी को किसी किस्म का लाभ नहीं होता है, उसमें इतना लाभ नहीं होता है कि वह हजारों रुपयों या लाखों रुपयों में आता हो। एकमात्र सचिव इतने बड़े काम को करता है। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को यह सुझाव देता हूँ कि कम से कम उसमें और आदमियों की व्यवस्था की जाय। सोसाइटी में जो आपके सचिव हैं उसका वेतन 3 सौ साढ़े तीन सौ से अधिक नहीं है। जो आजकल के चपरासी से कम है। यह सचिव करोड़ों का बिजनेस करता है, सोसाइटी के जरिये से लाखों रुपये की खाद बांटता है, शक्कर और तेल का वितरण करता है। मेरा सुझाव है कि कम से कम उनका वेतनमान बढ़ाया जाय और उनको कुछ और सुविधायें प्रदान की जांय। जो आई०आर०डी० और स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान है उसमें जितने लाभार्थ हैं, ए०डी०ओ० बी.डी.ओ. और ए०डी०एम० डिबलपमेंट है। सारे अभ्यर्थियों के प्रार्थना पत्र भेजे जाते हैं। मान्यवर, जिस तरह से प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हैं या चयन करते हैं उनके परिवारों को उसी तरह उनको दायित्व देना चाहिए, लोन की वसूली में वह बैंक का यह सहकारी समितियों का सहयोग करें। मान्यवर, जो सुपरवाइजर और ए०डीओ० है उनको इतने दिन के बाद भी कोई कानूनी दायित्व नहीं दे पाये हैं। मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार तथा सचिव प्रबन्ध निदेशकों को है जो कानून दायित्व इनका है, उसी तरह से सुपरवाइजर और ए०डी०ओ० को कानूनी दायित्व होना चाहिये। उसको संरक्षण प्राप्त होना चाहिये। जिस समय सचिव वसूली के लिये जाता है तो उसके बचाव के लिये कोई व्यवस्था नहीं है कोई उसको मार सकता है, घर से निकाल सकता है, उसका कोई संरक्षण नहीं है। उसको सरकारी संरक्षण मिलना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। और उसी सम्बन्ध में 2-3 बातों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। माननीय मंत्री नाम

से बच्चा पाठक है इनका यह नाम है। कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूँ विनोद के लिये कहना चाहता हूँ। आपका नाम बच्चा पाठक है लेकिन आप नौजवान पाठक से कम नहीं हैं। पत्र का उत्तर देने में। मैंने 20-11-81 को पत्र लिखा और माननीय मंत्री जी उसका उत्तर बहुत जल्दी 3-2-82 को दिया।

श्री अधिष्ठाता—

आप पत्र की कापी पहले भेज दें।

श्री रूद्र प्रताप सिंह—

इसमें कुछ है नहीं। आप सुन लें। इसमें चरित्र हत्या नहीं है वह तो पहले से हो चुका है।

श्री अधिष्ठाता—

अगर कुछ है नहीं तो क्यों पढ़ रहे हैं।

श्री रूद्र प्रताप सिंह—

इसलिये पढ़ रहा हूँ कि माननीय मंत्री जी जानते हुए छुपाते हैं। एक ए० डी० ओ० और ए० आर० के विरूद्ध ....

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

इसको कुबेर भण्डारी ने लिखा है।

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

आपके पत्र पर कार्यवाही हो रही है इसकी सूचना आपको दी जायेगी। एक वर्ष से ज्यदा हो गये लगभग 2 वर्ष हो गये इस पत्र का उत्तर नहीं मिला। जांच के लिये मैंने लगभग 20 प्वाइन्ट दिये थे जो कमियाँ और परेशानियाँ थीं उनके संबधं में आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप भी सदस्य हैं हम भी सदस्य है हमको आपको जनता ने चुनकर भेजा है दुर्भाग्य से या सौभाग्य से आप मंत्री हैं। यह पद आपको मिला। जो भी हम लोगों की समस्या होगी जो बात होगी उसको निश्चित रूप से आपके पास भेजूँगा और आपका नैतिक कर्तव्य है कि आप उस पर कार्यवाही करें। उसकी जांच करायें और उससे हम लोगों को अवगत करायें। तो जो प्रदेश का मंत्री, एक विधायक के कहने पर, पत्र प्राप्ति की सूचना के बाद भी, आज तक उस पर कार्यवाही की सूचना नहीं दे सके, नैतिकता नहीं है फिर भी वहाँ कैसे आसीन हैं? जब राजा विश्व नाथ प्रताप सिंह मुख्य मंत्री थे, स्वर्गीय भाई त्रिवेणी राय ने प्रस्ताव रखा था कि गांव के लोगों को तेल, चीनी, राशन आदि दिया जाय तो मैंने उस समय भी सहकारिता के माध्यम से इसको दिये जाने का विरोध किया था लेकिन चुंकि मैं सत्ता में था नहीं, सुब्रह्मण्यन सचिव थे शायद, सब दूकानों को ले लिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी समितियां हैं, हमारे यहां 7· हजार का घोटाला हुआ, कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई। परिणाम क्या हुआ—तेल बिल्कुल नहीं मिल रहा है, चीनी तो थोड़ी बहुत मिलती है।

जाके पैर न फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई।

(हंसी) (व्यवधान)

[श्री रुद्रप्रताप सिंह—]

ये गरीबी क्या जानें ? इनके सचिव सिवाय सेल्समैन की नियुक्ति के, और कोई काम नहीं उनके पास। देहातों में स्थिति बड़ी भयंकर है, लोग कर्ज लेते हैं सौ रूपया। उसके आगे एक शून्य बढ़ा देते हैं और वह एक हजार हो जाता है। एक हजार कर्ज लेते हैं तो उसके आगे एक शून्य बढ़ा देते हैं और वह दस हजार हो जाता है। एक सदस्य वीर बहादुर सिंह जी के यहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया कि लोग 20-20 हजार रुपया देते हैं तभी उनका लोन देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि अधिकारी वही हैं, चाहे कृषि में हों, उद्योग में हों, सिंचाई में हों, केवल आप और हम बदले हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इस पर विशेष ध्यान दें।

मैं चुनौती देता हूँ, हमारे चुनाव क्षेत्र गौर कोठी सोसाइटी की चेकिंग करा लें, कितने हजार का गबन सचिव और सेल्समैन ने किया, सारा रुपया लेकर फरार हो गये। ए०आर०, ए०डीओ० पत्थर देवा को उनके खिलाफ पत्र लिखा है, उसकी चेकिंग करा लें और मुझे बतायें कि क्या हुआ है ?

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, मुझे आपने बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं इस प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ क्योंकि यह बजट माननीय सहकारिता मंत्री जी ने अपने व्यक्तित्व के अनुरूप, विकास को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया है। समय कम होने के कारण और पक्ष पर न जा कर मैं केवल वितरण प्रणाली की तरफ आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। वितरण प्रणाली में सुधार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन यदि इन दुकानों को किसी माध्यम से यह निर्देश दे दिये जायें कि जो भी कोई सामग्री राशन की दूकानों के लिए उठायी जाती है वह प्रत्येक माह की 7 तारीख के अन्दर दूकानों पर पहुंच जानी चाहिए।

प्रायः यह देखा जाता है कि महीने के अन्त में, अन्तिम तारीखों में सामान उपलब्ध कराया जाता है और फिर वितरण के लिए दो-चार दिन ही रह जाते हैं और अगर कोई व्यक्ति इन दिनों नहीं पहुंच पाता हो कह दिया जाता है कि समय समाप्त हो गया है। इसलिए वितरण संबंधी सामग्री प्रथम सप्ताह तक अवश्य पहुँच जाये और अगर ऐसा हो जाये तो मैं समझता हूँ कि वितरण में अवश्य सुविधा हो जायेगी। जब हमारा बजट आज प्रस्तुत किया गया तो विपक्ष के भाइयों में बहुत खलभली मच गयी। यह स्वाभाविक था क्योंकि सहकारिता विभाग जब इनका शासन था, तीन वर्षों में साहूकारों की जेब में या इनके निजी घरानों में ही सिमट कर रह गया था। जब हमारी सरकार पुनः आई तो माननीय मन्त्री जी इसको साहूकारों की जेब से निकालने में सफल हुये। यह पूँजी घरोहर के रूप में न रहकर सहकारिता विभाग में आई।

भ्रष्टाचार के बारे में कहा गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि भ्रष्टाचार इस विभाग में है। साथ ही साथ यह भी सच है कि भ्रष्टाचार के ऊपर काफी अंकुश लगाया गया है। भ्रष्टाचार निवारण का एक उदाहरण और उपलब्धि आपके माध्यम से विपक्ष के भाइयों के सामने रखना चाहता हूं। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली जनवरी, 79 को लागू की गयी। तब 42 करोड़ रुपया का सहकारिता के माध्यम से व्यय किया गया। दूसरे वर्ष 214 करोड़ रुपये सहकारिता के माध्यम से व्यय हुआ। इस वर्ष के 11 महीनों के अन्दर 226 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

हमारे विपक्ष के भाई कभी भी इन आँकड़ों को सत्यापित कर सकते हैं जिससे उनका भ्रम दूर हो जाये। मान्यवर, यदि भ्रष्टाचार होता तो जब से सार्वजनिक वितरण प्रणाली

अपनाई गयी है 42 करोड़ से लेकर 226 करोड़ का व्यय हुआ होता। यह बात सही है कि विपक्ष के लोगों को आलोचना करने का अधिकार है। परन्तु इस बात को सोचकर दुख होता है कि एक भी सुझाव ऐसा नहीं आया जिससे इस विभाग में कोई क्रान्तिकारी कदम उठाया जा सकता।

श्री अधिष्ठाता—

(कुछ माननीय सदस्यों द्वारा बातें करने पर) मा० कुबेर जी, मा० बाजपेयी जी लाबी इसीलिये बनी है।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता—

क्या व्यवस्था है?

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

मान्यवर, मैं अपनी स्वाभाविक सीट पर बैठा था जिस पर मेरा जन्म हुआ है। विपक्ष के माननीय सदस्य मेरा नाम लेकर षडयंत्र रच रहे थे। षडयंत्र पनपने न पाये इससे पहले ही मैंने दबोच लिया। इसमें मुख्य अभियुक्त मुख्तार अनीस जी थे। अब मान्यवर, आप तो दंड देगें इसलिये मैं पुनः अपनी स्वाभाविक सीट पर वापस जाता हूँ।

(हंसी)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, विश्व बैंक के अन्तर्गत ग्रामीण योजना चल रही है। इस योजना से ग्रामीणों को बहुत बड़ा लाभ मिल रहा हैं। मान्यवर, अपने जनपद की बात करना चाहता हूं। हमारे जनपद में जो ग्रामीण गोदाम बन रहे थे उनका कार्य एकदम ठप हो गया है।

श्री अधिष्ठाता—

एक मिनट और ले लीजिये। जो व्यवधान था उसके लिये एक मिनट दे दिया गया है।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, मालूम हुआ कि वितीय स्वीकृति देने का अधिकार छीन लिया गया है जिसके कारण हमारे जनपद में ग्रामीण गोदामों का निर्माण कार्य बिलकुल ठप हो गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह वित्तीय स्वीकृति जिस तरह से अन्य जनपदों में दी गयी है वही प्रक्रिया हमारे जनपद में भी लागू करें। सुझाव के रूप में कलेक्शन फंड के बारे में कहूंगा कि शायद ही कोई विभाग हो जिसमें कलेक्शन फंड का आडिट न होता हो। हमारे सहकारिता विभाग में जो वसूली की जाती है रेवन्यू विभाग के द्वारा उसमें 10 प्रतिशत अधिक चार्ज किया जाता है।

मान लीजिये कोई ऋण लेता है जो 10 प्रतिशत पर दिया गया तो 10 प्रतिशत अलग से चार्जेज ले लिये जाते हैं। इस प्रकार 20 प्रतिशत पड़ जाता है। इसका आडिट

[श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—]

भी नहीं होता । इसको घटाया जाय या इसका आडिट हो । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री लल्लूसिंह चौहान—

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । यह विभाग किसान और मजदूरों के लिये महत्वपूर्ण विभाग है । सत्ता पक्ष के कुछ साथियों ने कहा कि विरोध पक्ष तो चाहता है कि सहकारिता विभाग को समाप्त कर दिया जाये, हम में से किसी की भी यह इच्छा नहीं है कि इसे समाप्त कर दिया जाये, लेकिन हम यह अवश्य चाहते हैं सहकारिता विभाग में जो खामियाँ हैं उनको दूर किया जाये, भ्रष्टाचार को दूर किया जाये । सहकारिता और पंचायत यही दो विभाग तो ऐसे हैं जो किसान और मजदूरों के नजदीक रहते हैं । इन दोनों विभागों की बड़ी दुर्दशा है जिसके कारण सही मानी में किसानों और मजदूरों का हित नहीं हो पा रहा है ।

अंग्रेजों के जमाने में रियासतों और बड़े बड़े सामन्तों के ऊपर काफी कर्जा चढ़ा हुआ था । अंग्रेजों ने यह सोच कर कि उन रियासतों को जीवित रखना है, वे किसी प्रकार खत्म न होने पायें, उनकी मदद करने के लिये एक कोर्ट आफ वार्ड्स कानून बनाया और उन रियासतों को उसके अन्तर्गत उनका इन्तजाम अपने हाथ में ले लिया । उन्होंने एक एक आई०ए०एस० को वहां का काम सुपुर्द कर दिया जो रियासत का सारा इन्तजाम, उसकी आय व्यय आदि का हिसाब रखा करता था और उसी में से जो लाभ होता था कर्जा अदा किया जाता था और यह ध्यान रखा जाता था कि उन सामन्तों के बच्चों वगैरह को किसी प्रकार की परेशानी न हो, उनका जीवन निर्वाह, पढाई आदि सभी ठीक तरह से चलती रहे ।

इसी प्रकार से यदि आप चाहते हैं कि किसान तबाह और बरबाद न हो, वास्तव में आप किसान के हितैषी हैं, तो कानून में इतना प्राविधान अवश्य करिये कि किसान की जमीन किसी भी हालत में नीलाम न होने पाये, भले ही आप उसकी सारी फसल नीलाम करवालें, बैल और भैंस आदि कुर्क व नीलाम करवा लें । मगर आज भूमि विकास बैंक के द्वारा जो उसकी भूमि की नीलामी करवा ली जाती है यह नहीं होना चाहिये । एक ओर किसान ओला, कभी सूखा, कभी बाढ़ के कारण तबाह हो जाता है, दूसरी ओर उसकी जमीन नीलाम करवा दी जाती है, आखिर उसके बच्चे कैसे जियेंगे ? इस पर भी आपको विचार करना चाहिये । किसान ज्यादातर कर्जा भूमि विकास बैंक से ही लेता है । जो आप के कामर्शियल बैंक हैं, यह तो हमारे आपके कहने से कभी-कभी मान भी जाते हैं, उसकी भूमि नीलाम नहीं करवाते, पर आपके भूमि विकास बैंक वाले नहीं मानते ।

सहकारिता का सम्बन्ध गांव की जनता से है और यदि विभाग का कार्य सरकारी अधिकारियों के माध्यम से चलाया जायेगा, जिस तरह से आज ऊपर से नीचे तक आपके सरकारी अधिकारी छाये रहते हैं, उनसे काम चलवाया जायेगा, तो सहकारिता का उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है । आज देखने में आ रहा है कि सरकार ने ऐसे ऐसे लोगों को, जो दफा 216 के मुलजिम हैं, सजायाफ्ता लोग हैं, ऐसे लोगों को प्रशासक नियुक्त कर दिया है । जिलों में सभी लोग जानते हैं कि अमुक व्यक्ति दफा 216 में सजा पाया हुआ व्यक्ति है, पर उसे प्रशासक आपने बना दिया है । जब ऐसे लोगों को प्रशासक बनाने की सूचना गयी तो उसे देखकर जिले का कलेक्टर तक ताज्जुब करने लगा । वह तक सोचने लगा कि यह प्रशासक कैसे बन गया ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैं एक जिलाधिकारी मिस्टर नगेन्द्रसिंह हैं, उनके खिलाफ कोई बात नहीं कहना चाहता, आप कहेंगे कि उसे यहाँ स्पष्टीकरण देने का अवसर नहीं है, वह यहां नहीं है वे जिलाधीश थे। अदालती पंचायत का नामांकन हो रहा था। एक मरे हुए व्यक्ति क नामांकन कर दिया गया न्याय पंचायत के पंच के रूप में। 2 मिनट के बाद मुझे मालूम पड़ा कि उस गांव में फलां आदमी मर गया है और वह जेल में मरा था। उसका रिकार्ड भी जेल से मिल सकता है। मैंने श्री नगेन्द्र सिंह जी से पूछा कि यह नाम कैसे दर्ज कर दिया गया तो उन्होंने कहा कि कमेटी बननी है उसमें एक एम० एल० ए० साहब ने कहा। मैंने कहा कि वह आदमी तो मर गया है अब तो आपको मालूम हो गया है, इसके नाम को बदल दो। उन्होंने वकील को बुलाकर पूछा तो उसने बताया कि अब यह पिटीशन का केस हो जायेगा। अधिष्ठाता महोदय, जब इस तरह की बातें पंचायत और सहकारिता के नीची संस्थाओं में होगी तो इसका कल्याण नहीं हो सकता है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक बहुत ही आवश्यक प्वाइन्ट है और उस पर सहकारिता विभाग के मंत्री जी को यह सारा हाउस बधाई देगा। इस प्रदेश की 11 करोड़ जनता बधाई देगी। वे आज ही इस सदन में घोषणा करें कि हम 3 महीने के अन्दर समस्त सहकारिता विभाग की सोसाइटियों का चुनाव करा देंगे और जो सूदखोर हैं उनको चुनाव लड़ने नहीं देंगे। मान्यवर, यह मेरा निजी अनुभव है जो रजिस्टर्ड सूदखोर हैं, लाखों रुपये का हिसाब किताब करते हैं, वही इसके नेमैंजिंग डाइरेक्टर बन जाते हैं। यदि आप घोषणा कर देते हैं कि हम चुनाव करायेंगे तो हम सब आपको बधाई देंगे।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ—दुग्ध सोसाइटियों के बारे में। दुग्ध सोसाइटियाँ बनाई गई हैं। किसान सहकारी समितियाँ, कृषि सहकारी समितियाँ को, यह जो सिलिंग की जमीन है और या जो बन्जर जमीन है उसको कन्सोलिडेट करके किसी तरह से अपने कार्य से उसे कल्टीबेट करके छोटे-छोटे किसानों को मिले।....

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ। कृपया आप बैठें।

श्री लल्लूसिंह चौहान—

इन सुझावों पर माननीय मन्त्री जी अवश्य ध्यान देंगे।

श्री कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय कोआपरेटिव मिनिस्टर जी द्वारा रखे गये बजट प्रस्ताव पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ और इस पर आपने मुझे जो बोलने के लिये अवसर दिया है उसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, मैंने कटौती के प्रस्ताव पर, जो कि माननीय श्री हरिवंश सहाय जी द्वारा रखा गया है, उनको भी सुना। कटौती के प्रस्ताव में सिर्फ 2 बातें थीं और उन्होंने 2 बड़े-बड़े कोटेशन भी बड़े-बड़े नेताओं के कहे। इस प्रकार कुल मिलाकर कटौती का प्रस्ताव खाली था उसमें कुछ नहीं था।

आज प्रदेश में जितना महत्वपूर्ण विभाग यह है, हर चरण में हर जगह कोआपरेटिव द्वारा विकास हो रहा है इस प्रकार के महत्वपूर्ण विभाग पर कटौती का प्रस्ताव दो लाइन में रख दिया गया और वह भी जनरल। आम बात कह दी गई जिनसे किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। कोई सुझाव नहीं दिया गया और जहाँ दो हजार करोड़ रुपये

[श्री कैलाशचन्द यादव—]

का काम हो रहा है कोआपरेटिव मूवमेंट में, जन सेवा में वहां उनको 20 सुझाव देने चाहिये थे ।

कोआपरेटिव मूवमेंट में भ्रष्टाचार इतना नहीं है गड़बड़ी है भले ही न हो रही हो । इसलिये मालूम पड़ता है प्रदेश के चप्पे में इतना विकास गत 30 वर्षों में नहीं हुआ है जितना अब हुआ है । गाँव तक में गोदाम बन गये हैं । गाँव-गाँव में हर चीज पर चाहे वह खाद्य हो, तेल हो, बीज हो, और कपड़ा हो, कोआपरेटिव का आधिपत्य है और यह कोआपरेटिव मूवमेंट जनता की सेवा कर रही है । इतना जबरदस्त एक्सपेन्सन मान्यवर, और किसी और विभाग का नहीं हुआ है । तो इस प्रकार जो विभाग रात-दिन सेवा करेगा तो उसकी कुछ आलोचना हो ही जाती है । मान्यवर, आलोचना का भी यह होता है कि आलोचना, आलोचना के लिये भी होती है और विरोधी पक्ष उसको उस नजरिये से देखता है, मान लीजिये कहीं 5 हजार का गबन होता है और 5 अखबारों में वह खबर छपती है तो आप उसको मल्टीप्लाई करके समझाने लगें तो यह तो गलत होगा । कोआपरेटिव के भ्रष्टाचार का अगर औसत लगाया तो कोई औसत नहीं आता है····

(व्यवधान)

आप शान्त रहें और मुझे सुनें । अगर आप मुझे नहीं सुनेंगे तो जब आप उधर से बोलेंगे तो दिक्कत हो जायगी ।

जब कोआपरेटिव में केन्द्रीयकरण हो जाता है तो विकेन्द्रीयकरण की मांग करते हैं और जब विकेन्द्रीयकरण हो जाता है तो केन्द्रीयकरण की मांग करते हैं । चुनाव की बात करते हैं । चुनाव का एक प्रोसीजर है, जिसमें कम से कम 6 माह का समय लग जाता है । वह समय अक्टूबर से लेकर जनवरी और फरवरी तक तो सकता है लेकिन मार्च से लेकर जुलाई-अगस्त तक जब वसूली का पीक टाइम होता है, वह समय नहीं हो सकता । अगर इस समय चुनाव कराये भी जायं तो कोआपरेटिव मूवमेंट असफल हो जायगा । चुनाव की घोषणा तो कई बार हुई है । जहाँ तक एपेक्स का सवाल है, गाँव के बेस प्वाइंट पर प्रशासकों की नियुक्ति जिले में ही करायी गयी है । जहाँ तक चुनाव का सवाल है, कोआपरेटिव में तो सिर्फ एक ही साल हुआ है ।

उत्तर प्रदेश में आम चुनाव हुये थे, उसके बाद एक साल पहले ही उसका टर्म समाप्त हुआ है । एक साल में परिस्थितियाँ ऐसी नहीं बनती हैं कि चुनाव हो पाये या न हो पाये । शासन की मंशा चुनाव के लिये साफ है । मैं चाहता हूँ कि शासन इनका चुनाव कराये और जब तक परिस्थितियाँ नहीं बन पाती हैं तब तक प्रशासक मण्डल बैठायें ताकि काम ठीक से चले ।

यह बात सही है कि कोआपरेटिव मूवमेंट में राजनीति ठीक नहीं है लेकिन राजनीति दोनों तरफ से शुरू होती है । सन् 1977 से शुरू हुई थी । इन सब बातों को नजरअन्दाज करते हुए एक विभाग जो कि प्रदेश की सेवा कर रहा है, उसको कुछ ऐसे सुझाव दें जिससे सरकार इस विभाग को चुस्त और दुरुस्त कर सके और जनसेवा के लायक मजबूत कर सके, जिसका गांव-गांव में फैला हुआ सैट-अप है, लखनऊ में भी 10-12 संस्थायें हैं जैसे पी० सी० एफ० है, यू० पी० एस० एफ० है, जो कि उपभोक्ता भंडार की चीजों को घर-घर में मुहल्ले-मुहल्ले में भेज रहा है । इसी प्रकार उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक अपनी लगन के जरिये गांव-गांव में सेवा कर रहा है, कोल्ड स्टोरेज गांव-गांव बन रहे हैं । यह जो कोआपरेटिव की सहाहनीय सेवा है, इसकी आलोचना करने से कोई हल नहीं निकलेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री बच्चा पाठक द्वारा रखे हुये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री कुंवर सिंह नेगी —

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में मुझे बोलने का अवसर दिया ।

उत्तर प्रदेश में सहकारिता की जो एक पुस्तक इन्होंने आज हमको दी है, उसमें उल्लेख किया गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में फलों के और आलू के रख-रखाव की कठिनाई है, इस दृष्टिकोण से कूल हाउस का निर्माण का मामला विचाराधीन है । जोशीमठ आदि स्थानों पर कार्यवाही की जा रही है । इस प्रकार के विवरण सन् 80 से बराबर माननीय मंत्री जी दे रहे हैं और कोई भी सही दिशा इस ओर आज तक आपने वहाँ के लिए नहीं दी है, जिसकी वजह से वहाँ का काश्तकार सबसे ज्यादा नुकसान उठा रहा है । एक तरफ तो आपका विभाग कहता है कि हम कोल्ड स्टोरेज बनवायेंगे और कहीं पर कहता है कि कूल हाउसेज बनवायेंगे, मैं आपसे इस संबंध में निवेदन करूँगा कि ग्वालबन में आपने जो कूल हाऊस बनवाया था, वह पूरी तरह फेल हो गया । इसलिए मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको आखिर कोल्डस्टोरेज वहाँ पर बनाने में क्या आपत्ति है, जिसकी वजह से आज काश्तकार हमारे यहाँ का काफी निराश है, उसका सेव मिट्टी के भाव भी नहीं बिक रहा है, दूसरा पर्वतीय क्षेत्र में फलों एवं आलू पर सब्सीडी का प्राविधान है, परन्तु यह प्राविधान उस वक्त लागू होता है जब क्रय विक्रय समितियाँ उनके माल को ऊपर से नीचे की ओर लावें लेकिन वहाँ पर कोई क्रय एवं विकास समितियाँ नहीं हैं । अत: क्रय-विक्रय समिति का गठन किया जाये और प्रोत्साहन दिये जायें अभी तक समिति गठित नहीं की गयी है ।

दूसरे मान्यवर, खाद के बारे में यह कहा गया कि हमने इस ओर उचित व्यवस्था कर दी है, लेकिन उसके बाँटे जाने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर जो खाद ग्राम्य विकास अधिकारी व कर्मचारी है, उनका कहना है कि हम खाद को छूते नहीं हैं तो मान्यवर खाद के बँटवाने की व्यवस्था करवा दें ऐसे कर्मचारी व अधिकारी नियुक्त करें जो इस कार्य को कर सकें ।

मान्यवर, हमारे यहाँ सहकारिता में डिप्टी रजिस्ट्रार कोआपरेटिव दो साल से वहाँ नियुक्त नहीं किये हैं, तो सोचिये कि जहाँ पर विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी डिप्टी रजिस्ट्रार होता है वही न हो तो वहां क्या कार्य होंगे और क्या प्रगति होगी, इसलिये कृपया इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है ।

मान्यवर, गोपेश्वर में एक भूमि विकास बैंक है, जिसके प्रबन्धक की नियुक्ति वहाँ नहीं हुयी है, केवल एक चपरासी व एक अन्य बाबू है तो यह दोनों वहाँ पर क्या करेंगे जब मुख्य अधिकारी वहाँ पर है ही नहीं और इन दोनों कर्मचारियों को मुफ्त में तनख्वाह जा रही है इस बैंक द्वारा कास्तकारों को कोई भी ऋण नहीं दिया गया । आपने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में सोयावीन की फैक्ट्री खोली है हल्द्वानी में मेरा इस ओर निवेदन है कि गढ़वाल मण्डल में सोयावीन काफी मात्रा में पैदा होती है, इसलिए हल्द्वानी के अलावा गढ़वाल में भी एक फैक्ट्री इसकी खुलवा दीजिए तथा सोयाबीन की बिक्री के लिए नजदीक बिक्री केन्द्र खोले जायें जिससे इनके व्यापार में और प्रगति होगी और काश्तकारों को सुविधा सुलभ होगी ।

श्री अधिष्ठाता —

श्री नेगी साहब अब आपका समय हो गया है ।

श्री कुँवर सिंह नेगी—

जी मान्यवर, धन्यवाद ।

श्री बिशन लाल—

मा० अधिष्ठाता महोदय, आज बहुत दिनों बाद मुझे समय दिया गया है, जिसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ और आज हमारे सहकारिता मंत्री जी ने बजट पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और समर्थन इसलिए करता हूँ कि उनका विभाग एक ऐसा विभाग है जो लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करता है । इसका लगाव प्रदेश के हर गाँव में, हर क्षेत्र में व हर स्थान पर जनता से सीधे हैं और जो लोग साहूकारों से पहले पीड़ित थे, जिनके घर, जिनके खेत, जिनके जेवर व जमीनें आदि बिक जाया करती थी, उन सब को आज इसके जरिये से राहत मिली है और आम जनता को राहत मिली है और इसके लिये मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि जो प्राईवेट फर्म्स हैं उनके अन्दर जो वितरण प्रणाली दी गयी थी जिसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार होता था, वह आज सहकारी संस्थाओं के जरिये से वह वितरण प्रणाली जगह-जगह पहुँच चुकी है । यह बात तो सच है कि जब काम किया जाता है तो कहीं अच्छा होता है और कहीं-कहीं खामियां रह जाती हैं और इसके लिये सरकारी कर्मचारी ही दोषी पाये जाते हैं । मैंने देखा है कि मंत्री जी गाहे बगाहे निरीक्षण करते हैं, चाहे वह भूमि विकास बैंक का मैनेजर हो या चाहे कोई और अधिकारी या कर्मचारी हो मंत्री जी उसका स्पष्टीकरण लेते हैं और यहां लखनऊ आकर इनक्वायरी कमेटी में उनको जाँच करने के लिये लखनऊ बुलवाते हैं । यह सही है कि माननीय मंत्री जी अपने विभाग के लिये पूर्ण रूप से जागरूक हैं । मन्त्री जी ने किसानों के लिये बीज, खाद इत्यादि का बहुत अच्छा साधन जुटाया है जिससे कि पूर्ण विकास हो रहा है ।

मैं माननीय मन्त्री जी से दो बातें और कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे यहाँ फार्मिंग सोसाइटियां बनी हुई हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि जिन्होंने यह सोसाइटियां बनाई हैं उन लोगों ने गरीबों का हक मारा है जिनको जमीन दी जानी चाहिये थी उनको वह नहीं मिल पा रही है और उस जमीन को बड़े बड़े जमीदारों ने और प्रभावशाली व्यक्तियों ने जब भूमि की सीलिंग हो रही थी, तो उन्होंने जमीन बचाने के लिये सोसाईटी बना ली और लाखों, करोड़ों रुपये का सरकार का उससे घोटाला हो रहा है । मैं चाहूँगा कि मन्त्री जी इन फर्जी सोसाटियों को समाप्त करें ।

सहकारी संस्था में इसी तरह से ऋण वितरण की जो प्रणाली है, यह हर जिले में काम करती है, इसका काम प्राविन्शियल बैंक का है तो इसका नाम भूमि विकास बैंक न हो करके जिला सहकारी बैंक या प्राविन्शियल बैंक होना चाहिये । हमें उसी के जरिये से ऋण मिलता है । तो यह सहकारी बैंक न हो करके इसे प्राविन्शियल शाखा कहा जाना चाहिये । इससे नुकसान हो रहा है । हम लोगों का आरक्षण में तो नुकसान ही होता है परन्तु और चीजों में भी नुकसान हो रहा है । जिला सहकारी बैंक का एक सेक्रेटरी होता है परन्तु वह कभी हरिजन नहीं लिया गया । इसके माने साफ हैं कि एक आई०ए०एस० आफिसर हरिजन हो सकता है लेकिन जिला सहकारी बैंक का सेक्रटरी कभी हरिजन नहीं बनाया जा सकता है । एक-एक या दो-दो करके लोग लिये जाते हैं और फाईलें न्याय विभाग और कार्मिक विभाग में घुमाई जाती हैं लेकिन काम कभी पूरा नहीं होता है और नौकरियों में आरक्षण नहीं दिया जाता है । यह सब बातें कहने के लिये हैं परन्तु कहीं है कुछ नहीं ।

सारे सूबे के बारे में मुझे कहना है कि चयन करने के लिये कमेटियाँ बनाई जांय और इस प्रश्न पर माननीय मंत्री जी फिर पुनर्विचार कर लें । संस्थागत सेवा मण्डल संस्थाओं में रिप्रेजेन्टेशन ठीक किया जाय । संस्थाओं की कार्यप्रणाली ठीक नहीं है, उसमें

कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है। इसी के साथ ही साथ मुझे यह भी कहना है कि ट्रान्सफर की एन्ट्री अभी तक नहीं रुकी हैं। इसी के साथ मुझे यह भी कहना है कि जो चैक मिलता है तो इसके लिये लगे हुए लोग हैं वे ब्याज खुद खाते हैं और जो एक बार लोन ले लेता है वह एक समय का लिया हुआ आदमी उससे उबरता नहीं है, यह बड़ा मुश्किल है इसलिये मंत्री जी इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ।

(समय अपरान्ह 3 बजकर 25 मिनट)

***श्री भगवान दीन कुशवाहा—**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सहकारिता के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि कोआपरेटिव विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कोई भी हो जनता और किसान का हित नहीं करता है। उन्हीं का कहना है कि मैं तो मजबूर हूं भ्रष्टाचार करने के लिए, इसका अधिकांश हिस्सा माननीय मंत्री जी को देना पड़ता है। सहकारिता विभाग के कर्मचारी यह सभी कहते हैं तो मान्यवर, सहकारिता में इस तरह का चर्चा का विषय बना हुआ है। मान्यवर, झींझक एक बहुत बड़ा कस्बा है, वहां पर भूमि विकास बैंक के प्रबन्धक श्री शशि कान्त त्रिपाठी हैं। श्री त्रिपाठी माननीय मन्त्री जी के शिष्य हैं और वह कहते हैं कि हम जो करते हैं उसका हिस्सा माननीय मंत्री जी को भी पहुंचाना पड़ता है।

डा० वृज किशोर मिश्र—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य को और भी कुछ कहना है कि यही कहना है !

श्री भगवानदीन कुशवाहा—

मान्यवर, मेरा जो समय इस प्रकार से लिया जाता है, उसको मेरे समय में न जोड़ा जाये।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य स्वयं ही एक ही बात को बार बार दुहरा कर अपना समय नष्ट कर रहे हैं। नयी नयी बात कह कर शीघ्र समाप्त करने का प्रयास करें।

श्री भगवानदीन कुशवाहा—

तो मैं कह रहा था कि शशिकान्त त्रिपाठी ने झीझक में 25 लाख रुपये की लूट की है। इन्तखाब किसी की लगी और फोटो किसी दूसरे किसान का लगा, और रुपया निकाल लिया गया। मैनेजर और डीलर ने मिलकर रुपया निकाल लिया। इन्जन कहीं दूसरी जगह पर चल रहा है और दिखाया कहीं दूसरी जगह पर है। इस प्रकार से सब्सीडी का लाखों रुपया शशिकान्त त्रिपाठी ने हड़प लिया है और कहते हैं कि इसका हिस्सा माननीय मन्त्री जी को जाता है। जब मुझे यह मालूम हुआ और किसानों ने दरख्वास्तें दीं तो इसकी मैंने जांच की तो पता चला कि उस रजिस्टर को उन्होंने क्लोज कर दिया। मैंने मंगलपुर थाने में इस बात की रिपोर्ट भी लिखायी विजीलैन्स से जाँच हो रही है। तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को जब यह मालुम हुआ तो उन्होंने उनको ससपेंड कर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवानदीन कुशवाहा—]

दिया। माननीय मन्त्री जी ने पुलिस पर बहुत दबाव डाला। त्रिपाठी जी के भाई एक दारूल शफा बी-ब्लाक में रहते हैं। उन्होंमें 160 विधायकों के दस्तखत कराकर मा० मुख्य मन्त्री जी को दिया और कहा कि भगवानदीन कुशवाहा इसी तरह के झूठे आरोप लगाते रहते हैं। मैंने श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को सारे प्रमाण दिये तो उन्होंने उस को ससपेंड कर दिया।

मान्यवर, एक दूसरी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं माननीय मन्त्री जी के दूसरे शिष्य है एक सांसद जो कांग्रेस (आई०) के हैं। उनके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को पैसा मिलता है। कानपुर में एक सोमवंशी, ए० आर० हैं जनता शासन में उनको ससपेंड कर दिया गया था, परन्तु इस सरकार ने फिर उनको बहाल कर दिया है। वह यह करते हैं कि पाम आयल, कपड़ा जो भी कुछ उपभोक्ता की वस्तुये होती हैं उनको वह बेच लेता है। इतना होते हुए भी इस सरकार ने उनको बहाल करके पुनः रख दिया गया। जितनी सोसाइटियां बनायी गई वह जिलाधीश के आदेश से बनायी गई थीं किन्तु पैसा लेकर उन्हें दूसरी जगह बना दिया जायगा।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री राम कुंवर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सहकारिता मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया है। सहकारिता मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसका मैं हार्दिक समर्थन करता हूं स्वागत करता हूं और उनका समाजवादी व्यवस्था के बजट पेश करने के लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं।

मान्यवर, सहकारिता आन्दोलन सन् 1904 में अँग्रेज लाये थे लेकिन जब अँग्रेज इस योजना को लाये थे तो उस समय यह कागज पर ही रुक गयी थी हमारे भूतपूर्व प्रधान मन्त्री राजनायक पं० जवाहर लाल जी ने सन् 1962 में इसको जनता के बीच में लाकर इस आन्दोलन को उन्होंने निखरा दिया। इतना जरूर कहना जाहूंगा कि इस देश का दुर्भाग्य हैं कि सहकारिता आन्दोलन जनता का आन्दोलन होते हुए भी ऐक्ट और रूल में जब परिवर्तन हुआ कायदे और कानून में परिवर्तन करने का हमें मौका मिला तो यह आन्दोलन जनता के हाथों से निकल कर सरकारी अधिकारियों के अधिकार में सौंप दिया गया। यह हमारा दुर्भाग्य था।

मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि आज सारे लोग समाजवाद की बात करते हैं और उस व्यवस्था को लाने का नारा लगाते हैं क्योंकि आज कोई दूसरा माध्यम नहीं है जिससे हम समाजवाद के नक्शे को सही रूप से जमीन पर उतारें, उस व्यवस्था को लाने के लिये सहकारिता ने सबसे बड़ा काम किया है। खाद्य समस्या से यहाँ पर हाहाकार मचा हुआ था और उसको पूरा करने के लिये हम लोग प्रयत्नशील रहे। उसी के सहकारिता आन्दोलन ने हरित क्रांति लाकर खाद्य समस्या का हल किया है। बीज का वितरण, खाद का वितरण, कीट नाशक दवाइयों का वितरण आदि जो साधन होने चाहिए थे सहकारिता के माध्यम से उन्हें जनता के बीच पहुंचा दिये गये जिससे हमारे मुल्क में यह खाद्यान समस्या अपने आप हल हो गई।

आज कोई नहीं कह सकता है कि सहकारिता ने कोई काम नहीं किया है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधार पर जो हाहाकार

मचा हुआ था 12/14 रुपये किलो चीनी बिक रही थी, 5 रुपये लीटर मिट्टी तेल बिक रहा था, सहकारिता आन्दोलन के माध्यम से ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि उससे वितरण व्यवस्था सुधरी है, कीमतें कम हुई हैं और आम पब्लिक को सुविधा मिली है। मुख्य मन्त्री जी जब उस अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे थे उन्होंने प्रशंसा की थी कि जब हम दौरे पर जाते थे तो हमेशा देखा कि कोआपरेटिव की वितरण प्रणाली से सारी समस्या हल हो गई। सहकारिता ने बहुत अच्छे अच्छे काम किये हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि इसकी निन्दा की जाय ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह एक जनता का आन्दोलन है। मैं यह नहीं कहता कि इसमें बुराई नहीं है लेकिन फिर भी हर विभाग से इसमें कम भ्रष्टाचार है। इसका प्रसार और प्रचार ज्यादा होता है। जनता के बीच में इसका प्रचार होना चाहिए। जो बुराइयां है जनको पूरा करने के लिये मन्त्री जी बैठे हैं, उनके सहयोगी आस्वशत हैं। इस तरफ वालों से ज्यादा जिम्मेदारी उनकी है जो उधर बैठे हैं। केवल आलोचना नहीं सुझाव भी देना चाहता हूं कि उसका रास्ता यह है। यदि आप चाहते हैं कि मुल्क में समाजवाद आये तो उसका एक ही मार्ग है और वह है सहकारिता तो उसके लिए सारे भाइयों को अपना पुनीत सहयोग देना चाहिये। आप आलोचना करिये लेकिन सुझाव भी उसके लिए दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका एक ही मिनट रह गया है ।

श्री रामकुंवर सिंह—

मान्यवर, चूंकि समय कम है इसलिए मैं कुछ अब सुझाब देना चाहता हूँ। एक तरफ मैंने वितरण प्रणाली की प्रशंसा की है वह बात सही है लेकिन अब उसमें कुछ ढीलापन आ गया है उसे जिला स्तर पर चुस्त करना होगा। जिलास्तर में कुछ गड़बड़ियाँ आने लगी हैं इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि गाँव के लोगों को ईमानदारी से सामान मिल सके। इस वितरण प्रणाली में काम करने के लिए आपने एक सचिव को रखा है लेकिन उसकी तनखा 293 रु० रखी है आज के इस मंहगाई के युग में जहां आप इमानदारी की बात करते हैं, वितरण प्रणाली का काम उसको दे रखा है वहां दूसरी तरफ 293 रु० उसको तनखा देते हैं। तो यह एक अनहोनी बात है कि उसका गुजारा उसमें हो जाय इसलिए इस बात का भी आप ध्यान रखें····

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री रामकुंवर सिंह—

मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। यहां पर कहा जाता है कि जनता के हाथ में कोआपरेटिव आँदोलन देना चाहिये। लेकिन आज वह जनता के हाथ में न होकर अधिकारियों के हाथ में है यह इसका दुर्भाग्य है। मैं माननीय मन्त्री जी से कहूँगा कि वह ललकार कर चुनाव करायें, जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक वितरण प्रणाली ठीक से नहीं होगी ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री रामकुंवर सिंह—

मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा—

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ, आप बैठें।

श्री रामकुंवर सिंह—

आधे मिनट में समाप्त करता हूँ। जब कोआपरेटिव से 6 परसेंट सूद पर ऋण देने की व्यवस्था थी तो हम लोग गाँवों में लोगों से कहा करते थे कि 25 परसेंट पर साहूकार से क्यों ऋण लेते हो, कोआपरेटिव बैंक आपको 6 परसेंट पर ऋण देता है। लेकिन आज उसे बढ़ा कर साढ़े 12% कर दिया है। तो मेरा सुझाव है कि इसको कम करिये। इन शब्दों के साथ में इस बजट का स्वागत करता हूँ।

***श्री खैरुल बशर—**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि कोआपरेटिव मूवमेंट डिमोक्रेसी और समाजबाद लाने की सीढ़ी है उससे प्रजातन्त्र और समाजवाद मजबूत किया जा सकता है लेकिन आज जिस पार्टी का शासन है जिसका समाजवाद और जनतन्त्र में विश्वास नहीं है और जो सत्तारूढ़ हैं उसमें निश्चित-रूप से उन्होंने इसे विफल किया है। मैंने अभी सुना एक विधायक जी ने कहा कि इसमें राजनीति ले आये हैं, पता नहीं घास चर कर आये हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीति कौन सी बुरी चीज है, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि मेरा पेशा राजनीति है राजनीति के माने हैं जनता को नेतृत्व देना···

श्री अधिष्ठाता—

घास चरने का इस्तेमाल इस तरह नहीं किया जा सकता है।

श्री खैरुल बशर—

मैं उसे वापस लेता हूँ। मैं यह नहीं जानता हूँ कि वे क्या करने आये हैं वे राज-नीति नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं ?

जहां तक इस बजट का सवाल है माननीय मन्त्री जी को उनकी योग्यता के अनुसार बड़ा अच्छा विभाग मिल गया है। मैं भी यही समझता हूँ कि सहकारिता विभाग इस सरकार ने इसीलिए कायम किया है कि चरो और खाओ, कांग्रेसियों के चरने और खाने के लिए इससे बड़ा और कोई साधन नहीं हो सकता है (व्यवधान) एक ए०आर० की बात करता हूँ जो मालिक हैं। मैं मऊ नगर कांग्रेस अध्यक्ष की बात करता हूँ ··श्री राम अवतार पाँडे को उन्होंने कलेक्टर के सामने कहा कि आप ही ए०आर० हैं, यदि आप सड़क पर निकलें तो जनता आपके अस्तित्व को मिटा देगी। मान्यवर, जनवरी महीने में वहां डी० एम० आये और 3-4 आदमियों की दुकानें सस्पेंड हो गयी, तो उन भ्रष्ट दुकानदारों ने, जिनके नाम वारन्ट गया था, उनके वहां मन्त्री जी पाठक जी जब दावत खाते हैं तो आप सहज ही पता लगा सकते हैं कि मन्त्री जी क्या गरीबों के लिये करेंगे ? मान्यवर, यह सहकारिता विभाग सारा तेल पी गया, सारा राशन खा गया और (व्यवधान) वही तेल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राशन चोरबाजारी में ब्लैक में बेचा जा रहा है। इसलिये मन्त्री जी बता दें कि वह गल्ला, चीनी तो हज्म कर सकते हैं लेकिन सीमेंट कैसे हज्म करेंगे ? इसमें आप बता दें।

मान्यवर, 1942 के मूवमेंट में मैं जेल गया जिसकी क्षतिपूर्ति नही कराया। मेरे बाप 30 सालों तक काँग्रेस पार्टी में रहे लेकिन फ्रीडम फाइटर का वजीफा तक नही लिया चूंकि उनका कहना था कि सरकार से यदि एक भी पैसा लेंगे तो आप जनता की भलाई के लिये सरकार से लड़ नही सकते हैं मैं सिद्धान्त के रास्ते पर चलूंगा (व्यवधान) मान्यवर, जो कहते हैं कि राजनीति करते हैं तो मैं उनको बताता हूँ कि वह घबराते हैं इसलिये ऐसा कहते हैं और वह राजनीति में लोगों की जेबो को साफ करते हैं, इसलिये वह ऐसा कहते हैं। (व्यवधान) वह सहकारिता विभाग में हर प्रकार से भ्रष्टाचार करते हैं, इसलिये वह अपने चेहरे को छिपाने के लिये राजनीति में पर्दा डालने का काम करते हैं। इसलिये मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और पाठक जी जनता पर दया करें, इस प्रदेश को छोड़ दें और यदि सहकारिता विभाग आपका डाकुओं के हाथ में चला जाता तो इससे अच्छा रहता।

मान्यवर, सहकारिता विभाग को जब यह प्रणाली दी जा रही थी तो हम लोगों ने समर्थन किया, विरोध नही किया लेकिन एक साल बाद हमारे जिले में 9 विधायकों में से 8 ने इसका विरोध किया कि सहकारिता विभाग एक साल में भ्रष्टाचार में इतना डूबा है जिससे वह जनता की सेवा नहीं कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री अजीत कुमार सिंह—

मान्यवर, आपने सहकारिता मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर मुझे बोलने का समय दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और बजट के समर्थन में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ।

अधिष्ठाता महोदय,यह जो सहकारिता का आंदोलन भारत में शुरू हुआ वह 1904 से शुरू हुआ। ग्रामीण अंचलों में इस समय सहकारिता के माध्यम से सस्ते दरों पर ऋण उपलब्ध कराया गया है 1912 में इसका प्रचार हुआ और अधिनियम में कुछ संशोधन किये गये। 1965 में व्यापक संशोधन करके सहकारिता को जनहित में किया गया। 1-1-81 से हमारी प्रधानमंत्री के निर्देश से सहकारिता के माध्यम से वितरण प्रणाली शुरू की गयी। आप उस समय देखते थे कि शकर का रेट 9 और 10 रुपये प्रति किलो था। मिट्टी के तेल में भी ब्लेक चल रहा था जबकि जनता पार्टी का कुशासन था। डिजल वगैरह में भी ब्लैक चल रहा था, वह उस समय ढूढ़े भी नहीं मिलता था। प्रधान मंत्री जी के निर्देश से 1-1-81 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सहकारिता के माध्यम से शुरू किया गया, अब उसमें व्यापक सुधार हुआ है। आज उपभोक्ता वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। शक्कर का रैट 4.40 है, इसी तरह से मिट्टी के तेल की कोई कमी नहीं हैं, रेपसीड आयल भी बहुतायत से मिल रहा है। ऋण भी हमारे निर्बल वर्ग को सहकारिता के माध्यम से मिल रहा है, इसके लिए मैं सहकारिता मंत्री को धन्यवाद देता हूँ कि उनके निर्देश से वितरण प्रणाली में जो सुधार हुआ है।

मान्यवर, अब मैं अपने जिले के एक अधिकारी-श्री वी० एन० सिंह सोमवंशी, ए० आर० के कारनामों की ओर आपका और सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ इनको जनहित के विरूद्ध एक बड़ा मगरमच्छ कहना चाहिए, जो असीम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यह सन् 77 में मेरे जिले में स्थानान्तरित होकर आए थे और उसके बाद डेढ़ साल सस्पेंड रहे। इसके बाद ना मालूम किन कारणों से तमाम विपरीति टिप्पणियों के बाबजूद उनकी

[श्री अजीत कुमार सिंह—]

फिर कानपुर में पोस्टिंग कर दी गई। हम सारे विधायक जो कानपुर में काँग्रेस-आई के हैं, और वहां के संसद सदस्यों-सबने इस अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें कीं और इस पर बातचीत की, लेकिन आज वह फाइल दबी की दबी पड़ी है।

मुझे नहीं मालूम फाईल किन कारणों से दबी पड़ी रही। विश्वनाथ प्रताप सिंह जब मुख्य मन्त्री थे, हमने सब विधायकों ने उनसे निवेदन किया उन्होंने उसमें हस्तक्षेप किया और उसका स्थानान्तरण किया, लेकिन तब तक कानपुर जनपद का देहात और शहर दो भागों में विभाजन हो गया। और अब दुर्भाग्य यह है कि वह ए० आर० तो कानपुर-देहात का है, लेकिन उसे नगर के नये बजार का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया जो कि बिलकुल नियम के विरुद्ध था। इसमें जो पहले निबन्धक थे-श्री सचिच्दानन्द पान्डे, मैं उनकी पूरी गलती समझता हूँ। हम लोग कई बार उनसे मिले, लेकिन उन्होंने उसके भ्रष्टाचार के निराकरण के लिए कोई भी मदद नहीं की। उसके गबन सम्बन्धी कारनामों के लिए एक कागजी सबूत मेरे पास है, उसको आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैंने मन्त्री जी को भी लिखा, लेकिन उसकी आजतक कोई जांच नहीं हुई। जब सन् 78 में चुनाव के बाद संचालक मंडल के कार्यकाल में नया बाजार में 98 हजार का प्राफिट था।

किन्तु आज वहाँ के हमारे नया बाजार की हालत यह है कि हमें लायब्लिटी के रूप में लगभग 22 लाख रुपया देना है। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, अभी हमें थोड़ा समय कहने के लिए और दें, मैं बहुत बड़े भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा था कि आज उसके ऊपर 22 लाख की लायब्लिटी है जबकि उनके पास असेंट्स 5 लाख के ही है। तो मैं सहकारिता मन्त्री से निवेदन करूँगा कि वह इसे तुरन्त जन पद से हटायें। उसके भ्रष्टाचार की जो भारी फाइलें हैं, वह करीब पाँच किलो की होगी, लेकिन अब तक उसकी कोई जाँच नहीं हुई है। इधर फिर इसके लिए जब मैं मुख्यमंत्री से मिला तो 6 तारीख-रविवार को इसकी जाँच करवायी गयी है। मैं इसके कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। दिल्ली की फर्म वक्शी ट्रेनिंग कारपोरेशन (बी० टी० सी०) की रसीद संख्या 779222 दिनाँक 16-9-81 द्वारा 3098.97 नये पैसे का भुगतान किया गया उक्त फर्म नया बाजार द्वारा आपूर्ति में की गयी धोखा-धड़ी के आरोप में ब्लैक लिस्ट थी, उसके उपरान्त इसी रसीद द्वारा 16-9-81 को खरीददारी की गयी।

श्री अधिष्ठाता—

कोई ऐसी चीज आप नहीं पढ़ सकते हैं जिसकी हमारे पास कापी नहीं हो। संदर्भ देकर तो आप एक मिन्ट के अन्दर कह सकते हैं, लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं।

श्री अजीत कुमार सिंह—

मान्यवर, इस तरह से विश्वनाथ सिंह सोमबंशी, सहायक निबंधक ने, 22 दूकानें सिकमी पर उठा रखे हैं। देवेन्द्र बहादुर सिंह, विधायक, गंगा सागर, विधायक के साथ एडिशनल रजिस्ट्रार कैसरबानी व डिप्टी रजिस्ट्रार राधे श्याम सिंह, मुख्य मंत्री के निर्देश से चेकिंग पर गये। हम लोग इनके साथ थे। वहाँ पर पाया कि जो दूकान के सेल्समैन थीं, श्रीमती राजरानी इनकी राशन की दूकान काकादेव में है, जोकि जिला सहकारी फेडरेशन की है। लेकिन इनकी सिकमी में उठा रखा है। इनको कागजों में सेल्समैन दर्शाया गया है, जबकि इनकी उम्र 60 साल के करीब है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये दूकानें सिकमी उठी हुई हैं। जिला सहकारी फेडरेशन के यहाँ कोई हिसाब-किताब नहीं मिला। इसी तरह श्री बी०डी० सिंह गुंजन होटल के बगल में काका देव फर्म राशन शाप जो कि जिला सहकारी फेडरेशन की है, इसके सेल्समैन हैं, लेकिन ये रिटायर्ड

एरिया राशनिंग आफीसर हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि यह भी दूकान सिकमी है। इनकी भी उम्र करीब-करीब 60 साल के करीब है और ये एक साल पहले जिला सहकारी फेडरेशन की सेवा में नियुक्त हुए हैं। इसी तरह जिला सहकारी फेडरेशन की फेयर राशन शाप की अन्य दूकानें सिकमी पर उठा रखी हैं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपसे अनुरोध है कि इस सोमबंशी के भ्रष्टाचारों के जांच के लिए एक सदन की समिति का गठन करने की कृपा करें, जो अपनी रिपोर्ट सदन के समक्ष एक महीने के अन्दर प्रस्तुत कर दे। इन शब्दों के साथ मैं कोआपरेटिव के बजट का समर्थन करता हूँ और विरोधी पक्ष के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री नन्द किशोर सिंह—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ जो आपने मुझे माननीय हरिबंश सहाय द्वारा रखे हुए कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, मैं दो-तीन बातों की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहता हूँ। अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी सुन नहीं रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया शाँति बनाये रखें।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, माननीय विधायक मुख्तार अनीस सहकारिता मंत्री की गोद में बैठ गये हैं। मान्यवर, आप इस पर अपना निर्णय दीजिए। यह गोद में क्यों बैठे हैं माननीय सदन के सामने ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय बाजपेयी जी क्या आप सहकारिता विषय पर बोल रहे हैं ? यह व्यवस्था का सवाल नहीं है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, अगर सहकारिता का विषय नहीं है, तो आपसे एक निवेदन है कि जो लोग राजनीतिक रूप से घायल हो गये हैं, इस सहकारिता में, उसके लिए कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

अभी सहकारिता में मेडिकल का काम नहीं शुरू किया है।

श्री नन्द किशोर सिंह—

मान्यवर, गौरी बाजार में एक शीतग्रह बनाने का कोआपरेटिव के अंतर्गत निर्णय लिया गया था परंतु आज दो साल हो गये हैं शीतगृह नहीं बन पाया है। मैं चाहूँगा कि जरा इसकी तरफ ध्यान दिया जाय। मान्यवर, मेरे क्षेत्र के अंदर एक सोसायटी आनंतपुर जो बैतालपुर ब्लाक में है उसमें रामहित सिंह जो मार्च 72 में मर गये थे लेकिन अक्तूबर, 72 में उनके नाम 5 सौ रुपया की खाद निकाली गयी। वहाँ के सचिव के 72-74 ने

[श्री नन्द किशोर सिंह –]

उनके नाम 1 हजार की खाद और निकाल ली। जब उस सचिव का ट्रांसफर हो गया तो उसके बाद 15 सौ रुपये की वसूली का नोटिस आ गया उस बेचारे के 6 साल का बच्चा है, उनकी विधवा औरत घूमती फिर रही है। ए०आर० के यहाँ वह घूमती फिर रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने माननीय मंत्री जी को खुद चिठ्ठी लिखी है और आदेश भी हुआ है लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि गौरी बाजार में 14 फरवरी को 20 बोरा चावल वितरण प्रणाली के अन्दर इनका सेल्समैन सुर्दशन गुप्ता जो है वह बिहार के तस्करों के हाथ बेच रहा था। उसको लोगों ने पकड़ा और उसको थाने ले गये लेकिन लंबी रकम लेकर थानेदार ने छोड़ दिया। एस०डी०एम० ने एलान किया कि लावारिस चावल है। तो इस तरफ ध्यान देना चाहिये।

मैं अब ट्रांसफर इन्टरीज के संबंध में कहना चाहता हूँ। देवरिया जिले में ट्रांसफर इन्टरीज 30 जून को बंद नहीं होती हैं बल्कि वह 15 जुलाई को बंद होती हैं और इस बीच ट्रांसफर इन्टरीज होती हैं। पैसे वाले लोग 2 गुना सूद लेकर किसानों के नाम से पैसा जमा करते हैं और इस तरह से किसान की लूट हो रही है। तो इस तरह से जो ट्रांसफर इंटरीज हो रही हैं उनको रुकवायें। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि बैंक से चेक सिस्टम द्वारा जो पेमेंट हो रहा है वह ठीक है, किसान की लूट मची हुयी है। जो सिस्टम है उसके अनुसार सचिव चेक बना रहा है और वही सचिव खाद दे रहा है। तो इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है।

हमारे जिले देवरिया में 2 बोरी खाद किसानों को दी जाती है और किसान के नाम 5,7,8 बोरी करके दिखाया जा रहा है। 2 साल तक मामला दबाये रहते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आप इतनी खाद ले गये हैं आपसे वसूल होनी चाहिये। इसलिये मैं चाहूँगा कि जिस तरह से कामर्शियल बैंकों में सिस्टम है उसी तरह से सिस्टम होना चाहिये। तो यह जो सचिव चेक बना रहा है और खाद भी दे रहा है यह सिस्टम बंद होना चाहिये और खाद में जो घपला किया जा रहा है इससे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि इस तरफ वह ध्यान दें। जैसा कि हरिवंश सहाय जी ने बताया है हमारे देवरिया जिले में 25 करोड़ रुपये का गबन है। आज तक हम सहकारिता का मतलब यह जानते थे कि मिलजुल कर काम करने की पद्धति को सहकारिता कहते है लेकिन अब सहकारिता का मतलब हो गया है कि मिलजुल कर लूट करने की पद्धति को सहकारिता कहते हैं। ऊपर से नीचे तक लूट मची है और कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मैंने खुद रामहित के मामले में लिखा है, सन् 72 में उसकी मृत्यु हुई और उसके नाम दो बार खाद निकाली गयी। मैंने 2 बार इस संबंध में कहा, उस पर आदेश भी हुआ लेकिन मुझे जानकारी है कि सचिव का यह मामला दबाया जा रहा है और पैसा लेकर दबाया जा रहा है उसी इलाके में 20 लोग ऐसे हैं जिनके साथ यह किया गया लेकिन उनमें से 19 लोग मजबूत थे। सचिव को पकड़ कर उन्होंने ले लिया लेकिन इस महिला के साथ अन्याय किया जा रहा है। मैंने खुद मंत्री जी को 2, 2 चिठ्ठी लिखी हैं। मंत्री जी इसमें देखें। गौरी बाजार क्षेत्र में ट्रांसफर के मामले के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ। आप सचिव की बेसिक पे 250-300 रुपये कर दीजिये, मंहगाई दीजिये, नकदीकरण दीजिये। जो वह 200-300 रुपये तनख्वाह पाते हैं इसलिये यह लूट करते हैं। अब उनका ट्रांसफर 10-12 किलो मीटर दूर किया जाता है जिससे वह लूटते है। गांव के बगल में तो लूट कुछ कम करते थे।

श्री अधिष्ठाता —

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री नन्द किशोर सिंह—

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ ।

श्री कुबेर भण्डारी —

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि मान्यवर, क्या आप मेरा नाम जानते है ?

श्री अधिष्ठाता —

कुबेर भण्डारी जी का नाम कौन नहीं जानता । यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री कुबेर भण्डारी —

मान्यवर, बहुत से लोगों को आपने बोलने का मौका दिया है लेकिन आपने मुझको मौका नहीं दिया ।

श्री अधिष्ठाता —

आप अपनी यह बात अपने मुख्य सचेतक से कहिये ।

***श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी—**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूँ कि आपने मुझे इस सहकारिता विभाग की बजट चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया । मैं माननीय सहकारिता मंत्री जी द्वारा यहाँ प्रस्तुत किये गये बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पहले उधर के लोगों को प्रणाम करता हूँ और फिर इधर के लोगों को प्रणाम और नमस्कार करता हूँ, इस नाते कि मैं जो चर्चा करूंगा, उस चर्चा में कोई किसी की टीका टिप्पणी, जवाब-सवाल नहीं रहेगा, जो वास्तविक स्थिति होगी, उसे मैं आपके माध्यम से इस सदन के सामने प्रस्तुत करूंगा । श्रीमन्, मैं चाहता हूँ कि मुझे निर्धारित समय से दो मिनट और ज्यादा दे दिये जायं, ताकि मैं अपनी पूरी बात कह सकूँ ।

श्री मोहन सिंह —

आप सही बात कहिये, तो पूरे पाँच मिनट लीजिए ।

श्री अधिष्ठाता —

माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी—

मान्यवर, सहकारिता का एक अभियान है, एक आंदोलन है और उस आंदोलन को जनता के हित में कार्यान्वित किया जा रहा है। आपको यह देखना है कि यह जो कार्यक्रम चल रहा है, उसकी कितनी उपलब्धियाँ हैं, उसमें कितनी सफलता है। आप लोग जो यह राय देते हैं कि मानव की व्यवस्था अपूर्ण है, तो मानव की व्यवस्था होती है, वह अपूर्ण हमेशा रहती है। इस दिशा में यह देखना है कि वर्तमान सहकारिता मंत्री ने इस आन्दोलन को क्रान्तिकारी रूप देने के लिए कितने अथक प्रयास किये। मैं समझता हूँ कि इस दिशा में उनके द्वारा किये गये कार्य अत्यन्त सराहनीय हैं और गतिशील हैं। मैं इस वास्ते बता रहा हूँ कि अभी माननीय बच्चा पाठक जी को इस विभाग में आये हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ, लेकिन इतने समय में भी जो कार्य इस आन्दोलन को सफल बनाने के लिए प्रतिपादित किये गये हैं, वह अत्यन्त ही सराहनीय हैं और वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात यह भी है कि जहाँ तक मैंने समझा है, जितने भी जन प्रतिनिधि हैं, वे जो सुझाव या शिकायत माननीय बच्चा पाठक जी को देते हैं, तो वे उनको शतप्रतिशत सुनते हैं और उन पर अधिक से अधिक अमल और कार्यवाही करने का प्रयास करते हैं। मैं इस बात का दावा करता हूँ कि वे पूरा-पूरा प्रयास करते हैं कि जन प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक संतुष्ट किया जा सके।

श्री मुख्तार अनीस –

अगर आपके दल के भोला पाण्डे और माननीय काशीनाथ मिश्र जी संतुष्ट होगें, तो हम भी संतुष्ट हो जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें।

श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी—

मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप यह देखें कि वर्तमान सहकारिता मंत्री जी जो हैं, वे अपने कार्य में गतिशील हैं कि नहीं, उनके प्रोग्रामों में गतिशीलता है कि नहीं ?

श्री मोती लाल देहलवी—

अपनी सफेदी का तो ख्याल करिये।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय ब्रह्मचारी जी, अब आपके लिए केवल एक मिनट का समय शेष रह गया है।

श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी—

मान्यवर, एक मिनट का समय और बढ़ा दीजिएगा। अभी तो मैं पूरी बात भी नहीं कह पाया हूं।

श्री मोहन सिंह—

इस सदन में एक ही तो बाल ब्रह्मचारी हैं।

श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी—

इस दिशा में मैं यह चाहता हूं कि आपको यह देखना चाहिए कि बच्चा पाठक जो काम कर रहे हैं वह, मनसा वाचा कर्मणा, जनता के हित में हो रहे हैं या नहीं। यह हो सकता है कि हमारे और आपके मापदंड से वह पूरे न मालूम हों, वह तो हमारे आपके सोचने की बात है। लेकिन हम यहाँ यह कह सकते हैं कि इन्होंने अफसरों पर भी काफी सख्ती की है। काम करने के लिये। उसका परिणाम यह हुआ है कि जिन अफसरों के साथ सख्ती की गई है वही अफसर मिलकर इनके खिलाफ बातें कह रहे हैं तो इनका इसमें कोई दोष नहीं है। मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। हमारे माननीय मोहन सिंह जी हमेशा आगे बैठते थे लेकिन आज सहकारिता मंत्री जी की तेज नोक को देखकर पीछे चले गये उनकी हिम्मत सामने आने की नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय बाजपेयी जी यह पूर्वांचल का मामला है इसलिये ऐसा हो सकता है।

श्री अकबर हुसैन—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। माननीय मंत्री जी अपना बजट भाषण प्रस्तुत करते समय यह कह रहे थे कि सहकारिता का उद्देश्य है गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना। लेकिन आप देखें हो क्या रहा है ठीक इसके विपरीत हो रहा है कि गरीबों को ऊपर उठाने के बजाय गरीबी की रेखा के ऊपर नीचे दोनों जगह से खत्म कर रहे हैं ताकि गरीब ही खत्म हो जाय। यह किताब जो विभाग द्वारा दी गई है इसके प्रथम पेज पर मैंने देखा इसमें दर्शाया गया है कि 3 साल से पुराने कर्ज का सत्यापन करा लिया गया है।

वास्तविक रूप में हम सभी माननीय सदस्यों को जानकारी है एक न एक शिकायत रोज मिलती है जिसमें 5 हजार 10 हजार कर्जा लगाकर कुर्की और वारेन्ट जारी कर दिया गया है जबकि न तो उसने कर्ज लिया है और न ही उसके परिवार के किसी सदस्य ने लिया है। इसकी जाँच के लिए चाहे मंत्री जी से कहें, चाहे किसी अधिकारी से कहें, लेकिन जाँच वही अधिकारी करेगा जिसने फर्जी कर्ज दर्शाया है। हमारे आपके सामने वह गरीब आकर रोता है किस तरह से उसको सन्तुष्ट किया जाय? माननीय मंत्री जी न तो किसी उच्च अधिकारी से उसकी जाँच करायेंगे और न किसी दूसरी एजेन्सी से उसकी जाँच कराने को तैयार है, तो इसका अभिप्राय क्या है क्या माना जाय? क्या मंत्री जी खुद लिप्त है उन भ्रष्टकारियों में। मैं वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में कुछ बातें अपने क्षेत्र की कहना चाहता हूँ। तेल की व्यवस्था जो हमारे खाद्य मंत्री या भारत सरकार ने उसकी कीमत तय की है कि खुले बाजार में 3 रुपये 2८ पैसे और कन्ट्रोल में 2 रुपये कुछ पैसे में दिया जायगा। हमारे क्षेत्र में ब्लाक कुन्दरकी में जितनी सहकारिता की दुकानें हैं सभी दुकानों पर तेल 3 रुपये 28 पैसे में मिल रहा है। कुछ इने गिने चमचों को छोड़कर, दलालों को। मान्यवर, वहाँ पर जो प्रशासक नियुक्त हैं उसकी एक मिशाल देना चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता—

अब केवल एक मिनट रह गया है।

श्री अकबर हुसैन—

3/7 में बन्द हुआ। वही इनके जरिये प्रशासक नियुक्त किया गया है। उसने खाली चैकबुक पर हस्ताक्षर अल्लापुर ब्लाक कुन्दरकी जिला मुरादाबाद के सचिव को दे दिया जो पकड़ा गया उसकी शिकायत की गई लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। आज भी वह वहीं नियुक्त है। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो सहकारी समितियों से सम्बन्धित सचिव थे उनका स्थानान्तरण दूसरे ब्लाक में कर दिया गया है क्योंकि वह अपने ब्लाक में नहीं रह सकते। इससे अगर फायदा पहुंचा है तो जो कोआपरेटिव की ब्राँच बैंक है उसका मैनेजर एक किलोमीटर के अन्दर अपने घर में रहता है। मैं समझता हूँ कि यदि सचिवों के स्थानान्तरण से कोई लाभ हुआ हो, तो इन बैंक मैनेजरों का भी डिस्ट्रिक्ट लेविल पर ट्राँसफर किया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री हरिद्वार पाण्डेय—

मान्यवर, मैं सहकारिता के बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

(श्री हरदेव के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

हरदेव जी आप बैठें। क्यों खड़े हैं ?

श्री हरिद्वार पाण्डेय—

भारत के आदमी गाँवों में बसते हैं और सूदखोरी छुड़ाने के लिए सहकारिता ही एक माध्यम है। बड़े-बड़े जमींदार लोग थे, पूँजीपति थे, सूदखोर थे, वे गाँव के गरीबों और निर्बल लोगों का शोषण करते चले आ रहे थे और दासता की बेड़ियों में जकड़े रखना चाहते थे लेकिन हमारे स्वर्गीय नेता, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने देखा गाँव का किसान कमजोर होता जा रहा है, उस को आगे बढ़ाने की जरूरत है, किसान आन्दोलन को चला कर, आगे बढ़ा कर नारा दिया कि सहकारिता ही एक उपाय है जिससे गाँव के गरीब और निर्बल लोगों को आगे बढ़ाया जा सकता है।

पंडित जवाहर लाल नेहरू की बेटी, श्रीमती इंदिरा गाँधी ने, जब पंडित जी नहीं रहे, तो उनके सपने को साकार करने का प्रयत्न किया। गाँवों में बीज, खाद, जो लोगों को नहीं मिलता था, सहकारिता के माध्यम से किसानों तक पहुँचाने का प्रयास किया, सीड स्टोर तथा अन्य तरह-तरह के गोदाम गाँवों में खुलने लगे। सहकारिता के आधार पर शीतग्रह भी बनाये जाने लगे जिससे किसानों को अपनी उपज को भंडारों में रखने का मौका मिला।

मान्यवर, पूँजीवादी व्यवस्था को छोड़ दिया जाये तो सहकारिता के अलावा और क्या व्यवस्था हो सकती है, कमजोर लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, क्या किया जा सकता है ? केवल सहकारिता ही एक माध्यम है जिस को आधार मानकर गाँव के कमजोर और निर्बल लोगों को आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं इस मौके पर यह बात भी कहना नहीं छोड़ूँगा कि जो हमारी नेता थीं गाँवों में बैंकों को जब ले जाने लगी तो इनकी जनता पार्टी के नेता थे, मुरार जी देसाई, उसको रोक देना चाहते थे लेकिन हमारे नेता गाँवों में बैंकों को ले गयीं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया।

सहकारी बैंक जो गाँवों में थे, पूरी तरह से साख फैला कर, लोगों की सेवा करने लगे। जो लोग सहकारी आन्दोलन में लगे हैं, अपने को उसमें लगा हुआ कहते हैं, मैं लाँछन

लगाता हूं कि वे ठीक तरह से, पूरी तरह से नहीं हैं उसमें। सहकारिता का नाम तो लेते हैं लेकिन पूँजीपति, जमींदार, सम्पन्न जो लोग हैं, बेगार लेते हैं, पैसा खाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सहकारिता का नाम भी लेते हैं। विरोधी दल के लोग भी अपने को इससे अछूता नहीं कहते, सहकारिता का दम भरते हैं, नारा देते हैं लेकिन सहकारिता का गला घोंट दें अगर उनका वश चले और निजी व्यापार को चलावें। जब तक आपका दिल-दिमाग साफ नहीं होगा, सहकारिता को अपनायेंगे नहीं, तब तक जो आर्थिक कमजोरी है, वह दूर नहीं हो सकती।

जो गाँवों के सम्पन्न, धनी मानी लोग हैं, नीचे तबके का गला काटते थे, सरे बाजार नीलाम करते थे, उसमें भूमि विकास बैंक, जो सहकारिता का ही एक अंग है और इसे गाँवों में फैलाया गया। छोटी-छोटी शाखायें खोलकर गाँवों में आवश्यक सहायता दी गयी।

श्री अधिष्ठाता—

एक मिनट और है।

श्री हरिद्वार पाण्डेय—

अभी समाप्त करता हूँ। जो लोग सहकारिता विभाग में पालथी मार कर बैठे हैं, छोड़ना नहीं चाहते, कब्जा बनाये रखना चाहते हैं, अगर उनसे सहकारिता विभाग को मुक्त नहीं किया जायेगा तो विभाग का बेड़ा गर्क हो सकता है। मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो प्रशासक लगे हैं उनका काम देखते हुए जैसे ही समय आये चुनाव करा दें और चुने हुए प्रतिनिधि सहकारिता का काम देखें।

(व्यवधान)

***श्री बलबीर सिंह (रामपुर) --**

मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मा० सहकारिता मंत्री आजकल सहकारिता मंत्री हो गये हैं। तानाशाही की भावना इनके मन में आ गयी है। जैसे इनके नेता तानाशाह हैं यह भी उत्तर प्रदेश के तानाशाह बन गये हैं। दो वर्षों से सहकारिता मंत्री के कार्यकलाप देख रहा हूँ। अफसरशाही, ब्राह्मणशाही और मंत्रीशाही का बोलबाला है। उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक में 1,000 कर्मचारी अपने रिश्तेदार, दोस्तों के रिश्तेदार, जानपहचान के लगा रखें हैं डेलीवेजेज पर। 55 जिलों में सहकारी बैंक है। 52 जिलों के सहकारी बैंकों के पास रिजर्व बैंक का लाइसेन्स नहीं है। वह इस योग्य नहीं हैं कि काम कर सकें फिर भी काम कर रही हैं।

आज कहते हैं कि किसानों को सुविधायें दे रहे हैं। साढ़े बारह प्रतिशत ब्याज लेते हैं। कृषि उत्पादन में तो इतनी आमदनी भी नहीं होती। जनता सरकार में 4 प्रतिशत पर छोटे किसानों को कर्ज दिया जाता था जिसको इन्होंने साढ़े बारह कर दिया। थ्री टायर की व्यवस्था है। रिजर्व बैंक से यू० पी० सहकारी बैंक को, यू० पी० सहकारी बैंक से जिला सहकारी बैंक को फिर प्राइमरी समितियों को देते हैं। 6 प्रतिशत का कर्ज 13 प्रतिशत में मिलता हैं। यह अन्याय है। पी. सी. एफ नामक एक सफेद हाथी प्रदेश में है। प्राइमरी समितियों को कुल 80 रु० प्रति टन खाद का कमीशन मिलता है। बाकी कमीशन पी. सी. एफ. हड़प ले जाता है। समितियों को जब तक सीधे खाद उपलब्ध

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलवीर सिंह—]

नहीं कराई जाती कुछ नहीं हो सकता। आज सहकारिता का आन्दोलन यह चला रहे हैं। उनको सहकारिता विभाग का कोई अधिकारी नहीं मिल पाता जिसको 20-20 साल का तजुर्बा हो। हर तीन या छः महीने में एक आई० ए० एस० की जरूरत पड़ती है। मामला क्या है कि विभाग के अधिकारी नहीं लगाये जाते। हर मर्ज की दवा आई० ए० एस० ही रह गयी है क्या ?.....

श्री अधिष्ठाता

माननीय बलबीर सिंह जी स्पीकर का ख्याल रखें, टूट न जाये। उस पर जोर न पड़े।

श्री बलबीर सिंह—

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आज भी गरीब को अनाज नहीं मिलता। कहते हैं कि गेहूँ, चावल, आटा दिया गया। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि एक किलो प्रति यूनिट के हिसाब से एक महीने में दिया गया। बाकी किसी माह में अनाज नहीं दिया गया। मिट्टी का तेल जहां से उठाया जाता है वहीं पर ब्लैक में बिक जाता है, जनता तक पहुँच ही नहीं पाता है। सारी प्रशासनिक व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है, अफसरशाही इतनी छायी हुई है शुरू से आखिर तक कि जनता को कोई लाभ नहीं पहुँच रहा है और सब कुछ इन अफसरों में बंटकर रह जाता है।

प्राइमरी समितियों के सचिवों को 270 रुपये एक सचिव को आप वेतन देते हैं। क्या वह इतने रुपये में गुजर कर सकता है ? इन लोगों का तो कैडर बन गया हैं, पर जिला सहकारी समितियों के कर्मचारियों का कैडर नहीं बना है। यह लोग लोकल राजनीति में व्याप्त रहते हैं, जब कि सभी कुछ इन लोगों के हाथ में ही होता है। मैं मांग करता हूँ कि सभी सहकारी समितियों के चुनाव कराये जायें, तानाशाही की प्रवृत्ति को समाप्त किया जाये। भूमि विकास बैंक में बोर्ड आफ डायरेक्टर्स नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें। कृपया बैठें।

श्री बलबीर सिंह—

इन शब्दों के साथ में एक कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं माननीय सहकारिता मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह बड़े ही अफसोस और खेद की बात है कि असेम्बली के इस फ्लोर पर इस तरह की स्पीच होती हैं जिसमें बिना किसी तथ्य और प्रमाण के जो मन में आता है मंत्री के खिलाफ आरोप लगा दिया जाता है। आप उस पीठ से कोई इस तरह की व्यवस्था करें जिससे कोई माननीय सदस्य इस तरह से बिना किसी प्रमाण के किसी मंत्री के विरुद्ध गलत आरोप न लगा सके। (व्यवधान) इस तरह से सस्ती और चीप बातें करना ठीक नहीं है। (व्यवधान) आप (विरोध पक्ष) अपने वक्त को याद कीजिये। आपके वक्त में तो ऐसे मंत्री होते थे जो चोर थे, जिन्होंने मवेशियों को चुराया था, उनकी हेरा फेरी करते थे (व्यवधान) आपको तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिये। (शोर व्यवधान)

मान्यवर, सहकारिता के बल पर ग्रामीण अंचलों में बहुत बड़ी उन्नति हुई है। गांव-गाँव में तमाम पम्पिंग सेट्स लगे हैं, नलकूप लगे हैं, लोगों को कर्ज मिला है··· (शोर-व्यवधान) सच्ची बात से बड़ी टीस होती है, सत्य बात को आर बरदाश्त नहीं कर पाते। (व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज भूमि विकास बैंक के जरिये लोगों को 8-10 हजार रुपये की लागत के इंजिन उपलब्ध हो सके हैं। आपके समय में प्रशासक का काम ए० डी० ओ० करते थे, वही प्रशासक होते हैं, हमने उनकी जगह अब अगर सोशल वर्कर्स को, जन प्रतिनिधियों को, रख कर कौन सी गलती की है ? एक तरफ आप कहते हैं कि नौकरशाही को खत्म कीजिये, जब उसको खत्म करके प्रशासक समाज सेवी लोगों को रखा गया है तो भी आपको एतराज है। आपको तो इस कार्य की प्रशंसा करनी चाहिए थी।

सहकारिता विभाग के द्वारा जो वितरण व्यवस्था लागू की गई है उससे भी जनता को बड़ा लाभ हुआ है। वितरण व्यवस्था इस विभाग के माध्यम से ठीक चल रही है। मैं यह बात केवल इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं सत्ता पक्ष में हूँ, मैं इसलिये कह रहा हूँ कि यह सत्य है, हमारे जनपद में किसी को भी किसी सचिव या प्रशासक के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है।

आपने सेल्समैन की नियुक्ति के बारे में भी कहा। उनके बारे में भी जो आरोप आपने लगाया वह गलत है। उनकी नियुक्ति में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है। ····मान्यवर, मैं यही कहूँगा कि आरोप लगाये जाते हैं विरोध पक्ष की ओर से केवल विरोध के लिये हैं। कोई भी रचनात्मक सुझाव विरोध पक्ष की ओर से नहीं दिया गया है। वास्तविकता क्या है उसे भी हमेशा कहना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता—

अब सबके भाषण का समय समाप्त हुआ। जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उन्हें मैंने बुला लिया है। अब आप लोग बैठें।

श्री हरिवंश सहाय—

मान्यवर, कांग्रेस के सदस्यों ने जो भ्रष्टाचार की बात की और जो भाषण किया है। माननीय श्री सिंह जी ने भी भ्रष्टाचार के बारे में कहा और माननीय श्री मारकन्डेय जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार इस विभाग में है ही नहीं लेकिन उन्हीं के द्वारा एपोइन्टेड सेक्रेटरी ने ट्रक, बस और कार खरीद लिया है। एक दिन मण्डलीय मीटिंग में कहा था कि दाल मिल लगाने के लिये 20 हजार रुपया देना पड़ रहा है तब जाकर उनका काम हो रहा है। मुझे कुछ सुझाव देने हैं। मान्यवर, सहकारिता विभाग में कर्मचारी कम पड़ गये हैं मैं चाहूँगा कि तहसील पर एक ए० आर० की तथा मुख्यालय पर डी० आर० की नियुक्ति करें तब जो आपकी वितरण प्रणाली की व्यवस्था है, सुचारु रूप से चल सकती है।

अधिष्ठाता महोदय, मेरा सुझाव है वितरण प्रणाली के बारे में। इसे ठीक से चलाने के लिये एक सहायक निबंधक उपभोक्ता की नियुक्त करें जिससे वह ठीक से वितरण व्यवस्था को देख सके। मैं चाहूँगा कि खाद्यान्न और चीनी जो बोरों में मिलती है वह काफी कम मिलती है उसे शत-प्रतिशत तोड़ने की व्यवस्था कराई जाय।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी चाहूँगा कि प्रत्येक विकास खण्ड के मुख्यालय पर भण्डारण की व्यवस्था हो जिससे प्रत्येक सोसाइटी में समय से और ठीक तरह से सामान पहुँच सके।

[श्री हरिवंश सहाय—]

मान्यवर, मैं एक सुझाव और देना चाहता हूँ कि जो करेंट साल की वसूली है इसे बैंक के जिम्मे सौंप दो और जो बकाया वसूली है उसे ए०आर० के जिम्मे सौंप दो तभी जाकर कुछ काम हो सकता है।

श्रीमन् आई०आर०डी० स्कीम के अन्दर सहकारिता बैंकों से जो लोन मिल रहा है इसमें भारी भ्रष्टाचार है। 50 फीसदी पैसा किसानों को मिलता है और 50 फीसदी बैंक के अधिकारी ले रहे हैं और डाक्टर सर्टिफिकेट बनाने में ले रहा है मैं चाहूँगा कि इस पर आप गम्भीरता से ध्यान दें।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि चुनाव सीधे कराये जांय न कि डेलीगेट के माध्यम से। डेलिगेट के माध्यम से चुनाव कराने से असरदार लोग और अवांछनीय लोगों का कब्जा हो जाता है, सीधे चुनाव कराने से ईमानदार लोग इस समिति में आयेंगे और सहकारिता विभाग का काम सुचारू रूप से चल सकेगा। मान्यवर, जहाँ तक सबसिडी देने की बात है और सबसिडी के लिये आप जो किसानों को ऋण देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस समय आप बाण्ड भरवाते हैं उस समय सबसिडी का रुपया काटकर जितना रुपया आप देना चाहते हैं उतना गरीब और हरिजन को दे दीजिये तभी जाकर उसको इसका फायदा मिल सकेगा वरना फर्जी लोनिंग करके कर्मचारी रुपया हड़प लेंगे फलस्वरूप साधारण हरिजन व गरीब को इसका फायदा नहीं मिल पायेगा। आज तमाम सहकारी समितियों में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है वहाँ सत्यापन ठीक से नहीं हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि सत्यापन करने के लिये आप तेज अभियान चलायें ताकि जिन सोसाइटियों में भारी भ्रष्टाचार है, वे उजागार हो सकें। शीतगृह और भण्डारण का जो आप बनाने जा रहे हैं, शहरों में बना रहे हैं, मैं चाहूँगा कि सुदूर क्षेत्र गांवों के अन्दर इसको बनावें जिससे वहां आलू या अन्य सामग्री जो रखी जायगी, वह ठीक से रखी जायगी। किसान के सामान को शहर में रखा जाय, यह उचित नहीं है। आपके विभाग में जो आडीटर लोग हैं फाइल ले आते हैं आप जांच कर लेते हैं। सोसायटी जहां पर है, वहीं जाँच होनी चाहिये। उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं खजान सिंह। इनके ऊपर 2 करोड़ 20 लाख का मामला विधान परिषद में उठा था। मुझे मालूम हुआ है कि इस मामले को दबाया जा रहा है, इसको उजागर करें। जाँच दल में एक श्री आर०पी० लाल हैं। यह 69 में कानपुर में मैनेजर थे, इनको रिवर्ट कर दिया गया। अभी शिकोहाबाद में इन्होंने खाद का घोटाला किया था, इनकी वार्षिक वृद्धि रोक दी गयी और चरित्र पंजिका में प्रविष्ट भी की गयी। भण्डारण जांच दल में ऐसा आदमी आपने नियुक्त किया है। इनको तो निलम्बित करना चाहिये था। इसकी जांच करायें।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री हरिबंश सहाय—

बस मान्यवर, दो बातें कहकर समाप्त करता हूँ। बस्ती जिले के हमारी पार्टी के एम०एल०ए० हैं श्री माता प्रसाद पाण्डेय। पिछले सप्ताह ब्लाक धनवापुर बिस्कोहर साधन सहकारी समिति है, उसमें एक भगत राम है, वह 50 बोरी गल्ला चोर बाजारी में बेचने के लिये ले जा रहा था, उनको पकड़ा गया और उनके ऊपर मुकदमा कायम हुआ है। इसी तरह से चारों तरफ भ्रष्टाचार है। मेरे क्षेत्र में एक सुपरवाइजर है अध्योध्या प्रसाद। उसका 4 बार स्थानान्तरण हुआ, चारों बार निरस्त हो गया। वह सबसिडी खा गया है।

जितनी सोसाइटीज हैं जो वितरण कर रही हैं, उनसे बंधी रकम लेते हैं, इसकी जांच करावें और इसके साथ ही इस कटौती के प्रस्ताव को जो आज पेश किया गया है इसको पास करें।

***श्री बच्चा पाठक—**

मा० अधिष्ठाता महोदय, मैं दोनों पक्ष के मा० सदस्यों का बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने इस बजट के सम्बन्ध में अपने सुझाव दिये। जो उनके अच्छे सुझाव होंगे, उसके अनुकूल कार्यवाही की जायगी। मैं माननीय हरिबंश सहाय जी के कटौती के प्रस्ताव को अच्छी तरह से सुन रहा था और मैं इस बात को समझता था कि विरोध पक्ष की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। उस हिसाब से मा० सदस्य का कटौती का प्रस्ताव रखना बहुत ही अच्छा होता, लेकिन पूरे कटौती के भाषण को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि मा० सदस्य को अपने सामने केवल भ्रष्टाचार ही दिखायी पड़ता है, कोई आंकड़ा कोई सुझाव नहीं है। इसका कारण यह मालूम होता है कि उन्होंने सदैव भ्रष्टाचार में अपने को पनपाया है और आगे भी पनपाने की कोशिश की, इसीलिये उनको भ्रष्टाचार ही दिखायी पड़ता है। और जो बातें आयी हैं, कुछ सुझाव मारकण्डेय चन्द जी ने दिये हैं, जो उनके सुझाव हैं, उन पर विचार करूंगा और कार्यवाही भी करूंगा।

जहाँ तक आई०आर०डी० की बात है, मा० सदस्य हरिबंश सहाय जी ने कहा कि आई०आर०डी० में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ तक आई०-आर०डी० के माध्यम से सहकारिता विभाग से ऋण का वितरण किया जा रहा है, तो 83 की ग्राम्य विकास योजना की रिपोर्ट आयी है, उसमें 64.70 करोड़ रु० वितरित किये गये हैं।

(इस समय 4 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इसमें 31-53 करोड़ रु० सहकारिता के माध्यम से आई०आर०डी० स्कीम के अंतर्गत बाँटा गया है, यह इस बात का द्योतक है कि यह विभाग अपने उद्देश्य एवं लक्ष्य के अनुसार कार्य कर रहा है। दूसरी बात जनपद सीतापुर, देवरिया तथा गोरखपुर के बारे में आयी। तो मैं जनपद देवरिया के सिलसिले में यह आँकड़ों के अनुसार बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर चीनी 70-71 लाख, खाद्यान्न 298-88 लाख टन तथा मिट्टी का तेल 100-04 का वितरण किया गया। यह भी इस बात का द्योतक है कि यह विभाग सम्पूर्ण नीति के अनुसार हर चीज को समय से मुहैया किया है, जिससे वहाँ की जनता में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो और यही नहीं इस वितरण प्रणाली में जो कर्मचारी दोषी पाये गये, उनको दण्डित भी किया गया है। देवरिया में ऐसे लोग 24 तथा सीतापुर में 1 इस संबंध में जितने लोगों का स्थानान्तरण किया गया वह देवरिया के 8 तथा सीतापुर में 4 लोग हैं और जिन लोगों के पीछे जाँच चल रही है, वह देवरिया में 2 तथा सीतापुर में 1 व्यक्ति है। साथ ही यह विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी प्रदेश स्तर पर जितनी बड़ी जिम्मेदारी लिये हैं, वह भी स्वयं अपने में एक ही डिपार्टमेंट है। इसमें भी जहाँ कहीं पर गड़बबी पायी गयी, वहाँ पर उन मामलों में पूर्णतया जाँच की गयी है किसी को बक्शा नहीं गया है।

श्री खैरुल बशर —

केवल देवरिया और सीतापुर के बारे में ही बतायेंगे माननीय मंत्री जी या कुछ हमारी तरफ भी बतायेंगे ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बच्चा पाठक—

आपकी तरफ की भी बात बतायेंगे, कृपया शांति से बैठिए। तो मान्यवर, मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चल रहे मामलों और उन पर की गयी कार्यवाही के बारे में बता रहा था कि इसमें पाये गये दोषी व्यक्तियों के खिलाफ जो कार्यवाही की गयी है वह 164 लोग हैं जिन्हें निष्कासित किया गया है, 117 लोगों को निलम्बित किया गया है। स्थानान्तरण की प्राथमिक कार्यवाही 40 लोगों के विरुद्ध की गयी तथा दोष मुक्त की कार्यवाही 48 लोगों के खिलाफ की गयी और पुलिस की जाँच 315 के ऊपर की गयी इस प्रकार कुल योग 683 लोगों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। तथा बात सीतापुर के बारे में माननीय सदस्य गण कह रहे थे। जब विधेयक प्रस्तुत हुआ था एक दो दिन पहले तब मैं यहाँ मौजूद नहीं था। आज मैं सीतापुर बैंक के संबंध में मा० सदस्यों को बताऊँगा। यह सहकारिता का सीतापुर का बैंक हमारे एक साथी स्व० मेहरोत्रा जी थे, यह बैंक उनके हाथों बैठता था। (शोर)

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस—

मेहरोत्रा जी स्वर्गवासी हो गये, उनके जमाने में यदि कोई भ्रष्टाचार, कोई गड़बड़ी या ऐसी कोई बात हुयी हो तो उसका सुबूत दीजिए।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी के विभाग से संबंधित जब कोई बात आती है, तो वह चुपचाप यहाँ से पलायन कर जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था का प्रश्न आपका क्या है, उसे उठाईये ?

श्री मोहन सिंह—

तो वह उन मुद्दों का उत्तर नहीं देते हैं जो इनसे संबंधित होते हैं दूसरे जो मुद्दे आज उठाये गये हैं, उनका उत्तर तो मा० मंत्री जी आज दे रहे हैं लेकिन जो मुद्दे इससे पूर्व में उनसे संबंधित उठाये गये हैं क्या मा० मंत्री जी उन सब का भी उत्तर आज देंगे, यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (शोर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मा० मंत्री जी क्या आप पहले के तथा आज की सभी भली बुरी बातों का उत्तर देंगे ?

श्री बच्चा पाठक—

आज की चर्चा सीतापुर पर आयी है, इसीलिए वहां की बातों का जवाब दे रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

स्व० श्री मेहरोत्रा के विषय में जब आपने छेड़ा है तो बताईए कि उनके प्रति क्या-2 आरोप थे, कितने भ्रष्टाचार संबंधी व कितने अन्य थे। हम कहते हैं कोई एक भी आरोप सिद्ध करें आप।

श्री बच्चा पाठक—

....जब आप कहते हैं तो सुनने की भी ताकत आप में होनी चाहिये ।

श्री मुख्तार अनीस—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, जरा सुन लीजिये । मान्यवर, मैंने अपने भाषण में कहा कि सहकारी बैंक सीतापुर जो है उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है बड़े पैमाने पर चन्दा इकट्ठा हो रहा है । महरोत्रा जी के समय में इस तरह से नहीं हुआ था । वहाँ पर काँग्रेस पार्टी के लोग चेयरमैन बनने के लिये घूस दे रहे हैं ।

श्री खैरुल बशर—

माननीय मंत्री जी, क्या आप अपने को महरोत्रा जी के मुकाबले का समझते हैं ? आप उनके घूंसे के बराबर भी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठिये, मंत्री जी को अपना भाषण करने दीजिये ।

श्री बच्चा पाठक—

मैंने वहाँ निरीक्षण किया, दोषी लोगो को जो पाया तो उसका निलम्बन किया इसीलिये आज सीतापुर में यह हो रहा है । माननीय अध्यक्ष जी, बहस के दौरान तीन बातें सामने आयी हैं । सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रशासक और भ्रष्टाचार । मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप यह चाहते हैं कि किसान जब तेल की दूकान पर जाय तो उसे तेल न मिले, कपड़े की दूकान पर जाय तो कपड़ा न मिले, राशन की दूकान पर जाँय तो उन्हें राशन न मिले, चीनी की दूकान पर जाँय तो उन्हें चीनी न मिले । मान्यवर, यह सारी चीजें उस जमाने में हुई थीं ।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने आरोप लगाये हैं तो उनमें ताकत होनी चाहिये अपनी कही बातों का जवाब सुनने के लिये । आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो लोगों को सामान मिल रहा है चीनी, तेल इत्यादि तो आज प्रदेश का कोई किसान नहीं कह सकता है कि उसको चीनी या तेल या गल्ला नहीं मिल पा रहा है ।

दूसरी बात आपने प्रशासक के बारे में कही । माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक तरफ तो माननीय सदस्य कहते हैं कि जन आन्दोलन हो रहे हैं और गैर सरकारी लोगों को लाने के लिये जल्द से जल्द चुनाव कराये जाने चाहिये । तो एक तरफ तो मैंने चुनाव की प्रक्रिया शुरु कर दी और उस प्रक्रिया को रोकने के लिये कोर्ट का सहारा ले लिये कि उस चुनाव को रोक दिया जाय । जनता पार्टी के शासनकाल में सहकारिता ऐक्ट 29 का आश्रय ले कर ऐसे लोग प्रशासक बनाये गये थे और आज आप पीछे हटते हैं कि उस सरकार ने ऐसा नहीं किया था । सरकारी तंत्र को हटाने के लिये उस जमाने में गैर सरकारी लोगों की प्रशासक के विरुद्ध नियुक्तियां की गयी थी, जिसे आपको स्वीकार करना चाहिये ।

तीसरी बात माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात अभी मा० सदस्य फर्रुखाबाद—

(व्यवधान)

[श्री बच्चा पाठक—]

ने कही थी तो अन्त में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से शीशे में अपनी सूरत दिखाई देती है वैसी ही आपको दूसरों की भी सूरत नजर आती है। यह कह रहे थे कि सहकारिता में जातियता की बात आ रही है, इस प्रकार से कर्मचारियों की अवैध नियुक्तियाँ कर दी गयी हैं।....

उनको जनता पार्टी के शासन में, सहकारिता मंत्री ने....आप मेरी बात को सुन लें। मैं तो आपके आरोपों को धैर्य से सुनता रहा।

(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

(श्री विजय सिंह राना के खड़े होने पर) राना जी, आप बैठें। खैरूल बसर साहेब बैठ जाइये। जब मंत्री जी उत्तर देने के लिए खड़े हुए हैं तो फिर आपको नहीं खड़ा होना चाहिए।

श्री बच्चा पाठक—

मैंने कहा कि जो नियम निकाला, क्या उसको हटाकर अपनी जाति के लोगों को रखा। मैं सबसे बड़ी बात यह कहना चाहता हूँ कि आपने दफा 29 के अन्तर्गत तत्कालीन छोटे सिंह यादव को नियुक्त करने के लिए, उनकी सेवा समाप्त होने वाली थी जो दफा 68 में कार्य हो रहा है, उसको समाप्त करके उनको कमीशन का सदस्य बना दिया। उस दफा की कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया और उनको कमीशन का सदस्य बना दिया गया।

(शोर-एवं व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस—

माननीय अध्यक्ष महोदय, परम्परागत एक सरकार दूसरी सरकार की उत्तराधिकारी होती है। माननीय मंत्री जी जनता शासन की आलोचना कर रहे हैं। माननीय मंत्री होकर इनको आलोचना नहीं करनी चाहिए, और न इनको ऐसा करने का अधिकार है। इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठें।

(व्यवधान)

श्री बच्चा पाठक—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जनता शासन में एक डी०आर० को एडीशनल रजिस्ट्रार बनाया गया जो उनकी ही जाति का था और जो उस समय के एडीशनल रजिस्ट्रार थे उनको ससपैंड किया गया। इसलिए मैं समझता हूँ कि उस जमाने में जो हुआ वही इस कांग्रेस के शासन में हो रहा है। अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी नेता प्रधान मंत्री जी को तानाशाह कहा जाता है और हम लोगों को तानाशाह कहा जाता है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यों को मेरी बात को भी सुनने का प्रयास करना चाहिए ।

(श्री विजय सिंह राना के खड़े होकर बोलने पर) घबराइये नहीं, मेरी बात को सुनिए । आप उस समय शासन में थे ।....

श्री अध्यक्ष—

अगर आप सभी लोग एक साथ खड़े होकर बोलने लगें तो मेरे लिए यह संभव न होगा कि सभी की बातों को सुन सकूँ ।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, मैं कोई व्यवस्था नहीं चाहता हूँ । मेरा निवेदन है कि उत्तेजित होकर माननीय मंत्री जी को नहीं कहना चाहिए । जो वकील उत्तेजित होकर बहस करता है, वह अपना केस खराब कर लेता है ।

श्री बलबीर सिंह—

(व्यवधान के मध्य) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि जनता शासन काल में फलां रजिस्ट्रार को निलम्बित करके फलां रजिस्ट्रार को रखा गया और जो उस सरकार में हुआ वही मैं कर रहा हूँ, यह लफ्ज कार्यवाही से निकाल दिए जाये । यह भ्रष्टाचार कर रहे हैं । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन् मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मन्त्री जी की तबीयत खराब थी और आज वे पूर्णतः स्वस्थ मालूम होते हैं मैं संसदीय कार्यमन्त्री जी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आप सहकारिता के लिये सारे सदन के माननीय सदस्यों की हमदर्दी चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं और उसके लिये जो आप कमेटी बना रहे हैं जो आपकी साधन सहकारी समितियां हैं उनमें क्या आप इस माननीय सदन के सदस्यों चाहे वे किसी भी पक्ष के हों, हर माननीय सदस्य से सुझाव लेकर उन समितयों में उनका नाम नोमिनेट करने की कृपा करेंगे और उसकी घोषणा आज सदन में करेंगे ?

श्री गोपीनाथ वर्मा—

माननीय मन्त्री जी ने अपनी चर्चा में कहा कि जनता पार्टी के शासन में जो सहकारिता मन्त्री थे और मौजूदा जो मन्त्री हैं दोनों मंत्रियों की आप सी० बी० आई० से जांच करवा दें और जो रिपोर्ट वह दें, उसके अनुसार आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि अगर उन्हें कोई शिकायत दें तो वे जानकारी करायेंगे । मान्यवर, मेरी जानकारी है कि हमारे यहां दो न्याय पंचायतें हैं 9 महीने से ज्यादा हो गये हैं लेकिन आजतक किसी ने चीनी और मिट्टी का तेल नहीं उठाया है एक भनवापुर में सोसाइटी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी बैठ गये हैं तो मैं क्या करूँ ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय रियासत हुसैन जी ने जो सुझाव दिया है उनका वह अपना सुझाव हो सकता है लेकिन जहां तक हमारे लोकदल का सवाल है हम अपने चुनाव के बल से इन कमेटियों में आना चाहते हैं । हम आपकी कृपा से इन समितियों में नहीं आयेंगे । हमने उन कमेटियों के गठन का विरोध किया था इसलिये हम किसी तरह से आपके नामिनी बनने के लिये तैयार नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी अपना भाषण जारी रखें ।

श्री बच्चा पाठक—

मान्यवर, माननीय रियासत हुसैन जी ने जो बात कही है उसके बारे में कहता हूँ कि माननीय सदस्यों की जो राय होगी उसके अनुसार निश्चय किया जायेगा । दूसरी बात में यह कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्यों ने हमको और नेता को तानाशाह कहा है और यह भी कहा है कि हमारा रवैया तानाशाही रवैया है । मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सिद्धान्त आपको उस समय मालूम नहीं हुआ जब शासन पर बैठे हुये लोगों ने जनतांत्रिक इकाई गांव सभाओं, नगरपालिकाओं, नोटिफाइड एरिया, जिला परिषदों का गद्दी पर बैठते-बैठते प्रजातंत्र का नाश कर दिया ।

इस शासन ने शासन में आते ही गांव सभाओं का चुनाव कराया और जनता में यह विश्वास दिलाया कि यह सरकार जनता की है उसी की बहबूदी के लिये काम कर रही है अध्यक्ष जी, हमारी वर्तमान सरकार प्रदेश के मौजूदा मुख्य मन्त्री के नेतृत्व में जिस तरह से काम कर रही है और जिस तरह से देश की नेता श्रीमती इंदिरा गाँधी काम कर रही हैं मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूँ कि यह विभाग जिन उद्देश्यों के लिये, जिन उसूलों के लिये, जिन मूल्यों के लिये इस देश और प्रदेश में स्थापित किया गया था उन्हीं मूल्यों को चुकाने के लिये, उन्हीं सिद्धान्तों पर चलते रहने के लिये सदैव सतत् प्रयत्नशील रहेगा ।

मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूँ कि अगर माननीय सदस्य भ्रष्टाचार का कोई भी मामला हमारी नोटिस में लायेंगे और आरोप लगायेंगे तो उसकी जांच की जायेगी, जांच में यदि आरोप सत्य पाया जायेगा तो मैं अपने पद से इस्तीफा देने के लिये तैयार हूँ अन्यथा उनको इस्तीफा दे देना होगा । इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ । माननीय अध्यक्ष जी, सहकारिता के माने होते हैं सबका सहयोग इसलिए मैं माननीय हरिवंश सहाय जी से मांग करूंगा जो उन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है उसे वापस ले लें क्योंकि सहकारिता विभाग मिल कर ही काम करता है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय हरिवंश सहाय जी आप कटौती प्रस्ताव वापस लेंगे ।

श्री हरिवंश सहाय—

जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 66-सहकारिता विभाग के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 66-सहकारिता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,30,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अंतर्गत मुझे आज 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। जिसमें एक श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री कुंवर सिंह नेगी श्री नगेन्द्र सिंह भन्डारी, श्री रामगोविन्द तथा श्री अकबर हुसैन की मोहन मेकिन्स के शराब बनाने के कारखाने के गंदे पानी से गोमती का पानी विषाक्त होने के संबंध में है ।

फिर उसके आगे श्री हरिवंश सहाय, श्री नन्दकिशोर सिंह, की दूसरी श्री सत्यपाल सिंह की, तीसरी श्री बलवीर सिंह चौथी श्री प्रदीप कुमार यादव की पांचवी श्री दलगंजन सिंह की, छठी श्री राम सागर जी की सातवी श्री सुरेश दत्त पालीवाल जी की हैं । इनमें से श्री राम सागर जी की सूचना तथा श्री दलगंजन सिंह जी की सूचना जो हैं वह नियम 301 में स्वीकार हो चुकी हैं। श्री प्रदीप कुमार यादव की जो सूचना है उस पर चर्चा पहले हो चुकी है । और श्री बलवीर सिंह जी की सूचना पर चर्चा स्वीकृत हो चुकी है । इन सब सूचनाओं को मैंने नियम 51 में देखा है केवल एक को छोड़ कर मैं सबको अस्वीकार करता हूँ । एक सूचना जो श्री राजेन्द्रकुमार गुप्त, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री कुंवर सिंह नेगी श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी, श्री राम गोविन्द तथा अकबर हुसैन की है कि सूचना को वक्तव्य के लिए स्वीकृत करता हूँ ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

कितनी देर चर्चा होगी ?

श्री अध्यक्ष—

45 मिनट के करीब ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, 11 से 15 तक तारीख वक्तव्य लगे हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष—

जरा सुन लें अगर माननीय सदस्य किसी प्रकार से संतुष्ट न हुए तो वह विषय चर्चा में बदल सकता है। जो नियम 51 में सूचना प्राप्त होती हैं वह वक्तव्य के लिए ही आती है। इसलिए इसे मैं वक्तव्य के लिए स्वीकृत करता हूँ। यदि सदन महसूस करेगा कि चर्चा होनी आवश्यक है तो स्वीकार कर सकता हूँ। इसमें ऐसा है यह अरजेंट मामला है इसको प्राथमिकता देना ठीक रहेगा।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इसमें कार्यमंत्रणा समिति ने जो तय किया है उसमें 11 से 15 तक ता० तक वक्तव्य लगे हुए हैं। जिस वक्तव्य को काट कर रखना चाहते हों उसमें रख दिया जाय कोई हर्ज नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

इसको भी न्यायिक जांच के सुपुर्द कर दिया जाय जैसा आज सुबह किया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मोहन मीकिन वालो को कई बार कहा जा चुका है लेकिन वे वाटर पालुसन बोर्ड से सांठ गांठ कर सत्तारूढ़ दल के भ्रष्टाचार के सहयोग के बल पर मामले को टालते जा रहे हैं। लखनऊ का पानी विषाक्त होने की संभावना है इसलिए इस पर जल्दी चर्चा हो जाय तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष—

इसको मैं देख लूंगा जितनी जल्दी हो सकेगा इसको लगा लेंगे। (व्यवधान) मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूँ (व्यवधान) इधर से कृपया शाँत रहें माननीय चेतराम गंगाधर जी शांत रहें।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनाँक 8 मार्च, 1983 की बैठक में सदन के 9 से 23 मार्च, 1983 के उपवेशन के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित संशोधनों की सिफारिशें की हैं—

बुधवार— 9 मार्च, 1983 को—	(क) पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के पश्चात् उ० प्र० राज्य विश्व-विद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1983, जैसा उ० प्र० विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण।
गुरुवार— 10 मार्च, 1983 को—	(क) आधे दिन तक, वित्तीय वर्ष 1982-83 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों, (जो 9-3-83 को सदन में प्रस्तुत किये जायेंगे पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुनः स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण—आधा दिन (ख) वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक की मांगों पर विवाद और पूर्व-निर्धारित अन्य कार्य—आधा दिन

शुक्रवार— 11 मार्च, 1983 को—	वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक की संगत मांगों पर मतदान तथा पूर्व निर्धारित अन्य कार्य ।
मंगलवार— 15 मार्च, 1983 को—	(क) पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान । (ख) उ० प्र० सरकार द्वारा राजकीय चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर लगे प्रतिबंध को हटा देने से आम जनता में उत्पन्न तकलीफ के सम्बन्ध में श्री मोहन सिंह द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घंटे की चर्चा ।
बुधवार— 16 मार्च, 1983 को—	(क) पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय व्ययक की माँगों पर मतदान, (ख) नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद में कुलपति द्वारा कथित जातीयता, भ्रष्टाचार तथा घोटाला सम्बन्धी गंभीर अनियमितताओं से विश्वविद्यालय के शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्य ठप्प हो जाने के सम्बन्ध में श्री मित्रसेन तथा श्री भीखा लाल द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घंटे की चर्चा ।
गुरुवार— 17 मार्च, 1983 को—	(क) पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान, (ख) उ० प्र० में वितरण प्रणाली में त्रुटि के फलस्वरूप आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए दाम एवं उससे उत्पन्न जन-असंतोष के संबंध में श्री मोहन सिंह द्वारा नियम 52 के अंतर्गत अभिसूचित सूचना पर डेढ़ घंटे की चर्चा ।
शुक्रवार— 18 मार्च, 1983 को—	(क) पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय व्ययक की मागों पर मतदान, (ख) उ० प्र० नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1983, जैसा उ० प्र० विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण ।
सोमवार— 21 मार्च, 1983 को—	(क) पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय व्ययक की मांगों पर मतदान, (ख) उ० प्र० जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1983 पर विचार एवं उसका पारण ।
मंगलवार— 22 मार्च, 1983 को—	(क) पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान, (ख) हाल ही में प्रदेश में बिजली की दरों में की गयी वृद्धि से बिजली उपभोक्ताओं में व्याप्त असंतोष के संबंध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर डेढ़ घंटे की चर्चा ।
बुधवार— 23 मार्च, 1983 को—	(क) पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान, (ख) उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम की निष्क्रियता एवं राजकीय बसों की दुर्दशा के संबंध में श्री मोहन सिंह द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घंटे की चर्चा ।

दिनांक 14 मार्च, 24 मार्च तथा 25 मार्च, 1983 को सदन का कार्यक्रम यथावत् रहेगा ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिनकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिसकी सूचना अभी मा० अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है सहमत हैं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क में बसने वाले ग्रामीणों के समक्ष रोगी के संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

वन एवं पशुधन राज्य मन्त्री (श्री संजय सिंह)—

भारत सरकार पर्यावरण विभाग द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि नन्दा देवी एवं फूलों की घाटी, जिनको 6 सितम्बर, 1982 से राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है गढ़वाल हिमालय में वनस्पति एवं वन्य जीवों के लिये अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। उक्त पार्कों को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में सम्मिलित किये जाने का भी प्रस्ताव है। हिमालय के वायोसफियर रिजर्व के कोर क्षेत्र में अन्य स्थानों के साथ उक्त पार्कों का क्षेत्र भी सम्मिलित किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है। इस बात पर चिन्ता व्यक्त की गयी है कि विशेष रूप से नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क में अत्यधिक बढ़ते पशुओं के चुराने तथा पर्वतारोहण दलों द्वारा की जाने वाली क्षति से इन अभूतपूर्व प्राकृतिक सौन्दर्य स्थलों को बहुत नुकसान हो रहा है। इन विशिष्ट प्राकृतिक रिजर्वों को सुरक्षित रखने हेतु अनेकानेक व्यक्तियों, प्राकृतिक संरक्षणकर्ताओं तथा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फण्ड इंडिया जैसी संस्थाओं द्वारा बराबर आवाज उठाई जाती रही है। इस पृष्ठभूमि में 18 फरवरी 1983 को भारत सरकार एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य मुख्य लिये गये निर्णय निम्नवत हैं :—

(1) नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क में समस्त प्रकार के पर्वतारोहण अभियान बन्द करा दिये गये जिससे क्षतिग्रस्त प्राकृतिक वनस्पतियों का पुर्नजनन सम्भव हो सके। यह आवश्यक हो गया है कि राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र को कुछ वर्षों के लिये विश्राम करने दिया जाय तथा केवल निरीक्षक गार्डों एवं वैज्ञानिकों को जो वहाँ अध्ययन हेतु जायें उन्हें ही वहाँ जाने की अनुमति दी जाय।

(2) पर्वतारोहण दलों को पार्क के बाहरी हिस्से से चोटियों पर चढ़ने की अनुमति दी जाय। सुरक्षा सैनिकों के अभियान की अनुमति तब तक न दी जाय जब तक वे इस संबंध में पर्यावरण विभाग, भारत सरकार की सहमति न प्राप्त कर लें।

(3) घुमन्तु भेड़ पालकों के चराने चुगाने हेतु वैकल्पिक क्षेत्र प्रस्तावित किये जायें। राष्ट्रीय पार्क के अन्दर एवं बाहर मान्यता प्राप्त अधिकारों के अन्तर्गत चराने आदि की सुविधा का गहन अध्ययन किया जाय और इस पर एक रिर्पोट तैयार की जाय।

(4) राष्ट्रीय पार्कों की सुरक्षा हेतु जनसहयोग प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय पार्क में क्या करें और क्या न करें के सम्बन्ध में व्यापक प्रभावी प्रचार पोस्टर, रेडियो, दूरदर्शन आदि के माध्यम से किया जाय।

(5) पर्वतारोहण अभियान बन्द हो जाने से लता, रैनी और अन्य करीब के गाँवों में हुए बेरोजगार लोगों को पार्क के बाहर के क्षेत्रों में वृक्षारोपण एवं अन्य वानिकी कार्यों में वरीयता देकर सेवा में लिया जाय। इस प्रकार के वृक्षारोपण से ईंधन एवं पशुओं के लिये चारा भी उपलब्ध हो सकेगा।

(6) नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क में जमा मलवे का उचित निस्तारण किया जाय और जहाँ आवश्यक हो पर्यावरण विभाग भारत सरकार के परामर्श से उचित प्रजातियाँ रोपित की जायें।

(7) फूलों की घाटी में प्रत्येक प्रकार के चरान पर जैसा वन्य जन्तु संरक्षण अधिनियम में उल्लिखित है रोक लगाने तथा टट्टू एवं खच्चरों को घघरियाँ से आगे जाने पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया।

देश की ये प्राकृतिक निधियां भावी पीढ़ी की धरोहर हैं उसे सुरक्षित रखना हम सभी का कर्तव्य है। अतः इसकी सुरक्षा के लिये सभी का सहयोग प्रार्थनीय है।

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**—

मान्यवर, इस प्रश्न की सूचना मैंने नियम 51 में दी थी, उसका मेरा जो मुख्य हेतु था, उसका उत्तर इसमें नहीं आया है, जिसकी ओर मैं वन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, 56 किलोमीटर नन्दादेवी का क्षेत्र है और फूलों की घाटी का भी 20 किलोमीटर है। पर्वतारोही और दूसरे लोग पर्यटक जो समय समय पर वहाँ पर जाते थे, उसके कारण वहां के लोगों को रोजगार मिलता था, उनकी जीविका चलती थी। इस पूरे वक्तव्य में इसकी दो एक जगह थोड़ी चर्चा तो है, जैसे घुमन्तु भेड़ पालकों के चरान एवं चुगान हेतु वैकल्पिक क्षेत्र प्रस्तावित किये जायें। राष्ट्रीय पार्क के अन्दर एवं बाहर मान्यता प्राप्त अधिकारों के अन्तर्गत चराने आदि की सुविधा का गहन अध्ययन किया जाय और इस पर एक रिपोर्ट तैयार की जाय। और पर्वतारोहण अभियान बन्द हो जाने से, लता, रेनी और अन्य करीब के गांवों में हुए बेराजगार लोगों को पार्क के बाहर के क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं अन्य वानिकी कार्यों में वरीयता देकर सेवा में लिया जाय। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब यह लोग विस्थापित हो रहे थे, जिनके सामने आज जीविका की समस्या है, उनके लिए पहले से कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा न करके जो तत्काल से रोक लगा दी गयी है, उसका औचित्य क्या है? और क्या इसके लिए अब आप अपने नियमों में कोई शिथिलता देने की कृपा करेंगे।

श्री संजय सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहता हूँ कि जब यह रोक लगाई गयी, वह 6 सितम्बर, 1982 को, आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि उस समय जितने भी उस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, वह सारे लोग ठंडक के कारण नीचे उतर आते हैं, मार्च के लास्ट में ऊपर जाना उनका शुरू होता है। यह जब रिजर्व किया गया, यह चरान रोकी गयी, जबकि सारे लोग वहाँ पर नहीं रहते हैं। मैंने पहले ही आदेश किया है कि अप्रैल तक वहां पर जब लोग जाते हैं, तब यह व्यवस्था रहेगी। यह जो नेशनल पार्क है, यह चारों तरफ खुला रहेगा। इसकी सारी व्यवस्था अप्रैल में अवश्य कर दी जायगी, चाहे वह भेड़ बकरी पालक हैं, चाहे जो भी लोग हैं यह व्यवस्था कर दी जायगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, जो यह फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क है, उसकी सीमा के अन्दर सिक्खों का प्रमुख तीर्थ हेमकुण्ड साहिब तथा हिन्दुओं का लक्ष्मण जी का मंदिर है। सिक्ख लोग भारी संख्या में वहाँ पर जाते हैं। हेमकुण्ड साहब जाने के लिए घोड़ों एवं टटुओं पर रोक लगा दी है। घोड़े, टटू घांगरिया से न तो फूलों की घाटी जा सकते हैं और न हेमकुण्ड साहब। तो जो ये घोड़े वाले हैं, उनकी रोजी की क्या व्यवस्था की है ? लक्ष्मण जी का जो मंदिर है वह नेशनल पार्क की सीमा के अन्दर आ गया है। कानूनन वहाँ कोई नहीं जा सकता है। आपने रोक लगा दी है जो कि हिन्दू धर्मावलम्बियों की भावना को ठेस पहुंचती है।

म्युडार गाँव की सारी वन पंचायत इस राष्ट्रीय पार्क की सीमा में आ गयी है। तो आपने उनकी भेड़, बकरियों एवं जानवरों के चरान-चुगान की क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है ? मन्त्री जी आप पर्यावरण की बात करते हैं. प्रधान मन्त्री जी सितम्बर, 1982 में जब फूलों की घाटी जाने वाली थीं, तो घांगरिया में काफी पेड़ काट कर उनके लिए हेली पैड़ तैयार किया गया। यह तीनों का आप स्पष्ट जबाब दे दीजिए।

श्री संजय सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूँ कि जो वहां पर सिक्खों का धार्मिक स्थल है, जो वहाँ पर हिन्दुओं का धार्मिक स्थल है, वह पार्क के बाहर है या अन्दर, लेकिन उसमें यह व्यवस्था की गई है और मैं समझता हूँ कि यह व्यवस्था भविष्य में भी रहेगी कि किसी को आने जाने में कोई असुविधा नहीं होगी।

श्री कुंवर सिंह नेगी —

मान्यवर, मैंने पूछा था कि जो घोड़े वाले हैं, टटू वाले हैं, उनको तो आपने घागरिया से ऊपर जाना बन्द कर दिया है, उनकी रोजी-रोटी के लिये आपने क्या व्यवस्था किया है ? वहाँ पर तो काफी लोग जाते हैं। लक्ष्मण जी का जो मंदिर है, वह नेशनल पार्क की सीमा के अन्दर आ गया है, कानूनन वहाँ कोई नहीं जा सकता है, आपने रोक लगा दिया है, जो के हिन्दू धर्मविलिम्बियों को ठेस पहुंचती है। दूसरा यह कि जो म्युडार गांव की सारी बन पंचायत इस राष्ट्रीय पार्क की सीमा में आ गई है, तो आपने उनकी भेड़, बकरियों एवं जानवरों के चराने-चुगान की क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है ?

श्री संजय सिंह—

अध्यक्ष महोदय, यह मैंने पहले ही सदन को सूचित किया है कि यह जो नेशनल पार्क है, इसके बाहर के सारे चराने-चुगाने क्षेत्र खुले हुए हैं। यह जो वैकल्पिक व्यवस्था है, उसके लिये व्यवस्था अप्रैल से स्पेशिफिक स्थान निश्चित कर दिया जायेगा, जहाँ पर वह अपने जानवर चरायें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त —

मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ, यह बात सही है कि जब पर्यटक वहाँ जाते थे तो अनियंत्रित रूप से वन संपदा को क्षति होती थी। यह बात भी सही है कि 3 गांव ऐसे हैं जो बाहर से अन्दर आ गये, उनका रास्ता अवरुद्ध हो गया है। तो मंत्री जी से अपने सवाल के माध्यम से मैं आश्वासन लेना चाहूँगा कि जैसे आपने ढ़िकाला

वगैरह में व्यवस्था की है कि पर्यटन भी होता रहे और वन संपदा की सुरक्षा भी होती रहे। तो कटीले तार लगाकर वहाँ पर रास्ता वगैरह बनाया गया है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था करेंगे कि पर्यटन भी हो और वन संपदा की सुरक्षा होती रहे। कंटीले तार वगैरह लगाकर रास्ता बना दिया जाय, क्या इसका आश्वासन मंत्री जी देंगे ?

श्री संजय सिंह—

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी ने जो सुझाव दिया है, दोनों दृष्टिकोण से, नेशनल पार्क को क्षति न हो और जो यात्री धार्मिक या किसी भी तरह की यात्रा करें, उनके लिये व्यवस्था करने के बारे में विचार करेंगे।

बुलन्दशहर स्थित पुरानी और नई फैक्ट्री इकाइयों में सरकार की कोयला आवंटन संबंधी नीति में कथित भेदभाव किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

***उद्योग मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—**

मान्यवर, वर्ष 1980 तक खुर्जा पौट्री उद्योग की इकाईयों को उनकी क्षमता के आधार पर ही कोयले का आवंटन किया गया किन्तु वर्ष 1981 में कोयले की बढ़ती कमी और उत्पादन विरत इकाइयों को पकड़ के उद्देश्य से लागू की गई नई नीति के अनुसार क्षमता के 50 प्रतिशत उत्पादन के 50 प्रतिशत के आधार पर 35 प्रतिशत का कट लगा कर आवंटन किया गया। पर इस नीति के लागू किये जाने से कतिपत इकाईयों को आवंटित की जाने वाली मात्रा में वर्ष 1980 की अपेक्षा अधिक कमी आई अतः ऐसी इकाईयों के समक्ष उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये गणना के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि जिन इकाईयों की मात्रा में वर्ष 1980 की अपेक्षा कमी आ रही है उनको 55 प्रतिशत का अतिरिक्त आवंटन एडहाक तौर पर कर दिया जावे किन्तु इस प्रतिबन्ध के साथ कि उनको इस प्रकार आवंटित की जाने वाली मात्रा वर्ष 1980 में आवंटित मात्रा से अधिक न हो। यह भली भाँति स्पष्ट कर दिया गया था कि जिन इकाईयों को 50 प्रतिशत क्षमता व 50 प्रतिशत उत्पादन के आधार पर वर्ष 1980 की अपेक्षा अधिक आवंटन बनता था उन पर 55 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन की नीति लागू नहीं होनी थी। इस नीति का पालन किया गया और ऐसी सभी इकाईयों को 55 प्रतिशत का अतिरिक्त लाभ दिया भी गया जिनकी नई नीति के लागू होने के फलस्वरूप 80 की अपेक्षा वर्ष 1981 में कम आवंटन हुआ था।

पर खुर्जा पौटरी एसोसिऐशन का कहना यह है यह नीति समान रूप से सभी इकाईयों के ऊपर लागू होनी थी और यह प्रतिबन्ध कि 55 प्रतिशत का लाभ मिलाकर कुल स्पोन्सरिंग 1981 में 1980 की सीमा से अधिक नहीं हो, नहीं होना चाहिये था। यह तर्क सम्मत नहीं है।

ध्यानाकर्षण सूचना में दिनाँक 23-4-82 के जिस निर्णय का संदर्भ दिया गया है वह वास्तव में निर्णय नहीं था वरन् मात्र उद्योग निदेशालय का प्रस्ताव इस बारे में था। गणना करके पुनः छानबीन की जा रही है कि उपरोक्त 55 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन की पात्र के श्रेणी की इकाईयों में से कुछ इस लाभ को पाने से अभी वंचित तो नहीं रह गई थी। निदेशालय द्वारा उन सभी इकाईयों, जिन्होंने 25-9-80 तक अपनी इकाई की क्षमता में वृद्धि की थी, को भी 55 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन का लाभ इस प्रतिबंध के साथ दिया गया कि 55 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन देने पर कुल आवंटन 1980 हेतु आवंटित बैगन से अधिक न हो।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वीर बहादुर सिंह—]

प्रदेश के लिये स्टीम कोल वैगन्स की सीमा निर्धारित है और निदेशालय को उसी सीमा के भीतर सभी अर्ह इकाईयों को लाभान्वित कराना होता है जिसके कारण औद्योगिक इकाईयों की मांग की अपेक्षा आवंटित मात्रा निश्चित रूप से काफी कम होती है और इसके फलस्वरूप लगभग सभी कोयला उपभोग करने वाली औद्योगिक इकाइयों को पर्याप्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यह एक सामान्य कठिनाई है।

इस समस्या के निदान हेतु बराबर प्रयास किये जा रहे हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश प्रदेश की स्टीम कोल वैगन्स की सीमा सतत् प्रयासों के बावजूद भी रेल मंत्रालय द्वारा नहीं बढ़ाई जा सकी। प्रदेश की निर्धारित सीमा कम होने के साथ-साथ समस्या और भी जटिल इस कारण हो गई है कि डायरेक्टर मूवमेंट रेल द्वारा इस 90,000 वैगन्स की सीमा के विपरीत भी मुश्किल से 20 प्रतिशत वैगन का ही मूवमेंट किया जाता है। अर्थात् लगभग 20,000 वैगन ही प्रदेश में प्राप्त हो रहे हैं। इस दिशा में भी सतत् प्रयास किये जा रहे हैं किन्तु समस्या यथावत् बनी हुई हैं।

यदि खुर्जा पौट्री उद्योगों को वर्तमान सीमा में किसी अन्य आधार पर और अन्य उद्योगों से काट कर अथवा आंकलन सिद्धान्तों का उदारीकरण करते हुए ज्यादा बढ़ाकर कोयले का आवंटन किया जाता है तो अन्य उद्योगों से भी इस प्रकार की बढ़ोत्तरी माँग आवश्यम्भावी है किन्तु सम्पूर्ण माँग की पूर्ति किसी बड़े पैमाने पर करने में फिलहाल सीमित कोटे के कारण सम्भव नहीं है।

यदि खुर्जा पौट्री एशोसिएशन को 55 प्रतिशत का लाभ पूर्णरूपेण दिया जाता है जैसा कि वे चाहते हैं तो लगभग 2,000 अतिरिक्त वैगनों की आवश्यकता होगी और इसी प्रकार फिरोजाबाद काँच उद्योग के लिये लगभग 8000 वैगन, डिस्टलरी के लिए लगभग 12000 वैगन, फोर्जिंग इकाईयों के लिये लगभग 1300 वैगन तथा रि-रोलिंग मिल्स के लिये 1500 वैगन की आवश्यकता होगी।

खुर्जा में दो कोल डम्प की स्थापना भी की गई है जिनकों 12 रेक स्टीम कोल का आवंटन वर्ष 1982 हेतु किया गया था तथा वर्ष 1983 हेतु भी 12 रेक का अर्थात् 1056 वैगन का आवंटन किया गया है। खुर्जा पाटरी उद्योग की इकाईयों को इस डम्प से भी कोयला प्राप्त होता है।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि 23-4-82 के जिस निर्णय का संदर्भ दिया गया है वह वास्तव में निर्णय नहीं था, वरन् मात्र उद्योग निदेशालय का प्रस्ताव इस बारे में था। मैं माननीय मंत्री जी की सूचनार्थ इनके विभाग के उप निदेशक, जो कच्चा माल के हैं, अवध नरेश चतुर्वेदी, उन्होंने जो आख्या प्रस्तुत की, उसके कुछ संदर्भ सुना देना चाहता हूँ। ये कहते हैं, एडीशनल डिप्टी डाइरेक्टर लक्ष्मी चन्द्र लिखते हैं कि आपके कक्ष में 23-4-82 को हुई मीटिंग में, जिसमें पोटरी मैन्यूफेक्चर्स ऐसोसियेशन के सदस्य तथा खुरजा के विधायक श्री बुद्ध पाल सिंह जी भी उपस्थित थे, ऐसोसियेशन द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन पर विचार किया गया, जो निर्णय लिया गया, उसके अनुसार हम लोगों ने गणना का निरीक्षण शुरू कर दिया है। इससे स्पष्ट है कि जो निर्णय लिया गया, वह एक मीटिंग के बाद लिया गया।

स्पष्ट आरोप हमारा यह है कि इन निर्णयों के विपरीत जो कच्चा माल के डिप्टी डायरेक्टर थे, उन्होंने पक्षपात के आधार पर, 13 खुरजा की यूनिट्स को अलग से कोयले

का आबंटन कर दिया और बाकी जो यूनिट्स थीं, वह कोयले के आवंटन के अभाव में स्टाप कर दी गयी, उनकी सिक होने की स्थिति पैदा हो गई। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जब मेन्यूफेक्चर्स एसोसिएशन के सदस्य, आपके विभाग के अधिकारी, सम्बन्धित माननीय विधायक इन तीनों की उपस्थिति में एक निर्णय हुआ, उस निर्णय के आधार पर कोयले के आबंटन का एक कोटा निर्धारित किया गया, एक मापदंड निर्धारित किया गया, उस मापदंड की कसौटी के विपरीत यदि उस अधिकारी ने किन्हीं खास यूनिट्स को अलग से कोयले का आबंटन कर दिया है, तो क्या यह जानबूझकर, कुछ खास यूनिट्स से रिश्वतखोरी करके, खास यूनिट्स के लिए व्यवस्था करके, और बाकी यूनिट्स को यह कहकर कि हमारे पास कोयला नहीं है, उनके आगे अभाव पैदा किया, तो इस तरह से प्रदेश के उद्योग के साथ जो खिलवाड़ हुआ, तो क्या अपनी जानकारी को दुरुस्त करते हुए, जो लूट हुई, जो पक्षपात किया, क्या इस बात की जानकारी करेंगे कि आबंटन में पक्षपात हुआ ? यदि हां, तो उस पक्षपात करने वाले अधिकारी के विरुद्ध शीघ्र से शीघ्र क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, माननीय मोहन सिंह जी ने जो बात कही, यह मैंने इसमें स्पष्ट किया है जो कोयला हमको मिल रहा है, इतना कम कोयला मिल रहा है, हमको जो एलाटमेंट है वह 90 हजार वैगन्स का है, जिसके एगेन्स्ट में केवल 20 हजार, 22 हजार वैगन्स मिला है, इतना कम मिल रहा है। हम खुद कह रहे हैं कि हमारी जो बहुत सी फैक्टिरयां थीं, जो कोयले पर चलती हैं, वह इस कारण से कठिनाई में पड़ गयी हैं, उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो जितना मिलता है, उसमें एक नार्म बनाकर, हम आबंटन करते हैं। किसी को कुछ कर दिया, किसी को कुछ, यह बात नहीं। एक नार्म बनाया वह नार्म यह है कि प्रोडक्शन की क्षमता जिस फैक्ट्री की जितनी स्थापित क्षमता है, उसका 50 प्रतिशत, जितना उसने 1980 में प्रोडक्शन किया, उसका नार्म बनाकर 1981 में आबंटित किया गया, 1980 का प्रोडक्शन उसका 50 प्रतिशत और चूँकि कम कोयला था तो 35 प्रतिशत कट करके कोयले का आबंटन किया।

यह एक नार्म बनाकर, सबको बाँटा गया। जिन इकाइयों की मात्रा में वर्ष 1980 की अपेक्षा 1981 में आबंटन में कमी आ रही थी, उनको 55 प्रतिशत का अतिरिक्त आवंटन एडहाक तौर पर दिया, लेकिन यह देखकर कि उनको 1980 में आबंटित मात्रा से यह अधिक न हो। 55 प्रतिशत बढ़ाया, तो इसमें कोई वैसी बात नहीं है। पक्षपात किया गया, किसी को ज्यादा दे दिया गया, किसी को कम दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

यह तो माननीय मंत्री जी आप जनरल बात बता रहे हैं, जो आपका मत है, जो इन्होंने प्रश्न किया है और जिन बातों का जिक्र किया है, उसके बारे में आपका क्या उत्तर है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह जो माननीय मोहन सिंह जी ने बताया, अभी मैंने कहा कि कुछ प्रस्ताव आये थे, लेकिन वह प्रस्ताव थे, कोई ऐसी चीज नहीं बनी थी, जिस पर कुछ किया जाय। नार्म बना दिया गया था और यह कर दिया गया। अब मैं इसको देख रहा हूँ इसमें क्या हो सकता है ? क्योंकि खुर्जा की पोटरी इस समय संकट में है और जो नयी यूनिट है वह भी संकट में है। मैं विचार कर रहा हूँ अधिकारियों को बुलाकर कहूँगा कि

[श्री वीर बहादुर सिंह—]

अध्यक्ष जी के साथ बैठकर, क्योंकि इनके जिले का सवाल है, हाउस सवाल आता है, कोई रास्ता निकालने का प्रयास करें।

श्री मोहन सिंह—

माननीय मंत्री जी ने विरोधाभास पैदा कर दिया। मंत्री जी दो बात कह रहे हैं। एक तो कहते हैं कि निर्णय नहीं लिया गया, एक सुझाव था। दूसरी तरफ कहते हैं नार्म बनाया गया, 80 की जो स्थापित क्षमता थी और जो उनका उत्पादन था उसके अनुपात में 81 में आबंटन करेंगे। मेरा साफ चार्ज है जो 81 का नार्म था 80 के उत्पादन के आधार पर 81 में सभी यूनिटों को समान रूप से वितरण कोयले का नहीं किया गया बल्कि इस 13 के साथ पक्षपात किया गया। एक तरफ कहते हैं कि मात्र सुझाव था और दूसरी तरफ कहते हैं एक नार्म तैयार हुआ। मैं साफ तौर पर जानना चाहता हूँ कि जो यह नार्म था उसके अनुसार इन 13 का आप चाहें तो मैं पढ़ सकता हूँ समय नहीं है। इन 13 के साथ जो पक्षपात किया गया तो जो इस तरह का व्यवहार करने वाला अधिकारी है उसके विरुद्ध आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

मैंने बताया कि किस नार्म के अन्तर्गत वितरण किया गया है ? माननीय मोहन सिंह कहते हैं कि पक्षपात हुआ, तो मैं इसकी जाँच करा लूँगा।

***श्री बुधपाल सिंह—**

मैं जानना चाहता हूँ कि 50 प्रतिशत प्रोडक्शन और 50 प्रतिशत क्षमता के हिसाब से नई पोलिसी केवल पोटरी उद्योग के लिये क्यों बनाई गई ? कांच का उद्योग फिरोजाबाद में है, डिस्टलरी खुली है और फैक्ट्री है जो कोयले से चलती है, किसी के कोयला आबंटन में परिवर्तन नहीं किया गया केवल पोटरी उद्योग में क्यों परिवर्तन किया गया ? जबकि सरकार अच्छी तरह से जानती है कि खुर्जा के पॉटरी उद्योग के बने बर्तन विदेश जाते हैं ? इसके बावजूद खाली इसी उद्योग की कोयला आवंटन नीति में परिवर्तन क्यों किया गया ? दूसरा मैं यह जानना चाहता हूँ मेरी स्पष्ट जानकारी है, मेरा स्पष्ट कहना है कि 81 में 80 से ज्यादा कोयला हो जायेगा। उसको 55 प्रतिशत की रियायत सरकार देगी। 77 यूनिटें ऐसी हैं जिनको 80 से 81 में ज्यादा आवंटित हुआ लेकिन 133 यूनिटें ऐसी हैं जो गरीबों की हैं उनको 133 को 55 प्रतिशत फायदा नहीं मिला। वह इसलिये क्यों कि वह गरीब हैं वह कुछ दे नहीं सकते। तीसरा मैं यह····

श्री अध्यक्ष—

दो का उत्तर आने दीजिये।

श्री बीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैंने साफ कहा कि जो नार्म है उसी के अनुसार किया गया लेकिन मैंने कहा मोहन सिंह के सवाल पर की जांच करायेंगे। अगर कहीं नार्म के खिलाफ ज्यादा दिया गया है तो जांच कराकर कार्यवाही की जायेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रियासत हुसेन—

माननीय मंत्री जी ने कहा 13 को जो दिया गया है जांच करायेंगे। क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि 13 के अतिरिक्त जो और यूनिट हैं और आपके नार्म्स में आते हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर जब कोयला मिलेगा तो आवंटित करेंगे ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

जांच कराऊँगा अगर कहीं किसी के साथ अन्याय किया गया है तो जरूर वरीयता दी जायेगी।

श्री बुधपाल सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जो अपनी बात की आखिर में कहा कि 12 रैक खुर्जा को देते हैं। यह 12 रैक ऐसे उद्यमियों के लिए जो सरकारी चिमनियों और पोटरियों को किराये पर लेकर पकाते हैं यह उनके लिये है न कि उनके लिए जिन्होंने 2-3 लाख रुपया लगाकर यूनिट स्थापित की है। यह माननीय मन्त्री जी ने सदन के सामने गलत बात पेश की है।

श्री बीर बहादुर सिंह—

यह बात सही है कि लोग ट्रक आदि से नहीं मंगा सकते, छोटे उद्यमी, उनके लिए यह है।

(समय अपरान्ह 5 बजकर 25 मिनट)

श्री यशपाल सिंह (बुलन्दशहर)—

जैसा कि मंत्री जी ने बताया, लघु उद्योग हैं, छोटे-छोटे कारीगर इसमें लगे हुए हैं, तो दूसरे पेज के तीसरे पैरा में जो लिखा है कि 90 हजार वैगंस के विपरीत 20 प्रतिशत मिले इसमें मेरी निश्चित जानकारी है कि वैगंस के मूवमेन्ट के लिए प्रदेश में एक अलग से विभाग है। तो जो यह 20 प्रतिशत की जो सप्लाई है उसमें जिन अधिकारियों की लापरवाही से यह कम सप्लाई हुई उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

यह यहां के अधिकारियों का मामला नहीं है। रेल अधिकारियों द्वारा यह होता है, इसलिये उनके विरुद्ध कोई कार्यवाहीं नहीं की जा सकती।

श्री मोहन सिंह—

नहीं, मान्यवर, यह जो 90 हजार वैगन की फिगर रखी है, पूरे प्रदेश के उद्योगों के लिए है। खुर्जा पाट्रीज एक विशेष विषय है। यह ऐसा उद्यम है जिससे इस देश का सम्मान ऊँचा होता है। इसमें जो कोयला मिलता है, आपने भी स्वीकार किया है कि जो छोटे उद्योगपति हैं, जो भाड़े की चिमनी रखे हैं, तो क्या अधिकांश कोयला, जो मिलता है उसमें से, जो छोटे उद्यमी हैं, उनको विशेष दर्जा आरक्षित करके उनके कारोबार को बन्द न हो सके, इसके लिए विचार करेंगे।

श्री बीर बहादुर सिंह —

इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो उद्योग चल रहे हैं, उनको भी देना होगा, हाँ उनको बरीयता के आधार पर दिया जाय, यह हो सकता है ।

श्री बुद्धपाल सिंह—

यह कोयला स्माल इण्डस्ट्रीज के लिए है लेकिन हैवी इण्डस्ट्रीज वाले भी इसमें से कोयला लेते हैं, क्या इसकी जानकारी है ? इस प्रकार से दोहरा फायदा उठाते हैं कि इसमें से भी लेते हैं और वहाँ से भी लेते हैं। इसके क्या कारण हैं ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

यह उद्योग विभाग के नाम से आता है और जो वितरण करते हैं वह सारा इसमें आता है ।

श्री यशपाल सिंह—

आखिरी पैरा में लिखा है कि 12 रेक स्टीम कोल का आबंटन वर्ष 1982 के लिए किया गया था और 83 में भी 12 रेक का आबंटन किया गया । तो इसमें कितना मिला ? क्या इस वर्ष पूर्ण कोयला मिलने की उम्मीद है ?

श्री बीर बहादुर सिंह —

यह तो आबंटन है । कितना मिलेगा, यह मैं कैसे बता सकता हूँ ?

श्री अध्यक्ष —

मैं मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि, मुझे भी इसकी पूरी जानकारी है और आप सब तथ्यों तथा पूरी पत्रावली को देखने के बाद, जो कमियां हैं, क्यों कि यह उद्योग इस प्रकार का है, आप इस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे ।

लखनऊ विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करने वाले छात्रों को प्रताड़ित किये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्सी)—

25 फरवरी 1983 को पूर्वान्ह लगभग 10.30 बजे श्रीमती श्रद्धा कुमारी, डीन, विधि संकाय, अपना अध्यापन कार्य समाप्त करके अपने निवास स्थान को जाने वाली थी । इतने में ही कुछ छात्रों ने उनको रोका तथा अपनी समस्यायें प्रस्तुत कीं तथा समाधान चाहा । धीरे धीरे छात्रों की भीड़ बढ़ने लगी और 12.30 बजे तक लगभग 250 छात्र एकत्रित हो गये थे जो लगातार नारेबाजी कर रहे थे । तथा काफी उत्तेजित प्रतीत हो रहे थे । स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए मौके पर उपलब्ध पुलिस द्वारा भीड़ को हटाया गया । इसके बाद डीन महोदया ने विश्वविद्यालय नियमों के अन्तर्गत संकाय डीन को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 25-2-83 के अपने घेराव के संदर्भ में सर्व श्री अरुण प्रकाश सिंह, रेवती रमण शुक्ल, सतेन्द्र कुमार पाण्डे, कमलेश कुमार तथा उदयराज, छात्र विधि संकाय को 1-1-83 से निलम्बित कर दिया । इस निलम्बन के परिणामस्वरूप संकाय के छात्रों में असंतोष व्याप्त था किन्तु विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अब छात्रों का निलम्बन समाप्त कर दिया गया है और विश्वविद्यालय

प्रशासन परिसर में सामान्य स्थिति बनाये रखने तथा विधि संकाय के छात्रों की समस्याओं के समाधान हेतु प्रयत्नशील हैं।

***श्री मोहन सिंह—**

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने वक्तव्य का प्रारम्भ भी असत्य घटना से शुरू किया। यह कहती हैं कि श्रीमती श्रद्धा कुमारी साढ़े दस बजे अपना अध्यापन कार्य समाप्त करके अपने निवास स्थान पर जाने वाली थीं। मैं इस पर आपत्ति करता हूँ। पिछले दो वर्षों से श्रीमती श्रद्धा कुमारी ने एक भी क्लास नहीं लिया। 100 अध्यापकों ने स्वयं हस्ताक्षर करके उनके विरुद्ध ज्ञापन दिया। विधि संकाय में एडमीशन में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया। इनके पति श्री श्रद्धानन्द त्रिपाठी को जो पैसा दे देता था उसको वह एक मामूली सा तार दे देते थे और वह एकदम दाखिला ले लेता है। यह शिकायत विद्यार्थियों ने, वहां के नान-टीचिंग स्टाफ ने और 100 अध्यापकों ने अपने हस्ताक्षर से इग्जीक्यूटिव कौंसिल को दिया। उसके बाद यह घटना हुई। वक्तव्य में मन्त्री जी ने चार नाम लिये हैं। उनमें से एक अरुण प्रकाशसिंह, कांग्रेस पार्टी की युवा शाखा का सदस्य है। उसने हसनगंज थाने में रिपोर्ट लिखाई। चार गुण्डे आये और पिस्टल की नोंक पर कहा कि श्रद्धा कुमारी के खिलाफ आवाज उठाओगे तो दुनिया से विदा कर दिये जाओगे। जिसके खिलाफ इस तरह के चार्जेज हों, भ्रष्टाचार के आरोप हों, उनकी जांच करने के लिये विश्वविद्यालय अधिनियम में प्राविधान है। इसी प्रकार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जांच हुई। कानपुर विश्वविद्यालय के वी० सी० के खिलाफ जांच आई ?

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें।

श्री मोहन सिंह—

वहीं करने जा रहा हूँ। क्या विश्वविद्यालय के विधि संकाय की डीन श्रीमती श्रद्धा कुमारी के विरुद्ध, जो मैंने आरोप सुनाये हैं, उनके तहत निष्पक्ष जांच शासन की ओर से कराने की कार्यवाही करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्सी—

मान्यवर, श्रीमती श्रद्धा कुमारी के बारे में कुछ शिकायतें आपने कीं। इस सम्बन्ध में जो भी विधि के अनुसार उचित कार्यवाही होगी वह की जायेगी। विश्वविद्यालय स्वायतशासी संस्था है। उसके विषय में गौर से देखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार की कार्यवाही कर सकते हैं ?

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर मैं जानकारी दे दूं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सोमनाथ पंडिता कमीशन बैठा जांच के लिये अभी कुछ दिनों पहले। मैंने एक शिकायती पत्र लिखा था कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ, उसकी जांच हो रही है। मान्यवर विश्वविद्यालय अधिनियम में दिया है कि शासन किसी भी समय जब भी विश्वविद्यालय में गड़बड़ी उसकी समझ में आये, हस्तक्षेप कर सकता है, कमीशन बैठा सकता है। मान्यवर, एस० पी० सिंह कमीशन आपके ही हुकूमत में बैठा था लखनऊ विश्वविद्यालय में। क्या उन्हीं नियमों या प्राविधान के अन्तर्गत श्रीमती श्रद्धा कुमारी की जांच कराने की कार्यवाही करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी—

मान्यवर, जो भी शिकायतें किसी अध्यापक और गुरुजन के विषय में हों वह अलग बात है लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि विश्वविद्यालय का कोई विद्यार्थी अपने हाथ में कानून को लेकर अपने गुरु वह भी महिला गुरू की बेइज्जती करे, इसको हम टोलरेट नहीं कर सकते हैं ।

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

मान्यवर, माननीया मन्त्री जी ने जो यह वकतव्य यहाँ पर दिया है और मेरे द्वारा जो सूचना दी गइ थी उसके बिन्दुओं में अन्तर है । पहले वाक्य पर माननीय श्री मोहन सिंह जी ने ध्यान आकर्षित कराया था । अब दूसरे वाक्य की ओर मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । आज विश्वविद्यालय चल रहा है । आप देख रहे हैं । अपनी समस्याओं को प्रस्तुत करने तथा उनके समाधान हेतु जब विद्यार्थीगण श्रीमती श्रद्धा कुमारी को अपना ज्ञापन देने गये थे जिसमें विभिन्न प्रकार की समस्यायें भी थीं । जिसमें कर्मचारियों का भी ज्ञापन था तथा प्रोफेसर का भी ज्ञापन था ।

तो मैं माननीय मन्त्री जी से चाहूँगा कि इस बात को ध्यान में रखते हुये कि वर्ष 1981-82 में 1467 स्थान थे एल० एल० बी० फस्ट ईयर में, अब वे 887 स्थान रहे गये हैं और अगले साल 5 साल का एल० एल० बी० कोर्स होने जा रहा है । श्रीमती श्रद्धाकुमारी के बारे में साफ शिकायत है कि वह कोर्स नहीं पढ़ाती है और अपने घर में पैसा लेकर अपने पति से सिफारिश कर छात्रों का एडमीशन करा रही है । पुस्तकालय की आधी पुस्तकें ट्रक पर लाद कर अपने घर ले गई है । मान्यवर, इस तरह से अनेकों शिकायतें हैं । एल०एल०एम० में एडमीशन वहां पर नहीं कीये गये थे । तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूँगा कि जो शिकायतें उनके विरुद्ध की गई हैं उन पर जाँच कराने की कृपा करेंगे ? और मैं यह भी चाहूँगा कि जो विद्यार्थी उदण्ड हैं उन्हें पूरी तरह से दण्डित किया जाय । इसमें हम आपके साथ हैं । अगर उनकी न्याय संगत बात है तो उसकी भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिये । विश्वविद्यालय अधिनियम में यह व्यवस्था है कि कोई समय आने पर डीन के सभी अधिकार कुलपति अपने हाथ में ले सकता है । इस प्रकार डीन के अधिकारों को कुलपति में निहित करके किसी जुडीशियल बाड़ी द्वारा जांच कराने की संस्तुति करने की कृपा करेंगी ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी—

मान्यवर, यह बात तो मैं मानती हूँ कि जो न्याय संगत है और जो भी विद्यार्थियों की परेशानियाँ है या समस्यायें है उनको एक रूप से ध्यान देकर निराकरण करना हमारा धर्म है परन्तु गुरु की इज्जत करना भी हमारा धर्म है । दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने रखी है कि पिछले वर्ष 1400 विद्यार्थी थे और अब 800 विद्यार्थी हैं । यह तो कितने विद्यार्थियों का एडमिशन हो यह उनकी एडमीशन कमेटी तय करती है इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है । यह निश्चित किया गया कि प्रवेश की संख्या निर्धारित थी एक हजार की तब 12 सो का प्रवेश हुआ और इस समय 800 की जगह पर 1100 को प्रवेश दिया जा चुका है ।

मान्यवर, दूसरी उनकी जो माँग थी टिटोरियल समाप्त न किया जाय तो मान्यवर, यह भी उनकी एकाडैमिक काउंसिल नियत करती है कि टिटोरियल रखा जाय या नहीं रखा जाय क्योंकि यह एक स्वायत शासी संस्था है उनके अपने अधिकार हैं । यह प्राबलम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जो सामने आयी है छात्रों की कार्यवाही के कारण जो 5 लड़के ससपेन्ड किये गये उनको वापस लिया जाय छात्रों का घेराव करने का जो मुख्य कारण था वह यह था कि 5 लड़कों को जो ससपेण्ड किया गया है, उनकी डिमाण्ड यह थी कि उनको वापस लिया जाय। लखनऊ के जो नियम हैं, उसके अन्तर्गत डीन की जो पावर्स हैं, उसमें यह दिया हुआ है कि—

ही सैल हैव दि पावर टू ससपेण्ड ए स्टुडेन्ट फ्रोम हिज फैक्ल्टी—

उसी पावर्स के अन्तर्गत उन्होंने उनको ससपेण्ड किया, लेकिन गुरु शिष्य राजी तो क्या करेगा काजी। दोनों में सुलह हो गयी। वे स्टूडेन्ट वापस ले लिये गये हैं। वह भी खुश हम भी खुश, फिर झगड़ा किस बात का है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यह तो इन्होंने बता दिया कि गुरु शिष्य राजी, लेकिन उस ससपेन्शन को विदड्रा कराने के लिये ये स्वयं गयी थीं सिफारिश करने के लिये···

(व्यवधान)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, मैं इसको डिनाई करती हूँ। मैं किसी की सिफारिश करने नहीं गयी थी बल्कि यह मेरा अधिकार है कि लॉ एण्ड आर्डर के प्वाइंट आफ व्यू से कहीं पर भी निरीक्षण कर सकती हूँ। जब यह खबर आयी कि कुछ असामाजिक तत्व वहाँ पर विद्रोह कर रहे हैं और एक महिला को भी बेइज्जत किया गया है, तब मैं वहाँ पर गयी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं तो उनकी तारीफ कर रहा था कि वे स्वयं गयी थीं। श्रद्धा कुमारी ने जो उनको अखबार में गालियाँ दीं हैं, उसके लिये मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने यह कहा था कि क्या माननीया शिक्षा मंत्री इस समय यह आश्वासन देंगी कि, वहाँ के प्रोफेसरों ने भी माँग की है, कि डीन के सब अधिकार कुलपति में निहित करके पूरे मामले की जाँच, जैसे एस०डी० कमीशन एप्वाइंट हुआ था, उस तरह का कोई कमीशन एप्वाइंट करके लॉ फैकल्टी की जांच करायेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

हमारे माननीय विपक्ष के नेता राजेन्द्र कुमार गुप्त जी तथा अन्य हमारे जो साथी हैं, वे हमारे विश्वविद्यालय की प्रगति के सम्बन्ध में इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं, यह खुशी की बात है। मैं आश्वासन देती हूँ कि आप लोगों की जो भावनायें हैं, जो परेशानियाँ हैं और आपने जो चिन्ता प्रकट की है और जो-जो बिन्दु सामने रखे हैं, उनके सम्बन्ध में कुलपति महोदय का ध्यान आकर्षिक करूंगी।

श्री मोहनसिंह—

मान्यवर, स्वरूप कुमारी और श्रद्धाकुमारी एक ही धातु की बनी हुई हैं....

(हंसी)

[श्री मोहन सिंह—]

....छात्रों का आन्दोलन जिस मुददे पर हुआ उसका समाधान जब तक नहीं होगा तब तक चाहे आप छात्रों का निलम्बन वापस करें चाहे उनके दाखिले करा दें या छात्र नेताओं को क्षात्रबृत्ति दे दें, उससे कुछ होने वाला नहीं है। एडमीशन 1400 गत वर्ष हुए थे, इस साल आपने 1100 कर दिये। दूसरी दिक्कत यह हो गयी कि जो 1100 दाखिले होने थे उनकी कोई अन्तिम तारीख तय नहीं थी। तीसरी दिक्कत यह थी कि जो 1100 दाखिले किये, न उनमें कोई कमेटी बनायी गयी न मेरिट लिस्ट बनायी गयी और न सूची प्रकाशित की। सारे बही-खाते श्रद्धा देवी और श्रद्धानन्द जी के परिवार के पास ताले कुंजी में बन्द हैं।

उसका सार्वजनिक प्रकाशन हो कि किस प्रकार दाखिले हुए हैं और सारे मामले की जानकारी छात्र नेताओं को सही तरीके से हो जिससे अन्दरुनी घपले की जो आशंका है, उसका समाधान हो सके। इस घपले की जांच शासन को जो हस्तक्षेप करने का अधिकार मिला हुआ है, उस अधिकार के अन्तर्गत शासन हस्तक्षेप करके जांच कराने के लिये तैयार है या नहीं ?

कुलपति को आप क्या अवगत करायेंगी वह तो आपकी तरफ से नियुक्त होता है। इस मामले की शासन जांच करायेगी या नहीं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी—

मान्यवर, लखनऊ विश्वविद्यालय के हित में और उसके विषय में जितने भी उचित कार्यवाही होगी, वह अवश्य करायी जायगी और आपकी भावनाओं को अवश्य कुलपति तक पहुँचा दिया जायेगा।

श्री मोहन सिंह—

श्रद्धा कुमारी के समस्त मामलों पर यह सरकार जानबूझकर पर्दा डाल रही है, इसलिए मैं और मेरा दल इस सदन का थोड़ी देर के लिए बहिर्गमन करता हूं।

(तत्पश्चात् श्री मोहन सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

वस्तु स्थिति को जानबूझकर छिपाया जा रहा है और सरकार इस ओर कोई कार्यवाही करने का कोई आश्वासन साफ-साफ नही दे रही है। इसलिए इस सरकार की नीति के खिलाफ मैं एवं मेरा दल भी सदन की कार्यवाही से बहिर्गमन करता हूँ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

कानपुर स्थित फजलगंज तथा पनकी की बैंक आफ बड़ौदा की शाखाओं पर डाकुओं द्वारा हमला करके ढ़ाई लाख रुपये लूटने के सम्बन्ध में 1 मार्च 1983 को तारांकित प्रश्न संख्या 9 के विषय में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

***श्री मोहन सिंह—**

मान्यवर, मेरी यह सूचना 1 मार्च, 83 को पूछे गये प्रश्न के आधार पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 49 के अन्तर्गत है। उसी के अनुसार देखकर इस ओर कार्यवाही करें और मान्यवर, जब यह मुद्दा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उस रोज चर्चा में आया तो उस दिन हम लोंगों को शासन से कुछ खास मुद्दों पर जानकारी मिली, मान्यवर, कानपुर नगर जो प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापार का केन्द्र है। उस नगर में स्थित फजलगंज तथा पनकी की बैंक आफ बड़ौदा की शाखाओं पर डाकुओं द्वारा डकैती पड़ती है, जिसमें 30 तोले सोना और 2 लाख 86 हजार रु० नगद लेकर एक ऐम्बसडर कार में वह समस्त डाकू पलायित होते हैं, सूचना कानूपुर पुलिस को मिलने पर वह पीछा करती है और उसे यह आभास होता है कि लोग शायद आगरा जाने बाली सड़क से इटावा की ओर जा रहे हैं, तब कानपुर की पुलिस ने इटावा थाने को यह खबर पहुँचाई की 2 लाख, 86 हजार तथा 30 तोला सोना की डकैती करके एक गिरोह 5 एस.एल. आर. कार लेकर आगरे की तरफ पहुँच रही है, तथा इस रोड पर पड़ने वाले तमाम थानों पर यह सूचना दे दी गई।

तत्पश्चात् उसी रास्ते पर बकेवर स्थान पर इटावा पुलिस ने उस गिरोह को धर पकड़ा। पीछे-पीछे कानपुर की पुलिस भी बकेवर पहुँची और उसकी जामा तलाशी ली गयी वह गिरोह दल को मान्यवर, इतना समय नहीं मिल सका कि वह 2 लाख 86 हजार रु० और 30 तोला सोना कहीं छिपा सकें, या किसी मुखबिर को दे सके अथवा आपस में बँटवारा आदि कर सके। इटावा पुलिस ने जामा तलाशी ली और उनसे यह समस्त लूटी हुई राशि तथा उनके आटोमैटिक वैपन्स आदि सब हथिया लिये। उनकी सारी पूँजी सारा सामान सब पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। अब इतनी बड़ी राशि को देखकर इटावा पुलिस के लार टपकने लगी। ऐसा हमारा मान्यवर, साफ आरोप है और शासन भी इस सम्बन्ध में स्वयं सशंकित है कि सारे आटोमैटिक वैपन्स एवं समस्त लूटी हुई सम्पत्ति को इटावा पुलिस एवं पुलिस अधीक्षक श्री रतूड़ी आदि ने जो बकेवर में डाकू गिरोह से हथयाई थी, उन सबको आपस में बाँट लिया और रात 11-00 बजे डाकुओं से वहीं पर मुठभेंड़ दिखाकर केवल 80 हजार रु० बरामद हुआ दिखा दिया।

इसलिए मैं मान्यवर, आपके माध्यम से यह अनुरोध करूँगा कि मेरे स्पष्टतया तीन आरोप हैं। इस सम्बन्ध में शासन इन सब का जवाब दे। एक तो यह कि कानपुर पुलिस बकेवर में इटावा पुलिस को कब और कितने बजे मिली और दूसरा उनसे इस सम्बन्ध में क्या बात-चीत हुई तथा तीसरा है ड़ाकुओं के पास कौन-2 सी आटौमैटिक वैपन्स बरामद हुए और इन वैपन्स की रिपोर्ट कानपुर पुलिस ने क्या दी और इटावा पुलिस ने क्या दी ?

इन तीन बिन्दुओं पर हम शासन से उत्तर चाहेंगे। शासन को भीं आशंका है कि बंगलिंग हुई है परन्तु यह आशंका आपको कब हुई, जब हमारे लोगों के पत्र आपको प्राप्त हुए तब आपने सी. आई. डी. को केस इनक्वारी करने के लिए सौंप दिया। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने यह केस कब सी.आई.डी. के सुपुर्द किया है, उसकी तारीख क्या है ? क्योंकि उस दिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहाँ पर बड़े गौरवशाली ढंग से कहा था कि शासन अपने विवेक का इस्तेमाल करता है। तो यह बात आपके विवेकशील दिमाग में, बुद्धि में कब आयी जो कि आपने सी.आई.डी. इनक्वारी का सेट अप किया ? आपको भी मुकामी पुलिस पर आशंका है। सारे पुलिस कर्मियो ने इनवाल्ब होकर सारा पैसा और सोना अपने पास रख लिया फर्जी मुठभेड़ दिखा कर कि हमने अपराधियों को पेड़ से बाँध कर मारा है। तो मैं कहता हूँ कि उन सारे पुलिस कर्मियों को आप वहाँ स्थानान्तरित करने में हिचक क्यों रहे हैं ? इसका मैं स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)

(उत्तर देने के लिये खड़े होने पर) --

श्री रियासत हुसैन—

जरा धीरे-धीरे बोलियेगा, जोश में नहीं बोलियेगा ।

एक सदस्य—

गुलाब में जोश होता ही कहां है ?

***हरिजन तथा समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा) —**

धीरे-धीरे ही बोलूँगा । श्रीमन, भाई मोहन सिंह जी ने अभी तीन प्रश्न रखे हैं कि टाईम क्या था, फोर्स कितनी थी और आर्म्स कितने वसूल किये गये । मैं चाहता हूँ कि पहले इन्हीं तीन बातों का मैं स्पष्टीकरण दे दूँ । तो जिस समय वे कानपुर से चले तो कानपुर की पुलिस ने इटावा की पुलिस को बायरलेस के द्वारा सूचित कर दिया कि वे लोग उधर ही जा रहे हैं । उनकी मुठभेड़ 25-6-82 को तीन पार्टियों के साथ हुई है । पहली पार्टी जो थाना अजीतमल में है वहां रजवहे पर हुई थी । टाइम उस समय था 17 बज कर 5 मिनट । दूसरी मुठभेड़ पुलिस से हुई उसका समय था 17 बजकर 30 मिनट से लेकर 18 बजकर 20 मिनट तक यह ग्राम कुसवा में हुई । तीसरी पार्टी भी 17.30 बजे ही मौजूद थी और उतने बजे ही वहाँ गयी जिन्होंने लोगों को मारा । अब डकैतों से जो आर्म्स बरामद हुए उसका ब्योरा यह है कि निर्मल सिंह और करनेल सिंह के पास एक राईफल, 12 कारतूस जिन्दा मिले तथा दो कारतूस 455 बोर के मिले । रघुवीर सिंह और महावीर सिंह के पास एक स्टैन गन तथा 12 कारतूस और 5 खोखे मिले ।

दूसरी पार्टी के पास एक राईफिल, 4 जिन्दा कारतूस 12 बोर के और एक एस.पी.एल गन एस.एम. तथा चार कारतूस के खोखे बरामद किये गये ।

श्रीमन्, भाई मोहन सिंह जी का कहना है कि शासन ने उस दिन भी गम्भीरता से जो स्टोरी पुलिस की आयी थी उस पर विवेकशील ढंग से विवेचना की थी । मैंने खुद सदन में कहाँ था कि मुझको भी रुपयों के मामले मे संदेह होता है इसलिये हमने 1-3-83 को सी.आई.डी. की इनक्वारी के लिये दे दिया है । तीन पार्टियां इसमें इनवाल्व थी । करीब 90 पुलिस कर्मी थे । एक पार्टी में करीब 30 लोग थे, दूसरी पार्टी में 35 लोग थे और तीसरी पार्टी मे 24 लोग थे । इस तरह से 90 व्यक्ति इनकाउन्टर में पुलिस की ओर से थे । मैंने उसी दिन कहा था कि शासन की मन्शा है कि जो सत्य है उसका उद्घाटन हो जाय । इसीलिये इस मामले को सी. आई. डी. को दे दिया गया । यह जाँच 1-3-83 को दी गई । सी.आई.डी. ने किसी भी व्यक्ति के स्थानान्तरण के लिए नही कहा । उसने यह नहीं कहा कि भला व्यक्ति के द्वारा उनके कार्य में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है । अगर इस प्रकार की कोई बात आती है तो उस पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सही स्थिति का उद्घाटन मगरासा मैं भीकिया है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो डाकू थे मारे गये या पकड़े गये उनकी संस्था कितनी थी और बताया गया कि उनके पास स्टेनगन और राईफल थीं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि वह किस किस पर बरामद हुए ? क्या माननीय मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कुछ निहत्थे भी डाकू थे । एक बात कही गयी कि उनको सांस लेने की फुरसत नहीं मिली तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि ढाई लाख रुपया और सोना का पुलिस ने क्या ब्योरा दिया ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि माननीय मन्त्री जी ने यह आशंका व्यक्त की कि उनकी कुछ शंका है पुलिस पर इसलिये उन्होंने सी. आई. डी. से जांच कराने की आज्ञा दी, इसीलिए क्या माननीय मंत्री जी जो वहां पर भृष्ट पुलिस अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको तत्काल वहाँ से हटाने की कृपा करेंगे।

श्री रेवती रमण सिंह—

जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्राइमा फेसी केस बनता है तो वहां के जो पुलिस कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनको हटाने में क्या आपत्ति है जब तक वह रहेंगे तब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी। वहाँ पर जो डाकू पकड़े गये उन्होंने क्या बयान दिया है और क्या उन्होंने यह बयान दिया कि उनके साथी जो थे वह पैसा लेकर भाग गये।

श्री मोहन सिंह—

शासन को उस घटना की गम्भीरता को देखते हुए, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 26 दिन के बाद यह जांच के आदेश दिए गए। मैं यह जानना चाहूंगा कि जो मुठभेड़ हुई उसमें क्या कोई पुलिसकर्मी भी घायल हुआ ? डाकूओं के पास जैसा कहा जाता है स्टेनगन और रायफल थी तो क्या उन्होंने कोई वार नहीं किया ? तीनों थानों में किन-किन मुठभेड़ों में उनके पास से असलाहे और जो उनके पास फायर आर्म्स थे, जिनसे आपके पुलिसकर्मी घायल हुये, उनके बारे में आपके पास क्या रिपोर्ट है ? पुलिस कर्मियों की क्या स्थिति है ? जो मरे हैं या केवल मरहम पट्टी करके चले गये हैं या रायफल की गोली से पुलिस कर्मियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा है ? इन सबके बारे में मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, पुलिस कर्मियों की दो पार्टियों पर पुलिस कर्मी घायल हुये हैं। उन पर चोटें आई हैं। किसी के दाहिने पैर में आई है और किसी के बांये पैर में आयी है। भाई रियासत जी ने मरने वालों की संख्या पूछी। तो उनकी संख्या 6 है। मैं आपसे स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहता हूँ कि इसकी विवेचना अनुसंधान शाखा को दे दी गयी है और मैं आज ही यह भी निर्देश दे रहा हूँ कि जिस वक्त सी०आई०डी० इन्क्वायरी शुरू करे, जिस पर भी वहाँ उन्हें शक हो जो कि उसको प्रभावित कर रहा हो····(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

मैंने पूछा कुल टोटल कितने थे ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, मैंने प्रत्येक मरने वालों के साथ हथियारों की संख्या भी बताई है। निर्मल सिंह और कर्नेलसिंह। कर्नेलसिंह के पास एक रायफल, दो जिन्दा कारतूस, 405 बोर की बन्दूक। दूसरे रघुबीर सिंह और महावीर सिंह के पास एक स्टेन गन, एक कट्टा-12 बोर का, तथा 5 खोके तथा जीवित कारतूस, एस०पी०पी०, एस०बी०डी०बी, कारतूस दो, राइफल 1, 38 बोर की 6 खोके। मरने वालों की संख्या 6।···

श्री मोहन सिंह—

मैंने पूछा कि जो मरे थे सब डाकू थे, कोई बचा नहीं ?

श्री गुलाब सेहरा—

मैं इस बात से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं आज यह निर्देश दे दूंगा कि जिस सी० आई० डी० अफसर को मैं लगा रहा हूं और जिस वक्त इटावा में वह प्रवेश करे और जहाँ उनको यह लगे कि इसमें सन्देह हो रहा है, निष्पक्ष जाँच में यदि कोई रोड़ा बन रहा है उनकी लिस्ट वे हमें दें, हम तुरन्त उनका वहाँ से स्थानांतरण कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

इसके बाद 6 बजकर 3 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।

लखनऊ :
8 मार्च 1983

भाल चन्द्र शुक्ल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

'नत्थी क'

(देखिये अतांराकित प्रश्न संख्या 49 का उत्तर पीछे पृष्ठ 381 पर)

संलग्न सूची

1 संतोष पुत्र जयसिंह ठाकुर
2 राधे पुत्र नेपाल सिंह ठाकुर
3 रामसेवक पुत्र बहोरी नाई
4 कप्तान सिंह पुत्र मोती सिंह ठाकुर
5 कमरुद्दीन पुत्र चांद खाँ
6 श्याम वीर पुत्र भगवान सिंह
7 कुवंर पाल पुत्र लायक सिंह
8 लक्ष्मी पुत्र भजन लाल तेली
9 ज्ञान चन्द्र उर्फ गिन्ना पुत्र ज्योती प्रसाद
10 रोज उर्फ राजेन्द्र पुत्र तेजसिंह
11 युधिष्ठिर सिंह पुत्र दुर्गपाल सिंह
12 प्रमोद राना पुत्र रामसिंह ठाकुर
13 मलखान सिंह पुत्र बादशाह सिंह ठाकुर
14 युधिष्ठरसिंह पुत्र मुन्शीसिंह
15 पंचम सिंह पुत्र मुन्शी सिंह
16 रामपाल सिंह पुत्र दुर्ग पाल सिंह
17 रवेन्द्र सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह ठाकुर
18 भूरा पुत्र टीकम सिंह ठाकुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

'नत्थी ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 52 का उत्तर पीछे पृष्ठ 382 पर)

वितरण

क्र०सं०	मंत्री पद के नाम	हेलीकाप्टर/वायुयान के ईंधन पर व्यय की धनराशि(रु०)
1	2	3
1	मुख्य मंत्री	4,93,222.55
2	गृह मंत्री	34,663.30
3	राज्य गृह मंत्री	74,785.12
4	वित्त मंत्री	1,01,566.25
5	आवास विकास मंत्री	69,247.30
6	सार्वजनिक निर्माण मंत्री	31,359.57
7	हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री	10,348.27
8	राज्य मंत्री हरिजन एवं समाज कल्याण	1,971.06
9	कृषि मंत्री	9,082.20
10	सिंचाई मंत्री	13,529.20
11	राज्य मंत्री सिंचाई	5,016.38
12	वन मंत्री	3,668.35
13	राज्य मंत्री वन	3,278.10
14	उप मंत्री वन	3,122.00
15	संसदीय कार्य मंत्री	5,931.80
16	राज्य मंत्री संसदीय कार्य	4,955.06
17	उद्योग मंत्री	9,072.55
18	खाद्य एवं आपूति मंत्री	3,434,20
19	राज्य मंत्री खाद्य एवं आपूर्ति	4,095.95
20	शिक्षा मंत्री	4,431.00
21	राज्य मंत्री शिक्षा	2,497.60
22	न्याय मंत्री	3,858.03
23	पर्वतीय विकास मंत्री	8,703.20
24	राज्य मंत्री पर्वतीय विकास	3,681.83
25	योजना मंत्री	6,811.20
26	राज्य मंत्री योजना	2,006.55
27	ऊर्जा मंत्री	5,446.40
28	राज्य मंत्री ऊर्जा	7,805.09

विधान सभा सचिवालय

1	2	3
29	पंचायत राज एवं नागरिक उड्डयन मंत्री	14,432.35
30	स्वास्थ्य मंत्री	14,073.27
31	राजस्व मंत्री	4,321.80
32	राज्य मंत्री राजस्व	3,164.18
33	उप मंत्री राजस्व	11,730.60
34	सहकारिता मंत्री	291.38
35	यातायात मंत्री	224.02
36	राज्य मंत्री हेण्डलूम	5,429.37
37	डिवीजनल राज्य मंत्री	4,281.60
38	राज्य मंत्री केबिनेट	3,211.20
39	राज्य मंत्री ग्राम्य विकास	3,704.40
40	राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन	2,932.65
41	राज्य मंत्री (श्री एन० एन० सिंह तथा श्री बच्चा पाठक)	3,241.35
42	राज्य मंत्री देशाटन	3,087.00
43	उप मंत्री देशाटन	1,697.85
44	राज्य मंत्री (श्री पी०के० शर्मा)	7,063.18
45	उप मंत्री (श्री अन्सारी)	926.10
46	राज्य मंत्री, श्रम	735.97
47	राज्य मंत्री (श्री निर्मल खत्री)	2,688.00
	योग रु०	10,14 826.38

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 107 का उत्तर पीछे 400 पृष्ट पर)

जनपद सीतापुर में अभिजनन हेतु वर्ष 1971 से 1981 तक वितरित किये गये सांड़ों के दरिंदों की सूची ।

वर्ष 1971

1 श्री विद्याधर शुक्ल प्रधान नवीनगर
2 श्री सोहनलाल ग्राम उप्ररहरि
3 श्री जगन्नाथ प्रसाद ग्राम चहलारी
4 श्री हरद्वारीलाल ग्राम गौरा
5 श्री रामसिंह, प्रधान रामपुरकलां
6 श्री मेवालाल, ग्राम लक्ष्मनपुर

वर्ष 1972

1 ग्राम प्रधान कोरोना
2 श्री शिवकुमार ग्राम ढखेरा
3 श्री बालकराम प्रधान मुद्रासन
4 श्री राजेश्वर दयाल प्रधान अकबापुर
5 श्री बद्रोप्रसाद वर्मा ग्राम सिकन्दराबाद

वर्ष 1973

1 ग्राम प्रधान महेवा
2 श्री राकेश सिंह, प्रधान ग्राम सभा बदनापुर
3 श्री राजेन्द्र सिंह ग्राम सीहट गौड
4 श्री छत्रपाल प्रधान हिलालपुर
5 अवध शुगर मिल्स हरगाँव
6 श्री भगवान दीन ग्राम बजेहरा

वर्ष 1974

1 श्री छेदीलाल प्रधान ग्राम सेमराखुर्द
2 श्री पारसनाथ प्रधान, ग्राम खेदरापुर
3 श्री गार्गीदीन प्रधान ग्राम राजेपुर
4 श्री शिव बालक प्रधान असत्यारपुर
5 श्री सुमेरसिंह ग्राम गौरियाझाल
6 श्री अनवरसिंह ग्राम मेंहदौली

विधान सभा

7 ग्राम प्रधान लौना
8 श्री रामभरोसे, प्रधान ग्राम दरियापुर
9 श्री रामहर्ष प्रधान, ग्राम चौडिया
10 श्री हरवंशसिंह, प्रधान ग्राम राजापुर

वर्ष 1975

1 श्री शिवनारायन प्रधान, ग्राम दनियालपुर
2 श्रीमती मैनादेवी, ग्राम मुमानाबाद

वर्ष 1976

1 श्री परवनलाल प्रधान ग्राम औरंगाबाद
2 श्री लालता बख्श सिंह ग्राम जलालपुर
3 श्री राम प्रकट शुक्ला ग्राम चौडिया
4 श्री मनोहर लाल ग्राम दुधरा
5 श्री ग्राम प्रधान गंधारिया

वर्ष 1977

1 श्री लाला ग्राम अकीचनपुर
2 श्री उदयराज सिंह, प्रधान भुडकुडी
3 श्री दयाशंकर वर्मा, प्रधान लखवाखेडा
4 श्री प्रधान ग्राम गोपालपुर

वर्ष 1978

1 श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह, ग्राम केशवपुर
2 श्री वीरेन्द्र सिंह प्रधान ग्राम गोपालपुर
3 ग्राम प्रधान ककरधटा
4 श्री राजकिशोर शुक्ल, ग्राम संसडा
5 श्री नत्थूलाल, प्रधान ग्राम झोंसापुर
6 श्री परवनलाल, प्रधान ग्राम परसपुर
7 श्री रामहेतु शुक्ल ग्राम उसरी
8 श्री मुन्ना प्रधान, ग्राम अकोइया
9 श्री स्वामी दयाल, सरपंच, ग्राम निगोहा
10 प्रधान ग्राम अशोकपुर
11 प्रधान ग्राम गोंदहा
12 प्रधान ग्राम चंदौली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वर्ष 1979

1 प्रधान, ग्राम सभा हुमायूं पुर
2 प्रधान, ग्राम सभा अकबरपुर
3 श्री सुमेरसिंह, प्रधान, ग्राम गौरियाकला
4 श्री विशेश्वर सिंह, प्रधान ग्राम गौरा
5 श्री ब्रह्मादीन प्रधान ग्राम धाधपुर
6 श्री प्रधान ग्राम जालिमपुर

वर्ष 1980

1 प्रधान ग्राम भुडकुडा
2 श्री प्रकाश सिंह राठौर ग्राम अरमी
3 प्रधान ग्राम सरवा
4 श्री महेश प्रसाद ग्राम मंझा
5 श्री उदयराज सिंह ग्राम हरिहरपुर

वर्ष 1981

1 श्री शिव सेवक दीक्षित ग्राम पाल्हापुर
2 श्री शिवराज बहादुर सिंह प्रधान ग्राम नरसिंहोली

महायोग:— 63

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

पी०एस०यू०पी०—वि० सभा—7-1-84—835—256